



तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता  
[COMPARATIVE LIBRARIANSHIP]

लेखक

अजय कुलश्रेष्ठ M. Lib. Sc. & Doc.

व्याख्याता, पुस्तकालय विज्ञान, जी. वी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन  
सागरिया (राज.)

**GIFTED BY**

Raja Rammohan Roy Library Foundation  
Sector 1 Block DD - 34,  
Salt Lake City,  
CALCUTTA 700 054

रचना प्रकाशन

जयपुर-1

प्रकाशक :

राम शरण नाटायी

रचना प्रकाशन

254, शास्त्री सदन

खूंटेटों का रास्ता

जयपुर-1

© अजय कुलश्रेष्ठ

प्रथम संस्करण, 1986

मूल्य 125.00

मुद्रक :

जयपुर बलात्तिकल प्रिन्टर्स

347, गोविन्द राजियो का रास्ता

जयपुर-302001

जिनकी प्रेरणा से  
पुस्तक लेखन में प्रयुक्त हुआ,  
उन ज्ञाननिधि गुरुजनों को  
सादर समर्पित

## अपनी बात

“मैं एक लम्बी अवधि से देश में ऐसे युवा ग्रन्थालयियों की खोज में था जो ग्रन्थालय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर ग्रन्थ लिखें।”

पद्यत्री डॉ. रगनाथ के इस आह्वान को पढ़कर मुझे इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के पुस्तकालयाध्यक्षों व पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वे अंग्रेजी भाषा में लिखे ग्रन्थों के माध्यम से इस विषय को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। अतः मैंने इस पुस्तक को हिन्दी भाषा में लिखने का प्रयास किया है।

इस विषय पर अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं, परन्तु वे हिन्दी में नहीं हैं तथा आज तक की पूरी सूचना प्रदान नहीं करते हैं, मैंने इसमें Up-to-date सूचनाएँ देने का प्रयास किया है तथा कुछ ऐसे अध्याय दिये हैं जो मामान्यतः अन्य हिन्दी व अंग्रेजी की पुस्तकों में नहीं मिलते हैं। यह पुस्तक पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों के Comparative Librarianship पाठ्यक्रम को कवर करती है। छात्रों के साथ-साथ यह पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्षों व पुस्तकालय प्राधिकारियों (Library Authorities) के लिए भी महत्वपूर्ण व उपयोगी सूचना प्रदान करती है। इसके द्वारा वे दैनिक कार्यों में आने वाली समस्याओं का हल कर सकते हैं। साथ ही इस पुस्तक को पुस्तकालय में रुचि रखने वाले समस्त वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक को लिखने में जिन सूचना स्रोतों का सहयोग लिया गया है, उनके लेखकों व प्रकाशकों का मैं हृदय से आभारी हूँ। इस ग्रन्थ को लिखने में मेरे समस्त गुरुजनों का ज्ञान, सहयोग, प्रेरणा व आशीर्वाद रहा है। इसलिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ और इसीलिए मैं यह पुस्तक गुरुजनों को समर्पित कर रहा हूँ।

समस्त पुस्तकालय वैज्ञानिकों व छात्रों से अनुरोध है कि इस ग्रन्थ में रह गई गलतियों व कमियों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम संस्करण में प्राप्त सुझावों का समावेश और कमियों का निवारण किया जा सके।

पुस्तक प्रकाशन पक्ष को सम्भालने और इसे शीघ्र ही पाठकों तक पहुँचाने में रचना प्रकाशन के श्री रामशरण नाटाणी ने जो उत्साह और परिश्रम किया है, मैं उनकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। उनकी आत्मीयता के प्रति भी मैं आभारी हूँ।

मार्च, 1986

पुस्तकालय विज्ञान विभाग

जी. वी. कालेज ऑफ एज्यूकेशन

सांगरिया (राजस्थान)

अजय कुलश्रेष्ठ

## विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
भारत में पुस्तकालय आन्दोलन	1-41
<input type="checkbox"/> पुस्तकालय आन्दोलन के कारण	
<input type="checkbox"/> विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम	
<input type="checkbox"/> पुस्तकालय विज्ञान साहित्य	
<input type="checkbox"/> पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण	
<input type="checkbox"/> पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र	
<input type="checkbox"/> प्रमुख आयोग व समितियाँ	
<input type="checkbox"/> इंग्लैंड में पुस्तकालय आन्दोलन	
<input type="checkbox"/> अमेरिका में पुस्तकालय आन्दोलन	
2. पुस्तकालय संघ के संगठन	42-76
<input type="checkbox"/> भारत	
<input type="checkbox"/> अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ	
<input type="checkbox"/> इंग्लैंड	
<input type="checkbox"/> ASLIB	
<input type="checkbox"/> IFLA	
<input type="checkbox"/> UNESCO	
<input type="checkbox"/> FID	
<input type="checkbox"/> अमेरिका	
3. पुस्तकालय आयोग व समितियाँ	77-94
<input type="checkbox"/> UGC इण्डिया	
<input type="checkbox"/> पुस्तकालय सलाहकार समिति	
4. पुस्तकालय सहयोग	95-102
5. मानकीकरण	103-112
<input type="checkbox"/> भारत में किये गये प्रयास	
<input type="checkbox"/> भारतीय मानक सम्मेलन	
6. पुस्तकालय भवन	113-125

7	पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा	126-139
	<input type="checkbox"/> भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा	
	<input type="checkbox"/> शिक्षा के स्तर	
8	पुस्तकालय कर्मचारी	140-157
	<input type="checkbox"/> पुस्तकालय कर्मचारियों का वर्गीकरण	
	<input type="checkbox"/> पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या	
	<input type="checkbox"/> Formula For Unkilled Staff	
	<input type="checkbox"/> पुस्तकालय कर्मचारियों की योग्यताएँ	
	<input type="checkbox"/> पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन	
	<input type="checkbox"/> कर्मचारी हस्तपुस्तिका	
	<input type="checkbox"/> पुस्तकालय कर्मचारी व दौदाणिक स्तर	
9.	वर्गीकरण शोध समूह	158-166
	परिशिष्ट	167-183
	<input type="checkbox"/> परिशिष्ट-1	
	<input type="checkbox"/> परिशिष्ट-2	
	<input type="checkbox"/> परिशिष्ट-3	
	बिस्मिपोप्राफी	184-188

## भारत में पुस्तकालय आन्दोलन

एक ऐसा चेतना-युक्त प्रयास जिसके द्वारा सबके उपयोग के लिए उनकी बौद्धिक आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालयों का एक परस्पर सम्बन्ध तंत्र स्थापित किया जाये, इसे ही पुस्तकालय आन्दोलन कहते हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य किसी भी देश के निवासियों में पुस्तकालयों के प्रति जागृति उत्पन्न करना तथा उन्हें पुस्तकालय सेवाएँ उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय आन्दोलन ही एक मात्र ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है।

### पुस्तकालय आन्दोलन के कारण

विश्व में पुस्तकालय आन्दोलन के आरम्भ होने के निम्न कारण रहे—

- (1) कागज का आविष्कार
- (2) मुद्रण का आविष्कार
- (3) साक्षरता प्रसार
- (4) सामाजिक चेतना
- (5) औद्योगिकरण
- (6) नगरीकरण
- (7) वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति।

उपरोक्त कारणों ने पुस्तकालयों के प्रति जागृत व आकर्षित किया इससे पुस्तकालय आन्दोलन को बल मिला।

### भारत में पुस्तकालय आन्दोलन

आज दुनियाँ के सभी सम्य तथा विकसित एवं विकासशील देशों में पुस्तकालयों का एक जाल सा बिछा हुआ है, लेकिन अभी भारत इस दिशा में पिछड़ा हुआ है और यहाँ पुस्तकालय आन्दोलन ज्यादा सक्रिय नहीं हो सका है। इसका प्रमुख कारण सरकारी स्तर पर पुस्तकालयों के प्रति उदासीनता है।

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन कोई नवीन आन्दोलन नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि-मुनि के यहाँ चलते फिरते पुस्तकालय थे। भारत में पुस्तकालय आन्दोलन की एक लम्बी कहानी है। यह विशाल भू-खण्ड में फैला हुआ प्रदेश है तथा यहाँ विभिन्न संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। पुस्तकालय आन्दोलन का इतिहास सही अर्थों में नवतन्त्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास है।



स्वतन्त्रता से पहले वास्तव में पुस्तकालय भान्दोलन को शुरू करने का श्रेय शिवाजी राव गायकवाड को है। पुस्तकालय भान्दोलन का आरम्भ हम निम्न नीचे करेंगे—

- (1) प्राचीन भारत में पुस्तकालय
- (2) पुस्तकालय अधिनियम
- (3) पञ्चवर्षीय योजनाएँ व पुस्तकालय
- (4) पुस्तकालय सभ
- (5) पुस्तकालय विज्ञान साहित्य
- (6) पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण
- (7) प्रमुख पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र
- (8) प्रमुख आयोग व समितियाँ।

### (1) प्राचीन भारत में पुस्तकालय

भारतीय इतिहास के आरम्भिक काल में पुस्तकालयों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, यद्यपि हमें सिन्धु घाटी सभ्यता के समय में किसी प्रकार के पुस्तकालय विद्यमान होने के कुछ प्रमाण मिले हैं। जिनमें अनेक मुद्राओं व ग्रन्थों, शिलालेखों आदि का भंडार सम्मिलित है। प्राचीन साहित्य में उससे पहले के लेखकों की रचनाओं के प्रायः उल्लेख मिलते हैं, जिससे हमें यह विचार करना पड़ता है कि बाद के लेखकों द्वारा पूर्ववर्ती और प्राचीन ग्रन्थों के प्रयोग की बात कोई विलुप्त ही भ्रमज्ञात नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्राचीनतम लेखकों की रचनाओं के संकलन एक स्थान पर विद्यमान थे, जिनका बाद के लेखक प्रयोग कर सकते थे। ये पुस्तकालय ही थे जिनमें पूर्ववर्ती लेखकों की रचनाएँ संप्रहित थीं। पुस्तकालय का सर्व प्रथम उल्लेख नलदीवट ग्रन्थ में मिलता है, जो सगम काल के 36 तमिल ग्रन्थों में से एक है। इस ग्रन्थ के पद 318 में पुस्तकालय रखने वाले तथा पुस्तकालय का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन है। उसके बाद चीनी यात्री फाह्यान जो 5वीं शताब्दी के आरम्भ (399-414 ई.) में भारत आया था ने अपने लेख में पुस्तकालय का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि दूसरी शताब्दी में नागार्जुन विद्यापीठ जो कि नागार्जुन द्वारा स्थापित पर्वत बिहार में था कि पाँचवीं मंजिल पर पुस्तकालय स्थित था तथा उसमें बौद्ध धर्म तथा अन्य दर्शन शास्त्र की पुस्तकों का संग्रह था। 675-685 ई. तक नालन्दा में शिक्षा प्राप्त करने वाला एक अन्य चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि उस समय प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे। उसके अनुसार बलभी शिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र था व यहाँ का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था। एक और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, कई ऐसे मठों का उल्लेख किया है जिनमें पुस्तकालय थे। उसके अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था जिसे धर्मगज

कहते थे। इसमें तीन बहुत बड़ी इमारतें थी जिन्हें रतनसागर, रतनोदधि और रतनरंजक कहा जाता था। इसमें रतनोदधि इमारत तो नौ मंजिल की थी।

बाड़ी के निकट नागाई गाव में ब्रह्मधुकमबेहागुड़ी मन्दिर से प्राप्त एक कन्नड लेख में, जो कि 24 दिसम्बर, 1058 ई. का बताया है, में एक 200 विद्या-धियों के लिए एक कालेज का वर्णन है जिसका नाम 'चटिकशाला' था। इस संस्था में तीन बौद्धिक अध्यापक, तीन शास्त्र अध्यापक, छह सारस्वतिक भण्डारिक (पुस्तकालयाध्यक्ष) होने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वह पुस्तकालय कितना विशाल होगा तथा कितना व्यवस्थित होगा।

मकबर के समय में पुस्तकालयों का इतना एक अलग महकमे की देखरेख में चलता था। इस महकमे के निदेश को 'नाजिम' कहते थे। बहुत विख्यात विद्वानों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। नाजिया के बाद दूसरा पद दरोगा-ए-किताबखाना होता था। शाही पुस्तकालय का उत्तरदायित्व भी इसी पर होता था। भारत में मुस्लिम काल में पुस्तकालयों में एक नवीन परिवर्तन आया। मुसलमान शासक अपने महल में पुस्तकालय रखते थे, जिन्हें देख कर अमीर, उमराव व अन्य दरबारी लोग भी अपने-अपने घरों में बढ़िया पुस्तकालय रखने लगे।

ब्रिटिश काल में पुस्तकालयों का कुछ अधिक विकास व विस्तार नहीं हुआ क्योंकि यह लाई मैकले की शिक्षा नीतियों के विरुद्ध था। हाँ, कुछ राष्ट्रीय महत्त्व के पुस्तकालयों की स्थापना अवश्य हुई। जिनमें वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय, गुदाबक्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय, कानेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय तथा कुछ विभागीय, मंत्रालय तथा शोध पुस्तकालय प्रमुख हैं।

वास्तव में भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का इतिहास स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद पुस्तकालयों का इतिहास है।

## (2) पुस्तकालय अधिनियम

पुस्तकालय आन्दोलन का मुख्य मापक पुस्तकालय अधिनियम का प्रभावशील होना है। भारत में पुस्तकालयों के विकास के अधिनियम सर्व प्रथम 1948 को मद्रास में प्रभावशील हुआ। इस अधिनियम के प्रभावशील होने में इसके पुस्तकालयों से सम्बन्धित पूर्ववर्ती अधिनियमों का काफी योगदान रहा है। सर्वप्रथम 1808 में बम्बई सरकार ने 'पुस्तकालयों को दान में पुस्तकें देने के लिए एक कोष स्थापित करने के उद्देश्य से' पारित किया। 1867 में एक और Press and Registration of Books Act पास हुआ। इसमें व्यवस्था थी कि प्रत्येक प्रकाशक प्रादेशिक सरकार को उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निशुल्क भेजे। 1902 में एक और एक्ट कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी (1835) को Imperial Library घोषित करने से सम्बन्धित था, पारित हुआ। 1948 में भारत सरकार ने Imperial Library को National Library घोषित करने से सम्बन्धित एक्ट पास किया। 1954 में

भारत सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण एक्ट *Delivery of Books Act* पास किया। इसमें व्यवस्था थी कि प्रत्येक प्रकाशक अपने प्रकाशन को एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा तीन अन्य प्रतिवाँ भारत सरकार द्वारा निर्देशित पुस्तकालय को भेजे। 1956 में इस एक्ट में समाचार पत्र व पत्रिकाओं को भी सम्मिलित कर दिया गया। 1962 में भारत सरकार ने एक आदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्राह्य राज्य सरकारों को भेजा और कहा कि वे अपने-अपने राज्य में इसे पारित करवायें, परन्तु इतना होने के बाद भी केवल 5 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो पाये हैं।

विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम

विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम को पारित करवाने के लिए अनेक प्रयास समय-समय पर होते रहे हैं, फिर भी वर्तमान में मात्र 5 राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित हो पाये हैं। इसका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों में करेंगे—

असफल प्रयास

1954 में देहली के लिए एक अधिनियम का प्राह्य श्री पी. एम. कोला द्वारा तैयार किया गया। परन्तु अभी तक वहाँ अधिनियम पास नहीं हो पाया है। 1954 व 1958 में दो बार उत्तर प्रदेश के लिए अधिनियम का प्राह्य बना कर दिया गया, जिसमें एक बार डॉ. रंगानायन ने प्रयत्न किया परन्तु वहाँ भी अभी तक अधिनियम पास नहीं हो पाया है। 1973 में बिहार के लिए भी प्रयास किया गया। असम के लिए डॉ. जगदीश शरण शर्मा तथा भार एल. मिश्र ने प्रयास किया था, परन्तु यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के लिए डॉ. रंगानायन ने 1948 में प्राह्य तैयार किया था। 1948 में उस पर विचार-विमर्श हुआ। फिर 1951 में इन्दौर कान्फ़ेंस में भी विचार विमर्श हुआ लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है। केटल में भी दो विल 1946 व 1958 में रखे गये परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। राजस्थान में भी 1969 में प्रयास किया गया था परन्तु कुछ नहीं किया गया है। 27 जनवरी, 1985 को आयोजित "Library System in Rajasthan" नामक सेमिनार में शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने आशवासन दिया कि इस वर्ष के अन्त तक पुस्तकालय अधिनियम पारित होने की पूर्ण संभावना है। डॉ. रंगानायन ने पुस्तकालय अधिनियमों की दिशा में बहुत प्रयास किया है। उनके द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए पुस्तकालय अधिनियम का प्राह्य निम्न वर्षों में बनाया गया है—

1946—मद्रास व केन्द्रीय प्रान्त

1947—कोबीन, ट्रावनकोर व चम्बई

1948—संयुक्त प्रान्त

1955—हैदराबाद

1957—मध्य प्रदेश व आन्ध्र प्रदेश

1958—पश्चिमी बंगाल व उत्तर प्रदेश

1960—केरल

1961—मैसूर

1964—आसाम

**सफल प्रयास**

अभी तक मात्र पाँच राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम काफी प्रयासों के बावजूद पारित हो पाये हैं, ये हैं—

1. मद्रास (1948)
2. आन्ध्र प्रदेश (1960-61)
3. मैसूर (1965)†
4. महाराष्ट्र (1967)
5. पश्चिमी बंगाल (1979)

**मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1948)**

पुस्तकालय अधिनियमों के क्षेत्र में यह पहला अधिनियम भारत के लिए था। यह वास्तव में डॉ. रगानाथन के प्रयासों का प्रतिफल था। इसे 1948 में विधान सभा में पेश किया गया। जिसे 1949 को गवर्नर जनरल ने स्वीकृति दी। यह 8 फरवरी, 1949 को St. George Gazette में Part V में प्रकाशित किया गया। इसका संशोधन 15 नवम्बर, 1955 को किया गया। इसकी प्रशंसा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने भी की है।

**हैदराबाद पुस्तकालय अधिनियम (1955)**

यह मद्रास पुस्तकालय अधिनियम के प्रारूप पर आधारित था। इसको 1955 में पारित किया गया, परन्तु बाद में 1960 में आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया तथा हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम, 1960 को लागू कर दिया गया।

**आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1960)**

यह पुस्तकालय अधिनियम 1960 में प्रभावशील हुआ। इसके लिए प्रयास 1956 में आन्ध्र प्रदेश के पुनर्गठन से ही शुरू हो गया था। 1957 में डॉ. रगानाथन ने भी आन्ध्र प्रदेश के लिए एक आदेश अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था। यह अधिनियम प्रभावशील होने से पहले 1956 में आन्ध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद आन्ध्र प्रदेश में दो प्रकार के पुस्तकालय अधिनियम प्रचलित थे। एक तो हैदराबाद पुस्तकालय अधिनियम (1955) तथा कुछ प्रदेश जो मद्रास से आन्ध्र प्रदेश में मिलाये गये थे, उनमें मद्रास पुस्तकालय अधिनियम (1948) प्रचलित था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान अग्र थे—

1. राज्य पुस्तकालय समिति
2. राज्य पुस्तकालय संचालक
3. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण
4. प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की 3 प्रतियाँ राज्य सरकार को
5. सम्पत्ति या गृह कर पर 4 मे 8 पैसे पुस्तकालय कर
6. पुस्तकालय पद्धति
  - (अ) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
  - (ब) राज्य के सभागीय पुस्तकालय
  - (स) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण
  - (द) शाला पुस्तकालय आदि ।

### मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1965)

यह अधिनियम 1965 में मैसूर में सार्वजनिक पुस्तकालयों की बेहतर व्यवस्था के लिए पारित किया गया। यह अधिनियम 1961 में डॉ. रंगनाथन द्वारा मैसूर के लिए बनाये गये प्रारूप तथा 1962 में भारत सरकार द्वारा 'घादेश पुस्तकालय विधेयक' जो राज्य सरकारों को भेजा गया था, पर आधारित था। यह अन्वय विधेयकों के मुकाबले थोड़ा था। इसमें कुछ प्रावधान निम्न थे—

1. राज्य पुस्तकालय समिति
2. सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अलग से विभाग
3. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था
4. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण
5. 3 पैसे प्रति रुपये पुस्तकालय कर
6. प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ निशुल्क राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय को ।
7. पुस्तकालय पद्धति (Library System)
  1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
    - (अ) जिला केन्द्रीय पुस्तकालय
    - (क) ग्रामीण पुस्तकालय (ख) शाला पुस्तकालय
    - (द) नगर शाखा पुस्तकालय

### महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (1967)

फैजी समिति की सिफारिशों तथा रंगनाथन व पुस्तकालय सघों के प्रयासों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में भी 1967 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे—

1. पुस्तकालय विभाग की स्थापना
2. पुस्तकालय संचालक

3. राज्य पुस्तकालय सनाहकार समिति
4. राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन
5. पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं
6. पुस्तकालयों के लिए वित्त व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा

### पश्चिम बंगाल पुस्तकालय अधिनियम (1979)

पश्चिमी बंगाल पुस्तकालय अधिनियम 1979 में पास हुआ। यह भारत में पांचवाँ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था। इस अधिनियम में की गई कुछ प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं—

1. राज्य पुस्तकालय परिषद् का गठन
2. पुस्तकालय समिति
3. पुस्तकालय संचालक
4. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण
5. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण
6. कार्यकारिणी समिति
7. जिला पुस्तकालय अधिकारी व जिला पुस्तकालयपालक
8. पुस्तकालय कर नहीं
9. वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा
10. लेखा परीक्षण व्यवस्था।

### (3) पंचवर्षीय योजनाएँ व पुस्तकालय

#### (ए) प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए एक निश्चित नीति निर्धारित की गई, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्रीय पुस्तकालय और प्रत्येक जिला तथा विकास खण्ड में एक-एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना का निश्चय किया गया। यह योजना एक निश्चित भवधि के अन्दर सम्पूर्ण देश की जनता को नि:शुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करवाने से उद्देश्य से बनाई गई थी।

इस योजना में 9 स्टेट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, 96 जिला पुस्तकालय तथा 52 विद्यमान जिला पुस्तकालयों के विकास के लिए 88,91,499 रुपये स्वीकृत किये गये थे। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय आसाम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, पेश्वर, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश में स्थापित की गई तथा 96 जिला पुस्तकालयों में से आसाम में 7, पश्चिम बंगाल में 17, बिहार में 12, मध्य प्रदेश में 22, राजस्थान में 24, सौराष्ट्र में 5, भोपाल में 2 तथा विन्ध्य प्रदेश में 7 स्थापित किये गये।

## पुस्तकालय सेवा प्रगति रिपोर्ट : जहाँ अधिनियम पारित हो चुके हैं

क्र. सं.	राज्य	अधिनियम पारित होने का वर्ष	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	राजन पुस्तकालय	स्वािक पुस्तकालय	ग्राम पुस्तकालय	विशिष्ट पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	कुल पुस्तकालय
1.	तमिलनाडु	1941	1	15	—	374	3427	1	4	3822
2.	आन्ध्र प्रदेश	1960	1	22	207	324	1623	2	4	2190
3.	कर्नाटक	1965	1	19	230	175	1498	1	6	1930
4.	महाराष्ट्र	1967	1	26	257	195	285	5	2	751
5.	प बंगाल	1979	1	16	61	48	531	6	8	671

इस प्रकार 1 जनवरी, 1985 तक 16 राज्यों में से 12 राज्यों अर्थात् 75% प्रतिशत क्षेत्र में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो गये। 9 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में से 5 अर्थात् 55 प्रतिशत में केन्द्रीय पुस्तकालयों की स्थापना हुई। 377 जिलों में से 205 जिलों में अर्थात् 63 प्रतिशत भाग में जिला केन्द्रीय पुस्तकालय हो गये। इसी प्रकार 5223 विकास खण्डों में से 1394 अर्थात् 27 प्रतिशत क्षेत्र में विकास खण्ड पुस्तकालय तथा 5,66,878 ग्रामों में से 28,317 ग्रामों में अर्थात् 5 प्रतिशत ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना हो गई थी।

### (बो) द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 240 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान था जिसमें से मात्र 140 लाख रुपये पुस्तकालयों पर व्यय किये जाने का प्रावधान था जो कुल शिक्षा बजट का मात्र कुछ ही प्रतिशत था। इस योजना में पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की स्थापना के लिए 10,10,000 रुपये का प्रावधान था। दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय दिज्ञान विभाग को यह दर्जा दिया गया। इस योजना में दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की भी व्यवस्था थी। साथ ही इसमें एक भारतीय वांगमय सूची प्रकाशित करने का भी प्रावधान था। इस योजना में भारत के पूरे 320 जिलों में पुस्तकालय सेवा शुरू करने की योजना भी थी।

### (सो) तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में विद्यमान पुस्तकालयों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में ही पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए नवीन वेतनमान घोषित किये गये तथा इस योजना में 416 पचायतों, 5000 चल पुस्तकालयों तथा 1250 वाचनालयों के लिए 10,10,000 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे। इस योजना में भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण कुछ प्रभाव पड़ा। इस योजना में कुछ प्रमुख राज्यों में लगभग निम्न राशि पुस्तकालयों पर व्यय की गई :-

1. राजस्थान-21,67,000
2. पश्चिमी बंगाल-70,93,000
3. बिहार-24,95,000
4. आन्ध्रप्रदेश-3,67,000
5. जम्मू कश्मीर-3,76,000

तीन वर्षीय योजनाओं 1966-67, 67-68, 68-69 में पुस्तकालयों की विकास दर लगभग नगण्य रही। हाँ, चतुर्थ योजना पर विचार के लिए योजना आयोग ने एक Working Group का निर्माण किया। इसके अध्यक्ष श्री वी. के. धार. वी. टान थे। इस दल ने जन-पुस्तकालय सेवा के विकास की एक योजना दी।



जिसके तहत अगले दस वर्षों में प्रत्येक 2000 जनसंख्या वाले गाँवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध होगी। इसने सार्वजनिक पुस्तकालयों पर वार्षिक व्यय 22 करोड़ रुपये बताया।

#### (डी) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 873 करोड़ रुपये व्यय किये गये। जिसमें मात्र 29 करोड़ रुपये सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय किये गये। इस योजना काल में सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक जाल विद्यमाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना काल में देश में पुस्तकालयों के समुचित योजनाबद्ध विकास व पुनर्गठन के विषयों पर सलाह देने, विभिन्न पुस्तकालयों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए 1966 में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति की स्थापना की तथा 1965 में ही शिक्षा मंत्रालय में एक पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई। यह चतुर्थ योजना को क्रियान्वित करेगा। इस विभाग का कार्य एक उप-सचिव को सौंपा गया तथा श्री बी. एम. केशवन की पुस्तकालय सलाहकार के पद पर नियुक्ति की गई है।

#### (4) पुस्तकालय संघ

पुस्तकालय आन्दोलन में पुस्तकालय संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्व के अनेक देशों, U K., USA, USSR आदि में पुस्तकालयों का विकास पुस्तकालय संघ की स्थापना के बाद ही हो सका है। भारत में भी यदि देखा जाये तो पुस्तकालय संघों की स्थापना के बाद ही भारत में पुस्तकालयों का विकास प्रमत्त शुरू होता है। इनमें 1914 में आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ, 1919 में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ तथा 1924 में बड़ौदा पुस्तकालय संघ तथा 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना ही भारत में पुस्तकालय आन्दोलन की शुरुआत थी। इन्हीं संघों द्वारा अपने-अपने राज्यों से मुरू किया गया पुस्तकालय आन्दोलन धीरे-धीरे 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के साथ अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हो गया। भारत के पुस्तकालय संघों का पुस्तकालय आन्दोलन में प्रमुख योगदान का अब हम अवलोकन करेंगे :—

#### आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ

आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में हुई। इस संघ के प्रारम्भिक काल में पुस्तकालय आन्दोलन में योगदान का वर्णन लाइब्रेरी मिसोलेनी (Library Miscolaney) के 1915 अप्रैल अंक, पृष्ठ 26-29 में किया गया है। इसमें यह महत्वपूर्ण है "आन्ध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ के मंत्री के मतानुसार यहाँ पुस्तकालय आन्दोलन सर्व प्रथम 1905 में प्रारम्भ हुआ। उस समय भारत भर में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की लहर फैल गई थी। प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयता के लिए प्रेम की इस लहर के कारण भारतीय भाषाओं का पुनर्जीवन और नवीन विकास हुआ और भारतीय भाषाओं में नये-नये समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रारम्भ

हुआ.....इस प्रकार लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकें, समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ लोगों को सरलता से ज्ञान उपलब्ध हो ।  
 वे । इसके लिए ऐसा प्रयत्न कभी नहीं हुआ था ।

इस सघ को अनेक उपलब्धियों का श्रेय है । इमने 1915 में संतगु भाषा में एक पुस्तकालय पत्रिका 'ग्रन्थालय सर्वस्व' का प्रकाशन गुरु किया गया । यह अनेक कठिनाइयों के बावजूद आज भी प्रकाशित हो रही है । स्थापना के तुरन्त बाद इसने एक विदेशिका प्रकाशित की । इमने अनेक पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया । इस संघ ने 1919 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन का मद्रास में आयोजन किया व अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सघ बनाने में मदद की । इस सघ का वेजवाड़ा में अपना भवन है तथा लगभग 3-4 लाख की सम्पत्ति भी है । 1964 में इसने अपनी स्वर्ण जयन्ती मनायी तथा 1960 में अपने महा पुनर्गठन के बाद अधिनियम पारित करवाया । 1955 में हैदराबाद में पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की । इस संघ को पुस्तकालय आन्दोलन में अत्यधिक सक्रिय करने का श्रेय श्री पातुरी नागभूषणम को है जो 1938 से लगभग 25 वर्षों तक इसमें मंत्री रहे ।

#### अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ

मुख्य रूप से आन्ध्र प्रदेश में पुस्तकालय आन्दोलन के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से सन् 1919 में मद्रास में पहला अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता वडोदा के पुस्तकालयों के अध्यक्ष श्री जे. एस. कुडातकर ने की । इस सम्मेलन में 1919 में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सघ की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय वेजवाड़ा में रखा गया ।

इस सघ ने 1934 में नौ अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन किया । सन् 1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के बाद इसकी गति-विधियाँ कम हो गईं । इस सघ ने 1924 से 1926 तक इण्डियन लाइब्रेरी जर्नल (Indian Library Journal) नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया । यह देश में पुस्तकालयों के क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली दूसरी पत्रिका थी ।

#### महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ

1921 में महाराष्ट्र पुस्तकालय सघ बनाया गया । बाद में पूना और धारवाड़ क्षेत्रों में भी अपने अलग-अलग पुस्तकालय सघ इस सघ के प्रयत्नों से स्थापित किये गये । परन्तु बम्बई प्रान्त में पुस्तकालय सघ तथा पुस्तकालय आन्दोलन का प्रभाव कुछ कम था । पूरे प्रान्त में पुस्तकालय आन्दोलन के कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से पुस्तकालय संघों में जो कमियाँ थीं प्रान्तीय सरकार ने इस विषय को स्वयं अपने हाथों में लेकर पूरा किया ।

बम्बई सरकार ने 1939 में पुस्तकालय विकास समिति नियुक्त की। गवर्नमेन्ट ला कालेज, बम्बई के तत्कालीन प्रिंसिपल श्री ए. ए. फंजी की अध्यक्षता वाली इस समिति की रिपोर्ट 1941 में प्रकाशित हुई। इसमें बम्बई प्रान्त के तीन भाषायी क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन के प्रोत्साहन का एक विस्तृत कार्यक्रम दिया गया। इस समिति ने कहा कि प्रान्त में पुस्तकालय सघ इतने प्रभावी नहीं हैं। इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया कि ऐसे सघों को पुस्तकालय आन्दोलन कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार प्रान्त में ऐसे केन्द्रीय प्रान्तीय पुस्तकालय सघ बनाने में मदद दे। तीन भाषायी क्षेत्रों में तीन प्रादेशिक पुस्तकालय सघ बनाये जायें और प्रान्त के 15 जिलों में से प्रत्येक में एक जिला पुस्तकालय सघ बनाया जाये। इस समिति की सिफारिश थी कि प्रस्तावित 19 सघों को कुल 10,750 रुपये प्रति वर्ष का सरकारी अनुदान दिया जाये।

### बड़ोदा पुस्तकालय संघ

1924 में बड़ोदा पुस्तकालय सघ की स्थापना की गई। इस संघ की स्थापना का श्रेय तत्कालीन लाइब्रेरी बलब को है। इस संघ के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य 'पुस्तकालय सहायक सहकारी मण्डल समिति' नामक एक पुस्तकालय समिति का आरम्भ करना भी था जो पुस्तकालयों को पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं की उपलब्धि कम कीमत पर कराने में सहायता देने से सम्बन्धित थी। यह समिति 31 मार्च, 1924 को आरम्भ की गई। इतने वर्षों बाद अब भी यह संगठित रूप से कार्य कर रही है। इसका अपना भवन, मुद्रण तथा प्रकाशन है। यह एक पुस्तकालय विज्ञान की गुजराती भाषा में पत्रिका का प्रकाशन भी कर रही थी। इस संघ के संरक्षक सर शिवाजी राव गायकवाड़ तथा डब्ल्यू. ए. बोर्डन बनाये गये।

1958 में गुजरात पुस्तकालय संघ की स्थापना के बाद अब बड़ोदा पुस्तकालय सघ इसकी एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है।

### बंगाल पुस्तकालय संघ

1924 के अखिल भारतीय सार्वजनिक सम्मेलन में भाग लेकर आये कुछ व्यक्तियों जिनमें श्री एस. के. घोष प्रमुख थे ने बंगाल में पुस्तकालय संघ की स्थापना के सक्रिय प्रयास शुरू कर दिये। इन प्रयासों के फलस्वरूप 1925 में बंगाल पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई। गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर इसके अध्यक्ष तथा कुमार मुनीन्द्र देव राय महाशय इसके उपाध्यक्ष बनाये गये।

बंगाल के आरम्भिक कार्यकर्ताओं ने बड़ोदा के पुस्तकालय आन्दोलन से प्रेरणा ग्रहण की। हुगली के जमींदार कुमार मुनीन्द्र देव राय महाशय ने अपना पूरा जीवन पुस्तकालय आन्दोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय की अपने यहाँ स्थापना की। उन्होंने प्रान्तीय विधान सभा जिसके वे सदस्य भी थे में कानून बनवाने का प्रयत्न भी किया। यह सघ पुस्तकालयों से सम्बन्धित बंगला

भाषा की पत्रिका 'ग्रन्थानुसार' का अनेक वर्षों से प्रकाशन कर रहा है। इस संघ ने बंगला में बाल साहित्य की एक दिवसलियोग्राफी भी प्रकाशित की और पश्चिम बंगाल के पुस्तकालयों की एक निर्देशिका भी प्रकाशित की है। संघ को कनकता में भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा 60 हजार रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ था। यह अनेक पुस्तकालय सम्मेलनों का आयोजन भी कर चुका है।

#### मद्रास पुस्तकालय संघ

मद्रास में 1927 में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने मद्रास में पुस्तकालय संघ की स्थापना को प्रोत्साहित किया। जिसके फलस्वरूप 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। श्री के. थो. कृष्णा स्वामी अध्यक्ष इसके अध्यक्ष चुने गये। तीन मंत्रियों में डॉ० रंगानाथन भी एक थे।

संघ ने चल पुस्तकालयों, व्याख्यानों की व्यवस्था की तथा पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, पुस्तकालयों के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया और पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। जिनमें डॉ० रंगानाथन की पुस्तकें प्रमुख हैं। इस संघ ने 1952 में रजत जयन्ती मनायी, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय भी इसी को है।

#### पंजाब पुस्तकालय संघ

1929 में लाहौर में हुए सातवें सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन से प्रेरित होकर 1929 में पंजाब पुस्तकालय संघ का गठन किया गया। इस संघ ने 1930 से 'मॉडर्न लाइब्रेरियन, (Modern Librarian) नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जो 1947 तक लगातार प्रकाशित होती रही। भारत विभाजन के बाद संघ को पुनर्गठित किया गया और इसका मुख्यालय चंडीगढ़ कर दिया गया। इसने 'लाइब्रेरी सर्विस ईयर बुक' (Library Service Year Book) का भी प्रकाशन किया। यह संघ निरन्तर पंजाब में पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रयत्नशील है।

#### भारत सरकार पुस्तकालय संघ

1933 में दिल्ली में प्रथम पुस्तकालय संघ की स्थापना भारत सरकार के पुस्तकालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई। इसने अपनी स्थापना के तुरन्त बाद अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की दिशा में सत्रिय प्रयास किया। इसने सन् 1937 में तीसरे अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का आयोजन भी किया। इस संघ ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में सेवाकालीन पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण भी 1951 से 1960 तक दिया। इस संघ को आरम्भ करने में निम्नलिखित व्यक्तियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ—श्री मदन गोपाल (विधायी विभाग), श्री जे. एल. भटनागर (रक्षा विभाग), श्री ए के माटेग्यू (सिचवाई विभाग), श्री आर. गोपालन (केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष), तथा श्री अज भूपण (पुस्तकालयाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय)।

### भारतीय पुस्तकालय संघ

इस संघ की स्थापना 1933 को कनकता सम्मेलन में हुई। इस संघ में भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। अधिक सूचना के लिए अध्याय 'पुस्तकालय संघ' देखें।

### अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ

1933 के अन्त में मद्रास में पहला अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधान परिषद् अध्यक्ष श्री एम. रामचन्द्र रेड्डी द्वारा किया गया तथा अध्यक्षता डॉ. एम. श्री धामस ने की। इस अवसर पर ही 'अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ' की स्थापना हुई। डॉ. धामस इसके अध्यक्ष तथा श्रीमती हील्डा बुड महाश्रीी बनायी गई। इस संघ की स्थापना वास्तव में भारतीय ग्रामों में पुस्तकालय आवश्यकता पूरी करने की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में थी तथा यह कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाया। हालांकि इसके उद्देश्य व लक्ष्य बहुत ही अच्छे थे।

### बिहार लाइब्रेरी एसोसियेशन

1936 में बिहार लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा तथा दरभंगा महाराज के प्रयत्नों के फलस्वरूप की गई। 1952 में इसका नाम बिहार राज्य पुस्तकालय संघ कर दिया गया। 1937-38 में संघ ने पुस्तकालयों के विकास के लिए एक योजना सरकार को दी। सरकार ने उसको प्राणिक रूप से त्रियान्वित किया।

बिहार राज्य पुस्तकालय संघ पुस्तकालय सम्बन्धित एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसको राज्य सरकार भी कुछ अनुदान देती है। इसकी राज्य भर में शाखाएँ हैं। इस संघ का राज्य सरकार के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण व पुस्तकालय विकास कार्यक्रमों में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

### असम पुस्तकालय संघ

असम पुस्तकालय संघ की स्थापना 1939 में की गई परन्तु यह कुछ अधिक विकास नहीं कर सका। परन्तु अभी अपने सश्रिय प्रयत्न शुरू कर दिये हैं। शिलांग में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हो गयी है तथा वह अच्छी सेवाएँ दे रहा है। 1964 में वहाँ एक सफल पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित किया गया।

### उत्कल पुस्तकालय संघ

1944 में इसकी स्थापना की गई। इस संघ की स्थापना का श्रेय वहाँ की सरकार को जाता है। जिसमें अपने राज्य में पुस्तकालय संघ स्थापित करने के उद्देश्य से 1937 में बड़ोदा पुस्तकालय संघ का अध्ययन करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा। इसने अपना प्रथम सम्मेलन 1944 को किया तथा श्री गदाधर रामनुजदास यक्ष तथा श्री निवाम कनिट्टल तथा श्री कृपासिन्धु नरेन्द्र देव को संयुक्त मंत्री

बनाया गया उस संघ को पुस्तकालय ग्रान्दोलन के विषय में विशेष विशेषता नहीं मिल सकी।

### केरल ग्रन्थशाला संगम

इसकी स्थापना 1945 में की गई तथा इसका नाम 'केरल ग्रन्थशाला संगम' रखा गया, जो ग्रन्थ पुस्तकालय संघों में कुछ भिन्न है। 1965 में इसके द्वारा अपने संगठन तथा कार्य संचालन के विषय में प्रकाशित की गई टिप्पणी के अनुसार "यह केरल में सबसे बड़ा स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन है और भारत में ग्रन्थत्र काम करने वाले इसी प्रकार के ग्रन्थ संगठनों से भिन्न है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पुस्तकालयाध्यक्षों का संघ नहीं है। यह 3,200 शाखाओं वाली स्वैच्छिक संस्था है।" ये शाखाएँ पुस्तकालय तथा सामाजिक केन्द्रों के रूप में काम करती हैं। इसके राज्य के सभी 55 तालुकों में तालुक संघ का गठन किया है। यह सरकारी अनुदान तथा इसकी सदस्य शाखाएँ जनता द्वारा दान से प्राप्त धन से चलते हैं। महाभन्त्री पूरे समय का कर्मचारी है। शाखाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षक है। यह एक पाक्षिक पत्रिका 'ग्रन्थालोकम' का प्रकाशन करता है।

### दिल्ली पुस्तकालय संघ

1953 में दिल्ली पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। डॉ. एत. धार. रंगनाथन इसके सरक्षक बनाये गये। यह संघ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम चलाता है। 1957 में इसने पहले दिल्ली पुस्तकालय संघ सम्मेलन को आयोजित किया। इस अवसर पर 'भारत में पुस्तकालय ग्रान्दोलन' नामक विषय पर विचार गोष्ठी हुई। यह 'लाइब्रेरी हेराल्ड' नामक पुस्तकालयों से सम्बन्धित पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। इसने कुछ ग्रन्थ उपयोगी प्रकाशन निकाले हैं।

### विशिष्ट पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों का संघ

1955 में 'इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशियल लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर' की स्थापना की गई। यह भी एक राष्ट्रीय स्तर का संघ बनाया गया तथा इसका कार्य क्षेत्र विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रों तक सीमित था। यह संघ बहुत ही श्रेष्ठ तरह से अपना कार्य कर रहा है तथा इसकी गतिविधियाँ अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ में भी अधिक सक्रिय हैं। कृपया और अध्ययन के लिए अध्याय 'पुस्तकालय संघ' देखें।

### उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ

प्रथम संघ की स्थापना 1935 में की गई थी परन्तु वह ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। 1956 में लखनऊ में मुख्य मन्त्री डॉ. सम्पूर्णानन्द द्वारा उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ का उद्घाटन किया गया और इस प्रकार 1956 में उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। बनारस विश्वविद्यालय के श्री सी जी सिंह इसके अध्यक्ष तथा श्री के. कुमार मन्त्री चुने गये। संघ की अनेक शाखाएँ हैं

## भारतीय पुस्तकालय संघ

इस संघ की स्थापना 1933 को कलकत्ता सम्मेलन में हुई। इस संघ में भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। अधिक सूचना के लिए अध्याय 'पुस्तकालय संघ' देखें।

## अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ

1933 के अन्त में मद्रास में पहला अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधान परिषद् अध्यक्ष श्री एम. रामचन्द्र रेड्डी द्वारा किया गया तथा अध्यक्षता डॉ. एम. श्री थामस ने की। इन अवसर पर ही 'अखिल भारतीय ग्रामीण पुस्तकालय सेवा संघ' की स्थापना हुई। डॉ. थामस इसके अध्यक्ष तथा श्रीमती हील्डा वुड महामंत्री बनायी गई। इस संघ की स्थापना वास्तव में भारतीय ग्रामों में पुस्तकालय आवश्यकता पूरी करने की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में थी तथा यह कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाया। हालांकि इसके उद्देश्य व लक्ष्य बहुत ही अच्छे थे।

## बिहार लाइब्रेरी एसोसियेशन

1936 में बिहार लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना डॉ. सच्चिदानन्द भिन्हा तथा दरभंगा महाराज के प्रयत्नों के फलस्वरूप की गई। 1952 में इसका नाम बिहार राज्य पुस्तकालय संघ कर दिया गया। 1937-38 में संघ ने पुस्तकालयों के विकास के लिए एक योजना सरकार को दी। सरकार ने उसको आंशिक रूप से क्रियान्वित किया।

बिहार राज्य पुस्तकालय संघ पुस्तकालय सम्बन्धित एक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसको राज्य सरकार भी कुछ अनुदान देती है। इसकी राज्य भर में शाखाएँ हैं। इस संघ का राज्य सरकार के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण व पुस्तकालय विकास कार्यक्रमों में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

## असम पुस्तकालय संघ

असम पुस्तकालय संघ की स्थापना 1939 में की गई परन्तु यह कुछ अधिक विकास नहीं कर सका। परन्तु अभी अपने सत्रिय प्रयत्न शुरू कर दिये हैं। शिलांग में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना हो गयी है तथा वह अच्छी सेवाएँ दे रहा है। 1964 में वहाँ एक सफल पुस्तकालय सम्मेलन आयोजित किया गया।

## उत्कल पुस्तकालय संघ

1944 में इसकी स्थापना की गई। इस संघ की स्थापना का श्रेय वहाँ की सरकार को जाता है। जिसमें अपने राज्य में पुस्तकालय संघ स्थापित करने के उद्देश्य से 1937 में बड़ोदा पुस्तकालय संघ का अध्ययन करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा। इसने अपना प्रथम सम्मेलन 1944 को किया तथा श्री गदाधर रामनुजदास अध्यक्ष तथा श्री निवास कनिट्टल तथा श्री कृपासिन्धु नरेन्द्र देव को संयुक्त मंत्री

बनाया गया उस संघ को पुस्तकालय आन्दोलन के विकास में निर्माता-सकलता मिल सकी।

### केरल ग्रन्थशाला संगम

इसकी स्थापना 1945 में की गई तथा इसका नाम 'केरल ग्रन्थशाला संगम' रखा गया, जो अन्य पुस्तकालय सघों में कुछ भिन्न है। 1965 में इसके द्वारा अपने संगठन तथा कार्य संचालन के विषय में प्रकाशित की गई टिप्पणी के अनुसार "यह केरल में सबसे बड़ा स्वैच्छिक साम्कृतिक संगठन है और भारत में अन्यत्र काम करने वाले इसी प्रकार के अन्य संगठनों से भिन्न है। इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यह पुस्तकालयाध्यक्षों का सघ नहीं है। यह 3,200 शाखाओं वाली स्वैच्छिक संस्था है।" ये शाखाएँ पुस्तकालय तथा सामाजिक केन्द्रों के रूप में काम करती हैं। इसके राज्य के सभी 55 तालुकों में तालुक संघ का गठन किया है। यह सरकारी अनुदान तथा इसकी सदस्य शाखाएँ जनता द्वारा दान से प्राप्त धन से खर्च चलाते हैं। महामन्त्री पूरे समय का कर्मचारी है। शाखाओं के निरीक्षण के लिए निरीक्षक है। यह एक पाक्षिक पत्रिका 'ग्रन्थालोकम' का प्रकाशन करता है।

### दिल्ली पुस्तकालय संघ

1953 में दिल्ली पुस्तकालय सघ की स्थापना की गई। डॉ. एस. आर. रणानाथन इसके संरक्षक बनाये गये। यह सघ पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम चलाता है। 1957 में इसने पहले दिल्ली पुस्तकालय सघ सम्मेलन को आयोजित किया। इस अवसर पर 'भारत में पुस्तकालय आन्दोलन' नामक विषय पर विचार गोष्ठी हुई। यह 'लाइब्रेरी हेराल्ड' नामक पुस्तकालयों से सम्बन्धित पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। इसने कुछ अन्य उपयोगी प्रकाशन निकाले हैं।

### विशिष्ट पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों का संघ

1955 में 'इण्डियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशियल लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर' की स्थापना की गई। यह भी एक राष्ट्रीय स्तर का सघ बनाया गया तथा इसका कार्य क्षेत्र विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रों तक सीमित था। यह संघ बहुत ही श्रेष्ठ तरह से अपना कार्य कर रहा है तथा इसकी गतिविधियाँ अखिल भारतीय पुस्तकालय सघ से भी अधिक सक्रिय हैं। कृपया और अध्ययन के लिए अध्याय 'पुस्तकालय सघ' देखें।

### उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ

प्रथम सघ की स्थापना 1935 में की गई थी परन्तु वह ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाया। 1956 में लखनऊ में मुख्य मन्त्री डॉ. सम्पूर्णानन्द द्वारा उत्तर प्रदेश पुस्तकालय सघ का उद्घाटन किया गया और इस प्रकार 1956 में उत्तर प्रदेश पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई। बनारस विश्वविद्यालय के श्री सी जी विश्वनाथन इसके अध्यक्ष तथा श्री के. कुमार मन्त्री चुने गये। संघ की अनेक शाखाएँ हैं जो



नियमित रूप से प्रकाशन करती है। जिनमें लगभग लाइब्रेरियन, दूत लाइब्रेरियन सम्प्रति, लाइब्रेरी ओनिकल प्रमुख है। यह समय-समय पर सम्मेलन व विचार गोष्ठी आयोजित करता रहता है। इसने इलाहाबाद, देहरादून तथा लखनऊ में चित्रितसालय में पुस्तकालय सेवा भी प्रदान की है।

### मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ

इस संघ की स्थापना 1957 में मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ के नाम से की गई। इसके द्वारा समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं तथा यह पुस्तकालयों से सम्बन्धित पत्र-पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। इसमें 'पुस्तकालय संदेश' नामक पत्रिका है। इसकी अनेक शाखाएँ भी सक्रिय हैं।

### अखिल भारतीय शैक्षिक पुस्तकालय संघ

इसकी स्थापना 1961 में भारतीय शैक्षिक पुस्तकालय संघ के नाम से विश्व विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा की गई। इसकी गति-विधियाँ अत्यन्त सीमित हैं।

### मैसूर पुस्तकालय संघ

इसकी स्थापना 1962 में हुई। संघ द्वारा राज्यों में समय-समय पर सम्मेलन, व्याख्यान तथा सेमीनार का आयोजन किया जाता है। राज्य में इसकी अनेक शाखाएँ सक्रिय हैं। इसके प्रयासों से ही पुस्तकालय अधिनियम पारित हो सका। इसके द्वारा पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन भी किया जाता है। इसने 1966 में 'लाइब्रेरी सर्विस फार आल' तथा 1968 में 'फ्री बुक सर्विस फार आल' का प्रकाशन किया जो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

### राजस्थान पुस्तकालय संघ

इसकी स्थापना 1962 में प्रो. एस. वशीरुद्दीन के प्रयासों के फलस्वरूप हुई तथा इसका उद्घाटन 13 अगस्त, 1962 को डॉ. सम्पूर्णानन्द ने किया। प्रो. एस. वशीरुद्दीन इसके अध्यक्ष तथा श्री सी. सी. भण्डारी सचिव चुने गये। इसके द्वारा पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। जिसमें आर. एल.ए. पत्रिका प्रमुख है। यह समय-समय पर सम्मेलन तथा पुस्तकालय सम्बन्धी विषयों पर सेमीनार भी आयोजित करता रहा है। पुस्तकालय अधिनियम के लिए भी प्रयास जारी है। अभी हाल ही के वर्षों में इसके शैक्षिक पुस्तकालय प्रकोष्ठ का कार्य काफी सराहनीय रहा है। जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी डिग्री कालेज पुस्तकालयों के स्तर के पद आ गये हैं। इस प्रकोष्ठ के सचिव श्री मदन दत्त शर्मा हैं।

अन्त में पुस्तकालय सलाहकार समिति (1956) के ये शब्द उद्धरित करना चाहूंगा "पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए पुस्तकालय संघ आवश्यक है और राज्य सरकारों तथा भारत सरकार को प्रभावी पुस्तकालय संघों के विकास को

प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार को पुस्तकालय संघों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।”

### पुस्तकालय विज्ञान साहित्य

भारत में पुस्तकालय आन्दोलन में सश्रिय चेतना लाने के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन शुरू किया गया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय श्री जे. मेफ्टलेन को है। परन्तु प्रथम भारतीय लेखक श्री बी. एच. मेहता थे जिन्होंने 1913 में Library Administration नामक पुस्तक लिखी। प्रथम पुस्तकालय सम्बन्धी पत्रिका Library Miscolany थी, भारत में पुस्तकालय सम्बन्धी साहित्य डॉ. रंगनाथन का साहित्य कहा जा सकता है। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें तथा 1500 लेख इस क्षेत्र में लिखे। वर्तमान साहित्य डॉ. रंगनाथन साहित्य का पूरक ही है। पुस्तकालय क्षेत्र में प्रकाशन के लिए भारत का पुस्तकालय जगत सर्वे डॉ. रंगनाथन, श्री बी. एस. केशवन, श्री एस. वशीरुद्दीन, प्रो. पी एन कौना, प्रो. कृष्ण कुमार, प्रो. जगदीश शरण शर्मा, प्रो. पी. बी. मगला, प्रो. गोपीनाथ, प्रो. सी. जी. विश्वनाथन, प्रो. जी भट्टाचार्य, प्रो. ए नीलमेघन, प्रो. मार्शल, प्रो. श्रीवास्तव, प्रो. गिरजा कुमार आदि अनेक पुस्तकालय विद्वानों का आभारी रहेगा।

वर्तमान में लगभग 30 पुस्तकालय सम्बन्धी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जा रहा है जिनमें लगभग 15 अंग्रेजी भाषा में तथा शेष क्षेत्रीय भाषा व हिन्दी में हैं जिनमें कुछ प्रमुख पत्रिकाएँ निम्न हैं—

1. I L A Bulletin
2. IASLIC Bulletin
3. LIBRA
4. Indian Library Science Abstracts
5. Lucknow Librarian
6. Library Herald
7. Herald of Library Science
8. Library Science with Slant to Documentation

कुछ विन्मियोशफ्री का प्रकाशन किया गया है उनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1. Index India
2. I N B
3. Indian Books Imprint
4. Guide to Indian Periodical
5. Indian Reference Sources
6. Indian Reference Manual

पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। इसीलिए 1911 में बडौदा महाराज सर शिवाजी राव गायकवाड ने अपने यहाँ डब्लू ए बोर्डन द्वारा एक प्रशिक्षण सभ्या की शुरुआत करवायी। 1929 में मद्रास पुस्तकालय सघ ने पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देना शुरू किया तथा 1933 में इसे मद्रास विश्वविद्यालय ने ले लिया। पुस्तकालय सेवाओं की उतमता तथा श्रेष्ठता के लिए प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी बहुत आवश्यक है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत में अनेक विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, सभों द्वारा पुस्तकालय विज्ञान का विभिन्न स्तरी पर अध्ययन कराया जाता है।

ये अध्ययन Ph D, M Lib. Sc, B Lib Sc., C. Lib. Sc. or Diploma Course तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों के रूप में कराया जाता है। लगभग 50 विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा देते हैं। इसके अतिरिक्त INSDOC, IASLIC, DRTC, ISI व अनेक संस्थायें विशिष्ट विषय में अल्प या पूर्ण अवधि का प्रशिक्षण देते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में B Ed के साथ भी पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है।

इसके अनिर्दिष्ट PL 480, हीटलोन, कुलब्राइट यात्रा अनुदान कार्यक्रम तथा इटनेशिप प्रोग्राम व UNESCO केलोशिप द्वारा अनेक पुस्तकालयाध्यक्षों को विदेशी पुस्तकालयों का अवलोकन करने तथा अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे भारत में पुस्तकालय सेवाओं की क्षमता व स्तर में वृद्धि हुई है और अधिक सूचना के लिए रूपया अध्याय 'पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा' देखें।

प्रमुख पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र

कुछ प्रमुख पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र निम्न प्रकार हैं जिनकी सेवाओं व सग्रह से बहुत बड़े वर्ग की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये पुस्तकालय ग्रान्दोलन की सफलता के प्रतिरूप कहे जा सकते हैं—

### 1. भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय

इसकी स्थापना 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई। श्री प्यारे चन्द्र इसके प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष बने। 30 जनवरी, 1903 को इसका नाम हम्पीटीयल लाइब्रेरी कर दिया गया। हालाँकि 1891 में ही हम्पीटीयल लाइब्रेरी की स्थापना कुछ विभागीय पुस्तकालयों को मिलाकर कर दी गई थी। परन्तु 1902 के अधिनियम द्वारा पहले के पुस्तकालयों को इसमें मिला दिया गया था। श्री जान मेक फटलेन इसके पहले पुस्तकालयाध्यक्ष थे। 1948 में इसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इस पुस्तकालय के जितने नाम बदले हैं उतने से भी ज्यादा बार इसने अपना स्थान बदला है। पहले ग्रान्ट निवास फिर मेटकाफ हाल फिर 1923 में ऐस्पलेनेड में विदेश कार्यालय की इमारत, फिर चितरजन ऐवेन्यू की जवाकुसुम हाऊस व वर्तमान में यह बेलवेडेयट में स्थित है।

इसमें भारी भारतीय पाठ्य सामग्री के साथ-साथ विदेशी पाठ्य सामग्री का भी एक विशाल सग्रह सम्मिलित है। यह विदेशी पाठ्यक्रम सामग्री की खरीद पर लगभग 6 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है। यह वर्ष में 362 दिन खुलता है तथा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी सेवाएँ देता है। इसने 1958 से INB का प्रकाशन भी शुरू किया है। इसमें 18 लाख के लगभग ग्रन्थ तथा 75 हजार मानचित्र (Maps), 2000 माइक्रोफिल्म तथा अनेक दुर्लभ ग्रन्थ तथा पत्र-पत्रिकाओं के प्राचीन वोल्यूम आदि संग्रहित हैं। इसके पास क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रन्थों का भी एक विशाल सग्रह है।

## 2. दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय

यह यूनेस्को द्वारा प्रादर्श सार्वजनिक पुस्तकालय योजना के तहत दिल्ली में स्थापित की गई। इसका 27 अक्टूबर, 1951 को पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका व्यय भारत सरकार व दिल्ली नगर निगम के वार्षिक अनुदान से चलता है। इसमें लगभग 300 कर्मचारी कार्य करते हैं तथा रजिस्टर्ड पाठकों की संख्या लगभग एक लाख है। इसमें Adult Lending, Reference, Children's, Social Education, Extension Service and Mobile Service Departments आदि प्रमुख विभाग हैं। इनमें कुल ग्रन्थों की संख्या 664761 है। ये 52 क्षेत्रों को 4 चल पुस्तकालयों द्वारा सेवा प्रदान करता है। ये दो चिकित्सा पुस्तकालय, एक जेल पुस्तकालय को भी सेवा प्रदान करता है। इसके 11 Depository Stations भी हैं। इसके पास पत्र-पत्रिकाओं का भी विशाल सग्रह है। वास्तव में यह एक अच्छे प्रकार से पुस्तकालय सेवा प्रदान कर रहा है।

## 3. कानेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय

इसकी स्थापना 22 मार्च, 1890 को मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड कानेमारा द्वारा की गई। इसलिए ही इस पुस्तकालय का नाम कानेमारा रखा गया। इसके पास स्वयं का एक बहुत ही अच्छा व विशाल भवन है। 14 अप्रैल, 1896 को यह जनता के लिए खोला गया। 5 दिसम्बर, 1896 को सरकारी सग्रहालय का एक अंग बनाकर उसके अधीन कर दिया गया। प्रथम बार पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था 1929 को श्री आर. जनार्दनम नायडू की नियुक्ति करके की गई। अप्रैल 1950 से यह राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय बन गया है। 1955 में कानेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय UNESCO Associate Library Project के रूप में स्वीकृत कर लिया गया जिससे ये संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके अभिकरणों के प्रकाशनों का सग्रह स्थल भी बन गया। 1955 में इसे उन तीन सार्वजनिक पुस्तकालयों में से बना दिया जिसे कापीराइट के तहत भारत के समस्त प्रकाशनों की एक प्रति प्राप्त होने लगी। इससे इसके सग्रह में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह लगभग 8 लाख ग्रन्थ तथा बहुत बड़ी मात्रा में पत्र-पत्रिकाओं, दुर्लभ ग्रन्थ तथा

पाठ्य सामग्री संग्रहित किये हुए है। ये सार्वजनिक पुस्तकालयों से सम्बन्धित UNESCO घोषणा-पत्र के आधारभूत सिद्धांतों को भी कार्य रूप देने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें 1600 की भी एक पुस्तक है इसका दुर्लभ ग्रन्थ संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

#### 4. ख़ुदाबक्स प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय

यह पुस्तकालय प्राच्य विद्या की एक निधि है। इसकी विधिवत स्थापना 1891 में की गई थी। उद्घाटन के समय इसके पास 6500 ग्रन्थ थे जिनमें अनेक दुर्लभ ग्रन्थ थे, इसमें लगभग 2000 मुगल पेंटिंग तथा अनेक भाषाओं के बहुत मारे प्राचीनतम ग्रन्थ, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, विद्यमान थे। पुस्तकालय में कुछ महत्वपूर्ण संग्रहित पाण्डुलिपियाँ निम्न हैं—

1. अन्तिम अब्बासी खलीफा अर मुस्तासिम बिल्लाह के दरबार के लेखक थाक अल मुस्तासी द्वारा हिजरी सन् 668-1296 ई. में नास्ख में लिखा गया पवित्र कुरान (सूची ग्रन्थ 18) भाग 1, सख्या 1118।

2. हिजरी सन् 630-1232 में नास्ख में लिखा गया अबू मोहम्मद अल कासिम बिल हरीरी का मकामन अल-हरीरी (सूची ग्रन्थ 23 सख्या 2581)।

3. हिजरी सन् 487 में या उससे पहले नास्ख में लिखा गया अब्दुल कासिम अब्दुल मलिक बिल मोहम्मद बिल अब्दुल्ला बिल विशारान का अल-अमली (सूची ग्रन्थ 5 भाग 2 सख्या 317)।

4. हिजरी सन् 483 में नास्ख में लिखा गया अबू नासर सिराज-अनूमी का अल जुमुआ का तसबुक (सूची ग्रन्थ 13 सख्या 825)।

5. खलफ बिल अब्बास अज-जहरवी का किताब अल-तसरीफ जो नास्ख में हिजरी सन् 584-1190 ई. में लिखा गया है। यह ग्रन्थ शल्य चिकित्सा पर सचित्र रचना की एक बहुत प्राचीन प्रतिलिपि है। सम्पूर्ण रचना में शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजारों के चित्र व वर्णन हैं। (सूची ग्रन्थ 4 सख्या 16-17)।

ये पाण्डुलिपियों की फोटो कापी भी पाठकों को उपलब्ध करवाता है। यह पुस्तकालय प्राच्य ग्रन्थों का अनूठा संग्रह है।

#### 5. INSDOC

1952 में भारत सरकार तथा UNESCO के सहयोग से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सचालक के नियन्त्रण में इसकी स्थापना की गई। 1962 से यह पूर्णकालिक निदेशक के नियन्त्रण में है। यह पुस्तकालय व प्रलेखन में विशिष्ट कार्य प्रदान करता है। इसके यहाँ 72,700 Volumes का संग्रह है। यह 4000 पत्रिकाओं को क्रय करता है। यह विद्विद्योप्राप्ति, फोटो कापी तथा अनुवाद सेवाएँ भी प्रदान करता है। इसके पास एक बहुत बड़ा प्रशिक्षित स्टाफ भी है। यह प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले कुछ मुख्य प्रकाशन ग्रन्थ हैं—

1. एनाल्स ऑफ लाइव्री साइंस एण्ड डाक्यूमेन्टेशन
2. इण्डियन साइंस एक्सप्रेस
3. एशियन साइंटिफिक एण्ड टेक्निकल पब्लिकेशन
4. कान्टेस्ट लिस्ट ऑफ सोवियत साइंटिफिक पिरीयोडिकल्स

## 6. S S D C

1969 में I C S S R की स्थापना की गई। इसने S S D C की स्थापना की। इसका मुख्य कार्य Social Sciences के क्षेत्र में Union Catalogue का निर्माण तथा प्रलेखन सेवाएँ प्रदान करना है। इसके पास 33 हजार Volumes, पत्रिकाओं का संग्रह तथा 15 हजार ग्रन्थों तथा Ph. D. थिसिस का संग्रह है। यह 3000 पत्रिकाएँ प्राप्त करता है।

## 7. D R T C

इसकी स्थापना 1961 में डॉ० रगनाथन, जे. शाह तथा श्री महलनोविस के प्रयत्नों के फलस्वरूप हो सकी। हालाँकि इसकी स्थापना की दिशा में प्रयास एक दशक पूर्व ही शुरू हो गये थे इसका नाम प्रलेखन शोध व प्रशिक्षण केन्द्र (Documentation Research and Training Centre) रखा गया, यह समय-समय पर मेमोन्टार आयोजित करती रहती है। इसका पुस्तकालय व प्रलेखन के क्षेत्र में शोध के लिए अभी तक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुस्तकालय व प्रलेखन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यह संस्था पुस्तकालय विज्ञान व प्रलेखन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्था का रूप धारण कर रही है। इसका एक बहुत अच्छा पुस्तकालय भी है यह मेमोन्टार रिपोर्ट आदि का प्रकाशन भी कर रही है।

### प्रमुख आयोग व समितियाँ

भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए अनेक समितियों की स्थापना की गई है तथा अनेक पुस्तकालयों के विकास के लिए सुझाव दिये हैं जो पुस्तकालयों के साथ-साथ शिक्षा पर सिफारिश देने के लिए गठित की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ निम्न हैं :—

#### 1 फंजी समिति (1939-49)

बम्बई की पुस्तकालय विकास समिति की नियुक्ति श्री ए. ए. ए. फंजी तत्कालीन बम्बई लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में की गई थी। इसकी रिपोर्ट 1941 में प्रकाशित की गई। यह अपने तरह की प्रथम रिपोर्ट थी। इसने पुस्तकालय विकास योजना का सुझाव रखा। इसके प्रमुख सुझाव निम्न थे :—

1. सरकार एक केन्द्रीय पुस्तकालय, तीन क्षेत्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक जिले में जिला पुस्तकालय तथा बम्बई राज्य के समस्त गाँवों में ग्राम पुस्तकालय स्थापित करें।

2. प्रान्त में पुस्तकालय सघ प्रभावी नहीं हैं। मंत्रों को पुस्तकालय आन्दोलन कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सघ को प्रभावी बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रान्तीय पुस्तकालय सघ, तीन प्रादेशिक पुस्तकालय सघ तथा 15 जिलों में जिला पुस्तकालय सघों का निर्माण किया जावे व सरकार 10,750 रुपये प्रति वर्ष सरकारी अनुदान सघों को दे।

## 2. राधाकृष्णन आयोग (1948-49)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के पुनरावलोकन के लिए डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसने उच्च शिक्षा में पुस्तकालयों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय हृदय की भाँति है, डॉ. रमानायन आयोग ने शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों के लिए भी सिफारिश की। कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं —

1. विश्वविद्यालय/कॉलेज पुस्तकालय पर उस मन्था के वृत्त वार्षिक बजट का लगभग सवा 6 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए या प्रति पाठक 40 रुपये व्यय किये जाने चाहिए।

2. पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं के लिए पाँच वर्ष में विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

3. पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली हो ताकि अधिक पाठक अपनी रुचि की पुस्तक प्राप्त कर सकें।

4. पाठ्य सामग्री के सम्पर्क उपयोग के लिए 'पुस्तकालय का प्रयोग' कैंसे लिया जाये वह भी पाठक को बताना चाहिए।

5. पुस्तकालय प्रति दिन लगभग 12 घंटे खुले रहें।

6. पुस्तकालयों में उच्च योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए।

## 3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953)

इसकी स्थापना स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा प्रणाली के पुनर्मुल्यांकन के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक के लिए की गई थी। इसने विद्यालयों में पुस्तकालय के महत्त्व व उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित किया है। इसने पहले माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के उद्देश्य बताये हैं तथा फिर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव दिये हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा "हम आरम्भ में ही यह बताना देना चाहेंगे कि अधिकांश स्कूलों में ऐसे कोई पुस्तकालय नहीं हैं जो इस नाम को सार्थक करते हों। पुस्तक के नाम पर जो भी पुस्तक सज्जह यहाँ है वह सामान्यतया या तो पुराना है या समय के लिहाज से उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या वह उस स्तर का नहीं है। इन पुस्तकों का चयन सामान्यतया छात्रों की रुचि और हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। ये पुस्तकें कुछ एक सल्लाहियों में बन्द हैं,

जो ऐसे कमरे में रखी हुई है जहाँ न तो पर्याप्त स्थान है और न जहाँ छात्रों का ध्यान जाता है। ऐसे तथाकथित पुस्तकालय प्रायः या तो किसी क्लर्क के प्रभार में होते हैं या किसी ऐसे अध्यापक के प्रभार में जो इनकी भौर से उदासीन रहते हैं और अशकालिक आधार पर कार्य करते हैं। इन अध्यापकों को न तो पुस्तकों के प्रति अनुराग होता है और न ही पुस्तकालय तकनीक का कोई ज्ञान होता है। स्पष्ट है कि स्कूलों में कल्पनाशील और सुनियोजित पुस्तकालय सेवा जैसी कोई वस्तु नहीं है जो छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरित कर सके और उनमें पुस्तकों के प्रति बेहद अनुराग उत्पन्न कर सके और अधिकांश अध्यापक व प्रधान अध्यापक यहाँ तक कि शिक्षा प्रशासक और सम्बन्धित प्राधिकारी भी स्कूली पुस्तकालय विषयक इतने असन्तोषजनक स्थिति को अनुभव तक नहीं करते हैं। इस प्रकार स्कूल में पुस्तकालय की अनिवार्यता की ओर उनका ध्यान तक न जाने से स्थिति और भी बिगड़ हो गई है।" इसकी प्रमुख सिफारिश भी थी कि प्रत्येक विद्यालय में एक पूर्णकालिक दक्ष-योग्यता प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्ष हों, पुस्तकों का चयन समुचित ढंग से दक्षिण-पश्चिम के आधार पर किया जाये तथा विद्यालय पुस्तकालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर्याप्त स्थान हो और प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो तथा आसन्न बाजार-स्थान आकर्षक हो।

#### 4. पुस्तकालय सलाहकार समिति (1956)



मनस्यार्थ, पुस्तकों का ख़र्च, पढ़ने की आदत का विकास, पुस्तकालय सेवाएँ, पुस्तकालय कर्मचारी इत्यादि इस समिति ने पुस्तकालयों के प्रबन्ध के सभी पहलुओं के बारे में सिफारिश दी है। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की कामा पलट हो गई है। इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न थी—

1. विश्वविद्यालयों को अनुदानों के उपयोग के लिए कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय पर प्रति पाठक 10 रु. तथा प्रति अध्यापक 100 रु. व्यय किये जाने चाहिए।

2. आरम्भिक सग्रह को जुटाने के लिए एक मुश्त अनुदान दिया जाये।

3. विभिन्न विषय विशेषज्ञों को पाठ्य सामग्री खपन में सहायता करनी चाहिए।

4. विदेशी पुस्तकों के सस्ते सस्करण भारत में ही प्रकाशित किये जायें।

5. विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास के लिए उपाय किये जाने चाहिए।

#### 6. कोठारी आयोग (1964-66)

शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जुलाई 1964 में की गई तथा इसके अध्यक्ष डॉ. जी. एन. कोठारी बनाये गये। इसलिए इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। इसने 30 जून, 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। इसको शिक्षा के समूचे क्षेत्र का अध्ययन कर सिफारिश देने के लिए कहा गया था। आयोग ने शैक्षणिक पुस्तकालयों की आवश्यकता व महत्त्व पर जोर देते हुए कहा "विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना अत्यन्त हानिकारक है।" इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं—

1. पुस्तकालय सेवाओं के आयोजन और विकास के लिए विभागाध्यक्ष और पुस्तकालय स्टाफ में घनिष्ठ सहयोग होना आवश्यक है।

2. विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर प्रति छात्र 20 रु. तथा प्रति अध्यापक पर 300 रु. न्यूनतम व्यय किये जाने चाहिए। विदेशी मुद्रा की अलम से व्यवस्था हो।

3. पुस्तकालय के लिए आवश्यक स्टाफ, पुस्तकें, पत्रिकाओं, स्थान आदि की व्यवस्था के बिना नया कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं खोला जाये।

4. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों व अनुसंधान कर्त्ताओं के लिए सुन्दर सेवा व प्रलेखन सेवा की व्यवस्था की जाये।

5. विदेशी मुद्रा (UGC) अलम से दें।

#### 7. योजना आयोग कार्यकारी दल (Working Group on Libraries)

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय योजना आयोग ने 1964 में पुस्तकालयों के लिए कार्यकारी दल नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष डॉ० वि० के० आर० चौ० टान बनाये गये। इसके सदस्य अनेक प्रसिद्ध व योग्य

पुस्तकालयाध्यक्ष थे। इस कार्यकारी दल ने 1965 में अपनी रिपोर्ट दी। इसके परिशिष्ट में एक आदेश पुस्तकालय अधिनियम भी था।

इस दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि "नागरिकों को समुचित सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व केन्द्र व राज्य सरकारों को मिल कर अपने ऊपर लेना चाहिए।" दल ने यह भी सुझाव दिये कि केन्द्र में भारतीय पुस्तकालय सलाहकार परिषद् तथा राज्यों में राज्य पुस्तकालय सलाहकार परिषद् की नियुक्ति की जाये। उसमें समुचित सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित किये जाने पर भी जोर दिया। दल ने देश में पुस्तक-निर्माण के विकास की स्थिति पर भी चिन्ता प्रकट की और चौथी पंचवर्षीय योजना में पुस्तक-निर्माण के विकास पर 20 करोड़ रुपया खर्च करने की सिफारिश की। दल ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास पर 31 करोड़ रुपया खर्च करने का सुझाव भी दिया।

वास्तव में दल की सिफारिशों पुस्तकालयों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थीं।

#### डॉ. रंगनाथन का योगदान

भारत में पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी कोई भी बात हो उसमें डॉ. रंगनाथन की चर्चा न हो यह उपयुक्त नहीं होगा। भारत में पुस्तकालय आन्दोलन का जो विकास हुआ वही डॉ. रंगनाथन की ही देन है। विश्व में भारत का नाम पुस्तकालय सम्बन्धी क्षेत्र में डॉ. रंगनाथन के कारण ही जाना जाता है। डॉ. रंगनाथन ने साहित्य के क्षेत्र में लगभग 150 ग्रन्थ व 1000 लेख लिखे। उन्होंने पुस्तकालय अधिनियमों को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय व महा-विद्यालय पुस्तकालयों की जो कुछ भी वर्तमान में सार्वजनिक पुस्तकालयों में अर्द्धी स्थिति है वो डॉ. रंगनाथन के प्रयत्नों का ही फल है। उन्होंने पुस्तकालय आन्दोलन के लिए कुछ योजनाएँ दी जो निम्न प्रकार हैं—

1. अपना राष्ट्रीय ग्रन्थालय तन्त्र भारत के लिए एक योजना (1940)
2. युद्धोत्तर भारत में ग्रन्थालय पुनर्निर्माण (1946)
3. पुस्तकालय विकास कार्यक्रम; 30 वर्षीय योजना (1950)
4. ग्रन्थालय विकास की एक योजना (1954)

वास्तव में डॉ. रंगनाथन के योगदान का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि सम्पूर्ण विकास रंगनाथन के कार्यों के चारों ओर ही घूमता है।

पुस्तकालय आन्दोलन के विकास में बाधाएँ

भारत में अभी भी कुछ पुस्तकालयों का विकास नहीं हुआ है उसका मुख्य कारण निम्न है—

- (1) निरक्षरता
- (2) सीमित आर्थिक साधन
- (3) लिखने पढ़ने की परम्परागत व रुढ़िवादी विधि

- (4) मित्रियों की सामाजिक स्थिति
- (5) पुस्तकें विशेष रूप में वैज्ञानिक तकनीकी साहित्य का अभाव
- (6) जनसख्या का अत्यधिक विखराव
- (7) अभिप्रेरणा का अभाव
- (8) ग्रन्थालय चेतना का अभाव
- (9) सरकारी पहल का अभाव
- (10) पुस्तकालय अधिनियमों का अभाव ।

### इंग्लैण्ड में पुस्तकालय आन्दोलन

विश्व में पुस्तकालय आन्दोलन का प्रणेता ब्रिटेन रहा है ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित करके पुस्तकालयों के व्यवस्थित रूप से मचालन की दिशा में प्रयास किया गया । उमी पर टिप्पणी करते हुए, मेकॉल्विन ने कहा है 'सौ वर्ष पूर्व ब्रिटेन में पुस्तकालय अधिनियम का पारित होना तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को देखते हुए आश्चर्य का विषय है ।' ब्रिटेन ने 1850 में अपने यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Public Library Act) पारित करके समस्त विश्व का ध्यान पुस्तकालयों की ओर आकर्षित किया तथा पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पुस्तकालयों के विकास के लिए सगठित होने की प्रेरणा दी । ब्रिटेन में पुस्तकालय आन्दोलन का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों (Headings) में करेंगे—

#### 1850 के पहले की स्थिति

ब्रिटेन में 1850 से पहले वहाँ की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी तथा अन्य देशों के समान वहाँ पहले ही कुछ पुस्तकालय थे तथा वे सीमित मात्रा में लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध थे । 1425 में लन्दन में वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति रिचर्ड ने एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । इसके बाद पुस्तकालयों की स्थापना का दौर शुरू हुआ । उमी दौर में 1753 में लन्दन में ब्रिटिश म्यूज़ियम व 1682 में स्काटलैण्ड नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना की गई । 1850 से पहले ब्रिटेन में मुख्यतः तीन प्रकार के पुस्तकालय पाये जाते थे ।

(1) व्यक्तिगत पुस्तकालय (Personal Libraries)—1850 से पहले ब्रिटेन में व्यक्तिगत पुस्तकालय बड़ी संख्या में विद्यमान थे । ये शाही व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तियों व विद्वानों द्वारा मात्र सम्मान की दृष्टि से निर्मित किये गये थे । वे स्वयं उनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करते थे । उनमें सभी व्यक्तियों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी ।

(2) संस्थागत पुस्तकालय (Institutional Libraries)—इस प्रकार के संस्थागत पुस्तकालयों की स्थापना शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी तथा इनके उपयोग की अनुमति मात्र संस्था के सदस्यों

को ही दी जाती थी। इन पुस्तकालयों की स्थापना संस्था के हितों के लिए की जाती थी।

(3) सशुल्क पुस्तकालय (Subscription Libraries)—ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना पुस्तकालयों तथा अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दान व चंदा देकर की जाती थी। इसके उपयोग की अनुमति चंदा या शुल्क देने वाले व्यक्तियों को ही थी, परन्तु इस प्रकार के पुस्तकालयों की संख्या बहुत ही सीमित थी।

इस प्रकार समाज का एक बहुत बड़ा भाग पुस्तकालयों के उपयोग व लाभ से वंचित था। सम्भवतः यही कारण पुस्तकालय अधिनियम के पारित होने में मुख्य प्रेरितकर्ता रहा। 1849 को ब्रिटेन की मसद् ने एक समिति नियुक्त की जो सीनेट कमेटी (Senate Committee) के नाम से जानी जाती है। इसे पुस्तकालयों के विकास के लिए सुझाव देने को कहा गया। इसके अध्यक्ष विलियम एवर्ट, ब्रिटिश मसद् सदस्य थे तथा इसी समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप ब्रिटेन में पुस्तकालयों का स्वर्ण युग आरम्भ हुआ।

#### ग्रान्दोलन के आरम्भकर्ता

ब्रिटेन में पुस्तकालय ग्रान्दोलन को शुरू करने अर्थात् पुस्तकालयों के विकास के प्रति जागृति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों में ब्रिटेन की मसद् के सदस्य तथा सीनेट समिति के अध्यक्ष विलियम एवर्ट प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश म्यूजियम के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष एडवर्ड एडवर्ड्स तथा ब्रिटिश मसद् सदस्य विलियम ब्रायरन तथा थॉमस ग्रोनडर ने भी पुस्तकालय ग्रान्दोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

#### 1850 के बाद की स्थिति

ब्रिटेन में पुस्तकालय ग्रान्दोलन के आरम्भ होने के फलस्वरूप पुस्तकालयों के क्षेत्र में 1850 के बाद क्या-क्या परिवर्तन हुए? इसका हम निम्न शीर्षकों में अध्ययन करेंगे—

1. पुस्तकालय अधिनियम
2. पुस्तकालय संध
3. पुस्तकालय प्रशिक्षण
4. पुस्तकालय समितियाँ व आयोग
5. पुस्तकालय सेवाएँ
6. राष्ट्रीय पुस्तकालय
7. पुस्तकालय सहयोग।

#### (1) पुस्तकालय अधिनियम (Library Act)

यू. के. में 1849 में ब्रिटेन की मसद् ने एक सीनेट समिति मसद् सदस्य विलियम एवर्ट की अध्यक्षता में नियुक्त की। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1850 में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ।

**1850 का अधिनियम**—14 अगस्त, 1850 को इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ या प्रावधान निम्न थे—

1. प्रति वर्ष प्रति पौण्ड पर आधा पेंनी कर पुस्तकालय विकास के लिए लगाया गया।

2. दस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान पर पुस्तकालय सेवा की स्थापना।

3. टाऊन कॉउन्सिल को पुस्तकालय के लिए भूमि व भवन खरीदने का अधिकार।

4. टाऊन कॉउन्सिल को कर्मचारी नियुक्ति का अधिकार।

इस अधिनियम के पारित होने के लिए 2/3 मतों की अनिवार्यता थी। इस अधिनियम को प्रभावहीन करने से पूर्व पाँच मूलभूत सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये थे ये सिद्धान्त थे—

1. पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था जनता या नियन्त्रक अधिकारी द्वारा।

2. सेवाओं का व्यवस्थापन, नियन्त्रण व वित्तीय प्रबन्ध इन्हीं प्राधिकरणों द्वारा।

3. सेवाएँ क्षेत्र के सभी नागरिकों को सुलभ हों।

4. सेवाओं द्वारा शहर के समस्त नागरिकों की बौद्धिक आवश्यकताएँ पूर्ण हों।

5. सेवाएँ आर्थिक रूप से मुक्त होकर बौद्धिक रूप से मुक्त हों।

इस अधिनियम का इसलिए भी अत्यन्त महत्त्व है कि यह विश्व का प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था तथा इसमें पुस्तकालय सेवाओं व उसकी आवश्यकता के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह अधिनियम इंग्लैण्ड व वेल्स में भी प्रभावशील था। 1853 में एक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, यह 1850 के अधिनियम के समान ही था वस अधिनियम का क्षेत्र आयरलैण्ड व स्कॉटलैण्ड तक बढ़ा दिया।

**1855 का अधिनियम**—1855 में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1850 के अधिनियम के समान था इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। इस अधिनियम में निम्न व्यवस्थाएँ थी—

1. जहाँ जनसंख्या 5000 या उससे अधिक हो वहाँ प्रभावशील माना गया।

2. प्रत्येक पाउण्ड पर प्रति वर्ष एक पेंनी कर निश्चित किया गया।

3. पुस्तक, पत्र-पत्रिकाओं व चित्रों के क्रम व संरक्षण की व्यवस्था।

**1866 का अधिनियम**—1850 व 1855 का संशोधित रूप 1866 में पारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था, इसके मुख्य प्रावधान अग्र थे—

1. पुस्तकालय सेवा के लिए निश्चित जनसंख्या के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया।

2. अधिनियम के अधिग्रहण के लिए 2/3 मतों की जगह 1/2 मतों का प्रावधान किया गया।

1878 का अधिनियम—इस संशोधन द्वारा इसका क्षेत्र स्काटलैण्ड तक बढ़ा दिया गया।

1893 का अधिनियम—1850 के अधिनियम में तीसरा मुख्य संशोधन 1893 में किया गया। इस संशोधन की मुख्य व्यवस्था निम्न थी—

1. नगर परिषद के साथ-साथ नगर व जिला परिषद को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गईं।

2. लन्दन व दूसरे शहरों में जहाँ स्थानीय अधिनियम लागू थे के अलावा अन्य शहरों व ग्रामों में प्रत्येक पाउण्ड पर प्रति वर्ष एक पैसे कर की वसूली को सीमित किया गया।

1919 का अधिनियम—प्राचीन अधिनियमों में बदली हुई परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी उद्देश्य से 1919 में लन्दन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया तथा हरवर्ट विनिस ने एक प्रस्ताव अधिनियमों में संशोधन का रखा जिसे दिसम्बर, 1919 में स्वीकृति मिल गयी। इस 1919 के संशोधित अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न थे—

1. इस अधिनियम द्वारा इंग्लैण्ड व वेल्स में ग्रन्थालय उपकरण की सीमा हटा दी गई।

2. जनसंख्या की सीमा को समाप्त कर दिया गया।

3. काउन्टी परिषदों को अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में पुस्तकालय अधिनियम को समूचा या उसके किसी अंश को अस्वीकृत करें।

4. ग्रन्थालय में पत्रिका विभाग की स्थापना की अनुमति।

5. शिक्षा समिति को पुस्तकालय व्यवस्थापन का भार।

इसके बाद 1924 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (पूर्वी आयरलैण्ड) तथा 1955 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (स्काटलैण्ड) पारित हुये परन्तु इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया वस अधिनियम का क्षेत्र बढ़ा दिया गया।

1964 लोक पुस्तकालय एवं म्यूजियम अधिनियम (Public Library and Museum Act of 1964)—यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1965 को क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकालयों से सम्बन्धित 26 धारयें तथा म्यूजियम (Museum) से सम्बन्धित 4 धारयें थीं। यह अधिनियम पिछले सभी अधिनियमों को समाप्त करके प्रभावशील हुआ, इस अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री को जनग्रन्थालय सेवा का भार सौंपा गया। इसकी मुख्य व्यवस्थायें अग्र थीं—

1. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया।
2. इंग्लैण्ड व वेल्स के लिए अलग-अलग सलाहकार परिषदों की व्यवस्था।
3. अन्तर पुस्तकालय सहयोग की स्थापना की व्यवस्था।
4. लंदन नगर प्रशासकीय परिषद् तथा अन्य शहरों की परिषदों को 'पुस्तकालय प्राधिकार' प्रदान किया गया।

5. पुस्तकालय सेवा को मुफ्त घोषित किया गया परन्तु विलम्ब तथा आरक्षण शुल्क वसूल करने का अधिकार दिया गया।

6. प्राधिकरणों की सीमा निश्चित की गई। 40 हजार से कम जनसंख्या वाले प्राधिकरण को कार्य शुरु करने से पूर्व शिक्षा मन्त्री की अनुमति लेना आवश्यक की गई। इससे पुस्तकालय सेवा की कुशलता में वृद्धि हुई।

7. प्राधिकरणों को सरकार द्वारा सर्वाधिक सहायता की व्यवस्था।

उपरोक्त अधिनियमों के प्रभावशील होने के फलस्वरूप ब्रिटेन में पुस्तकालयों का जाल विद्यमान तथा अधिकांश जनता की यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी।

## (2) पुस्तकालय सघ

ब्रिटेन में पुस्तकालय सघ की स्थापना 1877 में श्री ई० बी० निकाल्मन के प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। इसका पूरा नाम (Library Association of United Kingdom (LAUK) रखा गया, परन्तु बाद में इसके नाम से United Kingdom शब्द निकाल दिया गया। इसको 1898 में Royal Charter द्वारा महारानी विक्टोरिया ने सरकारी मान्यता प्रदान की। इसके प्रथम अध्यक्ष, श्री जे डब्लू जोन्स व सचिव श्री ई बी. निकाल्सन चुने गये। 1973 में इसकी सदस्यता लगभग 22 हजार थी जो वर्तमान में 30 हजार के लगभग पहुँच गयी है। इसके सदस्य ब्रिटेन के ही नहीं हैं अपितु 34 अन्य देशों के इसके सदस्य हैं। ये अपना कार्य एक सुसंगठित संगठन द्वारा सम्पन्न करता है जिसमें कोन्सिल, समितियों, समूह तथा कार्यकारी आफिस (Executive Office) तथा शाखाएँ सम्मिलित हैं। कोन्सिल इसकी मुख्य कर्ता-धर्ता है। यह सघ की नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण तथा क्रियान्विति के ऊपर नजर रखने का कार्य करती है। सघ पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। इनको कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्न हैं—

1. शोध
2. पुस्तकालय सप्ताह
3. पुस्तकालय
4. मेडल एवार्ड
5. प्रशिक्षण
6. पुस्तकाध्यक्षों का रजिस्ट्रेशन
7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

8. पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में प्रकाशन

9. सम्मेलन व सेमीनार का आयोजन

10. पुस्तकालयों के प्रति जागृति व पुस्तकालयों के विकास का प्रयत्न ।

यह पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में प्रकाशन कार्य भी करता है इसके द्वारा Library Association Record का मासिक प्रकाशन किया जाता है । ब्रिटेन में लाइब्रेरी एसोसियेशन के अतिरिक्त भी कुछ संघ सक्रिय हैं इसमें निम्न प्रमुख हैं—

1. ASLIB

2. Association of Assistant Librarians

3. Association of British Library Schools

4. Association of Public Librarians

लाइब्रेरी एसोसियेशन के बाद ASLIB सबसे बड़ा पुस्तकालय मण्डल है । इसकी स्थापना 1924 में की गई परन्तु पंजीकरण (Registrations) 1926 में हुआ । इसका पूरा नाम Association of Special Librarians and Information Bureaux है । यह विशिष्ट पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों से सम्बन्धित गति-विधियों का संचालन करती है । इसका मुख्य उद्देश्य सूचना के संप्रसारण तथा सम्प्रेषण (Communication) से सम्बन्धित है । इस मण्डल में भी ब्रिटेन में पुस्तकालय आन्दोलन को एक नयी दिशा प्रदान की ।

(3) पुस्तकालय प्रशिक्षण

ब्रिटेन में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण की एक पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था है जो वहाँ प्रशिक्षण देने का कार्य करती है । इसमें पुस्तकालय संघ तथा विश्व विद्यालय दोनों महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं । 1885 में संघ ने सर्व प्रथम पुस्तकालय प्रशिक्षण की शुरुआत की थी । इसमें मात्र 3 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए । 1904 में संघ ने पत्राचार प्रशिक्षण शुरू किया । 1933 में इसके तीन पाठ्यक्रम चलते थे ।

1. प्रवेशिका (Entrance)

2. एसोसियेट (Associate)

3. फेलोशिप (FLA)

1919 में लंदन विश्वविद्यालय में 'School of Librarianship and Archives' ने पूर्णांकालिक रूप से पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम शुरू किया । यह प्रथम विश्वविद्यालय था । 1964 का वर्ष पुस्तकालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस वर्ष

1. एन. ए ने नया पाठ्यक्रम बनाया ।

2. Council National Academic Awards (CNA) की स्थापना हुई ।

3. 1964 का Public Library Act पास हुआ ।



इससे पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1960-70 के बीच Sheffield, Belfast तथा Strath Clyde विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ पुस्तकालय विज्ञान विद्यालयों की शुरुआत की, यू. के. में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रारम्भ में इसे चार विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाने लगा। यह USA के स्नातकोत्तर पुस्तकालय विज्ञान के समकक्ष था। UK में पोलिटेकनीक भी 'पुस्तकालय विज्ञान' की शिक्षा देने लगे। 1964 से Library Association ने थिसिस (Thesis) द्वारा Fellowship of the Library Association (FLA) शुरू की, कई विश्वविद्यालयों ने Research Degree in Librarianship (Ph. D) की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त समय-समय पर पूर्णकालिक तथा अर्धकालिक पाठ्यक्रम भी विभिन्न विषय विशेष में आयोजित किये गये तथा पुस्तकालय शिक्षा के उद्देश्य से समय-समय पर सेमिनार, काफ़ेंस व वर्कशाप आयोजित किये जाते हैं जिनमें किसी एक विषय क्षेत्र पर विचार-विमर्श किया जाता है। उपरोक्त प्रशिक्षण के फलस्वरूप पुस्तकालय सेवाओं के क्षमता व स्तर में वृद्धि हुई तथा पुस्तकालय आन्दोलन को बल मिला।

#### (4) आयोग व समितियाँ

ब्रिटेन में पुस्तकालयों के विकास तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर अनेक आयोग व समितियाँ नियुक्त की गईं उनमें में कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1. सीनेट समिति (Senate Committee—1848-49)
2. केन्यो समिति (Kenyon Committee—1927)
3. मैकॉलविन समिति (Macalvin Committee—1942)
4. पुस्तकालय सघ उप समिति (Library Association Sub-Committee—1953)
5. राबर्ट्स समिति (Roberts Committee—1957)
6. पेरी आयोग (Perry Commission)

इन आयोग व समितियों की प्रमुख सिफारिशों-व्यवस्थाएँ निम्न थी—

1. सीनेट समिति (Senate Committee)—1948-49 में ब्रिटिश ससद सदस्य श्री विलियम एवार्ट की अध्यक्षता में डमका गठन किया गया। इसकी ब्रिटिश म्यूजियम के तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष एडवर्ड एडवर्ड्स के सुझावों तथा उनके द्वारा बतायी गयी समस्याओं पर सुझाव देने लिए कहा गया। इसके सुझावों व प्रयत्नों के फलस्वरूप 1850 में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ।

2. केन्यो समिति (Kenyon Committee)—इस समिति का गठन 1924 में किया गया तथा इसे अब तक पारित व सगोधित अधिनियमों के अध्ययन तथा सुझाव देने को कहा गया। इस समिति ने अधिनियमों का विस्तृत अध्ययन किया

तथा उनमें संशोधन के निम्न मुद्दाव दिये । समिति ने अपना प्रतिवेदन 1927 में दिया ।

1. समिति ने पुस्तकालय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ।

2. समिति का मुद्दाव था केन्द्रीय छात्र पुस्तकालय को केन्द्रीय लोक पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया जाये तथा राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय तथा लघु पुस्तकालयों में सहयोग पर अधिक ध्यान दिया जाये ।

3. समिति ने अर्थ सम्बन्धी संशोधन की भी सिफारिश की ।

4. समिति का मुद्दाव था कि पुस्तकालय अधिकारी से सम्बन्धित नियमों में संशोधन किया जाये यह संशोधन समयानुकूल हो ।

इस समिति की अधिकांशतः सिफारिशों को मान लिया गया उनमें राष्ट्रीय केन्द्रीय छात्र पुस्तकालय को राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय में परिवर्तित करके ब्रिटिश म्यूजियम से सम्बन्धित कर दिया गया ।

3 मैकोल्विन समिति (Macolvin Committee)—पुस्तकालय संघ द्वारा एक गैर सरकारी समिति की स्थापना की । इसके अध्यक्ष श्री मैकोल्विन को बनाया गया । इसने अपनी रिपोर्ट 1942 में दी । उसने पुस्तकालय सेवाओं की अव्यवस्था व दोष के कुछ कारण बताये तथा अपने मुद्दाव दिये इसके द्वारा अव्यवस्था के निम्न कारण बताये गये—

1. अयोग्य व प्रभावहीन कर्मचारी ।

2. लोक पक्ष से उदासीनता ।

3. क्षेत्रीय जनता पर प्रभाव डालने में असमर्थता ।

4. अधिकारी के वित्त में सीमाकरण ।

5. क्षेत्रीय इकाइयों की जनसंख्या के हिसाब से अक्षमता ।

6. सहयोग का अभाव ।

इसकी मुख्य दो ही सिफारिश थी ।

1. पुस्तकालय सेवाओं के कुशल संचालन तथा प्रसार के लिए एक विभाग की स्थापना जो कि ससंद के प्रति उत्तरदायी हो ।

2. समस्त पुस्तकालय समितियों को समाप्त करके उनकी जगह पुस्तकालय प्राधिकारी (Library Authority) की स्थापना ।

समिति का विचार था कि उपरोक्त दोषों को दूर करने से पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार सम्भव होगा ।

4. पुस्तकालय संघ उप समिति (Library Association Sub-Committee)- इसकी नियुक्ति 1953 में पुस्तकालय संघ द्वारा की गई । इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न थी—

1. छोटे पुस्तकालय प्राधिकरण को समाप्त किया जाकर एक स्वतन्त्र पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन किया जाये ।

2. पुस्तकालय प्राधिकार क्षेत्रीय शासन के प्रति उत्तरदायी हो।

3. सरकारी सहायता से पुस्तकालय सेवाओं में वृद्धि की जाये।

4. एक सरकारी विभाग की स्थापना की जाये जो सहायता प्राप्त पुस्तकालय

के लिए पुस्तकालय प्राधिकार की स्थापना करे तथा सहायता व प्रोत्साहन दे।

5. राबर्ट्स समिति (Roberts Committee)—1957 में सर राबर्ट्स सिडनी की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई। इसे इंग्लैंड व वेल्स में पुस्तकालय व्यवस्था से सम्बन्धित मुद्दा देने के लिए कहा गया। इसने 1953 में अपने सुझाव दिये। इसके प्रमुख सुझाव निम्न थे—

1. सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्री व शिक्षा मंत्रालय पर हो।

2. मंत्री की सहायता के लिए एक उप समिति हो।

3. मंत्री को किसी भी स्थानीय प्राधिकार को उसकी सेवाओं में अव्यवस्था व दोष होने पर भग करने का अधिकार हो।

4. प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकार का सर्वधानिक कर्तव्य, कुशल पुस्तकालय सेवा हो।

5. प्रत्येक प्राधिकार को आवश्यक रूप से पाठ्य सामग्री हेतु कम से कम 5000 पौण्ड या दो शिलिंग प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करे।

6. यदि कोई नगर प्राधिकार उपरोक्त शर्तों को पूरा करता हो तो उसे पुस्तकालय प्राधिकार की शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए।

समिति ने बाल पुस्तकालय, पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय कर्मचारी, भवन, विधेयक व अन्तर पुस्तकालय आदान-प्रदान सम्बन्धी सुझाव भी दिये जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उपरोक्त रिपोर्ट के पूर्ण अध्ययन के बाद दो पुस्तकालय दल गठित किये थे।

1. पुस्तकालय सहयोग सम्बन्धी दल।

2. पुस्तकालय सेवा सम्बन्धी दल।

इन दलों ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्टें 1962 में प्रस्तुत की।

6. पेरी आयोग (Perry Commission)—ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की स्थिति का अध्ययन करके सुझाव देने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज, वेल्स के प्रिंसिपल डॉ. कामस पेटी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंग्लैंड द्वारा किया गया। इसने विस्तृत अध्ययन करके कई सुझाव दिये।

(5) पुस्तकालय सेवाएँ

ब्रिटेन में पुस्तकालय सेवाओं में पुस्तकालय के स्तर तथा स्थान के अनुसार भिन्नता है। वहाँ पिछले 100 वर्षों के दौरान लगभग 500 पुस्तकालय प्राधिकरण

स्थापित हुए हैं तथा इनके अधीन 40 हजार पुस्तकालय सेवा स्थल हैं जिनमें लगभग 8 करोड़ से अधिक पुस्तकें हैं तथा लगभग 30 करोड़ पुस्तकें प्रति वर्ष पाठकों को पुस्तकालय द्वारा ग्राह्यता की जाती हैं। ये पुस्तकालय मुख्य: निम्न सेवाएँ प्रदान करते हैं—

1. Reading Room Services
2. Reference Services
3. Lending Services
4. Inter-Library Loan Services
5. Reprography Services
6. Documentation Services

इसके अतिरिक्त विविध आधुनिक पुस्तकालय सेवाएँ भी विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा दी जाती हैं।

#### (6) राष्ट्रीय पुस्तकालय

ब्रिटेन में तीन पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालयों का दर्जा प्राप्त है ये हैं— ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय (British Museum Library), नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैण्ड (National Library of Scotland) तथा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वेल्स (National Library of Wales).

(1) ब्रिटिश म्यूजियम—इसकी स्थापना 1753 में हुई। इसमें ग्यारह विभाग हैं तथा एक करोड़ पुस्तकें तथा 60 हजार हस्तलिखित ग्रन्थ व 5 लाख नक्शों का एक विशाल संग्रह इसके पास है। इसके अतिरिक्त संगीत रेकार्डें, मायक्रो फिल्म आदि का भी एक विशाल संग्रह इसके पास है।

(2) वेल्स राष्ट्रीय पुस्तकालय—1909 में इसकी स्थापना की गई। इसके पास भी लगभग 25 लाख पुस्तकों तथा अन्य पाठ्य सामग्री का एक विशाल संग्रह है।

(3) स्कॉटलैण्ड का राष्ट्रीय पुस्तकालय—इसकी स्थापना 1682 में की गई परन्तु इसको वर्तमान स्वरूप 1925 में दिया गया।

ब्रिटेन में दो और पुस्तकालय हैं जिनको राष्ट्रीय (National) नाम दिया गया है। ये हैं—

- (1) National Central Library (NCL)
- (2) National Lending Library for Science & Technology (NLLST)

#### (7) पुस्तकालय सहयोग

ब्रिटेन में पुस्तकालय सहयोग की एक सुदृढ़ व्यवस्था है तथा प्रत्येक स्तर पर पुस्तकालय सहयोग किया जाता है। इस कार्य हेतु तीन राष्ट्रीय पुस्तकालयों तथा एक एन. एल. एल. पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय सहयोग की

व्यवस्था का श्रेय प्रमुख रूप से आयोगों व समितियों को है। प्रायः प्रत्येक आयोग व समितियों ने इसके लिए अपने सुझाव दिये हैं।

### ग्रन्थ पुस्तकालय

यहाँ अन्य प्रकार के भी पुस्तकालय बहुत ही उच्च स्तर के हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में भाक्सफोर्ड विश्व विद्यालय पुस्तकालय सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अतिरिक्त केम्ब्रिज, लंदन, मेनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, लीवरपूल, क्वीन्स, वेल्फास्ट विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। स्कॉटिश विश्वविद्यालयों में Aberdeen, Edinburgh, Glasgow, St. Andrews आदि विश्वविद्यालयों में बहुत ही विंगाल संग्रह है क्योंकि इनको कापीराइट एक्ट 1709 का लाभ मिला है। यू जी सी (यू. के.) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को उचित आठ पाँच साल के हिसाब से देता है।

ब्रिटेन में विशिष्ट पुस्तकालयों की स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में की गई। इसमें भी विशाल संग्रह संग्रहित है। 1928 में एक शोध पुस्तकालय की स्थापना कोडक लि. द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त Metal Box Company तथा British Aeroplane Company के अच्छे पुस्तकालय हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति भी ब्रिटेन में बहुत ही अच्छी है।

वर्तमान स्थिति—यू. के. में वर्तमान में शत प्रतिशत जनता को पुस्तकालय सेवा प्रदान होने लगी है। अब वहाँ प्रत्येक तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियमित रूप से जन ग्रन्थालय का उपयोग करता है। लगभग 28% व्यक्ति नियमित रूप से पुस्तकें आदान-प्रदान पर प्राप्त करते हैं। मेर्कात्विन के अनुसार “इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा नार्दन आयरलैंड में सम्पूर्ण यू. के. में 559 स्वतन्त्र पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा 464 नगर तथा 95 काउन्टीज को सेवा प्रदान की जाती है। प्रत्येक प्राधिकरण का केन्द्रीय पुस्तकालय है, परन्तु 1,334 पूर्णकालिक शाखाएँ भी हैं, जो एक सप्ताह में कम से कम 36 घण्टे खुलती हैं और 31,500 छोटी शाखाएँ हैं। इसके साथ 235 जन ग्रन्थालय भी हैं।”

### अमेरिका में पुस्तकालय आन्दोलन

अमेरिका में पुस्तकालय आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय मेलविल डीवी को है। मेलविल डीवी के ही प्रयत्नों के फलस्वरूप 1876 में अमेरिकन पुस्तकालय सभ की स्थापना हुई जिसने पुस्तकालय आन्दोलन को आगे बढ़ाया। 1848 में मेसाचुसेट्स में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी पुस्तकालय आन्दोलन की गति धीमी थी। परन्तु 1956 में मंघीय पुस्तकालय सेवा अधिनियम पारित होने के बाद अमेरिका में पुस्तकालयों का एक जाल विद्यमान हुआ। 1961 तक 50 राज्यों की 3,000 काउन्टीज में से आधे से अधिक में काउन्टीज लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी थी जिसकी अनेक शाँचें गाँवों में थी, जिनसे लगभग 5 करोड़ ग्रामीण जनता लाभ

उठा रही थी। अमेरिका विश्व में पुस्तकालय आन्दोलन को शुरू करने में अग्रणी रहा है। इसके पुस्तकालय आन्दोलन का हम निम्न शीर्षको में अध्ययन करेंगे—

- (1) पुस्तकालय अधिनियम
- (2) पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा
- (3) पुस्तकालय सेवाएँ
- (4) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय
- (5) प्रमुख पुस्तकालय
- (6) पुस्तकालय सघ।

(1) पुस्तकालय अधिनियम—न्यू हेम्पशायर प्रथम राज्य था जिसने 1849 से एक अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए पारित किया। अमेरिका में इसके बाद पुस्तकालयों के संचालन व स्थापना के लिए अधिनियम पारित करने की परम्परा की शुरुआत हुई। 1877 तक 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे जिसमें मेसाचुसेट्स, वाटमोट, टहोमट द्वीप, क्वेन्टीकर आदि प्रमुख थे। 1956 में Federal Library Service Act पारित हो जाने के बाद पुस्तकालय जगत में एक बदलाव आया और इसके प्रावधानों के अनुसार पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता भी दी जाने लगी। 1946 में Library Service and Construction Act पारित हुआ। इससे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं में वृद्धि हुई। पुस्तकालय अधिनियम के फलस्वरूप पुस्तकालयों के लिए एक व्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान हो गया। इससे पुस्तकालय सेवाओं के स्तर व विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

## (2) पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण (Library Science Education)

1887 में अमेरिका में प्रथम पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण विद्यालय, कोलम्बो कॉलेज में मेलविल डीवी के प्रयत्नों से खोला गया। इसमें पुस्तकालय सम्बन्धित तकनीकी व रूटिन कार्य के प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला विधि (Laboratory Method) को अपनाया गया।

1889 में एलवेनी में भी एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हो गयी थी। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित थे। 1915 में Association of American Library School की स्थापना हुई। इससे पुस्तकालय प्रशिक्षण में कुछ सुधार हुआ। 1919 में कार्नेगी कार्पोरेशन (Carnegie Corporation) ने डॉ. सी. सी. विलियमसन को पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण पर अध्ययन कर सिफारिश करने के लिए आमंत्रित किया गया। 1923 में डॉ. विलियमसन ने रिपोर्ट दी जिनमें निम्न मुख्य सिफारिशें थी—

(1) That the Library Schools be affiliated with University to place the programme on a Higher Academic Plan.

(2) That these should be fewer part-time and more full-time qualified instructors.

(3) That suitable text books be prepared

(4) That a national body be established to aid the library schools in formulating and enforcing standards.

1925 में कानॉनो कॉर्पोरेशन ने विलियमसन रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक सहायता की। 1924 में ए. एल. ए. ने भी एक स्थायी Board of Education for Librarianship की स्थापना की। 1943 में प्रो. मैटकॉफ (Prof. K. D. Matcalf) ने पुस्तक लिखकर पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक सिफारिशें कीं।

अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी वर्तमान में निम्न कोर्स संचालित हैं—

(1) MLS (Master Degree in Librarianship)—यह एक वर्ष की अवधि का है। इसमें चार वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्ति प्रवेश पा सकता है। इसका प्रारम्भ 1950 में BLS (Bachelor Degree in Librarianship) को समाप्त करके की गई थी। लगभग 50 ALA से मान्यता प्राप्त विद्यालय इसकी शिक्षा देते हैं। इसके प्रतिरिक्त लगभग 10 और विद्यालय जो ALA से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। यह भी MLS कोर्स संचालित करते हैं।

(2) Post Master's Programmes—इसके अंतर्गत दो वर्षीय स्नातकोत्तर, विशेषज्ञ पाठ्यक्रम व शोध अध्ययन (Ph.D) कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(3) Undergraduate Programmes in Librarianship—1925 में स्नातक स्तरीय कोर्स को बोर्ड ऑफ एज्युकेशन ने मान्यता प्रदान की। इसमें स्नातक डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम थे। America के Library Technical Programmes का भी अत्यन्त महत्त्व है। इस प्रशिक्षण में काफी लोग प्रवेश लेते हैं।

### (3) पुस्तकालय सेवाएँ (Library Services)

अमेरिका में पुस्तकालय सेवाएँ व्यक्तिगत पाठक तथा पाठक समूहों को प्रदान की जाती हैं। व्यक्तिगत पाठक, सेवा पाठक सलाहकार व सार्वजनिक पुस्तकालय प्रदान करते हैं। ये सेवाएँ पुस्तकालयों के बाहर क्लब, चर्च, जेल, चिकित्सालय आदि को प्रदान की जाती हैं। अमेरिका में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ निम्न हैं—

(1) Service to Children

(2) Service to adolescents and young adults

(3) Service to men and women of over 65 year age

- (4) Service to patients in Hospitals
- (5) Book mobile Service
- (6) Reference and Information Services
- (7) Bibliographic Services
- (8) Regional Public Library Services

प्रो. राबर्ट (Prof. Roberts A. Rohlf) ने अमेरिका में पुस्तकालयों का अध्ययन करके कहा—

“This new form of library organisation serving more than one city, town, township or county, or any combination, or even portions three of has given rise not only to new opportunities for library services but also to new problems of Governmental units and board, which pay for this services.”

वास्तव में अमेरिका में पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ बहुत ही उच्च कोटि की व अच्छी हैं।

(4) विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय—अमेरिका में अन्य देशों की तरह तीन प्रकार के ही पुस्तकालय प्रचलित हैं।

### 1. सार्वजनिक पुस्तकालय

सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः स्थानीय संस्थाएँ हैं तथा इनका संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Bord of Trusties) द्वारा किया जाता है। यहाँ लगभग 1500 काउन्टीज पुस्तकालय तथा प्रत्येक राज्य में एक से तीन तक राज्य स्तर के पुस्तकालय हैं तथा इनकी शाखाएँ गाँवों तक में हैं। यह बोर्ड द्वारा संगठित किया जाता है। इनके सदस्यों की सहायता लगभग 5 से 7 तक होती है तथा यह पुस्तकालय की मुख्य नीतियों से सम्बन्धित होता है। इन पुस्तकालयों का मुख्य साधन स्थानीय कौन्सिल द्वारा अनुदान व विशिष्ट कर है। विभिन्न दानदाताओं द्वारा भी आर्थिक रूप में दान प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ न्यूयार्क सार्वजनिक पुस्तकालय के सन्दर्भ विभाग को Lenox, Astor तथा Tildon Foundations द्वारा सहायता मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा 60% से अधिक जनता को सेवाएँ प्रदान की जा रही है।

### 2. शैक्षणिक पुस्तकालय

अमेरिका में प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालय होते हैं। विद्यालय पुस्तकालयों में जहाँ 6-14 वर्ष तक के छात्र होते हैं। 40% विद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय विद्यमान है। शेष संस्थानों में शाखा पुस्तकालय होते हैं तथा यह एक प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष के निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करते हैं। कॉलेज पुस्तकालयों में भी प्रशिक्षित कर्मचारी ही कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। एक आँकड़ों के अनुसार 42 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का संग्रह 44,000 से 60,000 के बीच तथा 21 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का



संग्रह 10,000 ग्रन्थ तथा अमेरिका में पाये जाने वाले शैक्षणिक पुस्तकालयों की सेवाएँ, संग्रह तथा स्टाफ की स्थिति काफी अच्छी है।

### 3. विशिष्ट पुस्तकालय

अमेरिका की वैज्ञानिक व औद्योगिक प्रगति का मुख्य श्रेय विशिष्ट पुस्तकालयों का एक जाल सा विद्या हुआ है। जहाँ रोजाना नई-नई चीजें की जाती रही हैं तथा यह पुस्तकालय प्रलेखन सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। इनका उपयोग केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति ही कर सकते हैं, मुख्य रूप से इन पुस्तकालयों का उपयोग शोधकर्ता ही करते हैं।

### 5 प्रमुख पुस्तकालय

#### 1 लाईब्रेरी ऑफ कांग्रेस

यह विश्व की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। यह अपने प्रकार का एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। यह अपने आप में एक विशिष्ट पुस्तकालय है क्योंकि यह यू. एस. कांग्रेस व फेडरल गवर्नमेंट्स को भी सेवाएँ प्रदान करती है। इसमें पुस्तकें सामान्यतया आदान-प्रदान नहीं की जाती हैं। यह सुविधा केवल ससद सदस्य, स्टाफ, उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी व विदेशी प्रतिनिधियों तक ही सीमित है। शेष सुविधाएँ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। इसमें मुफ्त प्रवेश प्रणाली कुछ सीमा तक ही प्रयोग की गई है। इसकी पुस्तक शिल्फ 250 मील लम्बी है। इसमें 1 करोड़ से अधिक पुस्तकें, 20 लाख तक्के, 5,80,000 प्रिन्ट व 13,00,000 MSS हैं। इसमें 2000 से अधिक पत्रिकाएँ व दैनिक समाचार पत्र आदि आते हैं। इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। इसको कई बार भाग व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा है जिसमें 1825 व 1851 की भाग मुख्य है। 1870 के कापीराइट एक्ट के फलस्वरूप इसके संग्रह में आभासी वृद्धि हुई है। इसमें कुछ विशिष्ट संग्रह भी हैं जिनमें कुछ मुख्य हैं—

(1) Dr. Joseph M. Tower of Wash's Collection, 27000 Volumes (1882)

(2) The Private Library of Gennadius Vasilivish yudin from Siberia. 8000 Volumes (1907)

(3) The Collection of John Boyd Thacker, a businessman of New York, 1000 Volumes of Incunabula, 14000 dealing with the French Revolution and 1300 autographs of Crowned Heads of Europe (1901)

(4) Ho N. Vallabeho Collection of 3000 more incunabula from Berlin including Gutenberg Bible. (1925)

इसमें शोध कर्ताओं के लिए प्रलग से अध्ययन के लिए 300 Study Cubides की भी व्यवस्था है।

## 2. न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी

अमरीका की विशालतम पब्लिक लाइब्रेरी में से एक है। इसकी स्थापना 1895 में की गई। इसका संग्रह 90,00,000 से भी अधिक है तथा यह अनेक प्रकार की पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करती है। शोधकर्ताओं के लिए इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अनुकरणीय हैं। इसकी अनेक शाखाएँ भी प्रियाशील हैं।

## 3. हावर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय

यह अमेरिका के विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है। इसकी स्थापना चार शताब्दी पूर्व 1636 ई. में हुई थी। इनका नाम संसार के विशालतम पुस्तकालयों में गिना जाता है। इसका संग्रह भी 1,00,00,000 से भी अधिक है, जिसमें दर्शन शास्त्र धर्म व इतिहास ही प्राचीन पुस्तकों का एक बड़ा भाग सम्मिलित है।

## (6) अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ, 1985

अन्य पुस्तकालय संघों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति व विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति व विकास हेतु अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का विधिवत् गठन 1985 में हुआ। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय हैदराबाद रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री के. एम. उज्ज्वलकर महाराष्ट्र के सेवा निवृत्त निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग को तथा महामन्त्री डॉ. एम. ए. मजीद खां को बनाया गया। राजस्थान से श्री बी. के. कुलश्रेष्ठ को उपाध्यक्ष व श्री हिम्मत लाल सनाढ्य को राजस्थान की प्रान्तीय शाखा का चेयरमैन मनोनित किया गया।

देखा जाय तो आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय संघ हैदराबाद इस अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का विधाता है। इस संघ के लिए डॉ. एम. ए. मजीद खां ने भरसक प्रयत्न किया। इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा दिया। आंध्रप्रदेश में कई सार्वजनिक पुस्तकालय व पुस्तक आदान-प्रदान कक्ष खुलवाये हैं तथा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन निर्माण में भी सहायता देते आ रहे हैं तथा इन्होंने पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान भी खोल रखा है। अब यह राजस्थान में पुस्तकालय बिल के प्रयत्न में लगे हुए हैं।

## पुस्तकालय संघ के संगठन

### भारत

श्री नरसिंह शास्त्री और श्री हयाकी वेकट रमैया के प्रयत्न के फलस्वरूप 1919 में श्री जे. एस. कुधोलकर (बडोदा राज्य पुस्तकालय विभाग संचालक) की अध्यक्षता में मद्रास में एक सम्मेलन हुआ तथा इस सम्मेलन में 'अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ' की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य गैर सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालयों का संगठन था। इसका दूसरा सम्मेलन 1923 में कोकोनर में श्री एम. आर. जयकर की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद इसके सम्मेलन बेलगाँव, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, बेजवाडा आदि में हुए। इन्होंने 1924 में 'भारतीय पुस्तकालय पत्रिका' (Indian Library Journal) का प्रकाशन भी शुरू किया। इसके प्रयत्नों से बंगाल, मद्रास व हैदराबाद आदि में भी पुस्तकालय संघों की स्थापना हुई। उसको सर राधाकृष्णन, श्री सी. आर. दास, डॉ. प्रेमनाथ बनर्जी, सर प्रफुल्लचन्द्र राय, डॉ० मोतीचन्द्र, डॉ० वी० एस० राय, डॉ० आर्चबोर्ड व चल्ल पल्ली के राजा साहब आदि से सहयोग प्राप्त हुआ। यह संघ 1937 तक चलता रहा।

### अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ

भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की दिशा में प्रयास बहुत पहले ही शुरू हो चुके थे। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के प्रेरणा स्रोत बडोदा पुस्तकालय संघ (1910), पंजाब पुस्तकालय संघ (1915), मद्रास पुस्तकालय संघ (1928) तथा अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ (1919) रहे हैं। दिसम्बर, 1930 में प्रथम All Asia Educational Conference बनारस में हुई। इसमें पुस्तकालय आन्दोलन के लिए पुस्तकालय संघों की महत्त्वपूर्ण भूमिका व आवश्यकता को व्यक्त किया गया। जनवरी, 1933 के Modern Librarian में श्री एम० ओ० थामस ने 'आदर्श पुस्तकालय संघ' नामक लेख प्रकाशित किया उसने लोगों को भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की दिशा में प्रेरित किया। अप्रैल, 1933 के Modern Librarian में प्रथम All Indian Library Conference सितम्बर, 1933 में किये जाने की घोषणा की गई। इस घोषणा पर अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे तथा इस प्रकार प्रथम भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 12 सितम्बर, 1933 को ऐंगियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन श्री आर० विल्सन ने

किंग तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री एम० घो० घामस ने की। सम्मेलन के समापन अवसर पर 13 सितम्बर, 1933 को 'भारतीय पुस्तकालय मंच' की स्थापना की घोषणा की गई। इसके अध्यक्ष श्री ए० सी० बूननर पंजाब विग्वविद्यालय पुनपति चुने गये। इसके अन्य पदाधिकारी निम्न थे तथा इनको Societies Registration Act (XXI of 1860) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया गया।

अध्यक्ष—श्री ए० सी० बूननर

उपाध्यक्ष—डॉ० एम० घो० घामस व मुनिन्द देव राम महाशय

सचिव—श्री के० एम० प्रसादुल्ला

### उद्देश्य (Objectives)

1933 में इसकी स्थापना के समय इसके निम्न उद्देश्य बनाये गये—

1. भारत में पुस्तकालय आन्दोलन की प्रगति की दिशा में प्रयत्न करना।
2. पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
3. भारत में पुस्तकाध्यक्षों का एक प्रगतिशील वर्ग तैयार करना व उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना।
4. पुस्तकाध्यक्षों के स्तर व कार्य करने की दशाओं में सुधार करना।
5. समान उद्देश्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग करना। 1949 में नागपुर सम्मेलन में डॉ० एम० घार० रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय मंच के उद्देश्यों को सशोषित किया गया परन्तु ये 1933 में बनाये गये उद्देश्यों पर ही पूर्णतया आधारित थे।

### संगठन

भारतीय पुस्तकालय मंच का संगठन इसके संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। इसके 1984 में कुल 1496 सदस्य थे जिनमें से 21 सदस्य विदेशी थे तथा पेटेंट सदस्य थे, 3 सदस्य आनरेरी तथा 400 प्राचीन सदस्य थे तथा 339 सम्भाव्य सदस्य व 18 संघ इसके सदस्य थे। इसके सामान्य सदस्यों की संख्या 735 थी। स्थापना के 50 वर्ष बाद भी इसकी सदस्यता इतनी कम होना एक बड़ा विषय है। अधिक से अधिक व्यक्तियों को इनका सदस्य बनकर मंच को मजबूत करना चाहिये। 1984-1985 में इसकी कार्यकारिणी निम्न प्रकार से थी—

अध्यक्ष : श्री गिरवा कुमार।

इसके द्वारा प्रति वर्ष सम्मेलन किया जाता है ताकि सदस्य किसी विशिष्ट विषय पर विचार-विमर्श कर सकें तथा समस्याओं को सुलझा सकें। इसका प्रथम सम्मेलन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, दूसरा 1935 में लखनऊ, तीसरा 1937 में दिल्ली, चौथा 1939 में पटना, पाँचवाँ 1942 में बम्बई, छठा 1944 में जयपुर में व सातवाँ 1946 में बड़ौदा में हुआ था। इसके बाद 1949 नागपुर, 1951 हैदराबाद तथा 1956-60 व 62 में कलकत्ता में सम्मेलन हुये। इसका 29वाँ सम्मेलन 3-6 दिसम्बर, 1983 को मैसूर में तथा 30वाँ 28-31 जनवरी, 1985 को जयपुर में हुआ। 31वाँ सम्मेलन नवम्बर 1985 को बड़ौदा में हुआ। इसके सम्मेलनों में पुस्तकालय विज्ञान के किसी एक विशिष्ट विषय पर विचार विमर्श किया जाता है। यह बहुत अधिक उपयोगी होते हैं।

### धाय

सभ की धाय का मुख्य स्रोत अनुदान है इसे भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों से भी अनुदान प्राप्त होते हैं। इसकी सदस्यता शुल्क से भी धाय होती है। 1983-84 में इसको 24, 500/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ जिसमें दस हजार राजा राम मोहनराय फाउण्डेशन, कलकत्ता तथा 9,500/- रुपये आई० सी० एस० एस० आर० द्वारा तथा 5,000/- रुपये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त हुए। इसको कुछ धाय अपने प्रकाशनों की विक्री द्वारा भी प्राप्त होती है। प्रकाशन

भारतीय पुस्तकालय मंडल पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशन कार्य भी करता है। इसने अनेक पत्रिकाओं तथा समय-समय पर पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी सन्दर्भ स्रोतों तथा पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन निम्न हैं—

1. Library Bulletin (April, 1942-July, 1946).
2. Abgile (Annals, Bulletin and Granthalaya).
3. I L A Bulletin.
4. Directory of Libraries in India, 1938.
5. The Union Catalogue of learned periodicals in South-East Asia.
6. Rendering of Asian names.
7. Directory of Asian Periodicals.
8. Continuing Education for librarians, 1984.
9. 50 years of Indian Library Association, 1984.
10. Fifty year's of Librarianship in India : Past, Present and Future.

इसके अतिरिक्त इसके सम्मेलन कार्यवाही (Conference Proceedings) तथा सोवोनियर (Sovenior) आदि भी प्रत्येक सम्मेलन पर प्रकाशित किये जाते हैं। नवीनतम गतिविधियाँ

भारतीय पुस्तकालय संघ की कुछ नवीनतम गतिविधियाँ निम्न में हैं। इसने डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी तैयार की है। शिक्षा व सस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे इस काम के लिए 30,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। इसने यह कार्य श्री जोगेन्द्रसिंह को सौंपा था जिन्होंने 12 फरवरी, 1984 को इस काम को शुरू करके बहुत कम समय में 31 दिसम्बर, 1984 को इसकी स्क्रिप्ट भारत सरकार को सौंप दी। संघ ने योजना आयोग द्वारा बनाये गये कार्यकारी समूह (Working group) जिसके सचिव, प्रो० पी० वी० मगला थे, की सिफारिशों पर अमल करने के लिए जोरदार शब्दों में माँग की है तथा संघ ने एक व्याख्यान माला की भी शुरुआत की है। इसका उद्घाटन 13 फरवरी, 1984 को दिल्ली में किया गया। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के व्याख्यान हो तो संघ ने 13 फरवरी, 1984 को All India Seminar on Continuing Education for librarians and teachers of Library and Information Science का भी दिल्ली में आयोजन किया। संघ ने भारत में 14-20 नवम्बर, 1983 को पुस्तकालय सप्ताह मनाने का आह्वान किया। संघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत सरकार इस पर सहमत हुई कि पुस्तकें स्टोर की वस्तु नहीं हैं तथा उसने Gernal Finance Rules में परिवर्तन कर दिया है। इसने अपने समान उद्देश्यों वाले संगठनों से सहयोग की ओर भी जोरदार प्रयत्न किये हैं। यह I. F. L. A राजा राम मोहन राय फाउण्डेशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, UNESCO, FID है। संघ की स्थापना के 50 वर्ष बाद भी इसकी गति विधियाँ ज्यादा नहीं हैं। इसके बाद स्थापित IASLIC की गतिविधियाँ प्रभावशाली व महत्त्वपूर्ण हैं। इस संघ की सदस्यता भी 1500 से ज्यादा नहीं पहुँची, जबकि भारत में पुस्तकालय सम्बन्धी व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। अतः संघ को प्रभावी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए समय-समय पर अनेक व्यक्तियों ने सुझाव दिये हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं—

- (1) सविधान में संगोधन
- (2) संघ का ठोस वित्तीय आधार
- (3) स्थायी भवन
- (4) स्थायी सचिवालय
- (5) पूर्णकालिक सचिव
- (6) राज्य व जिला स्तर पर शाखाएँ
- (7) गुट बन्दी व स्वार्थी तत्वों की समाप्ति।

उपरोक्त सुझावों पर अमल करने से संघ की गतिविधियों को जो कि वर्तमान में मृत प्राय हैं और प्रभावशाली व अच्छे ढंग से लागू किया जा सकता है।

इण्डियन एसोसिएशन ऑफ़ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर्स

1933 में अखिल भारतीय पुस्तकालय सभ की स्थापना के बाद काफी समय से विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा अपने एक अलग सभ को यू० के० के ASLIB तथा USA के SLA की तरह भारत में भी स्थापना के प्रयास किये जा रहे थे।

1955 में श्री ए० के० मुकर्जी, श्री जी० वी० घोष तथा श्री जे० शाह ISI ने प्रयत्न करके ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के निर्देशक डॉ० एम० एल० होरा की सहायता से 3 सितम्बर, 1955 को इसकी स्थापना की। इसके अध्यक्ष डॉ० एस० एल० होरा बनाये गये। वैसे IASLIC की स्थापना का एक पूर्व प्रयास 1949 में आठवें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन नागपुर में इण्डियन इस्टीमेट ऑफ़ साइंस के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ० जी० वी० काले द्वारा किया गया था परन्तु यह असफल रहा।

उद्देश्य

इसके निम्न उद्देश्य बताये गये हैं—

1. पुस्तकालय व सूचना सेवाओं के स्तर (Quality) में वृद्धि करना।
2. विशिष्ट पुस्तकालयों, वैज्ञानिक, तकनीकी व शोध संस्थाओं, आदि की गतिविधियों में सहयोग व समन्वय के लिए प्रयत्न करना।
3. पुस्तकालयों व प्रलेखन केन्द्रों, वैज्ञानिकों आदि के लिए सम्पर्क केन्द्र का कार्यक्रम करना।
4. राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार, वर्कशॉप तथा सम्मेलन आयोजित करना।
5. अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
6. प्रकाशन कार्य।
7. वैज्ञानिक व तकनीकी आदि क्षेत्रों की सूचनाओं के केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. वे समस्त कार्य जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों, करना।

संगठन

1. सदस्यता—IASLIC की सदस्यता मुख्यतया दो तरह की है। एक व्यक्तिगत सदस्यता व दूसरी संस्थागत सदस्यता होती है। IASLIC राष्ट्रीय स्तर के कुछ व्यक्तियों को आवाहं सदस्यता भी बनाता है। परन्तु इस प्रकार के सदस्य 10 में ज्यादा नहीं होते हैं। संस्थागत सदस्य दो प्रकार के हैं—

- (1) Commercial and Industrial Organisation
- (2) Educational and Research Institutions.

व्यक्तिगत सदस्यों में चार प्रकार के सदस्य हैं—1. मानव सदस्य 2. आजीवन सदस्य 3. दानदाता सदस्य 4. सामान्य सदस्य। 1984 में इसके सदस्यों की संख्या सभ प्रकार की—

(1) Honourary Membership	—	7
(2) Life Membership	—	245
(3) Ordinary Membership	—	405
(4) Institutional Membership (N.P.)	—	294
(5) Institutional Membership (P.M.)	—	44

IASLIC का सदस्यता शुल्क अलग-अलग प्रकार के सदस्यों के लिए अलग-अलग है जो निम्न है—

अलग है जो निम्न है—

### (1) Institutional Membership

(1) Commercial and Industrial Organisations	Rs. 200/-
(2) Educational and Research Institutions	Rs. 80/-

### (2) Individual Membership

(1) Ordinary Membership	—	Rs. 20/-
(2) Life Membership	—	Rs. 250/-
(3) Donor Membership	—	Rs. 1000/-
(4) Foreign Corresponding—Ordinary	—	„ 10/-
(5) Foreign Corresponding—Life	—	„ 135/-

## 2. कौन्सिल

IASLIC की समस्त नीतियों, गतिविधियों, कार्यक्रमों का निर्माण व संचालन कौन्सिल ही करती है। इसमें चुने हुए 14 पदाधिकारी व कुछ सदस्य होते हैं। 1984 और 1985 की कौन्सिल में सदस्यों की संख्या 25 है। इसके अतिरिक्त इसकी नीतियों व कार्यक्रमों के लिए कार्यकारिणी व वित्त समिति का भी प्रावधान है। 1984 और 1985 की कौन्सिल निम्न थी—

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

डॉ० एस० कुमार

(1) डॉ० जी० भट्टाचार्य

(2) श्री बी० गुहा

(3) श्री एन० सी० इनामदार

(4) मिस विद्युत के० खण्डवाला

(5) श्री एस. एम. कुतकर्णी

(6) श्री नूरुल हसन खान

श्री ए. के. कपूर

श्री टी. लाहीटी

श्री ए. झार. चक्रवर्ती

श्री जे. एम. दास

श्री जे. एन. सतपथी

श्री एन. मुखर्जी

श्री एस. एम. गांगुली

महा सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

सहायक सचिव

सहायक सचिव

पुस्तकाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष



इसके उद्देश्यों की प्राप्ति, कार्यों व गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए इसके 6 विभागों की भी व्यवस्था है। जो निम्न हैं—

1. प्रलेखन सेवा विभाग (Documentation Service Department).— यह प्रलेखन व ग्रन्थपटल सेवाओं को प्रदान करने के लिए कार्य करता है।

2. शिक्षण विभाग (Education Department):—इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पुस्तकालय व सूचना विज्ञान सम्बन्धी चलाये जाते हैं परन्तु पूर्णकालिक पाठ्यक्रम अब समाप्त हो गये हैं। डॉ० रंगनाथन ने इनकी झालोचना अपनी पुस्तक Documentation : Genesis and Development में की थी।

3. प्रकाशन व प्रचार विभाग—यह विभाग 1956 से IASLIC बुलेटिन का प्रकाशन कर रहा है तथा यह 1967 से IASLIC न्यूजलेटर भी प्रकाशित कर रहा है। यह तीन स्तरों पर कार्य भी करता है जो निम्न के लिए प्रदान किये जाते हैं—

- (1) IASLIC बुलेटिन में प्रकाशित सर्वोत्तम लेख के लेखक को।
- (2) जादवपुर विश्वविद्यालय के B. Lib. Sc. के श्रेष्ठ छात्र को।
- (3) IASLIC पाठ्यक्रम की श्रेष्ठ छात्रा को।

4. पुस्तकालय सेवा विभाग—इसके द्वारा मन्दर्भ सेवा तथा पुस्तकालय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

5. रिप्रोग्राफी व अनुवाद विभाग :—इसके द्वारा विदेशी भाषा के प्रलेखों का अनुवाद तथा फोटोकॉपी सम्बन्धित सेवा प्रदान की जाती है। डॉ० रंगनाथन ने इस विभाग की भी झालोचना की है।

6. पुस्तकालय सहयोग व सामान्य विभाग :—इसके द्वारा अन्तर ग्रन्थालय आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है तथा पुस्तकालयों के मध्य सहयोग व समन्वय के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। इसने Inter Library Loan Code का भी प्रकाशन किया है।

### वित्त

इसको मुख्यतः मदस्यता श्रुत व प्रकाशनों के विक्रय से ही प्राय होती है। इसको सरकार तथा कुछ विभागों द्वारा भी अनुदान प्राप्त होते हैं। कुछ विभागों द्वारा दिये गये प्रोजेक्ट से भी इसको प्राय होती है। 1984 में Department of Electronics से Course in Computer application to LIC के लिए ग्रांट प्राप्त हुई। इसको ग्रांट देने वालों में CSIR DST व राजा राम मोहन राय फाउण्डेशन प्रमुख हैं।

### गतिविधियाँ

IASLIC की गतिविधियाँ इसके विभागों द्वारा ही मुख्यतः संचालित की जाती हैं। इनके द्वारा संचालित की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ अथ हैं—

(1) प्रकाशन :—IASLIC पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान से सम्बन्धित क्षेत्र में पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएँ, पम्पलेट तथा सम्मेलन कार्यवाहियाँ इत्यादि का प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्न हैं।

A—Serial Publication.

(1) IASLIC Bulletin (Q)

(2) IASLIC New-letter (M)

(3) Indian Library Science Abstracts (ILSA) (Q)

B. Conference and Seminar Publications :—IASLIC ने अपने 14 सम्मेलनो व 11 सेमीनार में पढे गये पेपर्स का प्रकाशन कार्य भी अभी किया है। सेमीनार व सम्मेलन पेपर अनेक महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित हैं व अध्ययन योग्य हैं।

C. Genral Publication :—उपरोक्त के अलावा भी IASLIC अनेक पुस्तकें, पम्पलेट्स, मेनुअल व डायरेक्ट्री इत्यादि प्रकाशित कर चुका है। कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1—Directory of Special Libraries and Information Centres (1985)

2—Directory of Special and Research Libraries in India (1962, 1985)

3—Glossery of Cataloguing Terms in Regional Languages (1964)

4—Draft Genral Code for Inter-Library Loan (1964)

5—Indexing System, Ed by T. N. Rajan (1989)

6—New Trends in Scientific Communication by K. Bhattacharyya (1962)

7—Library Architecture, Ed. by Vidyut K. Khandwala (1982)

(2) सेमीनार व कांफ्रेंस :—यह पुस्तकालय प्रलेखन तथा सूचना विज्ञान से सम्बन्धित क्षेत्रों पर सेमीनार व कांफ्रेंस आयोजित करता है, इसने अभी तक 11 सेमीनार व 14 कांफ्रेंस आयोजित की है। 14वीं कांफ्रेंस दिल्ली में 26 से 29 दिसम्बर, 1983 को हुई इसमें 38 पेपर पढे गये। इसका 11वाँ सेमीनार 1984 में हैदराबाद में आयोजित किया गया। इसके सेमीनार व कांफ्रेंस में अब तक पुस्तकालय प्रलेखन तथा सूचना विज्ञान से सम्बन्धित लगभग 50 विषयों पर विचार विमर्श किया जा चुका है। ये अपने सेमीनार व कांफ्रेंस के पेपर व कार्यवाही का प्रकाशन भी करता है।

(3) वॉगमय व अनुवाद सेवाएँ :—ये वॉगमय व अनुवाद सेवाएँ भी प्रदान करता है। इसके लिए इसका एक अलग से विभाग कार्यरत है। ये विभिन्न भाषाओं

के प्रलेखों का अंग्रेजी में अनुवाद करता है तथा शोध के लिए वांगमय सूची तैयार करता है। प्रलेखों की फोटो कॉपी तथा माइक्रो फिल्म आदि बना कर भी प्रदान करता है। ये व्यक्तिगत सदस्यों व सस्थाओं को बिना लाभ लिये सेवामें प्रदान करता है।

(4) विभिन्न रुचि समूह :—IASLIC की बढ़ती हुई सदस्यता के कारण IASLIC में SIG (Special Interest Group) का निर्माण किया गया है।

- (a) SIG on Industrial Information
- (b) SIG on Social Science Informations
- (c) SIC on Computer application
- (d) SIG on Humanities

(5) शिक्षण :—ये वर्तमान में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम को आयोजित करता है। पहले ये पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता था परन्तु डॉ. रंगनायन की आलोचना के बाद इसे बन्द कर दिया गया है। यह कलकत्ता के अलावा भी लखनऊ, दिल्ली आदि स्थानों पर पाठ्यक्रम आयोजित कर लेता है। ये भारत सरकार, विभिन्न विभागों से इसके लिए अनुदान भी प्राप्त कर लेता है। ये IIM, ISI, British Council, National Library, Jadavpur University तथा Department of Electronics आदि से सहयोग व सहायता भी प्राप्त करता है। इसके द्वारा हाल ही में आयोजित कुछ अल्प अवधि पाठ्यक्रम निम्न हैं—

(1) Work Shop on Information Management Technology, Indian Statistical Institute, Micrographic Congress of India के सहयोग से।

(2) Management Development Programmes for Library & Information System, सितम्बर 84 में Indian Institute of Management कलकत्ता के सहयोग से।

(3) Course in Computer Application to LIS, Department of Electronics के सहयोग से।

(6) स्टडी सर्किल :—IASLIC द्वारा अपने मुख्यालय तथा अन्य स्थानों पर IASLIC Study Circles शुरू किये गये हैं जिनमें नवीन विषयों, पुस्तकालय, प्रलेखन तथा सूचना विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं व विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख स्टडी सर्किल निम्न हैं—

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1—नई दिल्ली | 6—कलकत्ता   |
| 2—जयपुर     | —रुड़की     |
| 3—बम्बई     | 8—लखनऊ      |
| 4—देहरादून  | 9—धनबाद     |
| 5—जमशेदपुर  | 10—हैदराबाद |
|             | 11—चंडीगढ़  |

(7) सहयोग :—IASLIC, IFLA, FID व UNESCO से सहयोग भी करता है। यह ISI की प्रलेखन उपसमिति व National Commission for Cooperation with UNESCO का भी सदस्य है। यह INSDOC, SSDC, SLA, ASLIB व FLA में भी सहयोग व सम्पर्क रखता है। इसने सहयोग के लिए Inter Library Loan Code का भी प्रकाशन किया है।

IASLIC अपने सीमित साधनों से अनेक प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। ये भारत का सबसे सक्रिय सघ है। इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। इसने पिछले 29 वर्षों में अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया है। इसके पास प्रलेखन व सूचना विज्ञान तथा पुस्तकालयों सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये पूर्ण अनुदान का प्रावधान रखें।

### इंग्लैण्ड

#### लाइब्रेरी एसोसियेशन

A L A की स्थापना के एक वर्ष बाद ही इंग्लैण्ड में लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना की गई जिसमें A L A के 12 सदस्य प्रतिनिधियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान था। प्रो. मैक्स मूलर (Prof Max-Muller) ने मार्च, 1876 को संस्था (Academy) में एक लेख लिखकर पुस्तकालय सघ की स्थापना की दिशा में प्रयत्न किया। जनवरी, 1877 में ई. वी. निकॉल्सन ने फिलाडेल्फिया कान्फ़ेंस की तरह एक सम्मेलन सू के में आयोजित करने का सुझाव दिया। 4 मई, 1877 को निकॉल्सन ने Group of London Librarians के प्रतिनिधि के रूप में 2-5 अक्टूबर, 1877 को होने वाले सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजे। 2-5 अक्टूबर, 1877 को सम्मेलन हुआ। इसमें 216 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 140 प्रतिनिधि नौ देशों से आये थे। 5 अक्टूबर, 1877 को Library Association of United Kingdom (LAUK) की स्थापना की घोषणा की गई। इसके अध्यक्ष जे. डब्ल्यू. जोन्स व ई. वी. निकॉल्सन सचिव चुने गये। इसकी स्थापना का सम्पूर्ण श्रेय श्री निकॉल्सन को जाता है। 1896 में इसके नाम में से United Kingdom शब्द को हटा दिया गया तथा 1898 में इसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसके सम्मेलन 1882 से शुरू हुए। यह भी एक बहुत बड़ा पुस्तकालय सघ है।

उद्देश्य—1898 में इसको सरकारी मान्यता मिली उसमें इसके कुछ उद्देश्य बताये गये तथा 1898 में Royal Charter जो महारानी विक्टोरिया ने स्वीकृत किया था तथा इसके द्वारा LA को मान्यता प्रदान की गई थी। उसमें इसके उद्देश्य बताये गये थे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

(1) पुस्तकालय के उत्तर प्रशासन में वृद्धि।

(2) पुस्तकालयों की स्थिति व योग्यता को उत्तम करने के लिए प्रयास करना।

(3) वांगमय प्रश्नों और पुस्तकालयों को प्रभावित करने वाले प्रकरणों अथवा नियमों पर विचार विमर्श के लिए समय-समय पर सम्मेलन ।

(4) लोक पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने के लिए प्रयास करना ।

(5) पुस्तकालय क्षेत्र में प्रकाशन कार्य ।

(6) पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य को करना ।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग ।

(8) ऐसे कार्य, जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, करना ।

अभी हाल में ही LA ने एक पेंपलेट What does the Library Association do ? प्रकाशित किया है । यह सघ के उद्देश्यों को बताता है ।

संगठन—इसका संगठन भी ALA की तरह मुख्यवस्थित तथा इस प्रकार किया गया है कि ये अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से पूर्ण कर सकें ।

सदस्यता—1878 में इसकी सदस्यता, 178 थी वो सदस्यता 1973 में 22 हजार हो गयी थी तथा वर्तमान में लगभग 30 हजार है । इसके सदस्य भी सभी प्रकार के व्यक्ति, सभ्याएँ तथा सघ है । इसके सदस्य इंग्लैण्ड के ही नहीं बल्कि British Common Wealth तथा 34 अन्य देशों के भी इसके सदस्य हैं । कुछ सदस्य USA के भी हैं जो कि इसका वार्षिक चन्दा देते हैं ।

कौंसिल—संघ के सविधान में एक कौंसिल का भी प्रावधान है । यह सघ को संचालित करने का कार्य करती है । इसका चुनाव सदस्यों द्वारा संघ के सविधान के अन्तर्गत किया जाता है 1973 में कुल 60 सदस्य थे जो सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित थे । इसका कार्य इसकी समितियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है । इनका वर्णन नीचे किया जा रहा है ।

समितियाँ—संविधान में समितियों का भी प्रावधान है । ये समितियाँ कौंसिल द्वारा नियुक्त की जाती हैं तथा ये कौंसिल के अधीन कार्य करती हैं । ये कौंसिल के कार्यों व नीतियों से सम्बन्धित कार्यों का संचालन करती है । ये समितियाँ हैं—

(1) कार्य कारिणी समिति

(2) शिक्षा समिति

(3) सावंजनिक पुस्तकालय समिति

(4) विशिष्ट पुस्तकालय समिति

(5) प्रकाशन समिति

(6) शोध व विकास समिति

(7) शैक्षणिक व चिकित्सालय पुस्तकालय समिति ।

समूह—संघ के सभी सदस्य समूहों में विभाजित होते हैं । प्रत्येक सदस्य को अपने शक्ति के क्षेत्र के दो समूहों का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त होता है । संघ के कुल 17 समूह हैं । इनमें से 12 समूह यू. के के सदस्यों से सम्बन्धित हैं । कुछ मुख्य समूह इस प्रकार हैं—

- (1) चिकित्सा पुस्तकालय समूह
- (2) औद्योगिक पुस्तकालय समूह
- (3) शाखा तथा चलित पुस्तकालय समूह
- (4) युवा पुस्तकाध्यक्ष समूह
- (5) पुस्तकालय शिक्षा समूह
- (6) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा शोध पुस्तकालय समूह ।

कार्यकारी कार्यालय—इसका स्वयं का ग्रपना एक कार्यालय है जिसमें लगभग 100 कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका प्रमुख सचिव होता है जो सघ की नीतियों व कार्यक्रमों के त्रियान्वयन को देखता है। यह कौंसिल के निर्देशानुसार कार्य करता है।

वित्त—इसकी आय का मुख्य स्रोत सदस्यता शुल्क तथा प्रकाशनों की विप्री है। इसे प्रोजेक्ट ग्रादि द्वारा भी आय होती है इसे विभिन्न संगठनों तथा सरकार द्वारा भी अनुदान प्राप्त होता है। 1972 में इसकी कुल आय 4,00,000 थी।

शाखाएँ—सघ की कुछ शाखाएँ भी हैं। संघ की मुख्य रूप से 13 क्षेत्रीय शाखाएँ हैं। कुछ मुख्य शाखाएँ निम्न हैं—

- (1) यार्कशायर
- (2) वेल्स
- (3) उत्तर आयरलैण्ड
- (4) उत्तर मिडलैण्ड
- (5) वर्कशायर
- (6) स्काटिश

गतिविधियाँ—इसकी मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ निम्न हैं—

1. शोध—सघ पुस्तकालय विज्ञान में शोध कार्य को भी बढ़ावा देता है। यह पुस्तकालय विज्ञान व वांगमय क्षेत्र में शोध के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। 1959 में इसने डब्ल्यू. प्लम्ब (W. Plumb) को पुस्तकाध्यक्ष व शोध अधिकारी नियुक्त किया। शोध कार्य के लिए 1960 से अलग राशि का भी प्रावधान किया गया। 1964 में शोध कार्य के लिए अलग से कार्यालय की स्थापना की गई। यह नवीनतम शोध कार्यों को Research in Progress शीर्षक से LA year Book में भी प्रकाशित करता है। वास्तव में LA पुस्तकालय विज्ञान में शोध कार्य में बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

2. पुस्तकालय सप्ताह—सघ ने पुस्तकालयों तथा पुस्तकाध्यक्षों के महत्त्व में वृद्धि तथा अधिक से अधिक पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से 1966 से पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन शुरू किया। इसके द्वारा संघ पुस्तकालयों के महत्त्व व आवश्यकता को भी बताता है।

3. पुस्तकालय—सघ एक पुस्तकालय का संचालन भी करता है। इस पुस्तकालय की स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें 1970 में 30,000 पुस्तकें थीं।

वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 70 हजार है। इनमें पत्रिकाओं का एक बड़ा संकलन भी है। इस पुस्तकालय में रिपोर्टें, फोटोग्राफ, पुस्तकालय प्लान, फिल्मस् तथा सम्मेलन कार्यवाहियों का एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है। 1958 में इसका मुद्रित कैटलोग भी प्रकाशित किया गया।

4 प्रकाशन—सब तथा इसकी समितियाँ विभाग तथा समूह अनेक पत्र पत्रिकाएँ तथा ग्रन्थ सम्मेलन कार्यवाही रिपोर्टें आदि प्रकाशित करते हैं। इसके द्वारा AACR, 1967 का प्रकाशन व निर्माण भी ALA व कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रकाशन निम्नलिखित हैं—

- I Library Association Record (M)
- II Journal of Librarianship (Q)
- III. Proceedings of the Annual Conference (A)
- IV. Library & Information Science Abstracts
- V. British Technology Index (M)
- VI. British Humanities Index (Q)
- VII L. A. Year Book
- VIII. AACR, 1967 (British Text)
- IX. Kalley's Early Public Libraries
- X Mary Taase, Guide to Current British Periodicals
- XI. MC Coluin's Festechrift, Libraries for the People
- XII. Walfords Guide to Reference Material.

इसके प्रतिरिक्त अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएँ, पेंम्पलेट, सम्मेलन कार्यवाही आदि संप्रकाशित करता है।

5 मेडल व एवार्ड—सब पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित क्षेत्र विशेष में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार भी प्रदान करता है। प्रथम पुरस्कार की शुरुआत 1936 में LA द्वारा कार्नेगी मेडल (Carnegie Medal) प्रदान करके की गई। कुछ मुख्य पुरस्कार जो सब द्वारा प्रदान किये जाते हैं वे निम्नलिखित हैं—

- I. Kate Greenaway Medal (1956)
- II. Carnegie Medal
- III. Wheelay Medal
- IV. Michal Maclagam Medal
- V. Robinson Medal
- VI. Mc Calvin Medal
- VII Besterman Medal

6. प्रशिक्षण—सघ पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष अलग-अलग स्तर पर परीक्षायें व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं व उसके बाद प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। 1885 में सर्वे रथम संघ ने पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। 1904 में सघ ने एक पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत की। 1933 में सघ ने तीन पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। इसके द्वारा निम्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है—

- (1) प्रवेशिका
- (2) एसोशियेट
- (3) फेलोशिप

7. पुस्तकाध्यक्षों का रजिस्ट्रेशन—संघ प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों को रजिस्टर्ड करने का काम भी करता है। सघ रजिस्टर्ड पुस्तकाध्यक्षों के हितों का भी ध्यान रखता है। यह प्रशिक्षित व रजिस्टर्ड पुस्तकाध्यक्षों की सूची भी तैयार करता है। 1973 में 14 000 प्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्ष इसके यहाँ रजिस्टर्ड थे।

8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—लाइब्रेरी एसोसियेशन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करती है। इसके प्रतिनिधि कई अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों IFLA, FID व UNESCO में इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अन्य देशों के पुस्तकालय संघों व सस्थाओं से भी सहयोग व सम्पर्क रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक गतिविधियों में खुलकर भाग लेता है। 1967 में AACR तथा MARC इसके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उत्तम उदाहरण हैं। AACR, 1967 को इसका अमेरिकन पुस्तकालय सघ तथा कनाडा पुस्तकालय सघ से सहयोग का प्रतिफल है।

अन्य संघ—इंग्लैण्ड में लाइब्रेरी एसोसियेशन के अतिरिक्त कुछ अन्य सघ क्रियाशील हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर दोनों प्रकार के सघ हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के संघ निम्न हैं—

- I. ASLIB (1926)
- II. Association of Assistant Librarian (AAL).
- III. Association of British Library School.
- IV. Association of Public Libraries.

#### ASLIB

इसकी स्थापना 1924 में की गई परन्तु इसका पंजीकरण सरकारी पंजी में 1926 में हुआ तथा 1926 में ही इसे मान्यता मिली। इसका पूरा नाम Associate of Special Libraries and Information Bureaux रखा गया। 1939 में British Society for International Bibliography को इसमें मिला दिया गया। 1948 में इसमें Micro-Film Unit की भी स्थापना हुई। इसको ब्रिटिश सरकार से समय-समय पर सहायता मिलती रहती है। ब्रिटिश सरकार के वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मिलने वाली सहायता ने इसके विकास में



उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके सदस्यों की संख्या 25,000 से भी ऊपर पहुँच गयी है, इसके सदस्य अनेक प्रकार की समस्याएँ तथा उन संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं। जिनमें—

- (1) वाणिज्यिक व औद्योगिक संस्थाएँ,
- (2) विद्वत् संस्थाएँ,
- (3) तकनीकी संस्थाएँ,
- (4) विश्वविद्यालय व महाविद्यालय

के सदस्य मुख्य हैं। यह अपने कार्यक्रमों व नीतियों का क्रियान्वयन एक निर्वाचित परिषद् द्वारा सम्पन्न करवाती है। परिषद् द्वारा निदेशक के अधीन कार्यक्रमों व नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसकी ब्रांच कई स्थानों पर है जिनमें Scotland, North of England तथा Midland प्रमुख हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) समस्त सार्वजनिक कार्यों, उद्योगों, वाणिज्य तथा सभी कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में ज्ञान एवं सूचना स्रोतों के व्यक्तिगत उपयोग तथा समन्वय को प्रोत्साहन।

(2) सूचना संरचना को प्रभावित करने वाले तत्त्वों पर अनुसंधान सम्बन्धित कार्य।

(3) सूचना नियंत्रण (Bibliographical Centre) की नवीनतम पद्धतियों का विकास व अनुसंधान कार्य।

(4) सूचना एवं ग्रन्थालय सेवाओं के संचालन से सम्बन्धित विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करना।

(5) पुस्तकालय कर्मचारियों, सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण कर्ता व अन्य विशेषज्ञों के स्तर में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य।

(6) पुस्तकालय व सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशन व अनुसंधान कार्य।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग व समन्वय सम्बन्धी कार्य।

ASLIB का एक अग्रणी पुस्तकालय है जिसमें 50,000 से भी अधिक ग्रन्थ तथा लगभग 400 पत्रिकाएँ आती हैं, यह प्रलेख पुनः प्राप्ति सेवा की कुछ विधियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। इमने 1948 में Micro-Film Unit की स्थापना की। यह Translation Unit भी तैयार करती है जिसमें वैज्ञानिक व तकनीकीय विषय पर अज्ञेयों में अनुदित (Translate) ग्रन्थों की सूचना दी हुई रहती है। ASLIB ने British Union Catalogue of Periodicals के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह पुस्तकालय व सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रयोग से भी प्रकाशन कार्य सम्पन्न करती है। कुछ मुख्य हैं :—

1. Aslib Proceedings

2. Journal of Documentation (Q)

3. Aslib Book List (M)

4. Index to Theses (A)

5. Aslib Directory

6. Hand book of Special Librarianship and Information

Work.

7. Index of Translations.

इसकी कार्नेगी ट्रस्ट (Carnegie Trust) द्वारा भी समय-समय पर सहायता मिलती रही है। यह पुस्तकाध्ययों, प्रलेखनों व सूचना अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित कार्य करती है।

आई. एक. एल. ए.

इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन (International Federation of Library Associations)—20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पुस्तकालय सभों की विश्व स्तरीय संगठन या संस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी जिसके लिए समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया।

1904 की सेन्ट लुईस तथा 1910 की ब्रुसेल्स में हुई इन्टरनेशनल लाइब्रेरी कांग्रेस (International Library Congress) में पुस्तकालय सभों का अन्तर्राष्ट्रीय सभ बनाने का प्रयत्न किया गया। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सभ का विचार यहाँ से ही पनपा था। 1926 में प्राग में हुई 'अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकाध्यय व पुस्तक सम्मेलन' (International Conference of Librarian & Book) में गेवरियल हेनराइट (Gabriel Henriet) ने इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा जिसको बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार 1926 में इसकी स्थापना हुई इसका फ्रेंच में नाम FIALB अर्थात् Federation International deo Bibliography रखा गया। इसके सविधान पर विचार करने के लिए 1928 में प्रथम बैठक रोम में हुई तथा द्वितीय बैठक फ्लोरेंस व वेनिस में हुई, जहाँ इसका सविधान स्वीकार कर लिया गया। 1930 के स्टोकहोम सम्मेलन, 1952 के कोपनहेगन सम्मेलन तथा 1969 के वारसा सम्मेलन में इसके सविधान में कुछ परिवर्तन किये गये परन्तु इसका मूल स्वरूप 1928 वाला ही रहा। 1964 के रोम सम्मेलन में इसके सविधान को पूर्ण रूप से बदल दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।

उद्देश्य - यह एक स्वतन्त्र व अशासकीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय तथा उससे सम्बन्धित गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास करना तथा पुस्तकालय सेवा तथा ग्रन्थसूची के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। 1963 में IFLA की कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए प्रारूप पेश किया गया। यह सारे दायित्वों जो पुस्तकालय विकास के प्रत्येक क्षेत्र को

प्रभावित करते हैं और भर्ती से भवन निर्माण व विधि सग्रह के मशीनीकरण से कापीराइट तक सम्मिलित हैं पूर्ण करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना।
- (2) पुस्तकालय सेवाओं से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में शोध प्रवृत्ति को बढ़ावा।
- (3) कर्मचारियों की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
- (4) पारस्परिक विचार विनिमय व सहयोग के अदसर प्रदान करना।
- (5) पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशन।
- (6) पुस्तकालय सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय।

संगठन—इसके सदस्य दो प्रकार के होते हैं। पूर्ण सदस्य तथा संघों व सस्थाओं के सदस्य। 1982 में इसके 110 देशों के 160 मध्य सदस्य थे तथा 4 अन्तर्राष्ट्रीय संघों के प्रतिनिधि तथा कुछ सस्थाओं तथा पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी इसके सदस्य थे। वास्तव में संघ सम्पूर्ण विश्व के पुस्तकालयों का सच्चा प्रतिनिधि है। इसके कार्यक्रमों व नीतियों के क्रियान्वयन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका संगठन निम्न प्रकार किया गया है—

(1) सामान्य सभा (General Council)—इसमें सभी सदस्य संघों के प्रतिनिधि तथा सस्थाओं के प्रतिनिधि व व्यक्तिगत सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसका अधिवेशन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका कार्य अध्यक्ष आदि का चयन तथा कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करना होता है। ये महासंघ की मोटी-मोटी नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण भी करती है।

(2) कार्यकारिणी समिति—इसका निर्वाचन सामान्य सभा द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, एक जनरल सैक्रेटरी, एक ऐडीटर IFLA कम्प्यूनीकेशन तथा एक जनसम्पर्क अधिकारी होता है। इसका चयन परामशंदात्री समिति के सुझाव पर होता है। 1982 में ई. ग्राहम हेनन (E. Gram Helen) नाम के इसके अध्यक्ष थे तथा सैक्रेटरी जनरल मिस. एम. विन्सटरडम, (Miss M. Winsterdum) नीदरलैंड की थी।

(3) परामशंदात्री समिति—इसका मुख्य कार्य परामशं देना होता है। इसका निर्माण कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों, अध्ययन मण्डलों, समितियों के अध्यक्ष व पूर्ण सदस्यों द्वारा होता है।

(4) सचिवालय—इसका स्वयं का अपना एक सचिवालय है जो हेग (नीदरलैंड) में स्थित है। इसका संचालन का दायित्व सैक्रेटरी जनरल व सैक्रेटरी पर होता है। 1982 में इसकी सैक्रेटरी जनरल व नीदरलैंड की मिस. एम. विन्सटरडम थी। इसमें कई पूर्णकालिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्य संघ के कार्यक्रमों व नीतियों का क्रियान्वयन करना है।

(5) विभाग—इसके कई विभाग हैं जो संघ की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसके कुछ प्रमुख विभाग अग्र हैं—

- (1) राष्ट्रीय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय
- (2) सार्वजनिक पुस्तकालय
- (3) कला व रंगमंच पुस्तकालय
- (4) संसदीय व प्रशासनिक पुस्तकालय
- (5) समाज विज्ञान पुस्तकालय
- (6) स्कूल पुस्तकालय
- (7) बच्चों का पुस्तकालय
- (8) अस्पताल पुस्तकालय
- (9) भूगोल तथा मानचित्र पुस्तकालय
- (10) वैधशाला व ज्योतिष पुस्तकालय ।

(6) समितियाँ (Committee)—इसकी कुछ समितियाँ हैं। उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- (1) संसदीय व प्रशासनिक समिति
- (2) एकरूप सूचीकरण सिद्धान्त समिति
- (3) यूनिनियन केटलोग समिति
- (4) पत्रिका प्रकाशन समिति
- (5) प्रकाशन आदान-प्रदान समिति
- (6) पुस्तकालय भवन समिति
- (7) मशीनीकरण शिक्षा समिति
- (8) व्यावसायिक शिक्षा समिति
- (9) साख्यकी तथा मानक निर्धारण समिति
- (10) चिकित्सा पुस्तकालय समिति
- (11) प्रकाशनों के विनिमय (Exchange of Publication's) के लिए समिति
- (12) दुर्लभ ग्रन्थ समिति ।

इन समितियों की रिपोर्टें वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती हैं। कुछ UNESCO द्वारा प्रकाशित होती हैं। कुछ Acte du Council de la Federation International des Association de Bibliothecares (Actes) नामक पत्रिका में प्रकाशित होती हैं।

(7) वित्त—इसकी मुख्य आय सदस्यों से होती है। इसको विभिन्न संस्थाओं, सरकारों आदि से अनुदान भी प्राप्त होता है। कुछ आय प्रकाशनों की विक्री से भी होती है। 1970 में इसकी कुल आय 1,36,200 थी। IFLA अपनी आय को विभिन्न कार्यों में व्यवस्थित ढंग से व्यय करता है। यह अपनी आय को विभिन्न कार्यों में मितव्ययता से व्यय करता है। यह अपनी आय का 40 प्रतिशत सचिवालय पर

30 प्रतिशत प्रकाशनों पर, 25 प्रतिशत विभागों व समितियों पर तथा 10 प्रतिशत प्रशासनिक मण्डलों पर व्यय करता है।

IFLA के सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किये जाते हैं। ये सम्मेलन अगस्त या सितम्बर माह में आयोजित होते हैं।

गतिविधियाँ—इसकी प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) प्रकाशन—यह पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालयों से सम्बन्धित क्षेत्र में प्रकाशन कार्य भी करता है। इसके प्रमुख प्रकाशन निम्न हैं—

- (i) IFLA Annual
- (ii) IFLA Journal (q)
- (iii) IFLA Directory
- (iv) International Cataloguing (q)
- (v) LIBRI
- (vi) Reading in a Changing World (1972)
- (vii) National and International Library Planning (1974)
- (viii) Standard for Public Library
- (ix) ISBD (M)
- (x) ISBD (S)
- (xi) World Directory of Administrative Libraries
- (xii) World Directory of Map Collections.

(2) मानकीकरण—यह पुस्तकालयों से सम्बन्धित क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के निर्धारण की दिशा में भी प्रयास कर रहा है। इसी उद्देश्य से इसने IMCE (International Meeting on Cataloguing & Experts) 1947 में वेपनहेगन तथा 1951 में ICCP (International Conference on Cataloguing Principles) पेरिस में आयोजित की। ICCP, 1961 के फलस्वरूप भी AACR-1967 का निर्माण सूचीकरण के मानकीकरण का प्रयास था। इसके कुछ स्टैंडर्ड निम्नलिखित हैं—

- (i) ISBD (M)
- (ii) ISBD (S)
- (iii) Standard for Public Library.

(3) सहयोग—अन्य संस्थाओं, संघों व सरकारों से सहयोग करके अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके लिए उसकी अन्तर्पुस्तकालय आदान-प्रदान समिति तथा पाठ्य सामग्री के विनिमय की समिति भी क्रियाशील है। इसके द्वारा विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन सहयोगिक आधार पर किया है। उसमें IMCP, 1947 तथा ICCP, 1961 प्रमुख हैं। इसने कई संस्थाओं से वित्तीय सहायता व

समझौता भी किया है। उनमें UNESCO, शकफेलन फाउण्डेशन, पुस्तकालय रिसोर्स समिति प्रमुख हैं।

(4) यह पुस्तकालयों के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार भी देता है। उसमें Seven Sma Prize प्रमुख है। इसे 1939 में T. P Seven Sma के सम्मान में शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत 1000 स्विस मुद्रा का पुरस्कार दिया जाता है।

(5) यह ISBD के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इसने ISBD (M) तथा ISBD (S) तैयार कर लिये हैं। यह अन्य क्षेत्रों अर्थात् Music, Old Books, Non-Book Materials आदि के क्षेत्र में भी ISBD Standards तैयार करने के लिए प्रयत्नशील है।

IFLA कुछ अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय गतिविधियाँ संचालित कर रहा है। वे हैं—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय आदान-प्रदान
- (2) पुस्तकालय सिद्धान्तों में सामंजस्य
- (3) UBC सम्बन्धी कार्य
- (4) पुस्तकालय में मशीनीकरण
- (5) ग्रन्थसूची सम्बन्धी
- (6) मध्य अवधि कार्यक्रम (MTP)।

यू० एन० ई० एस० सी० ओ०

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध की तबाही का दौर समाप्त हुआ और विश्व एक नव निर्माण, नव संरचना तथा विकास की ओर अग्रसर होने लगा तथा शान्ति व नव निर्माण के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही शैक्षणिक व वैज्ञानिक उन्नति के लिए एक सहयोगिक विश्व स्तरीय सस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। 1945 में लन्दन में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा इस दिशा में प्रथम प्रयास किया गया, परन्तु सफलता 4 नवम्बर, 1946 को 20 सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसके सविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार करने पर मिली तथा इस प्रकार नवम्बर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 57 के अन्तर्गत 'संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक गतिविधियों में समन्वय, एकरूपता तथा विकास करना था। UNESCO के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास।
2. सदस्य राष्ट्रों की शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक गतिविधियों व कार्यक्रमों द्वारा प्रगति करने में सहायता।

of Learned Periodicals in South Asia के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी है। पाकिस्तान व इण्डोनेशिया को भी Union Catalogue of Periodicals in Social Sciences के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(4) विज्ञानोपग्राही—UNESCO ने 1950 में विज्ञानोपग्राही क्षेत्र में पेरिस में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तथा इसके सुझावों के अनुसार विश्व की सभी प्रकाशित विज्ञानोपग्राही का सर्वे करवाकर इनके प्रकाशन के लिए अनेक गोजनायें शुरू की गईं। इसके द्वारा तथा इसके आर्थिक सहयोग से प्रकाशित कुछ प्रमुख विज्ञानोपग्राही निम्न हैं—

- (i) Bibliographical Services throughout the World.
- (ii) International Bibliography of Sociology.
- (iii) International Bibliography of Political Science
- (iv) International Bibliography of Economics.
- (v) International Bibliography of Social and Cultural Anthropology.

(5) प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना—UNESCO अपने सदस्य राष्ट्रों को प्रलेखन केन्द्रों से सम्बन्धित परामर्श देता है तथा प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी व उपकरणों की सहायता भी प्रदान करता है। इसकी सहायता द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख केन्द्र निम्न हैं—

1. बेलग्रेड
2. करांची
3. काहिरा
4. मनीला
5. नई दिल्ली
6. मोनटेनीडेस
7. मेक्सिको।

(6) प्रकाशनों का विनिमय—UNESCO की आम सभा में दो अनुबन्ध स्वीकार किये गये—

- (1) प्रकाशनों के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय।
- (2) सरकारी प्रकाशनों तथा सरकारी दस्तावेजों के विनिमय।

ये अनुबन्ध 1957 के प्रकाशनों के विनिमय से सम्बन्धित टोकियो सम्मेलन के सुझावानुसार स्वीकार किये गये। UNESCO अपने UNESCO Bulletin for Libraries में ऐसे प्रकाशनों की सूची प्रकाशित करता है जो विनिमय के लिए होते हैं। UNESCO Hand Book of International Exchange of Publication में भी ऐसी सूचनायें प्रकाशित करता है।

(7) कापीराइट—UNESCO ने कापीराइट नियमों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य लाने का प्रयत्न भी किया है। कापीराइट अनुवन्ध तैयार करने के लिए इसने सदस्य राष्ट्रों का एक सम्मेलन 1952 में जेनेवा में आयोजित किया। इसमें स्वीकृत प्रस्तावों को 1955 में कापीराइट अनुवन्ध के रूप में घोषित किया गया। इसी क्रम में 1966 में UNESCO ने दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। UNESCO ने समय-समय पर कापीराइट नियमों में संशोधन भी किये हैं तथा इसने विश्व के समस्त राष्ट्रों के कापीराइट नियमों का सफलतापूर्वक उसे प्रकाशित भी करवाया है।

(8) यूनेस्को ग्रन्थ रूपन पद्धति—UNESCO ने विकासशील देशों के सामने आने वाली पाठ्य-सामग्री की खरीद में विदेशी मुद्रा तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी किया है। इसी उद्देश्य से उसने 1948 में एक ग्रन्थ रूपन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों से पुस्तकें, फिल्मस् तथा अन्य पाठ्य-सामग्री खरीदने में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयाँ सामने नहीं आती हैं।

(9) सेमीनार व सम्मेलन—UNESCO प्रतिवर्ष विभिन्न विषय-क्षेत्रों पर 80 कॉन्फ़ेंस तथा 30 सेमीनार्स लगभग 400 सरकारी व गैर-सरकारी सगठनों के सहयोग से आयोजित करता है। इसने पुस्तकालय तथा प्रलेखन क्षेत्रों में भी कई सम्मेलन तथा सेमीनार्स का आयोजन किया है। इसने 12 सितम्बर, 1981 को IFLA के सहयोग से एक यात्रा सेमीनार (Study Tour) का आयोजन किया। इसने अनेक पुस्तकालयों की यात्रा की और पाया कि —

- 1 पुस्तकालयों में सीमित मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं।
- 2 अच्छे साधनों की कमी है।
3. प्रकाशनों की पुनरावृत्ति अधिकांशतया है।

इसी प्रकार के पुस्तकालयों से सम्बन्धित विषयों पर अनेक सेमीनार्स व कॉन्फ़ेंस आयोजित की गई हैं। इसने पुस्तकालयों के विकास के लिए 1948 में मेनचेस्टर में तथा बाद में स्वीडन, ब्राजील, नाइजीरिया, भारत व लेबनान में भी सेमीनार आयोजित किये। एशियायी देशों के लिए इसने 1955 में दिल्ली में भी सेमीनार आयोजित किया।

ये सेमीनार 6 से 26 अक्टूबर, 1955 को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने ममद भवन में किया। इसमें UNESCO के विशेषज्ञ श्री एफ. एम. गार्डनर थे तथा सार्वजनिक पुस्तकालय डिबिजन, UNESCO के अध्यक्ष मि. ई. एच. पिटर्सन भी थे।



उपरोक्त के अतिरिक्त UNESCO अनेक कई गतिविधियों को संचालित करता है ।

1. प्रशिक्षण
2. प्राचीन ग्रन्थों व दुर्लभ ग्रन्थों की माइक्रो फिल्म
3. अनुवाद
4. प्रलेखन गतिविधियों का संचालन
5. डाक व कस्टम सम्बन्धी रिप्रायत पाठ्य-सामग्री के क्रय व विनिमय
6. प्रदर्शनियाँ
7. शीघ्र पुस्तकालय व प्रलेखन के क्षेत्र में
8. कम्प्यूटरीकरण व मशीनीकरण पर चल

#### एफ. आई. डी.

इंटरनेशनल फ़ेडरेशन ऑफ़ डॉक्युमेंटेशन FID के जन्म व विकास की एक लम्बी कहानी है । 1895 में दो बेलजियन वकीलों हेनरी ला फानटेन तथा पाल आरनेट ने ग्रन्थ सूची की आवश्यकता अनुभव की । इसी वर्ष पाल आरनेट व हेनरी ला फानटेन तथा बेलजियन सरकार के प्रयत्नों से ब्रुसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची सम्मेलन आयोजित किया गया । इसी के सुझावों के फलस्वरूप 1895 में IIB की स्थापना हुई । 1931 में IIB का नाम IID कर दिया गया । 1937 में IID का नाम FID कर दिया गया तथा मुख्यालय हेग कर दिया गया । 1959, 1961, 1971 तथा 1975 में अपनी नीतियों व कार्यक्रमों में नवीनता लाने के लिए उद्देश्यों में परिवर्तन किये गये । वर्तमान में यह मुख्यालय 1982 से उक्त रॉयल लाइब्रेरी में चला गया है । इसका फ्रेंच नाम Federation International de Documentation है ।

#### उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य प्रलेखन व वर्गीकरण की समस्याओं का निदान तथा प्रलेखन व वर्गीकरण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन तथा उनमें समन्वय लाना है । यह प्रलेखन व वर्गीकरण के विकास की दिशा में काम करती है । प्रारम्भ में इसके निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये—

- (1) UDC का विस्तार करना ।
- (2) विश्व माहित्य का यूनियन केटलॉग तैयार करना ।
- (3) ग्रन्थ-परक सूचना के वितरण केन्द्र का कार्य करना ।
- (4) ग्रन्थपरक सगठन सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रकाशन करना ।
- (5) विध्वयोप्राप्तिक आर्गेंताइजेशन विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रोत्साहित करना ।

प्रलेखन व वर्गीकरण के महत्त्व व क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण इसने अपने उद्देश्यों में कई बार परिवर्तन किया। इसने यह परिवर्तन 1959, 1961, 1971, 1975 में किये। उपरोक्त परिवर्तन में कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न थे—

- (1) प्रलेखन से सम्बन्धित संगठनों व व्यक्तियों की गतिविधियों में समन्वय करना।
- (2) प्रलेखन कर्त्ताओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना।
- (3) वैज्ञानिक सूचना की आधारभूत समस्याओं का पता लगाना।
- (4) विकासशील राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन सेवाओं को प्रारम्भ करने में सहायता प्रदान करना।
- (5) वर्गीकरण शब्दावली के मानकीकरण को विकसित करना।

**वित्तीय सहायता**—इसके व्यवस्थित संगठन तथा सुदृढ़ बनाने के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति तथा विकास के लिए नीदरलैंड के ड्यूईस ने 1920 में इसको भारी आर्थिक सहायता दी थी। 1924-61 तक उन्होंने इसके सचिव पद पर रहते हुए अमूल्य योगदान दिया। 1931 में 'रॉयल डर्च ऑयल कम्पनी' (Royal Dutch Oil Company) ने भी इसको वित्तीय सहायता दी। इसको समय-समय पर अनेक सरकारी व निजी निकायों से सहायता मिलती रही है जिनमें फोर्ड फाउण्डेशन भी प्रमुख है।

**संगठन**—इसका संगठन निम्न प्रकार है—

1. सदस्यता—इसके 68 देशों तथा 3 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा 68 देशों से मान्यता प्राप्त 270 संस्थाओं के सदस्य हैं। इसके दो प्रकार के सदस्य हैं।

(i) पूर्ण कालिक सदस्य—इसमें राष्ट्रों के प्रलेखन केन्द्रों के प्रतिनिधि व प्रलेखन विरोपजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

(ii) अचयनित या मानद सदस्य—जो एफ आई डी के उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं।

2. साधारण सभा यह सभी सदस्यों द्वारा निर्मित होती है। इसका मुख्य कार्य नीतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण व अध्यक्ष आदि का चुनाव करना है।

3. ड्यूरो परिषद्—इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 12 पार्षद, वेलजियन सदस्य तथा क्षेत्रीय आयोगों के अध्यक्ष आदि सम्मिलित होते हैं। 1983 में इसके अध्यक्ष R. A. Gutz थे।

4. सचिवालय—FID की गतिविधियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन इन्हीं समितियों के द्वारा किया जाता है। इसकी मुख्य समितियाँ अग्र हैं—

- (1) मूचना के सैद्धान्तिक पक्ष में अनुसंधान पर अध्ययन समिति जिसकी स्थापना 1965 में की गई। यह USSR में स्थित है।
- (2) यांत्रिक तकनीको एवं पद्धतियों के सिद्धान्त पर अध्ययन समिति (1966)।
- (3) उद्योगों के लिए तकनीकी सूचना सम्बन्धी अध्ययन समिति जिसकी स्थापना 1959 में डेनमार्क में की गई।
- (4) प्रलेखन कर्माग्री की प्रशिक्षण अध्ययन समिति (FID/TD) जिसकी स्थापना 1953 में की गई तथा 1959 में इसका पूर्वगमन किया गया।
- (5) विकासशील राष्ट्रों की प्रलेखन आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन समिति (FID/DC) जिसकी स्थापना 1964 में की गई।
- (6) वर्गीकरण अनुसंधान अध्ययन समिति (FID/CR) जिसकी स्थापना 1962 में हुई।
- (7) केन्द्रीय वर्गीकरण समिति (FID/CCC) जिसकी स्थापना 1924 में हुई।
- (8) भाषायी समस्याओं सम्बन्धी समिति (FID/LD) की भी स्थापना की गई।
- (9) FID/OM की स्थापना 1966 में हुई।
- (10) FID/ET की भी स्थापना की गई।

5. समूह—इसके कुछ कार्यशील समूह भी हैं जो निम्न हैं—

- (1) व्यावसायिक पुरालेखों पर कार्यशील समूह,
- (2) आघार सामग्री प्रलेखन पर कार्यशील समूह।

6. क्षेत्रीय आयोग—इसने अपने कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति के लिए क्षेत्रीय आयोगों की भी स्थापना की है ये निम्न हैं—

- (1) नेटिन अमेरिका क्षेत्रीय आयोग (1960)
- (2) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आयोग (1968)

गतिविधियाँ—इसकी लगभग समस्त गतिविधियाँ इसकी समितियों द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। इसके द्वारा संचालित की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ निम्न हैं—

1. शोध—वर्गीकरण व प्रलेखन के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देती है। वास्तव में इसका मुख्य कार्य संचालित वर्गीकरण तथा प्रलेखन सम्बन्धी क्षेत्रों में शोध करना है। इस क्षेत्र में इसकी FID/CR तथा FID/RI समितियाँ कार्यरत

है। यह UDC के निरन्तर विकास व संशोधन का कार्य भी करती है तथा यह वर्गीकरण में कम्प्यूटर आदि के प्रयोग में भी शोध कर रही है।

2 प्रशिक्षण—FID प्रलेखन कर्ताओं के प्रशिक्षण की दिशा में भी कार्य करता है। यह स्वचालित सूचना सग्रह तथा पुन. प्राप्ति तथा प्रलेखन पर प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह सस्था प्रशिक्षण हेतु सहायता व विशेषज्ञ की उपलब्धि करवाती है। यह विश्व में उपलब्ध प्रलेखन तथा सूचना व पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण सुविधाओं की निर्देशिका भी प्रकाशित करती है। 1967 में इसने लन्दन में वैज्ञानिक सूचना कार्य हेतु शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था।

3. यांत्रिकरण—FID प्रलेखन तथा वर्गीकरण गतिविधियों में मशीनीकरण व स्वचालन में भी रुचि ले रही है तथा प्रलेखन व वर्गीकरण विधियों व पद्धतियों के स्वचालन में इसकी FID/TM, FID/I, FID/OM, FID/TMO समितियाँ क्रियाशील हैं। यह स्वचालित सूचना सग्रह तथा पुन प्राप्ति के लिए UDC की उपयोगिता का अध्ययन भी कर रही है तथा वर्तमान में प्रचलित यांत्रिक व स्वचालित प्रलेखन पद्धतियों व गतिविधियों का भी अध्ययन कर रही है।

4 प्रकाशन—FID प्रलेखन तथा वर्गीकरण व सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशन कार्य भी करती है। इसकी समितियाँ भी समय पर अपनी रिपोर्ट पैनस्लेट सम्मेलन कार्यवाहियों आदि का प्रकाशन करती है। FID व उसकी अधीनस्थ निकायों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कुछ प्रमुख सामग्री निम्नलिखित है—

- I FID News Bulletin (M).
- II FID/CR Report Series.
- III FID Year Book.
- IV R and D Project in Documentation and Librarianship.
- V FID Directory.
- VI FID Publication list.
- VII Extension and correction to the U.D.C. (A)
- VIII U.D.C. Edition in Several language.
- IX FID guide to world's Training Facilities in Documentation and Information work.
- X FID Publication : an eighty year bibliography, 1895-1975.
- XI Proceedings of Congress and Seminars.
- XII Reports of various Committees.

5. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग—FID कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सगठनों से सहयोग करता है। यह UNESCO, ICSU, IFLA, ISO, IFID, CIB व राष्ट्रीय पुस्तकालय सघो व प्रलेखन संस्थाओं से सहयोग करता है। इसने UNESCO से सहयोग करके प्रलेखन व ग्रन्थालय के यंत्रीकरण पर सहयोग किया है। अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सम्मेलन भी इसके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रमुख उदाहरण है।

6. मानकीकरण—FID प्रलेखन तथा वर्गीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण की दिशा में भी प्रयत्नशील है। इस हेतु इसने SRC (Standard Reference Code) योजना तथा वर्गीकरण शब्दावली के मानकीकरण की दिशा में भी सफल प्रयास किया है। यह UNISIST/CSO कार्यक्रम को पूरा करने के लिए SRC परियोजना को पूरा कर रही है।

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त यह अनेक और गतिविधियों का संचालन करती है। यह वर्गीकरण तथा प्रलेखन सम्बन्धी क्षेत्रों में समय-समय पर सम्मेलन तथा सेमिनार भी आयोजित करती है। यह BSO (System of Ordering) सम्बन्धी कार्य भी कर रही है।

## अमेरिका

### अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन

अमेरिकन पुस्तकालय सघ बहुत ही बड़ा सगठन है तथा यह राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने वाला विश्व का प्रथम सगठन था। 1853 में नोर्टन तथा ग्रांट (Norton and Grant) ने एक मिटिंग रूम्यार्क में बुलायी तथा पुस्तकालय सघो के आवश्यकता व महत्त्व को बताते हुए सघ की स्थापना की दिशा में प्रयास किया। 1876 में मेलविल डीवी ने एक समिति बनाकर उसे एक सम्मेलन बुलाने का कार्य सौंपा। इस समिति के प्रयत्नों से एक तीन दिवसीय सम्मेलन Pennsylvania Historical Society, Philadelphia में 4 से 6 अक्टूबर तक बुलाया गया। इस सम्मेलन में 6 अक्टूबर, 1876 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस सम्मेलन में 103 लोगों ने भाग लिया जिसमें 13 महिलायें भी थीं। इसमें मेलविल डीवी सचिव चुने गये। वास्तव में अमेरिकन पुस्तकालय सघ की स्थापना मेलविल डीवी के प्रयासों का ही फल थी। मेलविल डीवी ने इसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लोगों के लिए श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री (The best reading for the greatest number at the least cost) रखा। 6 अक्टूबर, 1876 को अन्तिम दिन इसका नाम ALA अर्थात् 'पुस्तकालय से कुछ भी पूछिये'। Ask Library anything बताया गया।

इसके उद्देश्यों का वर्णन सघ के संविधान के अध्याय 2 में किया गया है परन्तु मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं, पुस्तकालय विज्ञान तथा पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के चारों ओर घूमता है। स्थापना के समय बताये गये उद्देश्य 'न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लोगों को श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री' भी इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है।

संगठन—सघ का संगठन एक सुव्यवस्थित तरीके से संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। इसको हम निम्न प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं—

1. सदस्यता—सघ के संविधान के अध्याय 2 की धारा 4 में सदस्यता सम्बन्धी विवरण दिया गया है। धारा 4 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जो पुस्तकालय या अन्य संगठन से सम्बन्धित हो तथा पुस्तकालय गतिविधियों में रुचि रखता हो जो सदस्यता शुल्क देने पर सघ का सदस्य बनाया जा सकेगा।" इसके सदस्य तीन प्रकार के होते हैं।

1. व्यक्तिगत सदस्य—इस प्रकार के सदस्यों में पुस्तकाध्यक्ष, ट्रस्टी तथा संघ के कार्यों में रुचि रखने वाले सदस्य आते हैं।

2. संघों व संस्थाओं के सदस्य—इस प्रकार के सदस्यों में पुस्तकालयों, पुस्तकालय स्कूलों तथा अलाभकारी संस्थाओं तथा संघों के प्रतिनिधि आते हैं।

3. विशिष्ट सदस्य—इस प्रकार के सदस्यों की श्रेणी में आनरेरी सदस्य या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या निवृत्तमान अध्यापक आते हैं।

ALA की सदस्यता में निरन्तर वृद्धि होती रही है। इसकी सदस्यता विभिन्न वर्षों में निम्न रही है—

(1) 1876 में 103

(2) 1901 में 980

(3) 1926 में 8848

(4) 1951 में 19,701

(5) वर्तमान में लगभग 40,000

1981 में इसकी सदस्यता 38,000 थी। सदस्यता शुल्क 6.00 से 50.00

डॉलर प्रति वर्ष है। इसकी सदस्यता को देखने से स्पष्ट होता है कि यह वास्तव में एक अच्छा पुस्तकालय सघ है। 1982 में इसके वार्षिक सम्मेलन जो कि 10-15 जुलाई को फिनाडेल्फिया में हुआ था, में ही 12819 सदस्यों ने भाग लिया, ये एक अच्छा सूचक है।

(2) ALA कौन्सिल—यह अमेरिकन पुस्तकालय मंडल को संचालित करने का कार्य करती है। इसमें लगभग 200 सदस्य होते हैं। यह अमेरिकन पुस्तकालय मंडल की नीतियों तथा कार्यक्रमों को निर्धारित करती है परन्तु किसी भी निर्णय पर पहुँचने के लिए इसके 3/4 वोट या बहुमत होना जरूरी होता है।

(3) ALA कार्यकारी बोर्ड—इसका संचालन कौन्सिल के आधीन होता है। इसके सदस्यों का चयन कौन्सिल के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ALA की नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रशासन का संचालन करना है। यह नीतियों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर भी नियंत्रण तथा निरीक्षण करता है।

(4) समितियाँ—मंडल की कौन्सिल तथा एक्जिक्यूटिव बोर्ड किसी कार्य विशेष के लिए समितियों की स्थापना करता है। ये किसी कार्य विशेष के लिए उत्तरदायी होती हैं। वर्तमान में लगभग 32 समितियाँ कार्यरत हैं। यह निम्न प्रकार की हो सकती हैं—

1. Advisory Committee (e. g. Appointment Committee, A.L.A. Publishing Committee, Budget Committee).
2. Standing Committee (e. g. Organisation Committee, Rules Committee).
3. Special Committee (e. g. Election Committee)
4. Interdivisional Committee
5. Joint Committee (e. g. ALA and Canadian Library Association Committee).

इसकी कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ निम्न हैं—

1. संगठन समिति
2. पुरस्कार समिति
3. चुनाव समिति
4. विधि निर्माण समिति
5. घोष समिति
6. मानक निर्धारण समिति
7. सगोष्ठी व सम्मेलन समिति
8. नियुक्ति समिति
9. प्रकाशन समिति
10. बजट गम्बन्धी समिति।

ये समितियाँ किसी विशेष कार्य के लिए उपसमितियाँ भी नियुक्त करती हैं।

(5) विभाग—इसके कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इसके अनेक विभाग हैं जो कार्यक्रमों व नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग निम्न हैं—

- 1 बाल सेवा विभाग
- 2 पुस्तकालय प्रशासन विभाग
3. पुस्तकालय शिक्षा विभाग
- 4 सन्दर्भ सेवा विभाग
- 5 एडल्ट्स सेवा विभाग
- 6 शोध व तकनीकी विभाग
7. पुस्तकालय ट्रस्टी विभाग।

6. राज्ण्ड टेब्लिस—संघ के सविधान में राज्ण्ड टेब्लिस की स्थापना व्यवस्था है। इसमें 15 संघ के सदस्य होने अनिवार्य है। वर्तमान में इसमें लगभग 9 राज्ण्ड टेब्लिस कार्यरत है।

गतिविधियाँ—इसकी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्न हैं—

(1) प्रकाशन—संघ पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र में प्रकाशन भी करता है। इसने 1886 में प्रकाशन कार्य आरम्भ किया तथा अभी तक लगभग 3,000 ग्रन्थों का प्रकाशन कर चुका है, जिनमें 175 ग्रन्थ तो अभी हाल ही में प्रकाशित किये गये हैं। इसके प्रकाशनों का कुछ विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। यह लगभग 28 पत्रिकाएँ स्वयं प्रकाशित करता है तथा 10 के लगभग पत्रिकाएँ इसके सदस्य संघ प्रकाशित करते हैं। पत्रिका प्रकाशन की शुरुआत 1905 में 'बुक लिस्ट' नामक पत्रिका प्रकाशित करके की गई। इसकी कुछ मुख्य पत्रिकाएँ निम्न हैं—

- I ALA Bulletin
- II Choice
- III College and Research Libraries
- IV Reference quarterly
- V News letter on Intellectual Freedom
- VI Library Teachnology
- VII School Libraries
- VIII Top of the News
- IX Journal of Information Science and Library Automation
- X Membership Directory (Annual)

इसके द्वारा प्रकाशित कुछ मुख्य ग्रन्थ : ALA Catalogue, American Library Resources, Anglo-American Cataloguing Rules, Books



for College Library है। इसके अतिरिक्त अनेक रिपोर्टें, पम्पलेट तथा इसके सम्मेलनों, विभागों तथा समितियों आदि की कार्यवाही व प्रगति रिपोर्ट ALA प्रकाशित करता है।

(2) मानक—ALA ने पुस्तकालय सेवाओं व पुस्तकालयों के विकास के लिए कुछ मानक निर्धारित किये हैं तथा ये मानक निर्धारण में अनेक पुस्तकालय मधो से आगे रहा है। इसने प्रथम मानक 1932 में 'College Library Standards' नाम से प्रकाशित किया था। इसके कुछ मुख्य मानक निम्न हैं—

- I ALA Standards for College library (1959)
- II College library standards (1932)
- III ALA standard for Junior College library (1960)
- IV Standard for School library programs (1960)
- V Standard for Public library Service (1956)
- VI Hospital libraries objective and standards (1963)

इसके अतिरिक्त इसने 'पुस्तकालय सेवा व सहयोग' की 70 निर्देश नीतियों का भी निर्माण किया है।

(3) मेडल एव एवार्ड—ALA अनेक मेडल, पुरस्कार तथा स्कॉलरशिप पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य, शोध, प्रकाशन तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए किये गये कार्यों पर प्रदान करता है, परन्तु इसके पुरस्कारों के लिए किसी मदस्य की सिफारिश होनी आवश्यक होती है। इन सिफारिशों को 'ALA पुरस्कार समिति' तथा विभिन्न पुरस्कारों के लिए अलग से गठित उप-समितियाँ देखती है। ये इन सिफारिशों पर विचार करके पुरस्कार के सम्बन्ध में निर्णय करती हैं। इसके द्वारा दिये जाने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कार निम्न हैं—

- I Caldecott Medal
- II John Cotton Dana Publicity Awards
- III Clarence Day Award
- IV Melvil Dervey Award
- V Grolier Award
- VI Newberry Medal
- VII Margreat Man Award

(4) पुस्तकालय सप्ताह—ALA प्रति वर्ष पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन, लोगों का ध्यान पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय सेवाओं की ओर आकर्षित करने के लिए करता है। इस पुस्तकालय सप्ताह के आयोजन की शुरुआत 1961 में की गई थी। इसमें पुस्तकालय, पुस्तकालय व्यवसाय, पुस्तकालय सेवाओं से परिचित कराया जाता है तथा इनके विकास के लिए कार्य किये जाते हैं। व्यक्तियों को पुस्तकालयों का महत्त्व बताकर अधिकांश माना में आकर्षित किया जाता है। इसमें पाठकों में पढ़ने की आदत तथा पाठकों को पुस्तकालय का अधिक उपयोग

करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह मप्ताह राष्ट्रीय पुस्तक समिति के महयोग से आयोजित किया जाता है।

(5) सहयोग—ALA सदा से ही ग्रन्थ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों से सहयोग करता रहा है। 1877 में इसके प्रयत्नों से इसके 12 सदस्य प्रतिनिधि इंग्लैण्ड गये तथा वहाँ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग दिया। ALA के 35 प्रतिनिधि राष्ट्रीय सगठनों में ए. एल. ए का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण सगठन निम्न हैं जिनसे यह सहयोग करता है—IFLA, FID, American Documentation Institute, American Council on Education, National Book Committee, U. S. National Commission for UNESCO, UNESCO तथा विभिन्न राष्ट्रीय पुस्तकालय सघ। इसके सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण AACR 1967 है, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग का परिणाम था। यह राष्ट्रीय पुस्तक समिति के सहयोग से पुस्तकालय सप्ताह भी आयोजित करता है।

(6) ध्यवतध्य—ALA ने दो महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को स्वीकार किया है। इनमें 1948 में 'ग्रन्थालय अधिकारों का विधेयक' तथा 1953 में सघ ने 'अमरीकी पुस्तक प्रकाशक परिपद्' के सहयोग से पठन पाठन की स्वतंत्रता' पर व्यक्तव्य तैयार किया था। इसमें कहा गया कि "पठन-पाठन की स्वतंत्रता हमारे प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। मुक्त संचार हमारे मुक्त समाज तथा सस्कृति के परीक्षण के लिए आवश्यक है।" ग्रन्थालय अधिकारों के विधेयक की प्रमुख व्यवस्था निम्न थी—

1. पुस्तकालय सेवा के उत्तरदायित्व के रूप में सभी वर्गों के लिए पुस्तकें चयन की जायेंगी।
2. अपने समय की अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय समस्याओं व प्रकरणों सम्बन्धी पुस्तकों को अव्यवहारिक व बेकार समझ कर हटाया नहीं जायेगा।
3. सेंसर (अमरीकावाद) को नहीं माना जायेगा।

4. प्रजातांत्रिक जीवन यापन के लिए पुस्तकालय भवन को सभामवन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व समसामायिक समस्याओं पर विचार विमर्श के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

(7) शैक्षणिक गतिविधियाँ—अच्छी पुस्तकालय शिक्षा तथा शिक्षा के विकास के लिए इसने एक ALA Board of Education की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय मस्थाओं या स्कूल के लिए मानक निर्धारित करना है तथा उनको मान्यता प्रदान करना है। यह पुस्तकालय शिक्षा प्रोग्राम के विकास व समन्वय के लिए भी प्रयत्न करता है। इसी उद्देश्य से 1966 में इसने Office

of Library Education की स्थापना की। इसके लिए H. W. Willson Foundation ने 75,000 डॉलर छ साल के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी।

उपरोक्त गतिविधियाँ सगठन की सुदृढ़ व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। वास्तव में सभ की गतिविधियाँ, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली कही जा सकती हैं।

### अन्य संघ

अमेरिका में ALA के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण संघ क्रियाशील हैं। इनमें से बहुत से ALA के ही भाग हैं। ये पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निम्न हैं--

1. अमेरिकन कानून पुस्तकालय संघ—इसकी स्थापना 1906 में कानून पुस्तकालयों के विकास के लिए की गई।
2. अमेरिकन विद्यालय पुस्तकालय संघ—इसकी स्थापना 1915 में की गई। इसे AALS संक्षिप्त नाम से पुकारते हैं।
3. अमेरिकन विद्यालय पुस्तकाध्यक्ष संघ—इसकी स्थापना 1951 में की गई तथा यह 1 जनवरी, 1951 से ए. एल. ए. का भाग बन गया।
4. महाविद्यालय व शोध पुस्तकालय संघ—इसकी स्थापना 1889 में की गई तथा यह 1938 से ए. एल. ए. का भाग बन गया। इसे ACRL नाम से पुकारा जाता है।
5. अस्पताल व संस्था पुस्तकालय संघ—इसकी स्थापना 1944 में हुई तथा 1956 में ए. एल. ए. का भाग है।
6. शोध पुस्तकालय संघ (1931)
7. अमेरिकन राज्य पुस्तकालय संघ (ASL)
8. मार्चजनिन पुस्तकालय संघ (PLA)
9. Educational Film Library Association (1943-EFLA)
10. Association of Co-operative Library Association (1969)
11. American Association of Staff Libraries (1957)
12. American Library Trustee Association—इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। यह 1961 से ALA का भाग है। इसको ALTA संक्षिप्त नाम से पुकारा जाता है।
13. American Theological Library Association (1947)
14. Special Library Association (SLA) :—इसकी स्थापना 1909 में की गई थी ताकि विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना के संग्रह व सम्प्रेषण का विभाग किया जा सके।

## पुस्तकालय आयोग व समितियाँ

यू. जी. सी. इण्डिया

1957 में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति का अध्ययन व उममें मुधार के लिए सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉ० रंगानाथन को बनाया गया। इस समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये, इसकी सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसको निम्न क्षेत्रों में स्थिति का अध्ययन व सुझाव देने हेतु कहा गया—

1. पुस्तकालयों के लिए ग्रांट का प्रावधान
2. पुस्तक क्रय (Books Purchases)
3. प्रलेखन सेवा व शोध कर्ताओं की सेवा
4. विभागीय पुस्तकालय
5. पठन प्रवृत्तियों (Reading Habits) का विकास व पाठकों को पुस्तकालय प्रयोग में सहायता
6. पुस्तकालय भवन, फर्नीचर व फिटिंग के लिए मानक (Standards)
7. पुस्तकालय कर्मचारी, कार्य वर्गीकरण, योग्यता, वेतन व मादज।

इस समिति के संगठन को चार्ट से बताया जा सकता है—

अध्यक्ष—	डॉ० एस० आर० रंगानाथन
4 सदस्य—	एस० बशीरुद्दीन बी० एस० केशवन एम० पार्थसारथी के० एस० हीगर
सचिव—	डॉ० पी० जे० फिनिप-यू० जी० मी०

इसने 18 फरवरी, 1958 को अपना कार्य शुरू किया। इसकी प्रथम मीटिंग का उद्घाटन सी० डी० देवमुख यू० जी० मी० के अध्यक्ष ने किया। इसकी ११<sup>१</sup> मीटिंग हुई जो निम्न थी -

1. फरवरी, 1958—नई दिल्ली
2. मई, '958—पटना

- 3 मई, 1958-कलकत्ता
- 4 जुलाई, 1958-बड़ौदा
- 5 जुलाई, 1958- "
- 6 अगस्त, 1958-नई दिल्ली
- 7 फरवरी, 1958 नई दिल्ली ।

इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न थी—

1. यू० जी० सी० ग्रांट का सही उपयोग करने के लिए सत्रह महीने का समय दिया जाना चाहिये जिससे पुरतक चयन क्रम व अन्य सम्बन्धित सामग्री के क्रय में यू० जी० सी० ग्रांट का सही उपयोग हो सके ।
2. यू० जी० सी० ग्रांट का 1/5 भाग पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री की खरीद पर व्यय किया जाना चाहिए जो कि पुस्तकालय कर्मचारियों को तकनीकी कार्य (Technical Work) में सहायता कर सके ।
3. यू० जी० सी० ग्रांट का निर्धारण प्रति व्यक्ति (Per-capita) के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये ।
4. प्रत्येक विश्वविद्यालय को 15/-प्रति विद्यार्थी व 200/-प्रति शिक्षक के हिसाब से पुस्तकालय उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए ।
- 5 यदि कोई नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है या उसे स्थापित हुए 5 वर्षों में कम अवधि हुई हो तो उसे अपने प्रारम्भिक संग्रह विरीयो-डिकल्स पब्लिकेशन, सदस्य पुस्तकें आदि के लिए 3 लाख रुपये अतिरिक्त ग्रांट दी जानी चाहिए ।
- 6 ऐसे विश्वविद्यालय को प्रारम्भिक संग्रह के लिए प्रदत्त 3 लाख रुपये की ग्रांट को खर्च करने के लिए कम से कम 3 वर्षों का समय दिया जाना चाहिए ।
- 7 किसी विश्वविद्यालय में नये स्नातकोत्तर प्रोग्राम की शुरुआत की है तो उसे अतिरिक्त ग्रांट दी जानी चाहिये ।
- 8 किसी भी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय का सम्पूर्ण व्यय यू० जी० सी० तथा वहाँ की राज्य सरकार को वहन करना चाहिये ।
- 9 समय-समय पर समीक्षा कर राज्य सरकार व यू० जी० सी० के अनुदान के अनुपात को निर्धारित करना चाहिये ।
10. राज्य सरकार तथा यू० जी० सी० में यह आपसी सहमति होनी चाहिए कि जो अपने हिस्से की ग्रांट को समय-समय पर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को भेजते रहें ।

11. यदि राज्य सरकार सहायता देना बन्द कर देती है या देने में असमर्थ रहती है तो भी यू० जी० सी० को अपने हिस्से की सहायता देनी बन्द नहीं करनी चाहिये ।
12. पुस्तकालय के लिए सहायता राशि का निर्धारण पिछले साल के ब्रांकडो (सांख्यिकी) के आधार पर करना चाहिये ।

### 'बी' लाइब्रेरी फण्ड

- (1) पुस्तकालय राशि का अलग से लेखा-जोखा होना चाहिये ।
- (2) यदि पुस्तकालय अपनी सहायता राशि को किसी वर्ष व्यय करने में असमर्थ रहता है तो शेष राशि को व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिये तथा इस राशि का उपयोग आने वाले वर्ष की सहायता राशि में जोड़ देना चाहिये ।
- (3) प्रत्येक पुस्तकालय को चाहिये कि :
  1. जो भी पुस्तकालय ग्रांट मिले उसे सत्रह महीने के हिसाब से विभाजित कर देना चाहिये ।
  2. बिना पूर्ण उपयोगिता के तथा बिना पाठकों की आवश्यकताओं के पाठ्य सामग्री का क्रय नहीं किया जाना चाहिये ।
  3. पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लगभग एक महीने की अवधि में ही उस पाठ्य सामग्री का तकनीक कार्य (Technical Work) पूरा करे । उसे पाठकों के उपयोग के लिए स्कूलेशन सेशन में भेज देना चाहिये ।
  4. पाठ्य पुस्तको (Text Books) का उचित मात्रा में क्रय किया जाना चाहिए ।
  5. सहायता राशि का वितरण अनुपातिक आधार पर सभी विषयों की Current authentic Journals, Reference Books, Text Books में किया जाना चाहिये ।
  6. सन्दर्भ पुस्तको व पत्रिकाओं की पुनरावृत्ति (Duplication) को समाप्त किया जाना चाहिये ।
  7. सभी विभागों में उनकी विषयों की पुस्तको का वितरण उचित अनुपात में किया जाना चाहिये ।
- (4) नवीन पत्रिकाओं तथा उनके पुराने बोल्युम (Back Volumes) को खरीदने समय अन्य स्थानीय पुस्तकालयों में आने वाली पत्र पत्रिकाओं का भी ध्यान रखना चाहिये । यदि कोई पत्र पत्रिका अन्य स्थानीय पुस्तकालयों में आती है

तो उसका डुप्लीकेशन नहीं किया जाना चाहिए। इससे पुस्तकालय फण्ड का सही व उचित उपयोग हो सकेगा।

(5) बिना पूर्वाग्रह के तथा स्थानीय पुस्तकालयों की माँग के बिना कोई पाठ्य-सामग्री का क्रय नहीं किया जाना चाहिए।

पुस्तक चयन व क्रय

(1) पुस्तक चयन निम्न विधि द्वारा किया जाना चाहिए—

1. पुस्तक चयन प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का निर्धारण सम्बन्धित सत्ता (Authority) द्वारा किया जाना चाहिये।
2. पाठ्य सामग्री के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाना चाहिये।
3. प्रत्येक आर्डर के लिए टेण्डर माँगने की आवश्यकता नहीं हानी चाहिये।
4. स्टेण्डर्ड पुस्तक क्रय नियमों के अनुसार ही पुस्तकों का क्रय किया जाना चाहिए। पुस्तक विक्रेताओं को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे डिस्काउण्ट तथा विदेशी मुद्रा का विवरण बिल में हो तथा पुस्तकाध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि पुस्तक विक्रेता निर्धारित शर्तों में पुस्तक भेजने में अग्रमर्थ रहता है तो उसका आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. पुस्तकाध्यक्ष के पास यह अधिकार होना चाहिये कि वह उपयोगी पाठ्य-सामग्री बिना किसी विशेषज्ञ की महमति के या निर्धारित बजट से अधिक होने पर भी क्रय कर सके।
6. सम्बन्धित सत्ता (Concerned Authority) को पुस्तक चयन प्रक्रिया व बजट एलोकेशन प्रक्रिया (Budget Allocation Process) की समय-समय पर समीक्षा करने रहना चाहिये। यह भी देखते रहना चाहिये कि पुस्तकालय में उचित सामग्री निर्धारित बजट के अनुसार ही क्रय की जा रही है या नहीं।

(2) बुक ट्रेड में स्वस्थ परम्परा के लिए प्रकाशकों के प्रतिनिधियों व पुस्तकालय सम्बन्धी ध्यक्तियों व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये तथा इसमें नीति निर्धारण का कार्य होना चाहिये।

(1) विदेशी पुस्तकों के सम्बन्ध में देश में ही छांटे जाने चाहिये।

(4) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में कठिनाई तथा आयात लाइसेन्स प्राप्त करने में अशुविधा होने पर इनमें सुधार हेतु सू. जी. भी. को ध्यान देना चाहिए तथा इस कठिनाई को दूर करने के लिए पुस्तकालय को घाट का कुछ हिस्सा विदेशी मुद्रा के रूप में दिया जाना चाहिये। जिसमें सीधे ही विदेशी पुस्तकों का क्रय किया जा सके।

(5) यदि पुस्तक चयन में पुस्तकालय की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो तो प्रायोगिक को निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिये—

1. एक विशेषज्ञों की समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों में सन्दर्भ पुस्तकों व पाठ्य पुस्तकों के चयन के लिए बना देनी चाहिये। यह सूची विभिन्न विश्वविद्यालयों को उत्तम चयन के लिए भेज देनी चाहिये।
2. जब सूची में से विभिन्न विश्वविद्यालयों की मांग प्राप्त हो जाये तो सभी विश्वविद्यालयों की मांग को एकत्रित करके प्रायोगिक सीधे विदेशों से पुस्तकों को क्रय करे। इससे विदेशी विनिमय की समस्या का हल हो जायेगा।

### अध्ययन आदत का विकास

1. पाठकों की पढ़ने की आदतों में सुधार तथा विकास का प्रयत्न करना चाहिये।

2. विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में मुक्त प्रवेश प्रणाली (Open Access System) की व्यवस्था होनी चाहिये। सन्दर्भ सेवा भी प्रदान की जानी चाहिये।

3. विभिन्न विषयों से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य की सूची बनवाकर छात्रों में वितरित की जानी चाहिये।

4. योग्य व प्रशिक्षित सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे वह विद्यार्थियों को उचित व अच्छी सन्दर्भ सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।

5. सहयोग के आधार पर महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में सहयोगी पुस्तक स्टोर (Co-operative Book Store) का निर्माण किया जाना चाहिये।

6. अध्ययन समूह (Study Circles) का निर्माण कर विभिन्न विषयों के उन्हें विश्वविद्यालयों में गोष्ठी करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

### पुस्तकों का प्रत्याहरण व खोजाना

(1) पुस्तकालय में गुम व बेकार पुस्तकों के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं—

1. पाठ्य-पुस्तकें (Text Books) या अन्य पाठ्य-नामग्री जिनका अस्थायी मूल्य हो, पाँच वर्षों में एक बार (Weed out) कर देना चाहिये तथा ऐसी पुस्तकें जो प्रयोग करते-करते अध्ययन योग्य न रही हो तो उन्हें प्रत्येक वर्ष प्रत्याहरण कर देना चाहिये।

2. ऐसे सन्दर्भ उपकरण (Reference Tools) जो काफी पुराने हो चुके हैं तथा जिनके नये संस्करण बाजार में उपलब्ध हों, 10 या 15 वर्ष पश्चात् उनकी प्रकृति तथा उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए (Weed out) कर देना चाहिये।



- 3 प्रत्याहरित (Veeding out) पुस्तकों की सूचना राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय को भेज देनी चाहिये या इसी तरह के ग्रन्थ किसी पुस्तकालय को भेज देनी चाहिये । यदि वहाँ उनकी जरूरत हो तो जमा करा देनी चाहिये ।

(2) महंगी व दुर्लभ पुस्तकों पर पाठक की सीधी पहुँच नहीं होनी चाहिये तथा पाठक की औपचारिक प्रार्थना पर ही उनको देनी चाहिये ।

(3) ऐसी पुस्तकें जो खुले शेल्फ पर रखी हैं यदि उनके अन्दर से पुस्तकें खो जाती हैं या फट जाती हैं, तो प्रत्येक 1000 निर्गम (Issue) पुस्तकों पर दो पुस्तकों को राइट ऑफ (Write off) करने का अधिकार पुस्तकाध्यक्ष को होना चाहिये । इससे पहले यह देख लेना चाहिये कि इन पुस्तकों को कर्मचारियों की लापरवाही के कारण तो नहीं खोया गया है ।

#### प्रलेखन

(1) शोधकर्ताओं के समय को बचाने के लिए पुस्तकालय द्वारा निम्न कार्य किये जाने चाहिये—

1. ऐसे पुस्तकालय जिनका सग्रह समृद्ध है उनको यू. जी. सी. माइक्रो फिल्म, डुप्लीकेटिंग तथा रिप्रोग्राफिक उपकरण प्रदान करे ।
2. प्रलेखन सूची (Documentation List) पाठकों की माँग पर या स्वेच्छा से बनायी जानी चाहिये ।
3. शोधकर्ताओं की माँग पर उनके वाञ्छित लेखों का सारकरण (Abstracting) करना चाहिये ।
4. जो पाठ्य सामग्री पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है उसे अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान के द्वारा माँगना चाहिये ।
5. शोधकर्ताओं की माँग पर फोटो स्टेट प्रति, माइक्रो फिल्म या माइक्रो कार्ड प्रदान किये जाने चाहिये ।
6. विदेशी भाषा के लेखों का शोध-कर्ताओं की माँग पर अनुवाद करवा कर प्रदान करना चाहिये ।
7. उचित मात्रा में प्रलेखन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

(2) धर्यायी तौर पर रिप्रोग्राफिक (Reprographic) सेवा के लिए निम्न सुझाव दिये हैं—

1. आवश्यक यंत्रों की खरीद के लिए (INSDOC) जैसी सस्था से सलाह लेनी चाहिये ।
2. किमी दूगरे प्रकार के उपकरण मंगाने में पूर्व उसके उपयोग, कीमत आदि पर विचार करने के बाद ही दूगरा उपकरण क्रय किया जाना चाहिए ।

3. प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में एक माइक्रो फिल्म रीडर (Micro Film Reader) होना चाहिये ।

### विभागीय संधि

1. विश्वविद्यालय के किसी भी स्नातकोत्तर विभाग (Post Graduate Department) को स्थायी रूप से कम से कम दो हजार पुस्तकें जो दैनिक उपयोग व शोधकार्य के लिए उपयोगी हों, उसके विभागीय पुस्तकालय को दे देनी चाहिये ।

2. इन पुस्तकों में ऐसी पुस्तकों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये जिनकी उपयोगिता के आधार पर अन्य प्रतियों की मांग की गई हो ।

3. यदि समयानुसार विभाग की मांग बदल जाती है तो पुरानी पुस्तको को केन्द्रीय पुस्तकालय में जमा करा देना चाहिये तथा उनकी जगह नयी पुस्तको को ले लेना चाहिये ।

4. जो पुस्तकें किसी विभागीय पुस्तकालय को दे दी गई हों, यदि उनकी आवश्यकता केन्द्रीय पुस्तकालय में किसी छात्र को हो, तो पुस्तकाध्यक्ष को अधिकार होना चाहिये कि उस विभाग से पुस्तकें मगवाकर छात्र की आवश्यकता पूरी करे ।

5. स्थायी पुस्तकों के अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय को कम से कम 100 पुस्तकें अस्थायी तौर पर लेने का अधिकार होना चाहिये । ये पुस्तकें वर्ष के अन्त में केन्द्रीय पुस्तकालय को दे दी जानी चाहिये ।

6. ऐसी पाठ्य पुस्तकें जो विभाग के अध्यापको को दी गई हैं उनकी गणना इनमें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये ।

7. पत्रिकाओं के नये वोल्यूमों को अध्ययन कक्ष में एक या दो सप्ताह तक रखा जाना चाहिये जिससे सभी पाठकों द्वारा उनका उपयोग सम्भव हो सके । इसके बाद ही उन्हें शोधकर्त्ताओं को इश्यू किया जाना चाहिये ।

8. यदि विभाग पुस्तकालय से अधिक दूर नहीं है तो विभागीय पुस्तकालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

### पुस्तकालय कर्मचारी

1. विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारी को चार भागों में विभाजित किया जाना चाहिये । उनके वेतनमान (Grades), पदनाम (Status), योग्यता (Qualification) तथा वेतन (Salary) उनके समान योग्यता वाले शैक्षणिक स्टाफ जैसे प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, एमीस्टेन्ट लेक्चरर के समान होने चाहिये ।

2. लिपिकीय कार्य (Clerical Work) के अतिरिक्त तकनीकी कार्य (Technical Work) के लिये अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

3. प्रोफेसर की अवैतनिक पुस्तकाध्यक्ष पद पर नियुक्ति बन्द की जानी चाहिये ।

4. पुस्तकालय के कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखकर रंगानाथन के स्टाफ के फार्मुले के अनुसार किया जाना चाहिये ।

5. विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय के वेतन मद के लिए यू. जी. सी. को आनुपातिक राशि देनी चाहिये ।

#### पुस्तकालय विज्ञान विभाग

1. प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम व द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा केवल स्नातक के पाठ्यक्रम चलाये जाने चाहिये । विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग द्वारा सेमी प्रोफेशनल स्टाफ के लिए C. Lib. Sc का पाठ्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिये ।

2. प्रथम श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर, एक रीडर, दो प्राध्यापक तथा दो डिमस्टेटर होने चाहिए । द्वितीय श्रेणी के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर, एक रीडर, एक डिमोस्टेटर होने चाहिये ।

3. पुस्तकालय तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के कार्य से अलग रखना चाहिये तथा पुस्तकालय विज्ञान विभाग में अलग से प्राध्यापको की व्यवस्था होनी चाहिये ।

4. अगले 10 वर्षों में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक द्वितीय श्रेणी पुस्तकालय विज्ञान विभाग खोलने हेतु यू. जी. सी. को मदद देनी चाहिये ।

#### पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1. स्नातक पाठ्यक्रम में केवल स्नातको को ही प्रवेश देना चाहिये ।

2. यू. जी. सी. को विषय विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करना चाहिये जो इस पाठ्यक्रम के विकास व समन्वय के लिए प्रयत्नशील रहे तथा अध्यापन व शोध के लिए सुझावों को प्रस्तुत करे ।

#### पुस्तकालय भवन व फर्नीचर

1. प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालय को भवन निर्माण में फिटिंग तथा फर्नीचर के चुनाव हेतु भारतीय मानक संस्थान स्टेण्डर्ड का उपयोग करना चाहिये ।

2. नये पुस्तकालय भवन, फिटिंग व फर्नीचर या पुरानी या पुराने भवनों में विस्तार करने हेतु जो सुझाव दिये जायें, वे यू. जी. सी. द्वारा नियुक्त पुस्तकालय विशेषज्ञों द्वारा जाचे जाना चाहिये ।

#### पेरी समिति (Perry Committees)

पेरी समिति की स्थापना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वेल्थ के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में की गई । इनके अध्यक्ष डॉ० थामस पेरी थे, जिनके नाम के आधार पर इनका

नाम पेरी समिति पड़ा। इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पुस्तकालयों के सर्वे के आधार पर तैयार की गई थी। उसने अपनी रिपोर्ट 1963 में दी। उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं—

1. सहयोग (Cooperation)—देश के समस्त स्रोतों का एक पूल हो। स्रोतों के समन्वय से पाठ्य सामग्री के कवरेज (Coverage) में वृद्धि होगी तथा अनावश्यक डुप्लीकेशन को रोकने में मदद मिलेगी। शैक्षणिक अनुसंधान हेतु उपयोगी संग्रह उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाना चाहिये।

2. अन्तर्पुस्तकालय ऋण (Inter-library Loan)—पाठ्य सामग्री के सम्पूर्ण उपयोग के लिए पुस्तकालयों के मध्य ऋण व्यवस्था तीव्र व सक्षम होनी चाहिये तथा अन्तर्ग्रन्थालय ऋण व्यवस्था व्यवस्थित एवं नियंत्रित होनी चाहिये। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

3. पुस्तकालय सामग्री का अधिग्रहण (Acquisition of Library Material)—

- (1) अधिग्रहण नीति (Acquisition Policy) को विकसित करने के लिये इसका निरन्तर संगोधन आवश्यक है। उसके लिए पुस्तकालय एवं शैक्षणिक कर्मचारियों में निकट का सहयोग होना चाहिये।
- (2) पुस्तक क्रय राशि को विभागीय आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिये।
- (3) विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना चाहिये।
- (4) विभागों व पुस्तकालय विशेषज्ञों के मध्य सहयोग हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा एक सदस्य प्रतिनिधि के रूप में पुस्तकालय में भेजना चाहिये।
- (5) वित्तीय निर्धारण पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्य तथा शोधकर्त्ताओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये।

4. विदेशी सामग्री का अधिग्रहण (Acquisition of Foreign Material)—

- (1) शोधकर्त्ताओं के महत्त्व के प्रकाशन ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय से प्राप्त कर उन्हें अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान या फोटो कापी के रूप में उपलब्ध कराना चाहिये।
- (2) मानविकी तथा समाज विज्ञान से सम्बन्धित विदेशी साहित्य की प्राप्ति हेतु तुरन्त विचार करना चाहिये।

- (3) नेशनल लेंडिंग लाइब्रेरी (National Lending Library) को विज्ञान, मेडीसन तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय अन्तर्पुस्तकालय आदान-प्रदान सेवा उपलब्ध करवानी चाहिये। सामाजिक विज्ञान तथा साहित्य हेतु एक राष्ट्रीय योजना का निर्माण करना चाहिये, ताकि 1967 तक एन. एल. एल. उपरोक्त क्षेत्र में कुछ प्रिरीयोडिक्स भी अन्तर्पुस्तकालय आदान-प्रदान के रूप में उपलब्ध करा सके।
- (4) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्री को राष्ट्रीय स्त्रोतों का एक भाग समझना चाहिये, अनावश्यक डुप्लीकेशन को रोकना जाना चाहिये।
- (5) विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रकाशनों के अधिग्रहण (Acquisition) तथा लेंडिंग (Lending) हेतु राष्ट्रीय योजना के निर्माण कार्य में परामर्शक की भूमिका अदा करें।

5. राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library)—ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय विभाग को ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी (बी. एन. एल.) में परिवर्तित कर देना चाहिये। इसके निम्न कार्य होंगे—

- (1) अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान की व्यवस्था तथा यूनियन कैटलोग (Union Catalogue) का अनुरक्षण करना चाहिये।
- (2) अधिक माँग वाली पाठ्य-सामग्री की अधिक प्रतियाँ प्राप्त करना।
- (3) राष्ट्रीय पुस्तकालय स्वयं या विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के सहयोग से सम्पूर्ण विदेशी पाठ्य सामग्री प्राप्त करें।
- (4) पूरे देश में राष्ट्रीय सन्दर्भ एवं विब्लियोग्राफिकल सर्विस (Reference and Bibliographic Service) की स्थापना करना, वर्तमान पद्धति में समन्वय स्थापित करना, पाठक इनक्वायरी (Reader's Enquiries) के क्लियरिंग हाऊस (Clearing House) के रूप में कार्य करना।
- (5) विब्लियोग्राफिकल रिसर्च व प्रकाशन विभाग की स्थापना करना।
- (6) विश्वविद्यालयों एवं अन्य निकायों के सहयोग से पुस्तकाध्यक्षों के विकास के लिए प्रशिक्षण में भाग लेना।
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश पुस्तकालयों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना।
- (8) सलाहकार समिति (Advisory Committee) की स्थापना कर सभी पुस्तकालयों में समन्वय (Coordination) करने हेतु नीति निर्मित करना। यह समिति (British Educational Development) द्वारा निर्मित UGC की Sub-Committee on Libraries से सम्बन्धित रहे।

## 6. भवन स्थान (Library Accommodation)

- (1) समस्त छात्रों के लिए पुस्तकों के समीप बैठने की व्यवस्था करना चाहिये।
- (2) छात्रों एवं कर्मचारियों को विभिन्न सहायक सेवाएँ (Auxiliary Services) पुस्तकालय में देने की व्यवस्था करनी चाहिये।
- (3) यू. जी. सी. द्वारा नये भवनों के निर्माण के लिए सलाहकार समिति की स्थापना की जाये।
- (4) सभी पुस्तकालयों को एयरकंडिशन प्लाट देने की व्यवस्था की जाये।
- (5) विश्वविद्यालय पुस्तकालय के समस्त कर्मचारी पुस्तकालय समिति या पुस्तकालय प्राधिकारी (Authorities) द्वारा नियंत्रित हों।
- (6) विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का यूनियन कैटलोग (Union Catalogue) बनाना चाहिये।
- (7) यूनिक प्रकाशन (Unique Publication) केन्द्रीय पुस्तकालय में ही रखे जाने चाहिये।
- (8) पाठ्य सामग्री के लिए स्थान की कमी होने पर डिपोजिटरी लाइब्रेरी लंदन (Depository Libraries) का उपयोग करना चाहिये।

## 7 पुस्तकालय सेवाएँ (Library Services)—

- (1) प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय ले आउट (Lay out), रजिस्ट्रेशन (Registration) एवं प्रक्रिया की जानकारी हेतु सेमिनार तथा विद्वत्संश्लेषण दूर व व्याख्यानों का आयोजन करना चाहिये।
- (2) उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिये।
- (3) विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सेवाएँ छात्रों में भी उपलब्ध रहें।
- (4) कुछ पुस्तकालयों में Copying Services की व्यवस्था करना।
- (5) विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निकट Central Service Unit for Audio-Visual Aids की स्थापना करना।

## 8. पुस्तकालय तकनीक (Library Techniques)—

- (1) एन. बी. एल. के Solvonic Union Catalogue को up to date किया जाना चाहिये।
- (2) विशिष्टीकृत (Uninon Catalogue) का विकास करना चाहिये।
- (3) विशिष्ट भाषा के संग्रह के कैटलोग को कापीराइट लाइब्रेरी में सम्मिलित करना चाहिये।

- (4) Oriental Books के नये यूनियन केटलोग को School of Oriental and African Studies में ही बनाये रखना चाहिये। अन्य विशेष यूनियन केटलोग को एन. सी. एल. में ही बनाये रखना चाहिये।
- (5) एक स्वतंत्र सगठन द्वारा एन. सी. एल. के यूनियन केटलोग की उपयोगिता की जांच करनी चाहिये।
- (6) सूचना पुन. प्राप्ति (Information Retrieval) के विस्तृत क्षेत्र पर, अनुसंधान को प्रोत्साहन हेतु सरकारी नीति पर विचार हो तो विश्व-विद्यालय पुस्तकालय में उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिये।
- (7) प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा अपनी अपनी तकनीकी सेवाओं के केन्द्रीयकरण की जांच की जानी चाहिये।

### 9. प्रशासन व कर्मचारी (Administration and Staff)—

- (1) पुस्तकालय भवन निर्माण योजना हेतु संगठित समिति में पुस्तकाध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिये।
- (2) छात्र सगठनों से पुस्तकालय प्रकरणों में उनके विचार प्राप्त करने चाहिये।
- (3) पुस्तकालय कर्मचारियों को शैक्षणिक कर्मचारियों के समान स्तर (Status) दिया जाना चाहिये।
- (4) विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की समस्त मीटिंग में उपस्थित रहकर शिक्षण एवं अनुसंधान के नये क्षेत्रों एवं परियोजनाओं के विकास प्रकरणों पर उचित विचार विमर्श करना चाहिये तथा नये भवन के प्रस्ताव में भी मीटिंग के सदस्यों को पुस्तकालय नीति से अवगत करवा देना चाहिये।
- (5) विश्वविद्यालय के Unqualified, Non-Graduate कर्मचारियों को पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के लिए छोड़ना चाहिये तथा उनके शिक्षण व परीक्षा शुल्क का सम्पूर्ण व्यय सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उठाया जाना चाहिये।
- (6) वरिष्ठ पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए शैक्षणिक सदस्यों के समकक्ष सुविधायें दी जायें।

### 10. वित्त (Finance)—

- (1) पुस्तकालयों को उत्तरदायित्व के निर्वाह एवं सेवाओं के विकास हेतु रेकर्डिंग अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिये।

- (2) नये विश्वविद्यालय को अच्छे स्तर के पुस्तकालय की स्थापना हेतु पूर्ण अनुदान समुचित रूप से प्रदान करना चाहिये।
- (3) प्रति वर्ष एक लाख पौण्ड जो कि अल्वर्ट म्यूजियम द्वारा प्रदान की जाती है। उसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विशिष्ट संग्रह या महंगे उपकरणों को क्रय करने हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

### पुस्तकालय सलाहकार समिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्र में उच्च शिक्षा तथा पुस्तकालयों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने तथा उचित समाधान हेतु अनेक आयोग व समितियों की स्थापना की। उनमें डॉ० राधाकृष्णन आयोग (1948), उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953), विश्वविद्यालय अनुदान समिति (1957), कोठारी आयोग (1964-66), पुस्तकालय सलाहकार समिति (1956) प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों, पुस्तकालय सभों व अनेक संस्थाओं ने भी छोटे-छोटे आयोग व समितियों की स्थापना की। उनमें सार्वजनिक पुस्तकालयों की दृष्टि से पुस्तकालय सलाहकार समिति (सिन्हा समिति) मुख्य है।

पुस्तकालय सलाहकार समिति (1956) की स्थापना 1956 में प्रौढ शिक्षा संघ के मुद्दाव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा की गई। इसी ने 27 नगरो का दौरा करके 188 व्यक्तियों से मेट की तथा 26 मेमोरण्डम के आधार पर पुस्तकालयों की स्थिति देखी तथा उनमें सुधार के मुद्दाव दिये। इस समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष श्री के. पी. सिन्हा थे। इस समिति के सगठन को निम्न चार्ट द्वारा बताया जा सकता है -

अध्यक्ष	श्री के. पी. सिन्हा	
सदस्य	1. श्री बी. एस. केशवन,	2. श्री टी. डी. वाकनीस,
	3. श्री डी. आर. कालिया,	4. श्री एन. बट्टैया,
	5. श्री जगदीश चन्द्र माधुर,	6. श्रीमती जॉन मथाई तथा
	7. श्री एस. एस. नेठ।	
सचिव	श्री सोहनसिंह	

इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं -

1. पुस्तकालय विकास योजना—भारत तथा राज्य सरकारें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक 25 वर्षीय पुस्तकालय विकास कार्यक्रम बनाये। ये विकास कार्यक्रम इतने अनुकूल हों कि इस योजना की अर्धाधि पूर्ण होने के बाद ये सार्वजनिक पुस्तकालय जनता की शैक्षणिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं पूर्ण कर सकें।

2. पुस्तकालय-शुल्क—सरकार पुस्तकालयों को आर्थिक रूप में सुदृढ़ करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में सम्पत्ति कर पर एक रुपये पर 6 पैसे के हिसाब से, शुल्क



लगाये तथा इसमें समयानुसार वृद्धि के लिए स्थानीय सस्थाओं को अधिकार प्रदान किये जाये, सभी पुस्तकालय अधिनियमों में इसका पालन किया गया है।

3. केन्द्रीय सहायता—केन्द्र सरकार को पुस्तकालयों के लिए राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय कर के रूप में संग्रहीत धन के बराबर राशि देनी चाहिए।

4. सार्वजनिक व निशुल्क पुस्तकालय सेवा—समस्त राष्ट्र में पुस्तकालय सेवा सार्वजनिक तथा निशुल्क होनी चाहिये तथा पुस्तकालय विकास योजना की 25 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक इसको अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होना चाहिए।

5. राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय व राष्ट्रीय पुस्तक संग्रह केन्द्रों की स्थापना—केन्द्र सरकार राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करे तथा राष्ट्रीय पुस्तक संग्रह केन्द्रों की स्थापना क्षेत्रीय स्तर पर बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में की जाये।

6. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय व जिला पुस्तकालय की स्थापना—राज्य सरकारें राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना करें तथा प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय की स्थापना करे।

7. पुस्तकालय अधिनियम—प्रत्येक राज्य अपने यहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाये। यह समिति मद्रास पुस्तकालय अधिनियम से प्रभावित थी।

8. पुस्तकालय संघ—समिति ने पुस्तकालय सघों को पुस्तकालय आन्दोलन के लिए आवश्यक मानते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें पुस्तकालय सघों को मान्यता प्रदान करें तथा उन्हें सार्थक व भौतिक सहायता दें।

9. पुस्तकालय सहयोग—समिति ने पुस्तकालय सहयोग को आवश्यक व महत्त्वपूर्ण माना तथा कहा कि इसके प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें। सभी प्रकार के सार्वजनिक, शैक्षणिक व विशिष्ट पुस्तकालय आपस में सहयोग करें तथा जहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं हैं वहाँ विद्यालय पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य करें।

10. कर्मचारियों से सुरक्षा निधि न लेना—समिति का मानना था कि सुरक्षा निधि लेने से पुस्तकालय सेवाओं व गतिविधियों पर विपरीत असर होगा। इसलिए कर्मचारियों से सुरक्षा निधि लेने की परम्परा को तुरन्त समाप्त किया जावे तथा पुस्तकालय में खोई पुस्तकों का मूल्य भी कर्मचारियों में वसूल नहीं किया जाये।

11. पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण—पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्पूर्ण राष्ट्र में समानता व एकरूपता होनी चाहिए। प्रचलित कार्यक्रमों में एकरूपता व समानता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिये।

12. पुस्तकालय के लिए धन—पुस्तकालयों में अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए कम से कम 0.63 पैसे प्रतिवर्ष खर्च किये जाने चाहिये तथा इसमें से 50% धन पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन इत्यादि पर व्यय किया जाना चाहिये। पुस्तकालय भवन आदि के लिए अलग से राशि प्रदान की जानी चाहिये—

13. पुस्तकालय कर्मचारी समिति ने पुस्तकालय कर्मचारियों के पद, वेतनमान तथा संख्या के बारे में भी सिफारिशों की हैं जो निम्न हैं—

1. संख्या -- समिति के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों में कम से कम निम्न कर्मचारीगण होने चाहिये—

(i) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय--1 राज्य पुस्तकाध्यक्ष, 1 उप पुस्तकाध्यक्ष, 1 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, 22 व्यावसायिक सहायक, 2 स्टेनोग्राफर, 16 क्लर्क टाइपिस्ट व एक लेखाकार तथा 37 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण।

(ii) जिला पुस्तकालय—उन्होंने जिला पुस्तकालयों को अलग थ्रेणियों में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा है, जो निम्न है—

जनसंख्या	श्रेणी
(1) 20 लाख से अधिक	सी 1
(2) 10 से 10 लाख	" 2
(3) 5 से 10 लाख	" 3
(4) 3 से 5 लाख	" 4
(5) 3 से 2 लाख	" 5
(6) 1 से 2 लाख	" 6
(6) 75 हजार से 1 लाख	" 7
(8) 50 से 75 हजार	" 8

## पुस्तकालय का प्रकार

क्र.सं.	संस्था	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8
1.	पुस्तकालय	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	उप-पुस्तकालय	1	1	1	1	X	X	X	X
3.	सहायक पुस्तकालय	1	1	1	1	1	1	X	X
4.	व्यवस्थापक महायक	18	14	12	10	7	4	3	2
5.	जिल्दसाज	4	3	2	1	X	X	X	X
6.	विपिकीय वर्ग	7	6	5	4	3	2	2	2
7.	चतुर्थ श्रेणी (बुक लिप्टर, बपरासी, बोकीदार, प्रादि)	35	31	27	23	18	15	11	8

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आधारां पर भी पुस्तकालय कर्मचारियों में वृद्धि के मुभाव हैं तथा अन्य प्रकार के पुस्तकालयों के लिए भी संख्या बताई गयी है ।

2. योग्यताएँ, वेतन स्तर व पद—समिति ने पुस्तकालय कर्मचारियों, उनकी योग्यता व वेतन स्तर निम्न प्रकार बताये हैं—

क्र सं.	पद	योग्यता	वेतन स्तर
1.	ग्राम पुस्तकाध्यक्ष	स्वयं सेवक व ग्राम अध्यापक	अवैतनिक अथवा कुछ भत्ते पर
2.	छोटे कस्बे का पुस्तकाध्यक्ष (2,500 से 5,000 की जनसंख्या पर)	हाई स्कूल व प्रारम्भिक प्रशिक्षण	प्राथमिक शाला अध्यापक
3.	मध्य कस्बे का पुस्तकालयाध्यक्ष (2,500 से 5,000 की आबादी पर)	एक वर्ष का कार्य अनुभव उपरोक्त का	प्राथमिक शाला का प्रधानाध्यापक
4.	मध्य कस्बे का पुस्तकालयाध्यक्ष (5,000 से 20,000 जनसंख्या पर)	एक वर्ष का कार्य अनुभव	माध्यमिक शाला का अध्यापक
5.	मध्यम क्षेत्र का पुस्तकालयाध्यक्ष (5,000 से 20,000 जनसंख्या)	स्नातक तथा पुस्तकालय प्रशिक्षण, एक वर्ष का अनुभव	माध्यमिक शाला का प्रधानाध्यापक
6.	(ए) बड़े कस्बे का पुस्तकाध्यक्ष (बी) व्यावसायिक कर्मचारी (सी) शाला पुस्तकाध्यक्ष (डी) खण्ड पुस्तकाध्यक्ष	स्नातक तथा एक वर्ष का पुस्तकालय प्रशिक्षण स्नातक व एक वर्ष का पूर्ण प्रशिक्षण " " " "	हाई स्कूल का प्रशिक्षित अध्यापक " " "
7.	(ए) विभागाध्यक्ष  (बी) शाखाओं का मंचालक	व कुछ अनुभव स्नातक द्वितीय श्रेणी तथा पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी व 5 वर्ष का अनुभव	तथा विशेष भत्ता हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक

क्र.स.	पद	योग्यता	वेतन स्तर
8.	(ए) छोटा शहर पुस्तकाध्यक्ष (50,000 से 1 लाख जनसंख्या पर)	स्नातक द्वितीय श्रेणी व पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी तथा दो वर्ष का अनुभव	हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के वेतन क्रम में उच्च स्थिति में
	(बी) उप-पुस्तकाध्यक्ष (घरं बी)	"	"
	(सी) विशिष्ट अफसर	"	"
9	(ए) शहर पुस्तकाध्यक्ष (1 से 3 लाख की जनसंख्या पर)	स्नातक द्वितीय श्रेणी व पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण द्वितीय श्रेणी व पाँच वर्ष का अनुभव	जूनियर क्लाम सेकण्ड एजुकेशनल सर्विस
	(बी) जिना पुस्तकाध्यक्ष	"	"
	(सी) उप-पुस्तकाध्यक्ष	स्नातकोत्तर तथा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा दो वर्ष का अनुभव	उपरोक्त व कुछ विशेष भर्ते
10.	राज्य केन्द्रीय पुस्तकाध्यक्ष	स्नातकोत्तर व पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री व 10 वर्ष का अनुभव तथा कुछ प्रकाशन	बलास बन एजुकेशनल सर्विसेज
11	पुस्तकालयों का सचिव		अन्य विभागीय अध्यक्षों के समान, यदि विभागाध्यक्ष है तो उप-शिक्षा निदेशक के समान

## पुस्तकालय सहयोग

साहित्य विस्फोट तथा पुस्तकालयों की भौतिक वित्तीय सीमाओं ने पुस्तकालयों को एक विधि अविष्कृत करने के लिए मजबूर किया ताकि वे अपने सीमित साधनों से पाठकों की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और यह विधि भी पुस्तकालय सहयोग अर्थात् पुस्तकालयों का अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करे। इसके लिए पुस्तकालय आदान-प्रदान से लेकर राष्ट्रीय सूचना तंत्र व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर प्रयत्न किये गये। अमेरिका का फारमिंटन प्लान (Farmington Plan), सेंटर फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज, शिकागो, फाइव एसोसियेशन विश्वविद्यालय पुस्तकालय (Five Association Universities Libraries) तथा Scandinavian देशों के लिए स्कैंडिनेविया प्लान (Scandia Plan) व यू. के. के Background Material Scheme इसके उदाहरण हैं। इन्होंने पुस्तकालय सहयोग को बढ़ावा दिया तथा अन्य पुस्तकालयों को इस दिशा में प्रेरित किया।

पुस्तकालय सहयोग की विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी के अन्त व 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में माना जाता है। प्रारम्भ में यह केवल स्थानीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर आरम्भ किया गया था जिसका उदाहरण 1911-12 में साउथ ईस्ट, लंदन में स्थित मार्क्सजिक व शैक्षिक पुस्तकालय सहयोग में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। इसके मुख्य कारण साहित्यिक विस्फोट तथा विक्रमशील राष्ट्रों का विकसित राष्ट्रों के समक्ष आने के प्रयत्न थे।

### आवश्यकता

पुस्तकालय सहयोग के मूल में पारस्परिकता का भाव निहित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुस्तकालयों में सहयोग की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि पुस्तकालयों ने इसे स्वतः अपनाया है। यह सत्य नहीं है बल्कि पुस्तकालयों द्वारा अपनी सीमाओं (मजबूरियों) के कारण इसे मजबूरन अपनाया गया है। इसे अपनाने के मूल कारण निम्न रहे हैं—

1. साहित्यिक विस्फोट
2. भौतिक सीमाएँ
3. भौतिक सीमाएँ अर्थात् स्थानाभाव, स्टेशनरी, फर्नीचर

4. कर्मचारी श्रभाव
5. पुस्तकालय उद्देश्यों की पूर्ति की इच्छा
6. मितव्ययता के लिए
7. क्षमता व स्तर में वृद्धि के लिए
8. पंच सूत्रों को सन्तुष्ट करने के लिए ।

### उद्देश्य

पुस्तकालय सहयोग का मुख्य उद्देश्य 'सीमित साधनों से अधिकतम पाठकों की अधिकतम वौद्धिक आवश्यकता की पूर्ति करना है।' या कहा जा सकता है कि डॉ. रगानायन के प्रथम चार सूत्रों को सन्तुष्ट करना ही ये सूत्र हैं ।

1. पुस्तकों उपयोग के लिए हैं ।
2. प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले ।
3. प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले ।
4. पाठक का समय बचाओ ।

हर्वट केलर ने अपनी पुस्तक मेमोरेण्डम ऑफ लाइब्रेरी साइन्स (Memorandum of Library Science) में पुस्तकालय सहयोग के निम्न उद्देश्य बताये हैं :

- 1 विश्व के किसी भी भाग में प्रकाशित साहित्य की राष्ट्र के पुस्तकालय में प्राप्ति ।
2. सम्पूर्ण राष्ट्र/क्षेत्र के पुस्तकालय संसाधनों को एक स्थान पर दर्शाने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/स्थानीय संघ सूची का निर्माण ।
3. पुस्तकें उधार देना, पुस्तक पत्रिकाओं के आशयों की फोटो कापी प्रदान करना साहित्य विनिमय करना, पुस्तक प्रदान करना, पुस्तक आवाप्ति कार्यों का विस्तार व मुधार करना ।

इसके प्रतिरिक्त कुछ और उद्देश्य पुस्तकालय सहयोग के निम्न में हैं —

- (1) किसी भी पाठ्य सामग्री को विश्व के किसी भी भाग में अल्प अल्प समय में पहुँचाना जहाँ उसकी अत्यधिक आवश्यकता हो ।
- (2) अनुपयोगी पुस्तकों/पाठ्य सामग्री को ऐसे स्थान पर पहुँचाना जहाँ उसकी उपयोगिता हो ।
- (3) राष्ट्र के समस्त स्तरों के उपयोगी व प्रभावशाली उपयोग के लिए उपलब्ध कराना ।
- (4) पुस्तकालय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सेवाओं की क्षमता में वृद्धि व प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहना ।

पुस्तकालय सहयोग के लिए आवश्यक है कि पुस्तकालयों के कुछ प्राथमिकी ममान हित हों तथा वे ममान दृष्टिकोण व उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहे हैं । उन

पुस्तकालयों में सहयोग के लिए शर्तें व नियम पहले से ही तय हों ताकि पुस्तकालय आपस में प्रभावी तरीके से सहयोग कर सकें।

जैफर्सन ने पुस्तकालय सहयोग के निम्न साधन बताये हैं :

1. सहकारी ग्रन्थ आवाप्ति।
2. सहकारी सचयन।
3. सहकारी वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण।
4. अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान।
5. अन्तर्ग्रन्थालीय निक्षेपागार।
6. अन्तर्ग्रन्थालयी कर्मचारी विनियम।
7. सहकारी ग्रन्थालीय प्रचार।

अलग-अलग स्थानों तथा अलग-अलग पुस्तकालयों द्वारा अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग सहयोग के साधनों का प्रयोग किया जाता है।

सहयोग के कुछ साधन निम्नलिखित हैं :—

1. अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान - वर्तमान में कोई भी पुस्तकालय अपने सीमित साधनों द्वारा पाठक की बौद्धिक आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। इसी कारण पुस्तकालयों ने पाठ्य-सामग्री के आपसी आदान-प्रदान की विचारधाराओं को अपनाया। इस आदान-प्रदान का उद्देश्य पाठक की माँग पर अपेक्षित पाठ्य सामग्री को अन्य पुस्तकालयों से प्राप्त कर उसकी आवश्यकता पूर्ति करना है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तकालय कर्मचारियों में सहयोग की भावना हो तथा एक दूसरे के स्रोतों का ज्ञान हो। इस हेतु यूनिवर्सल केटलोग का निर्माण अधिक उपयोगी व महत्वपूर्ण होगा। इस हेतु 1916 में ALA ने इंटरनेशनल लोन कोड (International Loan Code) का निर्माण किया तथा इसी क्रम में उसने 1969 में अपने अधीन एक 'सहकार पुस्तकालय संगठन' (Association of Cooperative Library Organisation) का गठन किया।

इसकी स्थापना सूचना तथा पाठ्य सामग्री के विनियम के लिए एक पैनल स्थापित करने के लिए की। IASLIC ने भी इसके लिए एक कोड का निर्माण किया जिसकी सिफारिश सेमिनार ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, 1966 (Seminar of University Librarians, Jaipur) ने भी की है। पैनलनेविया पुस्तकालय संगठन ने अपनी सरकार से 4 मई, 1982 को एच. वी. 1010 Inter Library Loan Law पार करवा लिया है। यू.एस.ए. में मेन्टर फॉर रिमर्च लाइब्रेरीज अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1949 में 10 विश्वविद्यालयों के एक समूह ने की थी। यह शोध के लिए उपलब्ध अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान के अन्तर्गत सामग्री की सूची भी प्रकाशित करता है। 1979 में इन्होंने Library Material available for Research नाम से



प्रकाशित की। यू. के. में स्कॉटिश सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्टूडेंट (Scottish Central Library for Students) तथा 162 अन्य पुस्तकालयों ने सहयोगिक रूप से एक संग्रह बनाया है, जिसकी 2,10,00,000 पुस्तकें अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान के लिए उपलब्ध है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने 1973 में अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान के लिए एक मुख्यवस्थित केन्द्र की स्थापना की। यह अन्तर्ग्रन्थालीय आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण रोल प्रदा करती है। एक अनुमान के अनुसार इसे 3 लाख अनुरोध प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं जिसमें से इसका British Library Lending Division 2 लाख अनुरोध को पूरा कर देता है।

भारत में अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। केवल मात्र कुछ सरकारी पुस्तकालय व विश्वविद्यालय पुस्तकालय बहुत ही कम मात्रा में अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान कार्यक्रम को चलाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी इस दिशा में प्रयास नगण्य है। अभी तक NCL या BLL जैसी व्यवस्था नहीं हो पायी है। कुछ विश्वविद्यालय भवश्य ही अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान के अन्तर्गत पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्ग्रन्थालय आदान-प्रदान के अन्तर्गत 2123 ग्रन्थ, राजस्थान विश्वविद्यालय ने 36 ग्रन्थ व उदयपुर विश्वविद्यालय ने 72 ग्रन्थों को अन्तर्ग्रन्थालय आदान (Inter Library Lending) किये।

2. सहयोगिक अधिग्रहण (Cooperative Acquisition)—वर्तमान परिस्थितियों, साहित्यिक विस्फोट तथा अधिग्रहण के लिए सीमित धन राशि तथा विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण यह आवश्यक है कि पुस्तकालयों द्वारा सहयोगिक अधिग्रहण किया जाये। इसमें पाठ्य सामग्री की पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए अलग-अलग प्रकार से सहयोगिक अधिग्रहण किया जा सकता है।

1. सहयोगिक पाठ्य सामग्री के त्रय से।
2. किसी एक विशिष्ट विषय या क्षेत्र की पाठ्य सामग्री एक पुस्तकालय ही त्रय करें, दोष अलग-अलग अपने विषय क्षेत्र की ही पाठ्य सामग्री त्रय करें।
3. विदेशी पुस्तकों व पत्रिकाओं के सम्बन्ध में भी इस विधि का प्रयोग किया जावे।
4. अधिक महँगी पाठ्य सामग्री कुछ पुस्तकालय मिलकर त्रय कर के अधिग्रहीत करें।

इस प्रकार सीमित साधन होते हुए भी अधिक से अधिक सामग्री का अधिग्रहण किया जा सकेगा व पाठ्य सामग्री की आवश्यक पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकेगी। यह स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर अधिक अच्छी तरह व व्यवहारिक रूप में,

प्रयोग किया जा सकता है। मानवीय धर्म व अधिग्रहण विभाग सम्बन्धित क्रियाकलापों से भी मुक्ति मिल जायेगी। इसका लाभ UK व USA ने बहुत उठाया है। अमेरिका के अन्तर्पुस्तकालय केन्द्र व हेम्पाशायर पुस्तकालय केन्द्रों को बहुत सफलता मिली है। मिडवेस्ट योजना में विश्व के 20 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों ने सहयोगिक अधिग्रहण किया। यह योजना 1950 में UK के 88 पुस्तकालयों पर लागू की गई। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय पुस्तकालय पद्धति इसका उदाहरण है। विशिष्ट विषय पर संकलन के लिए U.K. में पूर्वी पश्चिम क्षेत्रीय पद्धति 1954 तथा U.S.A. में इंटर रीजनल स्कीम 1959 (Inter Regional Scheme, 1959) इसके उदाहरण हैं।

भारत में अभी तक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हो पायी है, हाँ, मार्च 1975 में पंजाब विश्वविद्यालय में 'Cooperative Acquisition' पर एक सम्मेलन आयोजित कर विचार विमर्श किया गया।

### 3. पाठ्य सामग्री विनिमय (Exchange of Reading Material)—

प्रत्येक पाठ्य सामग्री प्रत्येक संस्था या जगह के लिए उपयोगी नहीं होती है। अतः इनके उपयोग के लिए तथा डॉ० रंगानायन के सूत्र 'प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले' इसके पालनाय प्रकाशनों का विनिमय अत्यधिक उपयोगी, आवश्यक व महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सहयोग में पुस्तकालय ऐसी पाठ्य सामग्री को जो उसके यहाँ उपयोग नहीं होती है या बहुत ही कम उपयोग होती है, उसका उपयोग समाप्त हो गया है। ऐसी सामग्री को किसी संस्था या पुस्तकालय को दे देता है। जहाँ उस पाठ्य सामग्री का अधिक उपयोग होगा। यह कार्य राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर किया जा सकता है। विश्व के अनेक देशों में इसके लिए केन्द्रों की स्थापना की गई है। UNESCO इसके लिए एक Hand Book on the International Exchange of Publication प्रकाशित करता है जिसमें पारस्परिक विनिमय के लिए पाठ्य सामग्री की सूची आदि दी गई होती है। पारस्परिक विनिमय के लिए समय-समय पर अनेक समझौते किये गये हैं जिनमें कुछ मुख्य निम्न हैं—

1. ब्रुसेल्स समझौता, 1886
2. मेक्सिको शहर का अन्तर्भूमरीका समझौता, 1902
3. न्यूनस आयरिस का अन्तर्भूमरीका समझौता, 1936
4. प्रकाशनों के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय से सम्बन्धित समझौता, 1958।

Royal University Library Oslo एक सूची प्रकाशित करती है, जिसमें विनिमय किये जाने वाले प्रकाशनों की सूची होती है। फ्रांस में भी दो राष्ट्रीय पुस्तक विनिमय केन्द्र (National Exchange Center) है। भारत में कोई ऐसा केन्द्र नहीं है।

4. सहयोगी सूचीकरण (Cooperative Cataloguing)—पुस्तकालय सहयोग के इस प्रकार के अन्तर्गत कुछ संस्थायें मिल कर किसी एक संस्था या पुस्तकालय को सूचीकरण का दायित्व सौंप देती है। इससे समय धन व धन का अपव्यय रोका जा सकता है तथा सूचीकरण में समानता व एकरूपता लायी जा सकती है। डॉ० रगानाथन ने भी इसकी सिफारिश की है। उन्होंने इसे Pre-Natel Cataloguing कहा है। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका व जापान में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस तथा नेशनल डायर पुस्तकालय, टोकियो द्वारा सफलता पूर्वक सम्पन्न की जा रही है। इस दिशा में अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस व R E किगरी की Cocot योजना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

5. कर्मचारी विनिमय, प्रशिक्षण का सहयोग—पुस्तकालय कर्मचारियों के आपसी विनिमय तथा सहयोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। इसमें कर्मचारियों को सीखने व अनुभव के सुभवसर मिलते हैं तथा विकासशील राष्ट्रों के कर्मचारी विकसित राष्ट्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली नवीनतम पद्धतियों व उपकरणों की कार्य-विधि तथा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

इससे पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पुस्तकालय की सेवाओं व स्तर के मूल्यांकन का भी अवसर प्राप्त होता है तथा वे पुस्तकालय सेवाओं व स्तर में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीक आदि का उपयोग अपने पुस्तकालय में कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण निम्न हैं—

(1) भारत व अमरीका के मध्य पी. एल. 180

(2) भारत व इंग्लैण्ड के मध्य ईटनशिप योजना

व्हील लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम (Wheel Loan Educational Exchange Programme) के अन्तर्गत प्रथम ट्रिप में 9 फरवरी, 1954 को एक 12 सदस्यीय दल ने USA की यात्रा की। अनेक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, L. C आदि को देखा तथा वहाँ अनेक सेमीनारों में भाग लिया। इस दल में श्री एस. दास गुप्ता, श्री वशीरुद्दीन, श्री नवी अहमद, श्री अमरनाथ शर्मा, श्री जे. एस. आनन्द, श्री एस रामचन्द्रन, श्री एम. बी. वाजिफदार, श्री के. आर देसाई, श्री पी. सी. बोस, श्री बी. सी. बनर्जी, श्री टी. सी. सरकार व श्री बी. बी. रायवेन्द्र राव थे।

दूसरा दल 29 फरवरी, 1956 को गया, जिसमें श्री बर्नार्ड एन्डरसन श्री प्रभात कुमार मुखर्जी, श्री के. एस. देशपाण्डे, श्री जे. एम. कान्तिकर, श्री ए. के बनर्जी, श्री बनारसी लाल पाठक, श्री विनयेन्द्र सेन गुप्ता, सरदार तारारसिंह श्री बी. के. त्रिवेदी, श्री के. एस. हिगवे थे।

इसके प्रतिरिक्त अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुस्तकाध्यक्षों ने विदेशों में प्रतिक्षण व भ्रमण किया। हटन तथा स्थिम गुन्ट फेचोशिप प्रमुख है।

6. सहयोगी भण्डार (Co-operative Storage)-सहयोगी भण्डार का विचार सर्वप्रथम लगभग 55 वर्ष पहले हार्वर्ड (Harvard) के प्रेसिडेंट इलियट (President Eliot) ने दिया तथा प्रथम सहयोगी भण्डार केन्द्र लगभग 40 वर्ष पहले न्यू इंग्लैण्ड डिपोजिटरी लाइब्रेरी (New England Depository Library) था।

सहयोग की इस व्यवस्था के अन्तर्गत सहयोगी पुस्तकालय भण्डार आदि परेशानियों को दूर करने के लिए एक सहयोगी भण्डार केन्द्र की स्थापना कर लेते हैं, जिसमें वे उपयोग समाप्त हुई या कम उपयोग होने वाली पाठ्य सामग्री को संग्रहीत कर लेते हैं तथा आवश्यकता होने पर कोई भी इस संग्रह का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह चल रही है। भारत में भी 1974 में नई दिल्ली में ICSSR व अन्य के सहयोग द्वारा लगभग 25 हजार पुरानी पत्रिकाओं के द्वारा इन्टर लाइब्रेरी रिसोर्स सेन्टर (Inter Library Resource Centre) की स्थापना की गई। सहयोग की इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रहे कुछ प्रमुख केन्द्र निम्नलिखित हैं—

- (1) सेन्टर फॉर रिसर्च लाइब्रेरी, शिकागो।
- (2) न्यू इंग्लैण्ड डिपोजिट सेन्टर।
- (3) हेम्पाशायर इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर।
- (4) मिड-वेस्ट इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर।
- (5) इन्टर लाइब्रेरी रिसोर्स सेन्टर, नई दिल्ली।

मिड-वेस्ट इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर (Mid-West Inter Library Centre) की स्थापना 1951 में शिकागो में की गई। यह आठ राज्यों को कवर करता है। वर्तमान में इन आठ राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों व 16 सस्थायें पुस्तकालय आदान-प्रदान तथा कुछ शोधकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है। इसके भवन में 20 स्वतंत्र अध्ययन कक्ष भी हैं।

7. केन्द्रीयकृत पंजीग्रहण (Centralized Registration)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक क्षेत्र या स्थान के समस्त पुस्तकालय एक समझौता कर लेते हैं तथा एक पुस्तकालय अपने यहाँ सभी सदस्यों को रजिस्टर्ड करके उन सदस्यों को सदस्यता कार्ड दे देता है। वह सदस्यता कार्ड उस क्षेत्र या स्थान के सभी सहयोगी पुस्तकालयों में मान्य होता है। इस व्यवस्था से उस क्षेत्र, स्थान के पुस्तकालयों में संग्रहीत पाठ्य सामग्री का अधिक अच्छा उपयोग हो जाता है। प्रत्येक पाठक की भी बौद्धिक आवश्यकता की लगभग पूर्ति समय पर हो जाती है। इस व्यवस्था के लागू होने से डॉ० रंगानाथन के मूत्रों :

- (1) पाठ्य सामग्री उपयोगार्थ है,
- (2) प्रत्येक पाठक को पाठ्य सामग्री मिले,
- (3) प्रत्येक पाठक सामग्री को पाठक मिले,

को सन्तुष्ट किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्रों में पुस्तक की जगह पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह और अधिक परिष्कृत व व्यवहारिक शब्द है परन्तु यह व्यवस्था स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर ही अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

8. संघ सूची (Union Catalogue)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत सहयोगी पुस्तकालय अपने यहाँ संग्रहीत पाठ्य सामग्री की एक सम्मिलित सूची बना लेते हैं। सूची किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित हो सकती है या किसी विशिष्ट प्रकार की सामग्री से सम्बन्धित हो सकती है या सभी प्रकार के सभी विषयों से सम्बन्धित हो सकती है। इससे अन्तर्ग्रन्थालय भादान-प्रदान में बहुत अधिक लाभ हो जाता है। यह सूची पाठ्य सामग्री के उपयोगी चयन में भी लाभदायक होती है।

इस प्रकार की सूची निर्माण की व्यवस्था बहुत प्राचीन है। 400 B.C. में जोन बोस्टन (John Bostan) ने इंग्लैण्ड व स्कॉटलैण्ड की 195 धार्मिक पुस्तकालयों की पाठ्य सामग्री की सूची का निर्माण किया था। 1536-1542 के मध्य जोन लेलैण्ड (John Leland) व King Henry VII ने इंग्लैण्ड का भ्रमण करके पुस्तकों की सूची बनाई जो Leland's Collection के नाम से प्रसिद्ध है। संघ सूची का प्रमुख उदाहरण है World List of Historical Periodical, 1959.

इस प्रकार की व्यवस्था को भारत में भी अपनाया जाकर अनेक संघ सूचियों का स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण किया गया है।

सहयोग के उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण तरीके हैं जो निम्न प्रकार हैं—

- (1) सहयोगी प्रचार,
- (2) सहयोगी फोटोघ्राफी व डुप्लीकेटिंग,
- (3) सहयोगी प्रलेखन सेवाएँ,
- (4) सहयोगी सन्दर्भ सेवा तथा सन्दर्भ केन्द्र,
- (5) सहयोगी सूचना युनिट्स,
- (6) सहयोगी तकनीकीय कार्य,
- (7) सहयोगी जिल्दबन्दी,
- (8) सहयोगी कम्प्युटर केन्द्र,
- (9) सहयोगी माइक्रो फिल्म व अपरम्परागत पाठ्य सामग्री केन्द्र,
- (10) सहयोगी दुर्लभ पाठ्य सामग्री केन्द्र,
- (11) सहयोगी पुस्तकालय दीक्षा (Co-operative Initiation of Freshmen).

## मानकीकरण

मानकीकरण मानव की बहुविध व बहुधायामी गतिविधियों में नियमन तथा पद्धति परायणता का अध्ययन है। इनमें उन गतिविधियों के लिए स्तर, मात्रा, नाप-तोल आदि निश्चित किये जाते हैं जिससे समग्र अर्थ व्यवस्था एवं कार्य का अश्रोष्ठतम उन्नयन व विकास हो सके। जैसे मानकीकरण का प्रमुख उपयोग आज के सन्दर्भ में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में ही नहीं होता, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। इनसे न केवल वर्तमान विकास का बल्कि भविष्य के विकास का आधार भी निर्धारित होता है। मानक मानकीकरण सम्बन्धी विशिष्ट प्रयत्न के किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परिणाम होते हैं।

### मानकीकरण

मानकीकरण शब्द मानक से बना है। मानक का शाब्दिक 'स्तर' या 'योग्यता' से है। अतः मानकीकरण का अर्थ 'स्तर या योग्यता का निर्धारण करना है।' अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (ISO) ने इसकी परिभाषा निम्न दी है—

“मानकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य सम्पादन हेतु सुव्यवस्थित रूप से नियमों का प्रयोग तथा प्रतिपादन इस प्रकार से किया जाता है जिससे अपेक्षित भित्तव्ययता एवं कार्य में सुगमता की उपलब्धि हो सके।”

निष्कर्ष रूप में कहा जाये तो “मानकीकरण मानव की बहुविध गतिविधियों में नियमन तथा पद्धति परायणता का अध्ययन है।”

### उद्देश्य (Objective)

L.C. वर्मन ने 'Standardization : A New Trends' में मानकीकरण के निम्न उद्देश्य बताये हैं—

1. आर्थिक एवं मानव प्रयासों में पूर्ण भित्तव्ययता।
2. प्रयोग में यथाशक्ति अधिकारिक सुविधा।
3. असमानता के कारण समय-समय पर उपस्थित होने वाली समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान।
4. स्तर का निर्धारण।
5. श्रेष्ठ, सुविधाजनक व उपयोगी व्यवस्था का निर्माण।

## मानकों के रूप व प्रकार

मानक निम्न रूप व प्रकारों में प्राप्त होते हैं—

### (1) मानकों के रूप—मानकों के रूप निम्न हैं—

1. प्रलेख के रूप में जिसमें पालनायं शर्तें दी गई हों ।
2. किसी मूल इकाई अथवा भौतिक इकाई के रूप में अर्थात् केल्विन, ऐम्पीयर, निरपेक्ष शून्य ।
3. भौतिक तुलना के लिए अर्थात् मीटर, किलोग्राम, घण्टा ।

### (2) मानकों के प्रकार—मानक 6 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं—

1. नाप तोल के मानक—इस प्रकार के मानकों से नाप, तौलों को निर्धारित किया जाता है तथा विभिन्न वस्तुओं की नाप तोल सम्बन्धी मर्यादायें निश्चित करते हैं । इससे विभिन्न वस्तुओं में एकाकारिता प्राप्ति है ।
2. गुण एवं कार्य निष्पादन स्तर के मानक—इन मानकों में विभिन्न वस्तुओं के प्रमुख गुणों एवं निष्पादन स्तरों का निर्देशन होता है । साथ ही इन गुणों की जाँच पड़ताल के तरीके भी बताये होते हैं ।
3. परीक्षण के मानक—इन मानकों में विभिन्न वस्तुओं के विश्लेषण व परीक्षणों के तरीकों के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं के दौरान इनमें घटित परिवर्तनों का ब्यौरा होता है । यह भी बताया जाता है कि भ्रमुक क्रिया से भ्रमुक परिवर्तन किस-किस विकार द्योतक है अथवा उस विकार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ।
4. परिभाषिक शब्दावली के मानक—इन मानकों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी परिभाषिक शब्दावली को स्थिर रूप दिया जाता है ।
5. व्यवहार कल्प—इन मानकों में विभिन्न कार्यों की प्रयुक्त सामग्रियों एवं कार्यों का लेखा-जोखा इस प्रकार दिया जाता है कि हर सम्बन्धित वस्तु का गुण-धर्म एवं कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित होता है । इधर-उधर जाने से गुण व स्तर में अन्तर पड़ जाता है ।
6. संस्तुतियाँ—संस्तुतियाँ ऐसे मानक होते हैं जिनमें विभिन्न वस्तुओं एवं कार्यों के विषय में पूर्ण रूपेण एकमेव-निर्देशन न होकर वैकल्पिक गुंजाइम होती है । अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्था के मानकों को संस्तुतियाँ कहा जाता है ।

पुस्तकालय व प्रलेखन क्षेत्र में मानक

पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं तथा पाठकों को सम्पूर्ण सहयोग देने तथा साहित्यिक विस्फोट पर काबू पाने के लिए तथा इस क्षेत्र में नियमन करने के लिए मानकीकरण एकमात्र साधन है । प्राथमिक व अन्ततः सामग्रीको कहीं व कैसे रखा जाये यह अथवा पुस्तकालय कर्मचारियों एवं पाठकों के लिए अथवा तक पहुँचाने के लिए विशेष

महत्त्व का है। आख्या पत्र, विषय सूची, ग्रन्थलेखा, परिभाषिक शब्दावली परिशिष्ट, अनुक्रमणिका पुस्तकालय भवन, फर्नाचर, लाइटिंग स्टाफ एवं वेंटिलेशन आदि का रूप व नाम कंसा हो, यह भी मानकीकरण के दायरे में आता है। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकों को सजाने तथा माँग होने पर प्राप्त करने में अद्यवस्था तथा प्रणियमन के कारण समय तथा धन व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानकों का होना आवश्यक है। इस प्रकार अपरिष्कृत व परम्परागत विधियों के स्थान पर तर्क संगत द्रुत विधियों के उपयोग से इस क्षेत्र के कर्मचारियों के समय की जो बचत हो उसे चिन्तन, विन्यास तथा आयोजन के कार्य में लगाया जा सकता है। इसी कारण मानकों की आवश्यकता पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डॉ. रंगानायन द्वारा अनुभव की गई।

मानकीकरण करने वाले संस्थायें—मानकीकरण के क्षेत्र में विश्व में निम्न प्रमुख संस्थायें हैं—

- (1) I. S. O. (अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन)
- (2) United States of America Standard Institution (USAST).
- (3) British Standard Institution (BSI)
- (4) National Bureau of Standard.
- (5) I. S. I.
- (6) IFLA
- (7) UNESCO
- (8) FID
- (9) ICSU
- (10) कई पुस्तकालय संघ भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे ए. एन. ए.।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में IFLA व FID इसके सारण तथा सक्षिप्ति-करण व सामयिकी के नामों के लघु रूप हैं। BSI द्वारा प्रकाशित UDC का सक्षिप्त संस्करण व इस वर्गीकरण के विभिन्न भाग भी हैं। दूसरे महत्त्व का कार्य UNES- CO का 'स्टेण्डर्डिजेशन ऑफ स्टेटिंस रिलेटिंग टू बुक्स एण्ड पिरियोडिकल्स' है। इससे समस्त विश्व के पुस्तक तथा सामयिक उत्पादन के धाँकडों में एकरूपता पा गई है। तीसरा महत्त्व का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकाक है। इस पद्धति के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में प्रकाशित प्रकाशनों को एक नम्बर दे दिया जाता है। इस नम्बर में देश, प्रकाशक व प्रकाशन संस्था समाहित होती है। इस पुस्तकाक को देकर पुस्तक कही से भी मंगवाई जा सकती है।



आई. एस. ओ. के प्रयास—आई. एस. ओ. ने पुस्तकालय विज्ञान प्रलेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आई. एस. ओ. की तकनीकी समिति आई. एस. ओ./टी सी 46 द्वारा प्रलेखन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये जाते हैं। भारत इस समिति के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है तथा भारत की राय को आई. एस. ओ. बड़ा महत्व देता है। डॉ. रंगनाथन द्वारा भेजे गये सुझाव मान लिये गये, जिसके उदाहरण IS: 4-1949 व IS: 18-1949 है। इसके द्वारा इस क्षेत्र में निर्धारित कुछ मुख्य निम्न हैं—

- (1) ISO/R4 International code for Abbreviation of Title of Periodicals)
- (2) ISO/8 Lay out of Periodicals,
- (3) ISO/R 18 Short contents List
- (4) ISO/R 77 Bibliographical References
- (5) ISO/R169 Size of Photocopies
- (6) ISO/R193 Microcopies on Transparent Bases
- (7) ISO/R 214 Abstracts and Synopses
- (8) ISO/R 215 Presentation of Contribution to Periodicals
- (9) ISO/R 218 Microcopies.

### भारत में किये गए प्रयास

भारत में मानक निर्धारण के क्षेत्र में मुख्य कार्य आई. एस. आई. व डॉ. रंगनाथन ने किया है। हालाँकि कुछ सस्थायें इस दिशा में लोगो को जाग्रत करती हैं तथा मानक निर्माण में सहायता करती रही हैं। इसमें यू. जी. सी. प्रमुख है। यह मानक निर्धारण का कार्य दो प्रकार का है, एक तो औपचारिक व दूसरा अनौपचारिक मानकीकरण औपचारिक मानकीकरण में आई. एस. आई. समिति द्वारा किया गया कार्य आता है। अनौपचारिक में यू. जी. सी. समिति द्वारा किये गये कार्य आते हैं। यहाँ हम डॉ. रंगनाथन, आई. एस. आई. व यू. जी. सी. द्वारा मानकीकरण के क्षेत्र में किये गये कार्य को देखेंगे।

आई. एस. आई.

1946 में देश की स्वतन्त्रता का आभास होने पर पूर्ण व क्षीघ्र आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए जनवरी, 1947 में भारतीय मानक संस्था (ISI) की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों का निर्धारण, ग्रहण, प्रोत्साहन था। अब तक यह 10,000 मानक निर्धारित कर चुकी है। आई. एस. आई. की सम्पूर्ण व्यवस्था उसकी महापरिषद् तथा उसके द्वारा नियुक्त कार्यकारी समिति के हाथों में है। संस्था के तकनीकी कार्य के लिए 9 विभाग परिषद् हैं। प्रत्येक विभाग परिषद् के अधीन किसी प्रमुख क्षेत्र में मानक निर्धारण के कार्य की जिम्मेदारी होती है। मानक निर्धारण का कार्य विषय

समितियों द्वारा होता है जो विभाग परिषदों के आधीन होती है। इसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान व प्रलेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इसी कारण इसके मानक 'ISO/R 46 पत्रिकाओं के नामों की संक्षिप्तियाँ' तथा 'ISO/8 पत्रिकाओं की सज्जा' को ISO ने अन्तर्राष्ट्रीय मानक घोषित किया है। इसके द्वारा निर्धारित कुछ मानक निम्न हैं—

- (1) IS : 4-1949 पत्रिकाओं के विन्यास की रीति  
(Practice for make up of periodicals)
- (2) IS : 18-1949 पत्रिकाओं के नामों की संक्षिप्तियाँ  
(Abbreviations for titles of periodicals)
- (3) IS : 1553-1950 पुस्तकालय भवन के आकल्पन सम्बन्धी प्राथमिक तत्वों की रीति संहिता  
(Primary elements in the design of library building)
- (4) IS : 382-1952 वर्णक्रम की रीति  
(Practice for alphabetical arrangement)
- (5) IS : 790-1956 पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठों की सामान्य संरचना  
(Specification for general structure of preliminary pages of a book tentative)
- (6) IS : 791-1956 पुस्तक के लघु आख्या पृष्ठ का विन्यास  
(Specification for half title leaf of a book tentative)
- (7) IS : 792-1956 पुस्तक के आख्या पृष्ठ का विन्यास  
(Specification for title leaf of a book tentative)
- (7) IS : 793-1956 पुस्तक के आख्या पृष्ठ पर लेखक सम्बन्धी विवरण की रीति  
(Practice for author statement in the title page of a book tentative)
- (9) IS : 794-1956 विषय तालिका तैयार करने की रीति  
(Practice for table of contents tentative)
- (10) IS : 795-1956 सार निर्माण के सिद्धान्त  
(Canons for making abstracts)
- (11) IS : 796-1959 सूचीकरण शब्दावली कोश  
(Glossary of cataloguing terms)
- (12) IS : 1250-1959 मुद्रकों व लेखकों के प्रूफ पढ़ने के चिन्ह  
(Proof corrections for printers and authors)
- (13) IS : 1275-1958 वर्णक्रम निर्देशी तैयार करने के नियम  
(Rules for making alphabetical indexes)

- (14) IS 1388-1959 ग्रन्थालय सूची सहिता के अभिन्यास को रीति  
(Practice for layout of library catalogue code)
- (15) IS : 1829 (भाग एक व दो) 1961 पुस्तकालय फर्नीचर व फीटिंग  
(Library furniture and fitting Part I and II)
- (16) IS 2672-1966 पुस्तकालय प्रकाश व्यवस्था कोड  
(Code of practice for library lighting)
- (17) IS 2381-1963 बिब्लियोग्राफीकल, उल्लेख सम्बन्धी सिफारिशें  
(Recommendations for bibliographical references  
essential and supplementary elements)
- (18) IS 2960-1964 चमड़े की पुस्तक बाइन्डिंग  
(Book binding leather)
- (19) IS 3050-1964 पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की मजबूत  
बाइन्डिंग की रीति सहिता  
Rein forced binding of library books and Periodicals,  
code of practice)
- (20) IS 2250-1963 वर्गीकरण शब्दावली कोटा  
(Glossary of classification terms)
- (21) IS 2661-1978 चल पुस्तकालय वाहन  
(Mobile library van)
- (22) IS : 7400-1974 पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन व तैयारी की मार्गदर्शिका  
(Guide for preparation and production of text books)
- (23) IS 10101-1982 अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकृत क्रम नम्बर मार्गदर्शिका  
(Guide for International standard serial numbering)  
(ISSN).
- (24) IS 10200-1982 A6 माइक्रोफिस का आकार  
(A6 Size Microfiche)
- (25) IS पाठ्य पुस्तकों के लिए मुद्रित क्षेत्र व टाइप का आकार की मार्ग-  
दर्शिका  
(Guide for print areas, margins and type sizes for  
text books)
- (a) Part I-Text book in English IS : 7160-1974
- (b) Part II-Text book in Hindi IS : 7160-1974
- (c) Part III-Text book in Malayalam IS : 7160-1977
- (d) Part IV- " " Telugu IS : 7160-1977

- (e) Part V-        "        " Kannada        IS : 7160-1977  
 (f) Part VI-       "        " Tamil         IS : 7160-1977  
 (g) Part VII-     "        " Bengali       IS : 7160-1980

भारतीय मानक संस्थान ने अपने कुछ मानकों का एक दो बार संशोधन में कर दिया है। इसके द्वारा संशोधित कुछ मानक निम्न हैं—

- (1) IS : 2381-1978 Recommendations for bibliographical references : essential and supplementary elements (1st revision)
- (2) IS : 18-1970 Guide for abbreviations of words in titles of periodicals using Roman alphabet (1st revision)
- (3) IS : 4-1963 Guide for layout of learned periodicals (revised)
- (4) IS : 792-1976 Title-page and back of title page of book. (revised)
- (5) IS : 795-1976 Guide for preparation of abstracts (1st revision)
- (6) IS : 1275-1976 Rules for making alphabetical indexes (1st revision)
- (7) IS : 796-1966 Glossary of cataloguing terms (1st revision)
- (8) IS : 2661-1978 Mobile library van (1st revision)
- (9) IS : 2662-1978 Packages for use of libraries (1st revision)
- (10) IS : 1358-1967 Practice for layout of library catalogue code. (1st revision)
- (11) IS : 2663-1977 Primary elements in the design of buildings for archives, recommendations (1st revision)
- (12) IS : 1553-1976 Primary elements in the design of library buildings (1st revision)
- (13) IS : 18:9 (Part I)-1978 Library furniture and

(Part I-Timber)

(1st revision)

(14) IS 1829 (Part II)-1977 Library furniture and fittings

(Part II Steel)

(1st revision)

(15) IS : 3130-1972 Code of practice for handling and storage of transparencies (Micro film and micro fiche)

(1st revision)

आई.एस.आई. का संगठन—भारतीय मानक संस्थान (Indian Standard Institute) की स्थापना जनवरी, 1947 में की गई। इसकी स्थापना के पीछे स्वतन्त्र भारत में अन्य देशों की तरह उठाये जा रहे औद्योगिक उत्पादन व अन्य क्षेत्रों में क्षमता में वृद्धि व स्तर के लाभ को प्राप्त करने का स्वप्न था। इसका प्रमुख उद्देश्य "Preparation of standards relating to products, commodities etc. and their promotion on national and international bases." रखा गया।

आई एस आई. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की समितियों व उप समितियों को नियुक्त करती है। इसका एक स्वयं का विशाल पुस्तकालय भी है जिसमें समस्त मानकों का संग्रह किया जाता है। यह पुस्तकालय समितियों के सदस्यों व अनेक संस्थाओं को सेवा उपलब्ध करवाता है। आई. एस. आई. कमेटी, समितियों व विशिष्ट विषय की उप-समितियों का एक समन्वित समूह है। आई. एस. आई. की पूरी प्रक्रिया को गुरुचरण सिंह ने निम्न प्रकार बताया है—



↓  
प्रलेखन विभागीय समिति की उप-समितियाँ

प्रलेख पुनरुत्पादन (Document reproductive)	पत्रिकाओं के शीर्षक के लिए वर्णमाला क्रम व्यवस्था एवं संक्षिप्तियाँ (Alphabetization, and abbreviations for titles of periodicals)	पुस्तकों और पत्रिकाओं की संरचना और उनका प्रभिन्यास (Structure and layout of books and periodicals)	पुस्तकालय प्रविधि (Library technique)	पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रस्तुति (Present- ation in books and periodi- cals)
--	---	--	--	--

वर्तमान में आई. एस. आई पुस्तकालय विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है।

यू. जी. सी.

यू. जी. सी. प्रतीपचारिक श्रेणी के मानक निर्धारित करती है। इसने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानक निर्धारित किये हैं। यू. जी. सी. की पुस्तकालय समिति की रिपोर्ट एवं 'प्रकाशक से पाठक' विषय पर हुये सेमीनार रिपोर्ट मुख्य है तथा अनेक इसके द्वारा निर्मित समितियों के सुझाव व रिपोर्ट हैं, यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय को कार्य प्रणालियों का मानकीकरण उपस्थित करती है।

रंगानाथन

डॉ. रंगानाथन का पुस्तकालय मानकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे आई. एस. आई. के प्रमुख सलाहकार तथा उसकी कई मानक समितियों अध्यक्ष व सदस्य रहे हैं।

वे मानकीकरण को वैज्ञानिक विकास की आधारशिला मानते हैं तथा उन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'Library Administration' पुस्तकालय प्रबन्ध में एक पूरा का पूरा अध्याय मानकीकरण व उसकी उपयोगिता पर दिया है। निर्देश व सारण पत्रिकाओं में पूर्वोक्त असमानताओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर अपने C C C तथा Documentation and its facts में विभिन्न नियमों-उप-नियमों व मिष्ठान्तों का प्रावधान किया जो सब जगह मान्यता प्राप्त करने प्रतीत होते हैं। इसमें C C C के अध्याय TA व UF तथा Doc and its facts के अध्याय उल्लेखनीय हैं।

डॉ. रंगनाथन आई. एस. आई. की 'प्रलेखीकरण विषय समिति' के 1947-48 तक अध्यक्ष रहे तथा गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण अवकाश ग्रहण किया। इस लम्बी अवधि तक पुस्तकालय व प्रलेखीकरण के क्षेत्र में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहे। इस समिति में देश के पुस्तकालय संघों, प्रलेखीकरण कार्य से सम्बन्ध संगठनों, प्रकाशकों व मुद्रकों के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया।

### भारतीय मानक सम्मेलन

आई. एस. आई. प्रतिवर्ष देश के किसी न किसी भाग में सम्मेलन आयोजित करती है। पुस्तकालय विज्ञान व प्रलेख से सम्बन्धित कुछ मुख्य सम्मेलन निम्न हैं—

1. मद्रास सम्मेलन—मद्रास में 1957 में हुए मानक सम्मेलन में प्रलेखन को दो सत्र दिये गये। इसमें पुस्तकों, सामयिकों तथा प्रलेखीकरण सम्बन्धी मानक निर्धारण के लिए विचार किया गया। इसमें प्रूफ पर विचार किया गया तथा इस पर मानक भी निर्धारित किये गए। डॉ. रंगनाथन का इनमें प्रमुख योगदान था। डॉ. रंगनाथन ने एक चक्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रलेखन के संमस्त क्षेत्रों को परिमाणात्मक अनुपात में प्रस्तुत किया गया है।

2. हैदराबाद सम्मेलन (1958)—इसमें उन ही समस्याओं तथा क्षेत्रों पर विचार किया गया, जिन पर मद्रास सम्मेलन में विचार करना शेष रह गया था। इस सत्र का कार्य मुख्यतः पुस्तक या पत्रिका निकालने, सूचक निर्माण, ग्रन्थ उल्लेख और वर्गीकरण तथा सूची तैयार करने से सम्बन्धित था।

3. कानपुर सम्मेलन (1961)—इसमें मुख्य रूप से प्रलेखों के भण्डारण तथा उनके परीक्षण पर विचार किया गया। सुविधा पूर्वक अध्ययन के लिए प्रकाश व्यवस्था, पुरालेखों में अभिलेखों का उपचार, अप्रयोज्य सामग्री छांटने की अवधि, पुस्तकों को शीघ्र ढूँढ सकने की दृष्टि से सजाने की पद्धति, पुस्तकों की जिल्दबन्दी पर विचार-विनिमय हुआ।

4. बंगाली सम्मेलन (1965)—यह नये क्षेत्रों की खोज से सम्बन्धित सम्मेलन कहा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से विषयों के शीर्षक फ्रेंचो या भारतीय भाषाओं में तैयार करने, पत्रिकाओं के नामों की सक्षिप्तियाँ-भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली, विभिन्न विषयों की शब्दावलियों की समीक्षा तथा पुस्तकालय भवनों के मानकीकरण पर विचार विमर्श हुआ।

## पुस्तकालय भवन

पुस्तकालयों के विकासक्रम को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था, जब पुस्तकालय एक पाठ्य सामग्री संग्रहीत करने का स्टोर था, द्वितीय अवस्था, जब वह कुछ व्यक्तियों को सीमित मात्रा में सुविधा प्रदान करता था। तृतीय अवस्था, वर्तमान अवस्था कही जा सकती है जब पुस्तकालय का कार्य क्षेत्र व सेवारतें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। पुस्तकालय भवन में भी प्राचीन काल से वर्तमान तक इन तीन अवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में पुस्तकालय भवन इस प्रकार डिजाइन किया जाता था कि कम से कम जगह में अधिकतम पुस्तकें सुरक्षित रूप से संग्रहीत की जा सकें, सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। बहुत प्राचीन समय में तो इसके लिए पुस्तकों को चैन इत्यादि से बांधकर भी रखा जाता था और पुस्तकालय का एक मात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के अध्ययनार्थ पुस्तकें संग्रहीत करके रखना था। परन्तु मध्यकाल या भवन विकास की द्वितीय अवस्था में पुस्तकालय उद्देश्य के कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप पुस्तकों के संग्रह कक्ष के अलावा केवल मात्र कुछ व्यक्तियों के अध्ययन करने के लिए भी स्थान की व्यवस्था की जाने लगी। उस समय व्यक्ति भी बहुत सीमित मात्रा में होते थे क्योंकि पुस्तकालयों के उपभोग की सभी को अनुमति नहीं होती थी।

पुस्तकालय भवन की विकास की तीसरी अवस्था का प्रारम्भ 1850-60 से माना जा सकता है। जिसको 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्ण मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इस अवस्था में पुस्तकालय का एक मात्र उद्देश्य मुनियोजित रूप में वे सभी कार्य करना जो ज्ञान के संग्रह व सम्प्रेषण (Storage and Dissimination of Knowledge) से सम्बन्धित हों, परन्तु बाद में अन्य बौद्धिक गतिविधियों के संचालन में भी सहयोग करना हो गया। इसलिए पुस्तकालयों द्वारा विविध प्रकार के कार्य किये जाने लगे और पुस्तकालय भवन जहाँ केवल मात्र पुस्तकें संग्रह का स्थान ही था, वो ज्ञान के सम्प्रेषण का भी एक सशक्त केन्द्र के रूप में कार्य करने लगे और इसके लिए पुस्तकालय भवन में संग्रह कक्ष के अतिरिक्त अनेक प्रकार के कक्षाओं की व्यवस्था के साथ-साथ उसमें अध्ययन के लिए अनेक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाने लगी। मुक्त प्रवेश प्रणाली पद्धति ने भी पुस्तकालय भवन की बनानट को बहुत



प्रभावित किया। वर्तमान में पुस्तकालय भवन डिजाइन (Design) करना एक बहुत जटिल तथा महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। एक अच्छा भवन पाठ्य सामग्री के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि कर सकता है। एक गलत जगह पर स्थित खराब भवन पाठ्य सामग्री के उपयोग को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। इसीलिए प्रो० पी० एन० कोला ने कहा है कि "पुस्तकालय भवन पुस्तकालय के कार्यों की विशिष्ट, स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है।"

वर्तमान में पुस्तकालयों का कार्य सामान्य से विशिष्ट होता जा रहा है तथा विविध प्रकार के पाठ्य सामग्री का प्रचलन होता जा रहा है। इसलिए पुस्तकालय भवन निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पुस्तकालय भवन का निर्माण एक योजना द्वारा किया जाना चाहिए। 'एन्थोनी थॉमसन' (Anthony Thompson) पुस्तकालय भवन योजना के तीन स्तर बताये हैं।

1. पूर्व योजना स्तर
2. योजना स्तर
- 3 डिजाइन स्तर

ALA ने पुस्तकालय भवन योजना की तीन अवस्थाएँ बताई हैं।

1. Programming
2. Pre-Planning
3. Working Drawing

लायल ने कहा है कि भवन निर्माण योजना प्रस्तावित करने से पूर्व संस्था को आदर्श व नवीनतम पुस्तकालयों का भवन डिजाइन निरीक्षण हेतु एक योजना बनाना चाहिये। प्रो पी० एन० कोला के अनुसार भवन निर्माण योजना के निम्न घाँकड़ों को एकत्रित कर लेने परचात् ही पुस्तकालय भवन डिजाइन तैयार करना चाहिये।

- I Number of Volumes
- II Number of Current Periodicals
- III Number of other reading materials; especially micro documents.
- IV Number of Manuscripts
- V Acquisition Programme
- VI Technical Operations
- VII Reading Space
- VIII Accessibility of the Shelves
- IX Circulation data
- X Reference and consultation data

XI Specialise Services data

XII Library Personnel data

उपरोक्त के अलावा पुस्तकालय का प्रकार तथा पाठकों के प्रकार के सम्बन्ध में भी जानकारी आवश्यक है। पुस्तकालय भवन निर्माण योजना के निर्धारण के लिए सबसे प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष को अन्य महत्वपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान कर रहे पुस्तकालयों का भ्रमलोकन करके तथा अपने कार्यालय स्तर पर एक आदर्श योजना का निर्माण करना चाहिए। इसके उपरान्त एक पुस्तकालय भवन योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसमें निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए—

1. पुस्तकाध्यक्ष
2. प्राधिकारी
3. इंजीनियर्स (विद्युत, सिविल, वातानुकूलन)
4. आन्तरिक साज सज्जाकार
5. वित्तीय सलाहकार
6. पुस्तकालय रुचि वाला एक व्यक्ति
7. भवन निर्माण शिल्प विशेषज्ञ

Galvin व Buren के अनुसार पुस्तकालय भवन, समिति के पुस्तकाध्यक्ष तथा शिल्पकार (Architects) एक मूल तत्त्व हैं। मेटकाफ ने समिति में पुस्तकाध्यक्ष शिल्पकार तथा दानकर्ता, वित्त सम्बन्धी व्यक्ति तथा संस्था प्रधान को आवश्यक बताया है।

पुस्तकाध्यक्ष द्वारा बताया गयी सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकालय भवन निर्माण की योजना समिति को अन्य सदस्यों द्वारा संशोधित व परिवर्धित की जानी चाहिये। पुस्तकालय भवन निर्माण योजना के निर्धारण से पहले अगले 25 वर्षों में होने वाली सम्भावित पाठ्य सामग्री, पाठक व स्टाफ इत्यादि में वृद्धि को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा भवन के चारों ओर भावी विस्तार के लिए कुछ जगह भी छोड़ देनी चाहिए।

पुस्तकालय भवन के स्थान के सम्बन्ध में वर्तमान में यह धारणा अमान्य हो गयी है कि "शहर में ऐसा स्थान चुना जाये जो किसी भी रेन्वे स्टेशन अथवा ट्राम लाइन से एक मील दूर हो, जिसके आधा मील पास में कोई रिकना स्टेशन न हो। कोई भी कॉलेज व विद्यार्थी होस्टल इन स्थान में कम से कम तीन मील की दूरी पर हो।" पुस्तकालयों के भवन के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिये जहाँ अधिक से अधिक पाठक कम समय में सुविधापूर्वक पहुँच सकें। सांवेनिक पुस्तकालय के लिए यह स्थान शहर के बीचों-बीच होना चाहिए। शहर के मध्य होने वाले

शोर गुल समस्याओं को भौतिक उपकरणों इत्यादि द्वारा दूर किया जा सकता है। उपयुक्त स्थान पर पुस्तकालय भवन होने से अधिक पाठक पुस्तकालय का उपयोग कर सकेंगे। शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए यह स्थान संस्था के कैम्पस के बीच में होना चाहिये, जहाँ से सभी विभाग कार्यालय, होस्टल इत्यादि पास हों, जिससे पाठक सुविधापूर्वक पुस्तकालय का उपयोग कर सकें। भवन योजना के लिए सिद्धान्त

पुस्तकालय भवन निर्माण कुछ आधारभूत सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिये ताकि भवन अपने उद्देश्यों व प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो तथा अच्छी प्रकार उन्हें सम्पन्न कर सके। पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए अनेक सिद्धान्त सम्पन्न कर सके। पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए अनेक सिद्धान्त लिये गये हैं तथा समय-समय पर अनेक सम्मेलनों व सेमिनार द्वारा दिये गये हैं। भारत में इस पर ILA व IASLC ने काफी प्रयास किये हैं। भारत में 11-13 फरवरी, 1980 को NISSAT प्रोग्राम के अन्तर्गत 'Seminar on Planning and Design of Library Buildings' विषय पर विज्ञान व तकनीकी विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसमें विद्वानों के 34 विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह इस प्रकार का भारत में प्रथम महत्वपूर्ण सम्मेलन था। श्री सूलस (Saules) ने पुस्तकालय भवन के लिए कुछ सिद्धान्त दिये हैं। जो निम्नलिखित हैं—

- I A Library building should be planned for library work.
- II Every library building should be planned specially for the kind of work to be done, and the community to be served
- III The Interior arrangement ought to be planned before the exterior is considered
- IV No convenience of Arrangement should ever be sacrificed for more architectural effect.
- V The plan should be adopted to probabilities of growth and developments
- VI Simplicity of decoration is essential in the working rooms and reading rooms.
- VII A Library should be planned with a view to economical administration.
- VIII The rooms for public use should be so arranged as to allow complete supervision with the fewest possible attendants.

IX Modern library plans should provided accommodation for readers near the books they want to use, whatever shelving is adopted.

हेनरी फाल्कनर (Henry Faulkner)—ने पुस्तकालय भवन के लिये Ten Commandments बताए हैं जो निम्नलिखित हैं—

- I FLEXIBLE : With a layout, structure and services which are easy to adopt.
- II COMPACT : For ease of movement of readers, staff and books.
- III ACCESSIBLE : Form the exterior into the building and from the entrance to all parts of the building with an easy comperehensible plan, needing minimum supplementary directions.
- IV EXTENDIBLE : To permit future growth minimum disruption.
- V VARRIEND : In its provision of reader spaces, to give wide freedom of choice.
- VI ORGANISED : To impose appropriate confrontation between books and readers.
- VII CORFORTABLE : To promote efficiency of use.
- VIII CONSTANT : In environment for the preservation of library materials.
- IX SECURE : TO CONTROL USER behaviour and loss of books.
- X INDICATUIVE : Of its functions.

श्री एन्थोनी थॉमसन ( Anthony Thompson ) के अनुसार सम्पूर्ण पुस्तकालय को मुख्यतः तीन क्षेत्रों में विभाजित करके उसके अनुसार भवन का निर्माण करना चाहिए । ये तीन भाग हैं—

1. शोर वाला क्षेत्र
2. बातचीत वाला क्षेत्र
3. शान्ति वाला क्षेत्र

उन्होंने प्रवेश द्वारा,सर्कूलेशन कक्ष,निकोपालय आदि को शोर वाले क्षेत्र में तथा सेमीनार कक्ष व केटलोग कक्ष, सदस्य सहायक कक्ष, प्रदर्शन स्थल, कर्मचारियों के कक्षों



के हिसाब से नाप बताया है। मेटकाफ ने प्रति 10 छात्रों पर तीन सीट, लायल व बुटवार्ड ने 25 से 50 छात्रों के बैठने का स्थान बताया है। यू. जी. सी. समिति (भारत) ने कुल छात्रों का 29 प्रतिशत छात्रों के लिए स्थान, कुल अध्यापकों के लिए 10 प्रतिशत स्थान की सिफारिश की है। यू. जी. सी. (यू. के.) समिति ने 1964 में सिफारिश की है।

1. एक सीट प्रति तीन कला स्नातक छात्रों के लिए।
2. एक सीट प्रति पाँच विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए।
3. एक सीट प्रत्येक कला स्नातकोत्तर छात्र के लिए।
4. एक सीट प्रति तीन विज्ञान स्नातकोत्तर छात्रों के लिए।

उपरोक्त मानकों में यू. जी. सी. (यू. के.) के मानक शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए अधिक छात्रों के बैठने के स्थान की व्यवस्था का सुझाव देते हैं, जबकि यू. जी. सी. (इण्डिया) 20 प्रतिशत छात्र व 10 प्रतिशत अध्यापकों के बैठने की सुविधा का प्रावधान करते हैं। यह एक बहुत बड़ा अन्तर है। यू. जी. सी. (यू. के.) के अनुसार 2.3 मीटर प्रति सीट व फ्रेन्क स्टेण्डर्ड के अनुसार 1.5 मी. प्रति छात्र स्थान की आवश्यकता होगी। ALA के अनुसार स्नातक के लिए 25 वर्ग फीट, स्नातकोत्तर के लिये 30 वर्ग फीट व अध्यापक के लिए 40 वर्ग फीट की जरूरत होगी।

1. सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए—सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए गैलविन (Galvin) तथा बर्न (Buren) ने निम्न व्यवस्था दी है—

1. 10,000 से कम जनसंख्या पर 4 से 10 सीट प्रति हजार।
2. 10,000 से अधिक व 24 हजार से कम = 4 से 5 प्रति हजार।
3. 25,000 से 49,000 हजार तक = 3 से 4 सीट प्रति हजार।
4. 50,000 से 74,000 हजार तक = 2 से 3 सीट प्रति हजार।
5. 75,000 से 99,000 हजार तक =  $1\frac{1}{2}$  से 2 सीट प्रति हजार।

UGC (भारत) समिति ने अध्ययन कक्ष के लिए निम्न सूत्र दिया है—

(1) लम्बाई— $1.5n$  ( $n$  अध्ययन मेजों की कतार संख्या है, नियंत्रण क्षेत्र के प्रतिरिक्त)

(2) चौड़ाई—5 मी. (यदि 2 मीटर लम्बी 2 मेजें हों तथा 1 मीटर भ्राने जाने का स्थान)

—7.5 मी. (यदि 2 मीटर लम्बी 3 मेजें हों तथा 1.5 मीटर भ्राने जाने का रास्ता)

—10 मी. (यदि 4 मेजें 2 मीटर लम्बी हों तथा 2 मीटर भ्राने जाने का रास्ता)

(3) ऊँचाई— 4.70 (डॉ. रंगानाथन के अनुसार 2 R, यदि एक संग्रहागार की ऊँचाई 2.35 मी. हो तो )  
—ISI ने 2.33 वर्ग मी. प्रति पाठक प्रावधान हेतु कहा है जो सर्वमान्य है।

संग्रहागार (Stock Rooms)

पुस्तकालय एक वर्धमानशील संस्था है। पुस्तकालय में प्रत्येक चीज में बढ़ोतरी होती रहती है परन्तु जितनी अधिक सख्या में पाठ्य सामग्री की बढ़ोतरी होती है, उतनी अन्य किसी बीज में नहीं। इसलिए पुस्तकालय संग्रहागार के लिए स्थान का अनुमान लगाना एक मुश्किल काम है। संग्रहागार के लिए स्थान का अनुमान भावी 25 वर्षों को ध्यान में रखकर लगाना चाहिये।

शैक्षणिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए UGC (India) समिति ने पुस्तकों की संख्या निम्न बतायी है परन्तु साहित्यक स्कोप व सुझाव 25 वर्ष पुराने हो गये हैं। इसलिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय 1,00,000 से 3,00,000

महाविद्यालय 5,000 से 50,000

स्कूल पुस्तकालयों के लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं है। UGC (India) ने विश्वविद्यालय के लिए 4 व महाविद्यालय के लिए दो संग्रहागार की सिफारिश की है। विद्यालय पुस्तकालय में कम से कम 5 हजार पुस्तकों का अनुमान लगाना चाहिये।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अमेरिकन पुस्तकालय संघ ने  $1\frac{1}{2}$  से 3 पुस्तकें प्रति व्यक्ति की सिफारिश की है। राबर्ट्स समिति (UK) ने 250 पुस्तकें प्रति हजार जनसंख्या पर तथा 7,200 पुस्तकें मूल संग्रह के रूप में बताई हैं। इन्हें छोटे-छोटे से पुस्तकालय में न्यूनतम 3000 उपन्यास व 3000 अन्य पुस्तकें क्रय करने की सिफारिश की है जिसका मूल्य 3,600 पौण्ड हो।

एसाबर्ग के अनुसार 10 बोल्यूम प्रति वर्ग फुट या 108 बोल्यूम प्रति वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। मेटकाफ के अनुसार प्रति वर्ग फुट स्थान में 8 पुस्तकें अर्धसाइज की, 7 पुस्तकें साहित्य की व इतिहास, तकनीकी व मेडीकल आदि विषयों की पुस्तकों को 5-6 प्रति वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होगी। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं व मण्डलों के मानकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रागे किया जायेगा।

UGC (India) समिति के अनुसार संग्रहागार के स्थान का अनुमान निम्न सूत्र द्वारा लगाया जा सकता है—  
(1) लम्बाई— $1.20 + 3.15 m$  (यहाँ m पुस्तक कमरों की बतार की संख्या है)

(2) चौड़ाई—3 मीटर (एक 2 मीटर लम्बी फलक के लिए व 1 मीटर घाने जाने का स्थान)

5 मीटर (2 दो मीटर लम्बी फलक व 1 मीटर घाने जाने का स्थान) 8 मीटर (तीन 2 मीटर लम्बी फलक व

2 मीटर घाने जाने का स्थान)

(3) ऊँचाई—2.35 मीटर (यदि फलक की ऊँचाई 2.20 मीटर हो तथा यदि 2.10 मीटर ऊँचाई हो तो 2.25 मीटर)

ISI के अनुसार 150 बोल्यूम[m<sup>3</sup>] स्थान तथा ALA ने 160 बोल्यूम[m<sup>3</sup>]

जबकि कनाडियन लाइब्रेरी एसोसियेशन के अनुसार 12.5 बोल्यूम 1 वर्ग फीट व मुक्त प्रकाश प्रणाली व 10 बोल्यूम 1 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होगी।

कर्मचारियों के लिए

कर्मचारियों के लिए स्थान का अनुमान लगाने के लिए अलग-अलग स्टेण्डर्ड दिये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्टेण्डर्डस निम्नलिखित हैं, जिनके द्वारा कर्मचारियों के लिए स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है। इनका तुलनात्मक अध्ययन बाद में करेंगे।

ISI द्वारा 1976 में पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए कक्षा के स्थान निर्धारण के लिए निम्न मानक दिये गये—

(1) पुस्तकाध्यक्ष व उप-पुस्तकाध्यक्ष 30 वर्ग मीटर

(2) वर्गकार, सूचीकार, अनुरक्षण

Maintenance व पंजीकरण

(Accession) पुस्तकालय 9 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति

(3) पुस्तकाध्यक्ष का पी. ए. 9 वर्ग मीटर

(4) विज़ीटर कक्ष 15 वर्ग मीटर

(5) प्रशासकीय व व्यावसायिक कर्मचारी

(द्वितीय में बताये गये कर्मचारियों

को छोड़कर) 5 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति

ब्रिटिश स्टेण्डर्ड में कर्मचारियों के लिए स्थान का निम्न प्रावधान है—

(1) पुस्तकाध्यक्ष 22 वर्ग मीटर

(2) उप-पुस्तकाध्यक्ष 13.5 वर्ग मीटर

(3) सहायक पुस्तकाध्यक्ष 9 वर्ग मीटर

(4) पी० ए०/टाइपिस्ट 9 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति

(5) सूचीकार 9 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति



कनाडियन लाइब्रेरी एसोसियेशन के स्टैण्डर्ड के अनुसार—

- (1) 100 वर्ग फीट (9.3 वर्ग मीटर) प्रति कर्मचारी (सामान्य विभागों के लिए)
- (2) 125 वर्ग फीट (11.2 वर्ग मीटर प्रति कर्मचारी प्रोसेसिंग विभाग के लिए),
- (3) 150 वर्ग फीट (14 वर्ग मीटर प्रति वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए) ।

जबकि ALA 120 वर्ग फीट प्रति कर्मचारी के लिए स्थान व्यवस्था हेतु बताती है। गेटकाफ के अनुसार पुस्तकाध्यक्ष 125-400 वर्ग फीट प्रोसेसिंग विभाग में 125 वर्ग फीट व अन्य 100-125 वर्ग फीट स्थान होना चाहिये।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी अन्य कक्षों व स्थानों की आवश्यकता होती है। उसका निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। UGC (India) ने पुस्तकालय भवन में विभिन्न कक्ष कहा स्थित हों तथा उनका अन्य कक्षों से क्या सम्बन्ध हो, इसके लिए भी सिफारिश की है। इस सिफारिश को ध्यान में रखकर ही पुस्तकालय भवन का प्रारूप तैयार करना चाहिए। संश्लेषिक व सार्वजनिक पुस्तकालय में कक्षों के लिए भी ISI व UGC ने सिफारिश की है। उनके अनुसार इनमें निम्न कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे सलान चार्ट द्वारा समझाया गया है। चार्ट अगले पृष्ठों पर देखें—

**U. G. C. समिति व I. S. I. के अनुसार  
सार्वजनिक व शैक्षणिक पुस्तकालयों में कक्षों का विवरण**

क्रम संख्या	कक्षा का प्रकार	I. S. I. के अनुसार							
		U. G. C. समिति के अनुसार	वि.वि. के पु. (U.C.L.) (c)	वि.वि. विभा- गीय पु. (U.D.L.) (d)	वि.वि. के पु. (U.C.L.) (e)	वि.वि. विभा- गीय पु. (U.D.L.) (f)	राष्ट्रीय पु. (N.C.L.) (g)	राज्य केन्द्रीय पु. (S.C.L.) (h)	जिला केन्द्रीय पुस्तकालय (C.C.L.) (i)
(a)	(b)								
1	संग्रह कक्षा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
2	सूची कक्षा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
3	सामान्य अध्ययन कक्षा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	सामाजिक अध्ययन कक्षा	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
5	विशिष्ट अध्ययन कक्षा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
6	शोध कक्षा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
7	सामूहिक अध्ययन कक्षा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓

	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
8	गलोप्टी कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
9	समसेन कथा	×	×	×	×	✓	✓	✓
10	प्रदोनी कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
11	पुस्तकालयाप्यथ कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
12	उप-पुस्तकालयाप्यथ कथा	✓	×	×	×	✓	✓	✓
13	तकनीकी कर्मचारी कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
14	प्रशासकीय कर्मचारी कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
15	समिति कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
16	प्रवेश द्वार व प्रदोनी कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
17	बौद्धीवार कथा	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
18	पुस्तकालय विज्ञान कथा	✓	×	✓	×	×	×	×

X Contd.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
19	माइक्रो फिल्म कक्ष	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
20	प्रलेख कक्ष	×	×	×	✓	✓	✓	×
21	दूरस्थ-शुद्ध कक्ष	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
22	सम-सामयिक अध्ययन कक्ष	✓	×	×	×	×	×	×

UCL = University Central library.

UDL = University Departmental library.

NCL = National Central library.

SCL = State Central library.

CCL = City Central library.

✓ = Recommended.

×

= Not-Recommended.

## पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा

शिक्षा समुदाय के प्रत्येक सदस्य का उसकी मर्यादा के अन्तर्गत उसकी मृजनात्मक, रचनात्मक कुशलता तथा प्रतिभा का व्यवहारिक व मुक्त रूप से प्रगति का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। शिक्षा, अनुभव व सीखने की निरन्तर श्रृंखलाबद्ध कड़ी है। पुस्तकालयों के समुचित उपयोग व उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय शिक्षा या प्रशिक्षण एक आवश्यक वस्तु है। परन्तु 20वीं शताब्दी के पहले सामान्यतया पुस्तकालय शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी और पुस्तकालय शिक्षा का उद्देश्य कुछ समय की एग्जिस्टिन्स में ही पूरा कर लिया जाता था। यह स्थिति विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं थी अपितु विकसित राष्ट्रों की भी यही स्थिति थी।

1887 में सर्वप्रथम कोलम्बिया कॉलेज, न्यूयार्क में मेलविल डीवी द्वारा एक पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। इंग्लैण्ड में तो एक लम्बे अन्तराल बाद 1921 में 'लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप' की स्थापना की गई जबकि इतने पहले 1911 में बड़ोदा में एक प्रशिक्षण केन्द्र की शुरुआत हो गयी थी।

### भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा

भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रशिक्षण 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शुरू हुआ तथा इसकी शुरुआत का श्रेय बड़ोदा महाराज को जाना है। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के इतिहास को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

**बड़ोदा**—सर्वप्रथम, 1911 में बड़ोदा महाराज सर समाजी राव गायकवाड के प्रयत्नों में डब्ल्यू. ए. वोटन ने एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की, परन्तु यह अधिक दिनों तक नहीं चल सका।

**पंजाब**—एक और अमेरिकन ए. डिक्किन्सन (A. Dickinson) पंजाब विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय ने 1915 में पंजाब में एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की। यह भारत विभाजन 1947 तक चली।

**मद्रास**—1929 में डॉ. श्यामापन की अध्यक्षता में मद्रास पुस्तकालय मंच ने प्रथम मॉडर्निज्ड कोर्स शुरू किया जो 1931 में मद्रास विश्वविद्यालय ने ले लिया।

बंगाल—बंगाल पुस्तकालय संघ ने 1935 में कुमार मुनिन्द, देव राय महाशय की अध्यक्षता में एक ट्रेनिंग केम्प लगाया तथा 1937 से बंगाल पुस्तकालय संघ ने 'ग्रोथमकालीन' कोर्स शुरू किया।

ग्रान्ध—ग्रान्ध विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय प्रशिक्षण संस्था की 1935 में स्थापना की।

इम्पीरियल लाइब्रेरी स्कूल—1935 में ही इम्पीरियल लाइब्रेरी (National Library) कलकत्ता ने एक ट्रेनिंग कोर्स श्री के. एम. असादुल्ला के नेतृत्व में शुरू किया जो 1945 में बन्द हो गया।

इसके बाद अनेक विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाएँ पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन करवाने लगे। उनमें 1941 में बनारस, 1944 में बम्बई व 1946 में कलकत्ता व 1947 में दिल्ली, 1951 में अलीगढ़ व 1956 में बड़ौदा प्रमुख थे। 1947 में जहाँ 6 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देते थे, 1966 में 24, 1971 में 30 व 1984 में 46 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण देने लगे। पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण का यह विकासक्रम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की प्रगति का अच्छा सूचक है।

**शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ**

भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ राजकीय व निजी दोनों क्षेत्रों में हैं। इनको हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं—

- (1) विश्वविद्यालय (Universities)
- (2) महाविद्यालय (Colleges)
- (3) पुस्तकालय संघ (Library Associations)
- (4) पोलिटेक्नीक्स (Polytechniques)
- (5) विशिष्ट संस्थाएँ (Special Agency)

ये सभी संस्थाएँ अलग-अलग स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती हैं। पोलिटेक्नीक्स व पुस्तकालय संघ मुख्य रूप से प्रमाण-पत्र स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। विशिष्ट संस्थाएँ मुख्य रूप से पुस्तकालय विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है -

(1) विश्वविद्यालय (Universities) - 1982 की यूनिवर्सिटी हेण्ड बुक (University Hand Book) के अनुसार 45 विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देने थे। विश्वविद्यालय मुख्यतः उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं। ये Ph.D; M. Lib Sc; B. Lib. Sc स्तर पर ही शिक्षा प्रदान करते हैं तथा कुछ विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट (C Lib. Sc.) स्तर की भी शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें

मुम्बईया विश्वविद्यालय, उदयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर पत्राचार द्वारा मॉडिफिकेटेड स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देते हैं। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों की कालक्रमानुसार सूची निम्न है—

- |  |        |
|--|--------|
| 1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाट्टेयर                 | (1935) |
| 2. मद्रास विश्वविद्यालय                          | (1937) |
| 3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय                    | (1941) |
| 4. याम्बे विश्वविद्यालय, बम्बई                   | (1944) |
| 5. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता                | (1945) |
| 6. देहली विश्वविद्यालय, देहली                    | (1947) |
| 7. एम. एस. विश्वविद्यालय, बडोदा                  | (1956) |
| 8. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर                  | (1956) |
| 9. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन                  | (1957) |
| 10. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़         | (1958) |
| 11. पूना विश्वविद्यालय, पुणे                     | (1958) |
| 12. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद            | (1959) |
| 13. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़                 | (1960) |
| 14. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर                | (1960) |
| 15. केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम             | (1961) |
| 16. कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवार                | (1962) |
| 17. तमिलनाडु विश्वविद्यालय, लखनऊ                 | (1962) |
| 18. एम. एन. डी. टी. त्रुमैन विश्वविद्यालय, बम्बई | (1962) |
| 19. नागर विश्वविद्यालय, नागर                     | (1962) |
| 20. वर्द्धमान विश्वविद्यालय, वर्द्धमान           | (1964) |
| 21. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद               | (1964) |
| 22. जगदेवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता              | (1965) |
| 23. जीधानी विश्वविद्यालय, स्वानिघर               | (1965) |
| 24. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर                   | (1965) |
| 25. निवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर              | (1965) |
| 26. मोहाटी विश्वविद्यालय, गुहाटी                 | (1966) |
| 27. मस्कुन विश्वविद्यालय, वाराणसी                | (1967) |
| 28. मण्डला विश्वविद्यालय, श्रीगंगाबाद            | (1967) |
| 29. बुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बुरुक्षेत्र       | (1968) |
| 30. ए.पी.एन. विश्वविद्यालय, रीवा                 | (1968) |
| 31. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाणा                | (1969) |

32. सागर विश्वविद्यालय, सागर	(1971)
33. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	(1971)
34. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	(1971)
35. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	(1971)
36. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	(1973)
37. बेंगलोर विश्वविद्यालय, बेंगलोर	(1973)
38. गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	(1973)
39. मदुरई विश्वविद्यालय, मदुरई	(1974)
40. एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपती	(1974)
41. उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	(1975)
42. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	(1975)
43. कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	(1976)
44. गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	(1978)
45. पटना विश्वविद्यालय, पटना	(1980)

1984-85 सत्र से A.P. Open University 'आंध्रप्रदेश ने B. Lib.

Sc. का पत्राचार से अध्ययन प्रारम्भ किया है।

(2) महाविद्यालय (Colleges)—पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा अनेक महाविद्यालय भी प्रदान करने का कार्य करते हैं। परन्तु यह पुस्तकालय विज्ञान में उच्च स्तर की शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि डिग्री या सर्टिफिकेट स्तर की ही शिक्षा देते हैं। यह महाविद्यालय या तो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होते हैं या उससे मान्यता प्राप्त होते हैं। राजस्थान में भी कई महाविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अन्य राज्यों में भी महाविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख महाविद्यालय निम्न हैं—

1. आई. टी. कॉलेज, लखनऊ।
2. एम. एल. कॉलेज, खालियर।
3. ए. ई. सी. कॉलेज, पंचमढ़ी।
4. बी. आर. कॉलेज, आगरा।
5. टी. आर. एस. कॉलेज, रीवा।
6. एल. बी. एस. कॉलेज, जयपुर।
7. सत्य साईं कॉलेज, जयपुर।
8. दधिमति कॉलेज, गंगानगर।
9. बी. टी. टी. कॉलेज, सरदार शहर।
10. आर्य विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय मुसावर।
11. प्रामोदयान विद्यापीठ, सागरिया।

(3) पुस्तकालय संघ—पुस्तकालय संघ भी पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण हेतु पूर्ण काल्पनिक या अंश-कालिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं परन्तु ये पाठ्यक्रम



मॉडिफिकेट स्तर में अधिक नहीं होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकालय संघ निम्न हैं जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा देते हैं—

1. दिल्ली पुस्तकालय संघ
2. यू. पी. पुस्तकालय संघ
3. बंगाल पुस्तकालय संघ
4. आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ
5. बिहार पुस्तकालय संघ
6. आई. ए. एम. एन. आई. सी (IASLIC)

(4) पोलिटेक्नीक्स (Polytechniques)—कुछ पोलिटेक्नीक्स भी पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देते हैं परन्तु इनका स्तर मॉडिफिकेट या डिप्लोमा स्तर का ही होता है तथा यह प्रशिक्षण कुछ माह से एक वर्ष तक का होता है। सर्व प्रथम महिला पोलिटेक्नीक, बंगलोर में 1961 में प्रशिक्षण देना शुरू किया। कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1. महिला पोलिटेक्नीक, बंगलोर
2. वूमन पोलिटेक्नीक, दिल्ली
3. राजकीय पोलिटेक्नीक फोर वूमन, जालघर
4. राजकीय पोलिटेक्नीक फोर वूमन, चण्डीगढ़
5. राजकीय टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फोर वूमन, राउरकेला
6. वूमन पोलिटेक्नीक, हुवली।

(5) विशिष्ट संस्थाएँ (Special Agencies)—कुई विशिष्ट संस्थाएँ भी पुस्तकालय विज्ञान या उसके विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त समय-समय पर राज्यों के पुस्तकालय विभाग अंशकालिक पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कुछ प्रमुख निम्न हैं—

1. DRTC, बंगलोर
2. INSDC, दिल्ली
3. ISI, दिल्ली
4. नेशनल भारकाइव्ज, दिल्ली
5. गुवर्नमेंट ऑफ नाइजेरिया, बिहार।

#### शिक्षा के स्तर

पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा पाँच स्तरों पर दी जाती है तथा इनका उद्देश्य एक विशेष वर्ग के पुस्तकालय व्यावसायिक प्रशिक्षण करना होता है। ये स्तर हैं—

1. प्रमाण्य पत्र स्तर
2. स्नातक स्तर

3. स्नातकोत्तर स्तर
4. एम. फिल
- 5 पी. एच. डी.

अनेक संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले सर्टिफिकेट, डिग्री आदि स्तर के प्रशिक्षण के नाम अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग रख दिये हैं। इसका मुख्य कारण उनकी संस्था द्वारा कराया जाना वाला विशिष्ट विषय का अध्ययन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रेण्ड बुक 1983-84 को देखने से पता लगता है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नामों में भिन्नता स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण में है। इसमें स्नातक स्तर पर तीन नाम प्रचलित हैं।

1. B. Lib. Sc.
2. B. L. I. Sc./B.Lib.Sc. & Inf. Sc.
3. B. Lib. Sc. & Doc.

इनमें तीन विश्वविद्यालयों ने स्नातक स्तर प्रशिक्षण का नाम B L.I.Sc. व 32 ने B.Lib.Sc. व 7 ने B.Lib.Sc. & Inf. Sc. व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने B. Lib. Sc. & Doc. रख रखा है।

### (1) शोध (पी.एच.डी.)

पुस्तकालय विज्ञान में शोध को शुरू करने का श्रेय डॉ. रंगनाथन को है। उनके प्रयत्नों से सर्वप्रथम 1950 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे शुरू किया तथा डॉ रंगनाथन ने भी कुछ शोधकर्ताओं को गाइड किया। वर्तमान में आंध्र विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ व राजस्थान विश्वविद्यालय व कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवार Ph.D इनको प्रदान करते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम योग्यता पुस्तकालय विज्ञान में 55% के साथ स्नातकोत्तर डिग्री है।

### (2) शोध (एम.फिल)

पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. की तरह एम. फिल की शिक्षा शुरू करने का श्रेय दिल्ली विश्वविद्यालय को है। उसने 1978 में इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन व मद्रास विश्वविद्यालय ने क्रमशः फरवरी 1978 तथा 1980-81 से इस पाठ्यक्रम को शुरू करने को कहा था परन्तु कुछ कारणों से यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो सका। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 55% से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा पास होना है तथा इसकी अवधि एक वर्ष नियमित छात्र के लिए है तथा 2 वर्ष पार्ट टाइम छात्र के लिए है।

### (3) स्नातकोत्तर (M. Lib. Sc.)

पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्व-विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय था। इमने 1948 में M. Lib. Sc. शुरू किया।

यह कामनवेल्थ देगो में M. Lib. Sc शुरू करने वाला प्रथम राष्ट्र है व 1963 तक रहा। 1965 में बी. एच. यू. ने तथा 1968 में बम्बई विश्वविद्यालयों ने भी M. Lib. Sc की शुरुआत की। यूनिवर्सिटी हेंड बुक 1982 के अनुसार 17 विश्व-विद्यालय इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। ये दिल्ली, बी. एच. यू. बम्बई, कर्नाटक, विजय मैसूर, अलीगढ़, पंजाब, राजस्थान, बंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, एस. एन. डी. टी. बम्बई पूना, उस्मानिया, केरल, आंध्र विश्वविद्यालय है।

**अवधि** — पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है परन्तु पुस्तकालय वैज्ञानिकों में इसकी अवधि दो वर्ष करने का विचार-विमर्श चल रहा है।

**न्यूनतम योग्यता** — अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में M. Lib. Sc. में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 50% B. Lib. Sc. रखी गयी है तथा अलग-अलग वर्ष के लिए कुछ सीट रिजर्व रखी गई हैं। बम्बई विश्वविद्यालय पत्राचार द्वारा भी M. Lib. Sc होता है। यह ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 50% B Lib. Sc. तथा 3 वर्ष का अनुभव है।

**अध्यापन विधि** — अलग-अलग विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन के लिए अलग-अलग तरीके अपनाये गये हैं परन्तु सभी जगह प्रायोगिक (Practical) तथा सैद्धांतिक (Theoretical) रूप में विषयों का अध्यापन कराया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फील्ड सर्वे (Field Survey) तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report) भी व्यावहारिक अध्यापन के रूप में शामिल है तथा कई विश्वविद्यालयों में स्टेडी ट्यूटोर का भी प्रावधान है। टेजरटेसन भी M. Lib. Sc. पाठ्यक्रम में शामिल है। कलकत्ता व राजस्थान में टेजरटेसन नहीं है। विजय व दिल्ली विश्वविद्यालयों में इसका प्रावधान है।

**पाठ्यक्रम (Syllabus)**—पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर M. Lib. Sc./M. L. I. Sc./M. Lib. Sc & Inf. Sc./M. Lib.Sc. & Doc. रिपी प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम अलग-अलग है। वहीं हमें बहुत ही परम्परागत विषयों का अध्यापन कराया जाता है जो वहीं हमें नवीनतम विषयों को शामिल किया गया है। इस व्यवस्था को समाप्त कर सम्पूर्ण भारत में एक पाठ्यक्रम होना चाहिये, इस पर समय-समय पर विभिन्न पुस्तकालय वैज्ञानिकों व मामलियों ने मुझसे दिये हैं। हम स्नातकोत्तर स्तर पर प्रचलित तीनों रिपियों के पाठ्यक्रम को देखेंगे।

**M. L. I. Sc.**—दिल्ली विश्वविद्यालय में यह दो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसके पाठ्यक्रम में चार विषय सम्मिलित हैं—

**First Semester**

- I University of Knowledge
- II Depth Classification (Theory)
- III Library System Analysis & Elements of Statistical Methods
- IV Bibliography and Literature in any one of the following:
  - (a) The Humanities
  - (b) Natural Sciences
  - (c) Social Sciences
  - (d) Medical Sciences
  - (e) Agricultural Science
  - (f) Engineering and Technology
- V Current Problems in Library and Information Science.
  - (a) Literature Surveys
  - (b) Field Surveys

**Second Semester**

- VI Depth Classification and Advanced library Cataloguing (Practice)
- VII Any one of the following :
  - (a) Information Storage and Retrieval Systems
  - (b) Reprography
  - (c) Computer Application in library.
- VIII Any one of the following :
  - (a) Public library system
  - (b) Academic library system
  - (c) Research and technocal library system
  - (d) Medical library system
  - (e) Agricultural library system
  - (f) Engineering and technological library system
- IX Current Problems in library and Information Science  
Project report.

**M. Lib. Sc. & Doc.**—यह केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में चलाया जाता है। इसमें डेज़रटेशन ममाप्त कर दिया गया है तथा सेमेस्टर सिस्टम भी नहीं है।

- I Universe of Knowledge  
Structure and Organisation
- II Librarianship—National International
- III Advanced Documentation and Reprography
- IV Advanced Classification (Theory)
- V Advanced Cataloguing (Theory)
- VI (a) Classification (Practical)  
(b) Cataloguing (Practical)
- VII Any one of the following :
  - (a) Public library system
  - (b) Academic library system
  - (c) Scientific and technical libraries
  - (d) Management of Archives
- VIII Library System Analysis and Design and Elements of  
Statistical Methods.

M. Lib. Sc.—यह अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। इसमें डेजरटेशन की व्यवस्था नहीं है।

- I Classification (Theoretical)
- II Cataloguing (Theoretical)
- III Bibliography
- IV Reference service
- V Documentation and information retrieval
- VI The book : its history and development including book  
publishing and book trade
- VII Library planning, architecture and equipment
- VIII (a) Literature and humanities and social sciences  
(b) Literature of science and technology
- IX Any one of the following :
  - (a) Public library system
  - (b) Academic library system
  - (c) Research and special libraries
  - (d) Library service for children including children's  
literature

- (e) Manuscript and Archival libraries  
 X (a) Classification Practical  
 (b) Cataloguing Practical

उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देखने से स्पष्ट होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर परम्परागत विषयों का अध्ययन कराया जाता है। पूरे देश में समान पाठ्यक्रम (Syllabus) का प्रावधान होना चाहिये।

#### (4) स्नातक (B. Lib. Sc.)

पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक स्तर का अध्ययन शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय ब्राउन विश्वविद्यालय था। इसने 1935 में डिप्लोमा शुरू किया परन्तु B. Lib. Sc. या डिग्री 1947 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने शुरू की। इससे पहले इस डिग्री का नाम ही डिप्लोमा था। वर्तमान में 46 विश्वविद्यालय इसकी शिक्षा देते हैं। यह केवल नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा देता है। पत्राचार का प्रावधान नहीं है। इसका अध्ययन महाविद्यालयों द्वारा भी कराया जाता है। उसमें आई०टी० कॉलेज, लखनऊ, एम० एल० कॉलेज, ग्वालियर ए०ई०सी०टी० कॉलेज, पब्लमढी प्रमुख हैं।

अवधि—B. Lib. Sc. की अवधि भी एक वर्ष ही है।

न्यूनतम योग्यता—दिल्ली में 50% बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम है तथा एम० ए० या उच्च योग्यता प्राप्त वाले को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राजस्थान में 45% बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम है तथा उच्च योग्यता प्राप्त को प्राथमिकता है। खेलों व सी०लिब०एससी० व अनुभव वाले को धेरेज दिया जाता है। कुछ सीटें दिल्ली, राजस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए सुरक्षित होती हैं।

अध्यापन विधि (Teaching Methods)—स्नातक स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन व्यावहारिक (Practical) तथा सैद्धान्तिक (Theoretical) दोनों रूपों में कराया जाता है। बहुत से विश्वविद्यालयों में डेज़रटेशन की भी व्यवस्था है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अब इसे समाप्त कर दिया है। कई विश्वविद्यालयों में स्टेडी टूर (Study Tours) की भी व्यवस्था है।

पाठ्यक्रम (Syllabus)—स्नातक पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री को भी तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं B. Lib. Sc./B. Lib. Sc. & Doc./B.L.I.Sc./B. Lib. Sc. & Inf. Sc. ये सभी पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री हैं परन्तु देखने पर स्पष्ट होता है कि इनके पाठ्यक्रम में भारी असमानता है तथा अलग-अलग विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त व्यक्ति के ज्ञान में भारी अन्तर है। अतः इस असमानता को समाप्त करना चाहिये।

**B. Lib. Sc. :—दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है :**

**First Semester**

- I Library Classification (Theory)
- II Library Classification (Practice)
- III Library Cataloguing (Theory)
- IV Library Cataloguing (Practice)
- V Reference and Information Sources
- VI Library and Society

**Second Semester**

- VII Library Classification (Theory)
- VIII Library Classification (Practice)
- IX Library Cataloguing (Theory)
- X Library Cataloguing (Practice)
- XI Reference and Information Service
- XII Library Administration Management

**B Lib. Sc. :—कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है । यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है—**

- I Classification (Theoretical)
- II Classification (Practical)
- III Cataloguing (Theoretical)
- IV Cataloguing (Practical)
- V Library Organisation
- VI Library Administration
- VII Bibliography and Book Selection
- VIII Reference Service and Documentation.

**B Lib. Sc. & Doc. :—**यह केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर घष्ययन करवाता है इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है । यहाँ 1984 में Documentation का भी Practical (प्रायोगिक) पेपर शुरू किया गया था परन्तु 1985 से पुनः इसे बन्द कर दिया गया ।

- I Comprative Librarianship
- II Library Management
- III Documentation
- IV Bibliographical and Reference Service

- V Library Classification (Theory)  
 VI Library Cataloguing (Theory)  
 VII Bibliographical & Reference Sources (Practical)  
 VIII Classification Practical  
 IX Cataloguing Practical

उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देखने से स्पष्ट होता है कि इनमें भारी अन्तर है। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुछ कम है।

#### (5) सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) (C. Lib. Sc.)

इसकी शिक्षा नियमित व पत्राचार दोनों रूपों में दी जाती है। सामान्यतया इसकी शिक्षा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय संघ तथा विशिष्ट संस्थायें सभी देती हैं। प्रथम प्रमाण-पत्र कार्यक्रम मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा 1929 में शुरू किया गया था। 1933 में इसे मद्रास विश्वविद्यालय ने ले लिया इसकी अवधि निर्दिष्ट नहीं है। अलग-अलग संस्थानों ने इसे अलग-अलग अवधि का रख रखा है तथा पाठ्यक्रम भी अलग-अलग है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता भी अलग-अलग है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

क्र सं.	संस्था का नाम	न्यूनतम योग्यता	वर्ष
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	हा. सैकण्ट्री/सैकण्ट्री	1 वर्ष
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय	हा. सैकण्ट्री/सैकण्ट्री	1 वर्ष
3.	सुल्ताड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	हा. सैकण्ट्री/सैकण्ट्री	6 माह
4.	मद्रुरई विश्वविद्यालय	पी.यू.सी./एम.एस.एन.सी.	3 माह
5.	बंगाल पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ट्री	6 माह
6.	देहली पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ट्री	1 वर्ष
7.	उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ट्री	6 माह

#### (6) विशिष्ट कार्यक्रम (Special Courses)

पुस्तकालय विज्ञान के किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य अनेक संस्थायें करती हैं। इनमें डी. आर. टी.सी., आई.एन.एम.डी.ओ.सी. व आई.एस.आई. प्रमुख हैं। इनके द्वारा संचालित किये जाने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है—

डॉ. आर. टी. सी.—यह प्रलेख में प्रशिक्षण देता है तथा समय-समय पर अल्प अवधि पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। यह 'ट्रेनिंग इन डाक्यूमेन्टेशन' का नियमित रूप से संचालन करता है। यह एक वर्ष का है तथा इनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पुस्तकालय विज्ञान में या ट्रेनिंग,



**B. Lib. Sc.** :—दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है :

**First Semester**

- I Library Classification (Theory)
- II Library Classification (Practice)
- III Library Cataloguing (Theory)
- IV Library Cataloguing (Practice)
- V Reference and Information Sources
- VI Library and Society

**Second Semester**

- VII Library Classification (Theory)
- VIII Library Classification (Practice)
- IX Library Cataloguing (Theory)
- X Library Cataloguing (Practice)
- XI Reference and Information Service
- XII Library Administration Management

**B. Lib. Sc.** :—कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निम्न है । यहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है—

- I Classification (Theoretical)
- II Classification (Practical)
- III Cataloguing (Theoretical)
- IV Cataloguing (Practical)
- V Library Organisation
- VI Library Administration
- VII Bibliography and Book Selection
- VIII Reference Service and Documentation.

**B Lib. Sc. & Doc.** :—यह केवल राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर प्रथम बन करवाना है इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है । यहाँ 1984 में Documentation का जो Practical (प्रयोगिक) सेपर शुरू किया गया था परन्तु 1985 से पुनः इसे बन्द कर दिया गया ।

- I Comparative Librarianship
- II Library Management
- III Documentation
- IV Bibliographical and Reference Service

V Library Classification (Theory)

VI Library Cataloguing (Theory)

VII Bibliographical & Reference Sources (Practical)

VIII Classification Practical

IX Cataloguing Practical

उपरोक्त पाठ्यक्रमों को देखने से स्पष्ट होता है कि इनमें भारी अन्तर है।

इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुछ कम है।

#### (5) सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) (C. Lib. Sc.)

इसकी शिक्षा नियमित व पत्राचार दोनों रूपों में दी जाती है। सामान्यतया इसकी शिक्षा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय संघ तथा विशिष्ट संस्थायें सभी देते हैं। प्रथम प्रमाण-पत्र कार्यक्रम मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा 1929 में शुरू किया गया था। 1933 में इसे मद्रास विश्वविद्यालय ने ले लिया इसकी अवधि निश्चित नहीं है। अलग-अलग संस्थाओं ने इसे अलग-अलग अवधि का रख रखा है तथा पाठ्यक्रम भी अलग-अलग है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता भी अलग-अलग है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

क्र. सं.	संस्था का नाम	न्यूनतम योग्यता	वर्ष
1.	जम्मू विश्वविद्यालय	हा. सैकण्ड्री/सैकण्ड्री	1 वर्ष
2.	राजस्थान विश्वविद्यालय	हा. सैकण्ड्री/सैकण्ड्री	1 वर्ष
3.	मुल्ताइया विश्वविद्यालय, उदयपुर	हा. सैकण्ड्री/सैकण्ड्री	6 माह
4.	मदुरई विश्वविद्यालय	पी.यू.सी./एम.एस एल.सी.	3 माह
5.	बंगाल पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ड्री	6 माह
6.	देहली पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ड्री	1 वर्ष
7.	उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ	हायर सैकण्ड्री	6 माह

#### (6) विशिष्ट कार्यक्रम (Special Courses)

पुस्तकालय विज्ञान के किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्य अनेक संस्थायें करती हैं। इनमें डी. आर. टी.सी., आई.एन.एस.डी.ओ.मी. व आई.एस.आई. प्रमुख हैं। इनके द्वारा संचालित किये जाने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है—

डी. आर. टी. सी.—यह प्रलेख में प्रशिक्षण देता है तथा समय-समय पर अल्प अवधि पाठ्यक्रमों का संचालन भी करता है। यह 'ट्रेनिंग इन डाक्यूमेन्टेशन' का नियमित रूप में संचालन करता है। यह एक वर्ष का है तथा इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा पुस्तकालय विज्ञान में या एजीनियरिंग,

एग्रिकल्चर, मेडीकल साइंस आदि में डिग्री है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा फील्ड वर्क (Field work) का भी प्रावधान है। इसमें निम्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है—

- I Universe of Subjects : Its development and Structure.
- II Depth Classification (Theory)
- III Depth Classification (Practice)
- IV Library Cataloguing
- V Documentation
- VI Management of Specialist Library
- VII (a) Mechanised Document Finding Systems  
(b) Elements of Statistical Analysis
- VIII A project in Documentation

आई. एन. एस. डी. ओ. सी.—यह 'ट्रेनिंग कोर्स इन डाक्यूमेंटेशन एण्ड रिप्रोग्राफी' का संचालन करता है तथा समय-समय पर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है। इसमें केवल पन्द्रह छात्रों को प्रवेश किया जाता है। प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री है। इसमें कुछ सीट रिजर्व भी है। ये एक वर्ष का होता है। इसमें प्रोजेक्ट व प्रायोगिक (Practical) कार्य भी कराया जाता है। इसमें निम्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है—

#### Theory Papers

- I Special Library Management
- II Organisation of Documentation Services
- III Classification
- IV Cataloguing
- V Scientific and Technical Communication
- VI Indexing and Abstracting
- VII Modern Methods of Information Handling
- VIII Reprographic Methods

#### Practical Papers

- I Library Operations Reference Service Bibliography and Literature Search
- II Classification and Cataloguing
- III Indexing and Abstracting
- IV Information Handling and Reprographic Methods.

INSDOC, DRTC के अतिरिक्त IASLIC व ISI भी प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों व भारत में प्रचलित पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को देखने पर पता चलता है कि वर्तमान शिक्षा में गम्भीर दोष है, जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, ये दोष मुख्यतः निम्न हैं—

- (1) पाठ्यक्रमों (Syllabus) का अलग-अलग होना।
- (2) प्रायोगिक शिक्षा (Practical Education) पर ध्यान नहीं देना।
- (3) प्राध्यापकों का पूर्ण शिक्षित नहीं होना या पार्ट टाइम शिक्षक होना।
- (4) पुस्तकालय विज्ञान विभाग का पुस्तकालय के साथ संलग्न होना।

उपरोक्त प्रमुख दोषों को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिये समय-समय पर अनेक आयोग व समितियों की नियुक्ति की गई है तथा उन्होंने सुझाव दिये हैं इस क्षेत्र में नियुक्त प्रथम समिति एडवाइजरी समिति (1956) थी। इसने अपनी सिफारिश में कहा कि "एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना डिप्लोमा कौर्स की मान्यता, अध्ययन विधि, परीक्षा विधि तथा सिलेबस पर विचार के लिए की जाये।" इसी वर्ष 1957 यू.जी.सी. ने डॉ. एस. आर. रंगानाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसका मुझाव था कि "एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना शोध तथा अध्ययन के स्तर (Standard) के विकास तथा उसमें समन्वय के लिए की जाये तथा यह कोर्स, स्टेण्डर्ड तथा अध्ययन व परीक्षा के सम्बन्ध में भी सिफारिश करे।" इन सुझावों के आघार पर यू.जी.सी. ने एक 'रिव्यू समिति' की स्थापना की। इसने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा "यू.जी.सी. ही एकमात्र संस्था है जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के विकास में रुचि ले रही है। पुस्तकालय सघों व सरकार का इस दिशा में रोल अच्छा नहीं है।" योजना आयोग ने भी एक 'Working Group of Librarians' की स्थापना 1964 में की तथा इसको 'Quantitative and Financial Aspect of Library Science Training in India' पर मुझाव देने को कहा गया।

इतना सब होते हुए भी पाठ्यक्रमों में अभी भी असमानता व्याप्त है तथा अध्ययन विधि व परीक्षा विधि वही प्राचीन समय वाली चली आ रही है। इसमें एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है।

## पुस्तकालय कर्मचारी

प्राचीन समय में मनुष्य केवल स्मरण शक्ति व वाणी पर निर्भर था। वो अपने विचारों व ज्ञान को स्मरण शक्ति के माध्यम से संप्रेषित करता था व वाणी के माध्यम से सम्प्रेषित (Communicate) करता था। धीरे-धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को सम्प्रेषित करने के लिए अक्षरों (Letters) का निर्माण किया। श्री से मुन्नल (Samual N Kramer) का मानना है कि प्रथम बार शब्दों का निर्माण सुमेरियनस ने 300 B.C. में किया। मनुष्य में शब्दों के निर्माण के बाद अपने ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा जागृत हुई और वह अपने विचारों को पेपरस रोल (Papyrus Rolls), पार्चमेंट व लेदर रोल (Parchment and Lether Rolls), भोज पत्र, ई टें (Clay Tablets), मेटल शीट्स व पत्थर आदि पर अंकित करने लगा तथा उसने उनको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक स्थान पर रखने लगा। यही से पुस्तकालय का उद्भव प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में ये एक स्टोर के रूप में होते थे तथा प्रलेख चैन इत्यादि से बांधकर रखे जाते थे तथा एक व्यक्ति उनकी देखभाल व सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था, जो कि मान स्टोरकीपर या कस्टोडियन था। यही पुस्तकालय कर्मचारी का प्राचीन स्वरूप था तथा उक्त कर्मचारियों की संख्या एक ही होती थी। विशेष जगह एक में ज्यादा संख्या भी हो सकती थी।

भारत में पुस्तकालयों तथा उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति का इतिहास बहुत पुराना है। फाह्यान (399-314 B.C.), हर्टिसन (675-685 B.C.) तथा ह्वानसांग (7वीं शताब्दी) ने भारत के पुस्तकालयों की तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। उस समय नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशील्य ताम्रलिखित आदि में महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय थे। नालन्दा के पुस्तकालय में प्रत्येक प्राचार्य पर पुस्तकालय के एक भाग का दायित्व होता था। धर्मपाल का शिष्य शीलभद्र उसका मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष था। हैदराबाद पुरातात्विक ग्रन्थमाला संख्या 8 के रूप में प्रकाशित बाड़ी के निकट नागाई गाँव के अरुवधुकम बेडागुडी मन्दिर में प्राप्त एक कन्नड़ लेख जो कि 24 दिसम्बर, 1058 ई. का है उसमें एक कॉलेज 'चटिकशाला' में 6 सरस्वती भण्डारिक (पुस्तकाध्यक्ष) होने का उल्लेख है जो तत्कालीन पुस्तकालय कर्मचारियों की अच्छी संख्या को प्रकट करता है।

भारत में पुस्तकालय कर्मचारियों की यह परम्परा मुस्लिम व ब्रिटिश काल में ही चलती आयी, परन्तु 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद पुस्तकालय कर्मचारियों को महत्व दिया जाने लगा तथा पुस्तकालय में उनकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। वास्तव में यदि पुस्तकालय की कल्पना की जाये व वहाँ से पुस्तकालय कर्मचारी को निकाल दिया जाये तो पुस्तकालय मात्र रद्दी का ढेर दिखाई देगा। पुस्तकालय कर्मचारी ही वह साधन या माध्यम है जो ज्ञान को संग्रहीत तथा सम्प्रेषित (Communicate) करता है, जो कि पुस्तकालय का मूल एवं आधारभूत उद्देश्य है। इसीलिए कोठारी आयोग (1964-66) ने पुस्तकालय कर्मचारी के महत्व को बताते हुए कहा "Without such a staff the most luxurious building or extensive book stock may have no effect at all." प्रत्येक आयोगों व समितियों ने पुस्तकालय कर्मचारी की आवश्यकता व महत्व को स्वीकार करते हुए उनके स्तर, वेतन, संख्या आदि में वृद्धि किये जाने की सिफारिश की है।

### पुस्तकालय कर्मचारियों का वर्गीकरण

पुस्तकालय में कर्मचारियों के कौन-कौन से वर्ग या श्रेणियाँ होनी चाहिये। इस पर अलग-अलग देशों व अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग मान्यताएँ प्रचलित हैं, विल्सन व टॉबर के अनुसार स्टाफ एक हेयरार्चिकल सेटअप (Hierarchical Setup) लिए हुए होना चाहिये जो पूरे स्टाफ का चित्रण (Picture) प्रस्तुत करता हो। अधिकतम: कर्मचारियों की दो ही श्रेणियाँ प्रचलित हैं।

(1) व्यावसायिक (Professional)

(2) लिपिकीय (Clerical)

USA में पुस्तकालय कर्मचारियों की वही श्रेणियाँ प्रचलित हैं। विल्सन ने पुस्तकालय कर्मचारियों को चार श्रेणियों व वर्गों में विभाजित किया है।

(1) प्रशासनिक (Administrative Professional)

(2) शोध (Research Professional)

(3) निर्देशात्मक (Directing Professional)

(4) तकनीकी (Technical Professional)

विल्सन ने प्रशासनिक कर्मचारियों में पुस्तकालय, उप-पुस्तकालय, कार्यालय अधिकारी (Administrative Officer) आदि को रखा है जो कि पुस्तकालय के प्रशासन से सम्बन्धित हैं। शोध सम्बन्धी कर्मचारियों में सन्दर्भ पुस्तकालय, प्रलेखन अधिकारी व बाणमय अधिकारी (Bibliographical Officer) आदि को रखा है, जो कि शोध कार्य में सहायता करते हैं तथा उससे सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करते हैं तथा निर्देशात्मक कर्मचारियों में रीडर्स एडवाइजर, पाठ्य पुस्तक (Text Book Section) प्रभारी तथा आदान-प्रदान (Circulation) प्रभारी आते हैं।

संख्या निर्धारित करने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए डॉ० रंगनाथन ने एक स्टाफ फार्मूला 1945 में प्रविष्ट किया जिसे अनेक पुस्तकालयों में व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने के बाद 1948 में प्रकाशित किया गया। यह निम्न था—

A=Number of volumes accessioned in a year.

B=Annual Budget allotment in Rupees.

D=Number of periodicals documented that is, abstracted and indexed in a year.

G=Number of gate-hours for a year.

(one Gate-Hour=one counter gate kept open for one Hour)

H=Number of hours the library is kept open in a day.

P=Number of periodicals currently taken.

R=Number of readers per day.

S=Number of seats for readers

U=Number of volumes in the library.

W=Number of working days in a year.

SB=Number of persons in book section.

SC=Number of persons in circulation section.

SL=Number of persons as librarian and his deputies.

SM=Number of persons in maintenance section.

SP=Number of persons in periodicals section.

SR=Number of persons in reference section.

ST=Number of persons in technical section that is classification and cataloguing

#### Formula for Staff of Different Sections

$$SB = A/6000$$

$$SC = G/1500$$

$$SL = Hw/1500$$

$$SM = A/3000$$

$$SP = P/500$$

$$SR = [R/50] W/250$$

$$ST = [A + 40 D]/2000$$

### Formula for Total Professional Staff

$$B \left\{ \begin{aligned} & SC + SL + SM + SP + SR + ST \\ & = \{ (A + 20D) + 2(G + 3P) + 2W(H + 6 [R/150]) \} / 13000 \end{aligned} \right.$$

### Formula for Non-Professional Skilled Staff

$$B / 30,000 + [S/100]$$

### Formula For Unkilled Staff

$$\begin{aligned} & SB/4 + SC/2 + SL + SM/4 + SP/2 + SR/8 + A/20,000 \\ & + D/500 + B/60,000 + [S/100]/4 + V/30,000 = \{ 27A + 2 \\ & (B + 120 D) + 40 (G + 3P) + 30,000 [S/100] + 4V + 2w (40H + \\ & 3 [R/50]) \} / 1,20,000. \end{aligned}$$

UGC समिति (1957) ने डॉ० रंगनाथन के स्टाफ फार्मूले के अतिरिक्त इसमें निम्न परिवर्तन किये थे—

पत्रिका विभाग : एक व्यक्ति प्रति 500 नवीन पत्रिकाओं के लिये ।

प्रलेखन विभाग : एक व्यक्ति प्रति 6000 बोल्यूम प्रति वर्ष अधिग्रहण होने पर, एक व्यक्ति प्रति दिन 500 बोल्यूम यथा स्थान रखने के लिए तथा एक व्यक्ति प्रति 1,00,000 बोल्यूम पुस्तकालय में होने पर ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए डॉ० रंगनाथन ने निम्न फार्मूला दिया—

(ए) पुस्तक विभाग (Acquisition Section)—एक व्यक्ति 6000 पुस्तकों प्रति वर्ष अधिग्रहण के लिए ।

(बी) वर्गीकरण व संघीकरण विभाग (Classification & Cataloguing Section) —एक व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 बोल्यूम के लिए ।

(सी) पत्रिका विभाग (Periodical Section)—एक व्यक्ति प्रति 1000 नवीनतम पत्रिकाओं के लिए ।

(डी) अनुरक्षण विभाग (Maintenance Section) एक व्यक्ति प्रति वर्ष 2000 बोल्यूम अधिग्रहण होने पर, एक व्यक्ति प्रति 50000 बोल्यूम पर ।

(ई) जनसम्पर्क विभाग (Public Relation Section)—कम से कम एक व्यक्ति ।

(एफ) प्रशासनिक विभाग (Administrative Section)—कम से कम एक एकाउण्टेन्ट, 1 स्टेनो टाइपिस्ट तथा 1 पत्रकार, 1 क्लर्क ।

(जी) सन्दर्भ विभाग (Reference Section)—एक व्यक्ति प्रति 50 पाठक प्रतिदिन के लिए ।



(एच) घादान-प्रदान विभाग (Circulation Section)—प्रति व्यक्ति 15 00 घण्टे पुस्तकालय द्वारा प्रतिवर्ष खुलने पर ।

(आई) एक शाखा पुस्तकालय—प्रत्येक शाखा पुस्तकालय में :—

एक सहायक प्रत्येक चल पुस्तकालय के लिए

एक या एक से अधिक नेमी प्रोफेशनल प्रत्येक City Central Library तथा District Central Library के लिए ।

(जे) सुपरवाइजरी विभाग (Supervisory Section)—एक पुस्तकाध्यक्ष, दो उप पुस्तकाध्यक्ष, एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय मेवा हेतु तथा एक पुस्तकाध्यक्ष व एक उप-पुस्तकाध्यक्ष नगर केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए आवश्यक है ।

### पुस्तकालय कर्मचारियों की योग्यतायें

#### (Qualifications of Library Personnels)

अलग-अलग समय पर पुस्तकालय कर्मचारियों की अलग-अलग योग्यतायें बतायी गयी । इसका प्रमुख कारण पुस्तकालय व पुस्तकालय कर्मचारी के कार्यों व कर्तव्यों में परिवर्तन होना था । पुस्तकालय कर्मचारियों की योग्यताओं का वर्णन विभिन्न विद्वानों ने किया है । प्रो वीर्न के अनुसार "अनुकूलन क्षीलता अभिज्ञता, सहजवृद्धि, भद्रता, विवेक, उत्साह, कल्पना शक्ति, पहल शक्ति, मूल्यांकन शक्ति, नेतृत्व, परिपक्वता, मौलिकता, उत्तरदायित्व, व्यवहारशीलता, समझदारी, अज-स्विता व जोश" जैसे गुणों को पुस्तकालय कर्मचारी में होना चाहिये ।

डॉ रंगानायन ने रामायण के आधार पर सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष के लिए गुण बताये हैं जो कि सामान्य पुस्तकालय कर्मचारी में भी होना आवश्यक हैं, उनके अनुसार :—

- |          |   |
|----------|---|
| भरत      | सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को भरत का अनुसरण करना चाहिये । उसे भरत की तरह कठिन परिश्रम करना चाहिये । उसे यह परिश्रम स्वयं की भलाई के लिए नहीं बल्कि पाठकों की भलाई के लिए करना चाहिये ।                               |
| शत्रुघ्न | सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को शत्रुघ्न का अनुसरण करते हुए अपने स्वाभिमान को सन्दर्भ सेवा देते समय अपने से अलग रखना चाहिये ।  |
| लक्ष्मण  | सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को लक्ष्मण का अनुसरण करते हुए पाठकों की निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिये अर्थात् उसे अपनी सेवा के बदले किसी पुरस्कार आदि की इच्छा नहीं करनी चाहिये ।                                       |
| राम      | सन्दर्भ पुस्तकाध्यक्ष को राम का अनुसरण करना चाहिये । उसे राम की तरह हर परिस्थितियों में खुश व पाठकों की समस्या मुलजाने में तत्पर रहना चाहिये अर्थात् उसे सफलता या असफलता से प्रसन्न या दुःखी नहीं होना चाहिये । |

वास्तव में कुछ ही मनुष्य इस प्रकार की डॉ. रंगनाथन द्वारा बतायी योग्यता को लिए हुये हो सकते हैं। यह योग्यताएँ मात्र एक भावसँ हैं जिसको प्राप्त करने का प्रयत्न प्रत्येक पुस्तकालय कर्मचारी को करना चाहिये। परन्तु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक प्राणी होने के कारण वह प्रत्येक परिस्थिति से प्रभावित होता है और इन भावसँ योग्यताओं को पूर्णतय प्राप्त नहीं कर सकता है। डार्टनेल कार्पोरेशन (Dartnell Corporation) की विवरणिका में पर्यवेक्षकों (Supervisors) के अन्तर्गत पुस्तकालयों के लिए निम्न योग्यताएँ बतायी हैं—

- (1) मानवीय प्रकृति को समझना।
- (2) अपने कार्य का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक ज्ञान।
- (3) अभिध्याक्ति की स्पष्टता।
- (4) योजना निर्माण का ज्ञान।
- (5) मंत्री पूर्ण व सहयोगी व्यवहार।
- (6) अचछे कार्य की प्रशंसा।
- (7) मस्तिष्क की परिपक्वता।
- (8) अपने अधीनस्थों व अधिकारियों के प्रति निष्ठा व विश्वास।

डार्टनेल कार्पोरेशन द्वारा बतायी गयी योग्यताएँ वास्तव में पुस्तकालय कर्मचारियों के कार्य व व्यवहार में एक विशेषता उत्पन्न कर देगी, जिससे पुस्तकालय सेवाओं के स्तर व क्षमता में वृद्धि होगी। UGC (India) ने 1957 में डॉ. रंगनाथन की अध्यक्षता में एक Committee on College and University Libraries का गठन किया। इस Committee ने पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए निम्न योग्यताओं की सिफारिशें की—

#### Professional Senior

Minimum :— M Lib. Sc. II Class or M.A. or M.Sc. II Class and Dip. Lib. Sc. or B. Lib. Sc. I Class, a prescribed minimum experience in a research or a university library.

Desirable :—Doctorate in Library Science or any other subject.

#### Professional Junior

Dip. Lib. Sc. or B. Lib. Sc. Ist Class and B.A., B. Sc., B. Com. II Class.

Professional Assistant—Diploma Library Science or B. Lib. Sc.

Semi-Professional—I Division and B.A., B.Sc., B. Com. II Class, Higher Secondary with Certificate in Library Science.

1968 में भारत सरकार ने UGC के अनुसार निम्न योग्यतायें विभिन्न कर्मचारियों के लिए निश्चित की—

#### **Professional Senior (Professor)**

- (a) M A./M.Sc./M Com Ist or IInd Class with B. Lib. Sc. or Diploma in Library Science being a preferential qualification.
- (b) At least 10 year's experience of working as Librarian or in a responsible professional capacity.
- (c) Good academic record and research experience (with publications)

#### **Professional Senior (Reader)**

- (a) M.A /M.Sc./M.Com Ist or IInd Class with B. Lib. Sc or Dip. Lib. Sc. Ist or IInd Class. The Degree of Master in Library Science being preferential.
- (b) At least 7 years experience of working as librarian or in a responsible professional capacity.
- (c) Good academic record and research experience (with publications).

#### **Professional Junior (Lecturer)**

First or Second Class B.A./B.Sc./B.Com, with a Ist or IInd Class Masters Degree in Library Science.

Or

First or Second Class M A./M.Sc./M.Com. with a Ist or IInd Class B. Lib Sc.

Professional assistant and Semi-Professional Assistant की योग्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वे पुरानी योग्यता वाली ही रहीं। UGC (भारत) ने 7 जुलाई, 1984 को एक मिटिंग में कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए निम्न न्यूनतम योग्यतायें निश्चित की—

#### **Librarian**

- (a) First or Second Class M. Lib. Sc. or M.A./M.Sc./M Com. plus a First or Second Class B. Lib. Sc. or Diploma in library Science.
- (b) At least 10 years experience as librarian in a responsible professional capacity in a University library.
- (c) Ph. D. degree or equivalent research work in the field relevant to the Profession,

(d) In certain situations in academic libraries training in computerisation/Information technology/specialised areas may also be taken into consideration.

#### Deputy Librarians

- (a) First or Second Class M. Lib. Sc. or M.A./M.Sc./M.Com. plus a First or Second Class B. Lib. Sc. or Diploma in Library Science.
- (b) At least 7 years experience as librarian or in a responsible professional capacity in library.
- (c) Ph.D Degree or equivalent research work in the field relevant to the profession.
- (d) In certain situations in academic libraries training in computerisation/Information technology/specialised areas may also be taken into consideration.

#### Asst. Librarian/College Librarian

- (a) Good academic record without least a High Second Class Master's Degree in a subject other than Library Science.
- (b) Master Degree in Library Science with a First Class or High Second Class.

#### पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन

##### (Selection of Library Personnels)

पुस्तकालय कर्मचारियों के अच्छे चयन पर ही पुस्तकालय की अच्छी सेवाएँ निर्भर करती हैं। इसलिए कर्मचारियों का चयन उनके विशिष्ट कार्यों के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। इसमें कर्मचारियों की सौदागिक व व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का भी आलोचनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिये। पुस्तकालय की विशिष्ट प्रकृति का भी चयन के समय ध्यान रखना एक आवश्यक बिन्दु है। पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन निम्न-लिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है—

- (I) विज्ञापन द्वारा (By Advertisement)
- (II) रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) द्वारा
- (III) पदोन्नति द्वारा (By Promotion)
- (IV) मनोनयन द्वारा (By Nomination).

1968 में भारत सरकार ने UGC के अनुसार निम्न योग्यतायें विभिन्न कर्मचारियों के लिए निश्चित की—

**Professional Senior (Professor)**

- M.A./M.Sc./M.Com Ist or IInd Class with B. Lib. Sc. or Diploma in Library Science being a preferential qualification
- At least 10 year's experience of working as Librarian or in a responsible professional capacity.
- Good academic record and research experience (with publications)

**Professional Senior (Reader)**

- M.A./M.Sc./M.Com Ist or IInd Class with B. Lib. Sc. or Dip. Lib. Sc. Ist or IInd Class. The Degree of Master in Library Science being preferential.
- At least 7 years experience of working as librarian or in a responsible professional capacity
- Good academic record and research experience (with publications).

**Professional Junior (Lecturer)**

First or Second Class B.A./B.Sc./B.Com. with a Ist or IInd Class Masters Degree in Library Science.

Or  
First or Second Class M.A./M.Sc./M.Com. with a Ist or IInd Class B. Lib. Sc.

Professional Assistant and Semi-Professional Assistant की योग्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वे पुरानी योग्यता वाली ही रही।

UGC (भारत) ने 7 जुलाई, 1984 को एक निर्दिष्ट मे कॉलेज व विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए निम्न न्यूनतम योग्यतायें निश्चित की:—

**Librarian**

- First or Second Class M. Lib. Sc. or M.A./M.Sc./M. Com. plus a First or Second Class B. Lib. Sc. or Diploma in library Science.
- At least 10 years experience as librarian in a responsible professional capacity in a University library.
- Ph. D. degree or equivalent research work in the field relevant to the Profession.

(d) In certain situations in academic libraries training in computerisation/Information technology/specialised areas may also be taken into consideration.

#### Deputy Librarians

- (a) First or Second Class M. Lib. Sc. or M.A./M.Sc./M.Com. plus a First or Second Class B. Lib. Sc. or Diploma in Library Science.
- (b) At least 7 years experience as librarian or in a responsible professional capacity in library.
- (c) Ph.D. Degree or equivalent research work in the field relevant to the profession.
- (d) In certain situations in academic libraries training in computerisation/Information technology/specialised areas may also be taken into consideration

#### Asst. Librarian/College Librarian

- (a) Good academic record without least a High Second Class Master's Degree in a subject other than Library Science.
- (b) Master Degree in Library Science with a First Class or High Second Class.

### पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन

#### (Selection of Library Personnels)


पुस्तकालय कर्मचारियों के अच्छे चयन पर ही पुस्तकालय की अच्छी सेवायें निर्भर करती हैं। इसलिए कर्मचारियों का चयन उनके विशिष्ट कार्यों के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। इसमें कर्मचारियों की शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के साथ-साथ उसके व्यक्तित्व का भी मालोचनात्मक परीक्षण किया जाना चाहिये। पुस्तकालय की विशिष्ट प्रकृति का भी चयन के समय ध्यान रखना एक आवश्यक बिन्दु है। पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन निम्नलिखित तरीकों द्वारा किया जा सकता है—

- (I) विज्ञापन द्वारा (By Advertisement)
- (II) रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) द्वारा
- (III) पदोन्नति द्वारा (By Promotion)
- (IV) मनोनयन द्वारा (By Nomination).

कर्मचारियों का चयन अधिकांशतः प्रथम तीन विधियों द्वारा किया जाता है। आजकल पुस्तकालय कर्मचारियों के चयन में लिखित परीक्षा का भी प्रचलन हो रहा है। यह एक उपयोगी विधि है।

**चयन प्रक्रिया**

पुस्तकालय कर्मचारियों का चयन एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिये ताकि आदर्शों की योग्यताओं के सभी पक्षों का उचित मूल्यांकन किया जा सके। कर्मचारी चयन प्रक्रिया को निम्न चार्ट द्वारा बताया जा सकता है—




इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है अर्थात् कितने कर्मचारियों की पुस्तकालय के किन-किन विभागों में आवश्यकता है। आवश्यकता निर्धारण के लिए डॉ० रंगनाथन का स्टाफ फार्मूला एक उपयुक्त विधि है। परन्तु बदलते हुए परिवेश व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण उचित होगा। आवश्यकता के निर्धारण के बाद योग्यता का निर्धारण किया जाता है। इसमें विभागीय नियमों, विभिन्न भागों व समितियों की सिफारिशों तथा पद से संलग्न दायित्व, पद की प्रकृति, पर्यवेक्षण की सीमा आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। माँग व पूर्ति का सिद्धान्त भी योग्यता निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। अगर कम वेतन में अधिक योग्यता वाले आशार्थी प्राप्त होते हैं तो कम योग्यता का निर्धारण अनुपयुक्त होगा।

योग्यताओं के निर्धारण के बाद कर्मचारी की चयन विधि का निर्धारण किया जाना चाहिये अर्थात् कर्मचारियों के लिए विज्ञापन, पदोन्नति, मनोनयन या रोजगार कार्यालय विधि में से कौनसी विधि का प्रयोग उचित होगा। सामान्यतः उच्च पदों पर चयन के लिए मनोनयन या पदोन्नति विधि का मध्यम, वर्ग के पदों पर चयन के लिए विज्ञापन या पदोन्नति विधि का तथा निम्न स्तर के पदों के लिए रोजगार कार्यालय विधि या विज्ञापन विधि का सहारा लिया जाता है।

इन विधियों की प्रक्रिया (Process) को चार्ट द्वारा उचित प्रकार समझा जा सकता है।

#### चयन समिति

कर्मचारियों के चयन के लिए एक सतुलित चयन समिति का होना बहुत आवश्यक है जिसमें विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित विशेषज्ञ सम्मिलित हों। सामान्यतः चयन समिति में विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक तथा एक-दो विभिन्न विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञ सम्मिलित किये जाते हैं। विद्व-विद्यालयों में मध्यम व उच्च स्तर के पदों के लिए सामान्यतः निम्न व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं—



उज्जैन विश्वविद्यालय में कुलपति तथा एक राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य चयन समिति में होता है, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय में उप-कुलपति और उसका प्रतिनिधि तथा उस फैकल्टी का हीन चयन समिति का सदस्य होता है।



राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा विद्यालय पुस्तकालयों के लिए निम्न समिति की व्यवस्था है—

संयुक्त/उप-निदेशक शिक्षा



राज्य पुस्तकाध्यक्ष



एक अन्य विशेषज्ञ

कर्मचारी हस्तपुस्तिका

(Staff Manual)

बजट व हस्तपुस्तिका एक सिक्के के दो पहलू हैं जिस प्रकार बजट वार्षिक योजनाओं व धन के आय व व्यय पर निरीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण करता है। उसी प्रकार कर्मचारी हस्तपुस्तिका कर्मचारियों का मार्गदर्शन व नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य करती है। पुस्तकालय पाठक, पुस्तकें तथा पुस्तकालय कर्मचारियों की एक त्रिमूर्ति है। पुस्तकालय उद्देश्यों की प्राप्ति में इन सभी का सहयोग रहता है। पुस्तकालय उद्देश्यों की प्राप्ति व पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्रों की सन्तुष्टि के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों का सुसंगठित नियन्त्रण होना आवश्यक है और पुस्तकालय कर्मचारियों की क्षमता का सही उपयोग तभी किया जा सकता है, जब कर्मचारी कार्य करने की स्थिति में हों अर्थात् पुस्तकालय कर्मचारियों को स्पष्टतया यह ज्ञान हो कि उनके क्या कार्य (Functions), कर्त्तव्य (Duties) है। उनको ज्ञात हो कि उनका कार्य समय, विभिन्न पदों के लिए योग्यताएँ, वेतन, छुट्टियाँ, पदोन्नति, सुविधाएँ, सेवा स्थिति (Service Conditions) तथा कार्य प्रक्रिया (Function Process) व कर्मचारियों का स्पष्ट वर्गीकरण (Classification of Staff) पुस्तकालय के अन्य कार्यों व उनको सम्पादित करने की विधि (Process) क्या होगी। यह कहा जा सकता है कि किसी भी संगठन में कर्मचारी हस्तपुस्तिका एक मार्गदर्शक का कार्य करती है।

यह व्यावसायिक (Professional) तथा अप्रशिक्षित (Non-Professional) के लिए एक मार्गदर्शिका (Guide) है।

(अ) जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति (Employment) तथा प्रशिक्षण (Training),

(ब) कर्मचारियों के कार्य करने की प्रक्रिया, वातावरण, कर्त्तव्य, कार्य और

(स) कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं आदि सम्बन्धी विवरण दिया हुआ होता है। प्रो. के डब्लू. नेएल (K W. Neal) ने कर्मचारी हस्तपुस्तिका को अग्र शब्दों में वर्णित किया है—

"It is hand book which gives full information about the functions, duties, preveladges and service conditions of employees."

कर्मचारी हस्तपुस्तिका हाथ से कार्बन किये हुए या टाइप या कही-कही मुद्रित भी होती है तथा प्रत्येक पुस्तकालय की कर्मचारी हस्तपुस्तिका अलग-अलग हो सकती है।

कर्मचारी हस्तपुस्तिका की आवश्यकता (Need of Staff Manual)

1. सम्पूर्ण मार्गदर्शिका।
2. नये कर्मचारियों को कार्य करने के एक शिक्षक की भाँति उपयोगी।
3. कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों व सुविधाओं का ज्ञान कराती है।
4. प्रशासन (Administration) को कर्मचारियों की वृद्धि में सहायक होती है, क्योंकि इसमें स्टाफ फामूला भी दिया होता है।
5. नये कर्मचारियों की नियुक्ति में सहायक होती है।
6. किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में उपयोगी व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।
7. विभिन्न विभागों में समन्वय व सहयोग में सहायक होती है।
8. विभिन्न विभागों में कार्य के वितरण भी इस पुस्तिका में दिये होते हैं।

कर्मचारी हस्तपुस्तिका के प्रकार

कर्मचारी हस्तपुस्तिका दो प्रकार की होती है -


- (1) Procedural Manual
- (2) Positional Manual

(1) Procedural Manual—

इस प्रकार की पुस्तकालय हस्तपुस्तिका में पुस्तकालय की पूरी कार्य प्रक्रिया का विवरण दिया हुआ होता है। इसमें पुस्तक चयन से पुस्तक पाठक के हाथों में आने तक तथा विभिन्न विभागों की सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया का विवरण दिया रहता है, जो कि नये कर्मचारियों को कार्य करने में सहायक देता है तथा विवाद के समय कोड (Code) अर्थात् मार्गदर्शक का कार्य भी करता है। इसमें विभिन्न विभागों के कार्यों का विवरण दिया रहता है। इनसे विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय रहता है तथा अनावश्यक अनिश्चितता का वातावरण नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें उस पुस्तकालय के सगठन का पूर्ण विवरण तथा विभिन्न अधिकारियों व अधीनस्थों की स्थिति तथा उनके अधिकारों व कर्तव्यों का भी पूर्ण विवरण दिया रहता है। सामान्यतया एक पुस्तकालय के अधिकारियों व अधीनस्थों का विवरण उस अधिनियम में दिया रहता है जिसके तहत उस पुस्तकालय की स्थापना की गई है।

सामान्यतः पुस्तकालयों का स्टाफ पेटर्न अथ प्रकार का होता है

## ORGANISATION OF STAFF



(2) *Positional Manual*—इस प्रकार की पुस्तकालय हस्तपुस्तिका में विभिन्न कर्मचारियों की पुस्तकालय में पद स्थिति उसके कर्तव्य व अधिकार तथा कार्यक्षेत्र, सेवा शर्तें, अवकाश, सेवा लाभ, नियन्त्रक तथा निमन्त्रित कर्मचारियों का विवरण दिया रहता है। वास्तव में इस प्रकार की हस्तपुस्तिका अलग-अलग पदों की पुस्तकालय में पद स्थिति का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने का कार्य करती है।

कर्मचारी हस्तपुस्तिका में शामिल करने योग्य बातें एक भादश कर्मचारी हस्तपुस्तिका में कौन-कौन सी बातें शामिल की जानी चाहिये, यह कहना अत्यन्त कठिन है क्योंकि अलग-अलग संस्थायें व पुस्तकालय अपनी सुविधा व सरलता के अनुसार अलग-अलग बातें पुस्तकालय कर्मचारी हस्तपुस्तिका में शामिल करते हैं। सामान्यतः एक कर्मचारी हस्तपुस्तिका में निम्न बातें शामिल की जानी चाहिये :

1. Job Analysis Description and Specification
2. Categories of Staff
3. Classification of Jobs
4. Number of Staff
5. Qualifications of Staff
6. Salary and Pay Scales
7. Organisation and Pattern of Staff
8. Recruitment of Staff
9. Sections of Library
10. Training and Development of Staff
11. Orientation of New Staff Members
12. Continuing Education
13. Termination
14. Employer and Employee Relationship
15. Working Condition
16. Working Hours

पुस्तकालय कर्मचारी व शैक्षणिक स्तर

पुस्तकालय कर्मचारियों को शैक्षणिक स्तर (Academic Status of Library Personnels) दिया जाये प्रयत्न नहीं, यह एक जटिल प्रश्न है। पुस्तकालय कर्मचारी अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि उनका ध्यान तथा अन्य फ़ैक्ट्री मेम्बर (Faculty Members) से शैक्षणिक तथा शोध कार्यक्रमों में सहायक की वजह से निकट का व सीवा सम्बन्ध है। उनको शैक्षणिक कर्मचारियों के

में रखने हेतु पर्याप्त आधार है तथा उन्हें भी शैक्षणिक कर्मचारियों की तरह लाभ प्राप्त होने चाहिये। पुस्तकालय कर्मचारियों का महत्त्वपूर्ण दावा यह है कि उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण (Academic Training) सामान्यतः उन निर्देशात्मक कर्मचारियों (Instructional Staff) समकक्ष तुलनीय है, जिन्हें विधायक भवकाश, स्थायी सेवा भवधि, सेवा-निवृत्ति व वार्षिक वृद्धि का लाभ तथा सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों के समायोजन अपने आप देय है। इन महत्त्वपूर्ण लाभों से उन्हें वंचित रखने वाले बर्गीकरण का वे विरोध करते हैं।

1950 में University of Kentucky Chapter of the A. A. of University Professors की विशिष्ट कमेटी द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। जिसमें 15 तुलनीय सस्यामों का अध्ययन किया गया। इनमें से एक के अन्तर्गत पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन Professor, Associate Professor, Assistant Professor व Instructor की सिफारिशों पर पुस्तकालय कर्मचारियों को शैक्षणिक स्तर (Academic Status) देने हेतु एक सेमीनार का आयोजन किया गया, जिसमें पदों में समानता लाने हेतु निम्न सिफारिश की गई—

समूह—1	समानान्तर पद
(अ) विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष	प्रोफेसर
(ब) उप-पुस्तकाध्यक्ष	रीडर
(स) वरिष्ठ सहायक पुस्तकाध्यक्ष	लेक्चरर
(द) कनिष्ठ सहायक पुस्तकाध्यक्ष	वरिष्ठ शोध सहायक

समूह—2	
(अ) वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	कनिष्ठ शोध सहायक
(ब) कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक	वरिष्ठ लिपिक
(स) सहायक पुस्तकालय सहायक	कनिष्ठ लिपिक

तृतीय वेतन आयोग द्वारा सुझावित वेतन शृंखला को भी विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उनका कहना था कि काम कम होने से Status व वेतन शृंखला स्वीकृत करना अनुचित है, परन्तु U. G. C. के निर्देशानुसार Status व वेतन शृंखला कम होने से काम के स्तर तथा पुस्तकालय सेवाओं में प्रगति नहीं होगी। 1970 में U. G. C द्वारा नियुक्त सेन समिति (Sen Committee) ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय कर्मचारियों में Professional and Semi-Professionals के माग न्याय किया जाये। इस हेतु वेतन शृंखला बढ़ाई जाये।

मेलोय व मैक-मिलान (Maloy & McMillan) ने जिन संस्थाओं का अध्ययन किया, उसमें पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए Faculty Status की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है। उन्होंने पाया कि वहाँ Faculty Status मात्र Head Librarian व Chief Assistant को ही दिया गया है न कि सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को। Academic Status न दिये जाने का मुख्य कारण पुस्तकालय व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता भी है। पुस्तकालय कर्मचारियों पर औपचारिक शैक्षणिक उत्तरदायित्व की कमी को पुस्तकालय कर्मचारियों के पक्ष में उत्तर देना प्राप्त नहीं है। चाहे पुस्तकालय कर्मचारी यह माने कि उनके व्यावसायिक कर्तव्यों की प्रकृति निर्देशात्मक है तथा सम्पूर्ण पुस्तकालय कार्य को निर्देशात्मक कार्य भी नहीं माना जा सकता है।

## वर्गीकरण शोध समूह

C. R. G. से पहले वर्गीकरण के क्षेत्र में हुई शोध का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि मेलविल डीवी से रंगानायन तक वर्गीकरण के क्षेत्र में जो शोध हुई वह व्यक्तिगत रूप में हुई थी। 1940-50 के दशक में वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध हेतु कई शोध समूह (Research Groups), शोध संस्थाओं व संगठनों (Research Societies and Organisations) स्थापित किये गये। इस प्रकार के संगठनों में पुस्तकालय शोध सर्किल, दिल्ली (Library Research Circle, Delhi), 1951, FID/CR, 1950 तथा वर्गीकरण शोध समूह (Classification Research Group), 1952 प्रमुख हैं।

**स्थापना—**इसकी स्थापना का श्रेय 1948 में लंदन में आयोजित 'दी रायल सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक इन्फोर्मेशन कॉन्फ्रेंस' (The Royal Society of Scientific Information Conference) को जाता है। इस सम्मेलन में काफी विचार विमर्श के बाद वर्गीकरण के क्षेत्र में शोध हेतु एक अध्ययन दल के गठन का निर्णय लिया गया तथा प्रो० जे० डी० बरनाल (Prof. J. D. Bernal) की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

1951 तक इस समिति के कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई तथा इसका कार्य जहाँ से शुरू हुआ था वही रुका रहा तथा समिति ने बाद में यह निर्णय लिया कि इस कार्य को पुस्तकालयों तथा पुस्तकालय व्यवसाय के व्यक्तियों की सहायता के बिना पूरा करना असम्भव है। इसलिए समिति ने यह कार्य कराने के लिए प्रो० ए० जे० वेल्स सम्पादक, ब्रिटिश नेशनल विब्लियोग्राफी (Prof. A. J. Wells, Editor B. N. B.) तथा वी० सी० विकरी, तत्कालीन पुस्तकालयध्यक्ष, अकर लेबोरेटरीज् (B. C. Vickery, Librarian, Akar Laboratories) को कहा गया। इस उम्र तरह इन महानुभावों के प्रयासों से 1952 में वर्गीकरण शोध समूह (Classification Research Group—CRG) की स्थापना हुई।

**सदस्य—**प्रारम्भ में इसकी सदस्य संख्या बहुत कम थी। इसके संस्थापक सदस्य सात थे।

1. J. S. Mills
2. B. C. Vickery
- 3 E. J. Coates
4. J. Farradone
5. D. J. Faskett
6. A. J. Wells
7. B. I. Palmer

परन्तु धीरे-धीरे इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। इसके बाद के कुछ प्रमुख सदस्यों में Barbara Kyle, D. J. Compbell, R. A Fairthorn, D. W. Langridge, Mrs Whitrow तथा Jolly, Rippon, Jones, Jolly आदि हैं। C. R. G. एक मान्यता विहीन समूह था, जो नियमित रूप से वर्गीकरण में शोध के लिए विचार विमर्श हेतु नियमित रूप से मिलता रहा। इसकी प्रथम मितिंग फरवरी, 1952 में हुई।

प्रारम्भिक कठिनाइयाँ—C. R. G. के निर्माण के समय इसके सम्बन्ध में कई विचार उत्पन्न हुए। प्रो. मेटकाफ (Prof. Matcaff) ने इसे डॉ. रंगानाथन का पडयन्त्र बताया। एक आस्ट्रेलियन पुस्तकालय वैज्ञानिक ने C. R. G. के सम्बन्ध में कहा कि "It is plot of Ranganathan is ruin in librarianship" अर्थात् यह डॉ. रंगानाथन का पुस्तकालयध्यक्षता समाप्त करने का पडयन्त्र है। इन्होंने आगे कहा कि ऐसी चीजें वही कर सकता है जो इसको समाप्त करना चाहता है।

प्रारम्भ में इसकी स्थापना तो हो गई परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं दी गई। इसको अपने कार्य करने के लिए वित्तीय समस्या भी मुख्य थी, जो सदस्यों के चन्दे व अनुदानों से हल हो रही थी परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। यद्यपि C.R.G. ने सामूहिक रूप से बहुत कम प्रकाशन किया परन्तु इसके सदस्य अति सक्रिय तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी लोग थे। अतः यह समूह बहुत कम समय में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में मग्न हो गया।

C. R. G. के समस्त सदस्य किंगो न किसी सस्था से जुड़े हुए थे और इन सभी की धारणा थी कि जितनी भी पुरानी वर्गीकरण पद्धतियाँ चली आ रही हैं, उन पर विचार करना या उन पर आगे कार्य करना बेकार है तथा नई विचार-वर्गीकरण प्रणालियाँ (New Special Classification Schemes) बनायीं जायें। शुरु में पुरानी चली आ रही प्रणालियों पर कोई भी ध्यान न देकर New Schemes बनाई गयी।



C. R. G. के सदस्यों में इस बात पर भी मतभेद था कि इन नयी बनाये जाने वाली Special Schemes का आधार किसको बनाया जाये। इसके लिए कुछ सदस्य Colon Classification के पक्ष में थे और कुछ कोलन के विरुद्ध थे, परन्तु बाद में वेल्स व पामर (Wells & Palmer) के समझाने में सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि नई Special Schemes का आधार Colon Classification को मानकर चलेंगे और Colon Classification की Facet Terms का प्रयोग व्यवस्थापन (Arrangement) के लिए किया जायगा और साथ में पक्ष विश्लेषण (Facet Analysis) का भी प्रयोग किया जायगा।

C.R.G. ने नयी Special Scheme को विषयों के व्यवस्थापन के लिए यह भी निश्चित किया कि मुख्य वर्गों का व्यवस्थापन ऊपर से नीचे (Top to Bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to Top) किया जायेगा।

C R. G. का प्रारम्भिक काल सिद्धान्त एवं विचार या पदों की प्रकृति, उनके एकाकी एवं सजातीय समूहकरण, सम्बन्धों एवं अन्तर्सम्बन्धों पर विचारविमर्श में प्रारम्भ हुआ। C. R. G. ने यह भी महसूस किया कि डॉ. एम. आर. रंगानाथन द्वारा प्रस्तुत विचार (Ideas) एवं सिद्धान्त (Theories) अन्य कई विद्वानों के विचार एवं सिद्धान्तों से अधिक स्वीकार करने योग्य है। अतः डॉ. रंगानाथन की कुछ पदावली (Termonology) तथा तकनीक (Technique) को भी अपनाने का निश्चय किया गया।

C. R. G. के प्रारम्भिक क्रियाकलाप संयुक्त मेमोरियल वोल्यूम (Sayers Memorial Volume) में प्रतिबिम्बित होते हैं। C. R. G. के अस्तित्व के प्रारम्भिक दस वर्षों की अवधि में इसके सदस्यों के योगदान को फोस्कट (Foskett) ने विवेचित किया है। C.R.G. के विचार-विमर्श के प्रासंगिक सारांश को C.R.G. Bulletin के रूप में 'जनरल ऑफ डाक्यूमेन्टेशन' (Journal of Documentation) में प्रकाशित किया है। C. R. G Bulletin Number-4, प्रथम बुलेटिन था, जो जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। C. R. G. ने सम्पूर्णतः अपने स्तर पर 1953 में पक्षात्मक वर्गीकरण (Faceted Classification) पर अपने विचारों का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया।

1955 में C. R. G. ने 'The need for a Faceted Classification as Basis of all Methods of Information Retrieval' नाम से मेमोरण्डम (Memorandum) प्रकाशित किया गया। इस मेमोरण्डम में निम्न तीन विचारों पर बल दिया गया—

(i) पुस्तकालय वर्गीकरण के आधार स्वरूप पक्षात्मक विश्लेषण।

(ii) साधारण अंकन का प्रयोग ।

(iii) सम्बन्धात्मक सिद्धान्त (Theory of Relationship).

पक्ष विश्लेषण का विचार प्रलेखों के व्यवस्थापन (Arrangement) हेतु एक महत्वपूर्ण विचार है । यह सूचना के खोज के साथ-साथ अनुक्रमणीकरण (Indexing) में विषयों की शब्दावली हेतु भी उपयोगी है ।

1962 तक का काल

1962 तक वर्गीकरण शोध समूह का ध्यान वर्गीकरण की Special Schemes को बनाने और उनके प्रयोग तक ही केन्द्रित रहा । C. R. G. के सदस्यों ने बहुत-सी विशिष्ट पद्धतियों (Special Schemes) की रचना की । ये विशिष्ट पद्धतियाँ उपयोगकर्ताओं के अलग-अलग एवं विशेष समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी ।

ये सभी विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियाँ पश्चात्तक वर्गीकरण पद्धतियाँ (Faceted Classification Schemes) थी तथा डॉ. रंगानाथन द्वारा विवेचित वर्गीकरण सिद्धान्तों पर आधारित थी । इन विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों में C R. G. के सदस्यों ने डॉ. रंगानाथन की पाँच मूलभूत श्रेणियों (Five Fundamental Categories) का भी प्रयोग किया । इनमें कुछ प्रमुख श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं—

- ( i ) Thing
- ( ii ) Kind
- (iii) Part
- (iv) Agent
- (v) Operation
- (vi) Process
- (vii) Space
- (viii) Time
- (ix) Material
- ( x ) Properties.

इन श्रेणियों को डॉ. रंगानाथन की पाँच मूलभूत श्रेणियों (PMEST) में समेटा जा सकता है, जिस तरह से CRG के सदस्यों ने इनकी रचना हेतु प्रयास किया । यह अनुभव मूलक अभिगम (Progrematic Approach) कहा जा सकता है । इनमें कॉमिल इन्टरनेशनल डी डाक्यूमेन्टेसन (Council International de Documentation—C.I.D.) द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त S F. B. पद्धति सर्वप्रथम पद्धति थी । आजकल यह पद्धति सारे देशों में प्रयोग में लाई जाती है ।

इस अवधि में CRG का प्रमुख योगदान

(I) अंकन के क्षेत्र में (In the Field of Notation)—CRG द्वारा वर्गीकरण पद्धतियों हेतु अंकन पर बहुत सारा कार्य सम्पन्न किया गया, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि यह विचारधारा अमान्य करार कर दी गई कि "अंकन वर्गीकरण पद्धति के पद सोपान (Hierarchical) संरचना की व्याख्या प्रस्तुत करता है" और कहा गया कि यह आवश्यक नहीं कि अंकन (Notation) एक वर्गीकरण पद्धति के Hierarchical Set-up की व्याख्या प्रस्तुत करे और यह वर्गसंख्या (Class Number) को संक्षिप्त करे। उक्त विचार का कुछ विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों में प्रयोग किया गया। इसी के आधार पर प्रागे चलकर प्रो० ई० जे० कोट्स (Prof. E. J. Coats) के द्वारा 'Retroactive Ordinal Notation' का आविष्कार किया गया, जिसमें Pure Ordinal Notation का बहुत ही लाभदायक प्रयोग किया गया। इसका Non-Structural Notation का विचार बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ।

(II) विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों के क्षेत्र में (In the Field of Special Schemes)—इस काल में C.R.G. के सदस्यों ने विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों (Special Classification Schemes) की रचना की। कुछ प्रमुख विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियाँ निम्न थी—

(a) Barbara Kyle—Social Science.

(b) B. C. Vickery—Soil and Earth Sciences.

(c) J.E.L. Farrandane—Diamond Technology.

(d) F. J. Foskett → 

→ Food Technology
→ Occupational Safety and Health.

(e) E. J. Coats—Music.

(III) विभिन्न विचारों के मध्य सम्बन्धों के क्षेत्र में (In the Field of Different Scientists)—CRG का एक और महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न विचारों के मध्य सम्बन्धों के विश्लेषण के क्षेत्र में था। इस क्षेत्र में जे० ई० एल० फेराडेन (J.E.L. Farrandane) का 'Relational operators' पर कार्य अति महत्वपूर्ण था। ये सम्बन्धक (Relators) चिन्तन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित थे।

(IV) वर्गीकरण पद्धतियों की संरचना के क्षेत्र में (In the Field of Structure of Classification Schemes)—1960 में CRG ने विशिष्ट

(Special), सामान्य (General) तथा नवीन वर्गीकरण पद्धतियों (New Classification Schemes) की संरचना में आने वाली समस्याओं की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस सन्दर्भ में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत योगदान 'Classification and Information Control' में प्रतिबिम्बित होता है।

CRG के सदस्यों के पिछले क्रियाकलापों पर एक विहंगम दृष्टिपात करने पर कोई भी यह कह सकता है कि इसका उद्देश्य उच्च विधिष्ठिकरण क्षेत्रों हेतु विशिष्ट वर्गीकरण पद्धतियों का निर्माण करना था, फिर भी यह कहा जा सकता है कि इन पद्धतियों का निर्माण सामान्य सिद्धान्तों, यंत्रण विधि व शोध के नए-नए क्षेत्रों हेतु किया गया।

1962 के बाद का काल

1962 में 'नाटो साइन्स फाउण्डेशन' (NATO Science Foundation) ने लाइब्रेरी एसोसिएशन यू. के. (Library Association, U. K.) को एक सामान्य वर्गीकरण पद्धति (General Classification Scheme) की Feasibility के अध्ययन हेतु 14,000 डॉलर का अनुदान दिया। लाइब्रेरी एसोसिएशन ने CRG को इस शोध हेतु अपने प्रतिनिधि (Agent) के रूप में नियुक्त किया। हेलन जोनलीसन (Helen Jonlison) ने 1964 से 1968 तक एवं डेरिक आस्टीन (Derek Austin) ने 1968 से 1969 तक इस प्रोजेक्ट (Project) पर कार्य किया।

इस काल में CRG ने अपना ध्यान निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित किया—

(I) विचारों (Concept) को श्रेणीबद्ध करने हेतु सिद्धान्तों का निश्चय किया।

(II) विचारों में श्रेणियों का क्रम, एवं

(III) विचारों के मध्य सम्बन्ध

प्रथम बिन्दु (I) के लिए हेलन जोनलीसन (Helen Jonlison) ने श्रेणियों का एक सग्रह प्रस्तुत किया, जिसको कि आगे चलकर डेरिक आस्टीन (Derek Austin) ने विकसित किया।

दूसरे (II) व तीसरे (III) बिन्दु हेतु 'Theory of Integrative Levels' का अविष्कार किया गया, जिसके आधार पर जे. ई. एल. फेरादाने (J. E. L. Farradane) ने 'Relational operators' का एक सेट (Set) तथा डेरिक आस्टीन (Derek Austin) ने Role Indicators का एक सेट प्रस्तुत किया।

CRG ने यह भी निश्चय किया कि कुछ सिद्धान्तों (Principles) की जाँच की जानी चाहिए जो कि सामान्य वर्गीकरण पद्धति की संरचना में आने वाली

समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके। अतः इस हेतु CRG ने दो वर्गीकृत शब्दकोषों (Classified Glossary) की रचना का निर्णय लिया। इनमें से एक तत्त्वों से सम्बन्धित अक्षर वर्णित सिद्धान्तों के आधार पर विशिष्टताओं के व्यवस्थापन से सम्बन्धित था।

CRG का इस समय का एक महत्वपूर्ण योगदान जे० एन्टकिनसन (J. Aintkinson) एवं अन्य द्वारा संकलित 'Thesauri Facet Classification' है। यह इन्जीनियरिंग एवं सम्बन्ध अघ्यायो हेतु एक वर्गीकरण पद्धति है, जिसके साथ एक पारिभाषिक शब्दावली (Thesaurus) भी दी हुई है, जो कि वर्गीकरण पद्धतियों के लिए एल्फाबेटिकल इनडेक्स (Alphabetical Index) के रूप में काम देती है।

प्रारम्भिक अवस्था में CRG ने अपना लक्ष्य विभिन्न उद्देश्यों E. G. Shelving, Classified Catalogue व Information Reterival की पूर्ति हेतु एक सामान्य वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। परन्तु यह व्यावहारिक प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि विभिन्न उद्देश्यों में संगतता नहीं थी। इस काल में CRG ने U.K. Mark Project के साथ मिलकर एक Automated Reterival System के लिए सामान्य वर्गीकरण पद्धति का विकास करने का निश्चय किया और इसके लिए 'Theory of Integrative Levels' को विकसित किया गया।

डी जे. फासकेट 'Theory of Integrative Levels' को पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रयोग करने की विवेचना करते हुए कहा कि यहाँ हम सामान्य से जटिलता की ओर बढ़ते हैं। आधारभूत कणों (Fundamental Particals) का समूह एक परमाणु (Atoms) को बनाता है और परमाणुओं का समूह, अणु (Molecules) की रचना करता है। अणुओं का संयुक्तीकरण एक पुंज (Mass) बनाता है। पुंजों की अकार्बनिक (Inorganic) श्रृंखला खनिजों का निर्माण करती है और इन्हीं पुंजों की कार्बनिक श्रृंखला हमको सजीव अंग देती है। इस तरह हम प्राकृतिक विज्ञानों (Natural Science) में विभिन्न मूल नियमों को प्राप्त करते हैं।

CRG के एक सक्रिय सदस्य डेरिक आस्टिन ने Precis-Pre Served Context-Indexing System को विकसित किया। यह पश्चात्तमक वर्गीकरण का प्रत्यक्ष वंशान (Descendent) है। इसका प्रयोग 1971 से BNB कर रही है। British MARC एवं अन्य कई विब्लियोथाफीज् के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा रहा है।

**डॉ० रंगानायन व CRG**

CRG पर डॉ० रंगानायन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, परन्तु CRG व डॉ० रंगानायन के विचारों में कुछ आधारभूत भिन्नता है जो अक्षर प्रकार है—

(I) CRG के सदस्यों का विश्वास है कि श्रेणियाँ (Categories) की संख्या विषय पर निर्भर करती है, जबकि डॉ० रंगानायन का विश्वास है कि मात्र पाँच ही मूलमूल श्रेणियाँ हैं।

(II) CRG के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि निधानी व्यवस्थापन एवं कम्प्यूटरीकृत सूचना पुनः प्राप्ति के लिए अलग-अलग दो वर्गीकरण पद्धतियों की आवश्यकता है। पश्चिमी 'साहित्य भी यही प्रदर्शित करता है कि साहित्य निरन्तर वर्धनशील है तथा 'इसकी प्रकृति को देखते हुए यह सम्भव नहीं कि एक बहुउद्देशीय पद्धति से प्रलेखों का निधानी पर व्यवस्थापन, प्रलेखों का विषय विश्लेषण एवं सूचना पुनः प्राप्ति के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाये। जबकि डॉ० रंगानायन का यह मानना है कि CC जैसी पद्धति का बहुउद्देशीय वर्गीकरण पद्धति की तरह उपयोग करना सम्भव हो सकता है।

(III) डॉ० रंगानायन मानते हैं कि पक्षों का अकारक क्रम (Citation order) PMEST होना चाहिए जबकि CRG के लोगों का मानना है कि पक्षों का यह अकारक क्रम हमेशा सहायक नहीं होता। उन्होंने अपना-अपना स्वयं का पक्ष अकारक क्रम निर्धारित कर रखा है।

(IV) CRG के सदस्यों ने अपारम्परिक एवं पूर्णव्यापी अंकन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है।

CRG साहित्य का अध्ययन यह दिखाता है कि CRG के सदस्य डॉ० रंगानायन के विचारों से बहुत दूर हो गए थे, लेकिन उनका प्रारम्भिक कार्य डॉ० रंगानायन के विचारों से अच्छी प्रकार से प्रभावित रह चुका है तथा अब भी उनके कार्यों से डॉ० रंगानायन की कुछ छाप दिखाई देती है। CRG को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में डॉ० रंगानायन के विचारों को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाना चाहिये।

CRG का जन्म जब हुआ तो जॉन मेटकाफ ने इसे पुस्तकालय व्यवसाय को नष्ट करने हेतु डॉ० रंगानायन का पड्यून बताया था। लेकिन CRG के कार्यों ने जॉन मेटकाफ की आशंका को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। इसमें कोई शंका नहीं कि CRG ने पुस्तकालय वर्गीकरण एवं उससे सम्बन्धित अध्ययन क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। CRG के कार्यों को व्यापक रूप से जाना जाता है। इसने ग्रेट ब्रिटेन एवं अन्य जगह वर्गीकरण शोध, शिक्षण व्यवहार एवं सूचना पुनः प्राप्ति को जबरदस्त टक्कर दी है।

**CRG की नवीन गतिविधियाँ—**

हाल ही के वर्षों में CRG अध्ययन के निम्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से  
सलग्न है—

- (I) Broad System of Indexing (BSO)
  - (II) PRECIS
  - (III) Revision of Bibliographical Classification
  - (IV) Classification Scheme in Library and Information Science
  - (V) BS : 5723 : Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri
  - (VI) Discipline Matrix.
-

## परिशिष्ट-1

भारत में प्राचीन काल से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक के महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय काल क्रमानुसार दिये जा रहे हैं।

1. 1784 रायल एटियाटिक सोसाइटीज ऑफ बंगाल लाइब्रेरी, कलकत्ता।
2. 1812 मद्रास लिटरेरी सोसाइटी लाइब्रेरी, मुकववेगम, मद्रास।
3. 1818 युनाइटेड सर्विस लाइब्रेरी, पूना।
4. 1835 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता।
5. 1839 त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम।
6. 1840 सार्वजनिक वाचनालय, नासिक सिटी।
7. 1847 पीपुल्स फ्री रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, बम्बई।
8. 1847 रतनगिरी नगर वाचनालय, रतनगिरी।
9. 1848 जनरल लाइब्रेरी, बेलगाँव।
10. 1848 पूना जनरल लाइब्रेरी, पूना।
11. 1849 गुजरात विधान सभा, पुस्तकालय, महमदाबाद।
12. 1850 करनी नगर वाचन मन्दिर, कोल्हापुर।
13. 1850 एण्ड्रूज लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, सूरत।
14. 1851 बंगाल चैम्बर्स ऑफ कामर्स लाइब्रेरी, कलकत्ता।
15. 1852 श्री राम वाचन मन्दिर, रतनगिरी।
16. 1854 इन्दौर जनरल लाइब्रेरी, इन्दौर।
17. 1854 घोडो शामराव गुरुड लाइब्रेरी, घुलिया, खानदेश।
18. 1854 उत्तरपाड़ा लाइब्रेरी, उत्तरपाड़ा, हुगली।
19. 1854 मैसूर एजुकेशनल लाइब्रेरी, डी० पी० आई० ऑफिस, मैसूर।
20. 1855 पब्लिक लाइब्रेरी, गया।
21. 1856 ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया लाइब्रेरी, कलकत्ता।
22. 1857 कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कलकत्ता।
23. 1857 जिला वाचन मन्दिर, शोलापुर।
24. 1857 नीलगिरी लाइब्रेरी, घोटकमण्ड, नीलगिरी।



25. 1858 कोननगर पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड फ्री रीडिंग रूम, कोननगर ।  
 26. 1858 रामचन्द्र दीपचन्द्र लाइब्रेरी, मडोच ।  
 27. 1960 बाबूजी देश मुख वाचनालय, भकोला ।  
 28. 1862 ज्योडेरिक ब्रांच लाइब्रेरी, सर्वे ब्राँफ इण्डिया, देहरादून ।  
 29. 1863 राष्ट्रीय वाचनालय, भकोला ।  
 30. 1864 करवाट सेन्ट्रल लाइब्रेरी, करवाट ।  
 31. 1864 कबासजी घनजी भाई गजदर रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, भूरत ।  
 32. 1865 गवर्नमेन्ट कालेज ब्राँफ ब्राटं एण्ड क्रापट लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 33. 1865 गवर्नमेन्ट लाइब्रेरी, जूनागढ ।  
 34. 1865 लोकमान्य वाचनालय, भरवी, वर्धा ।  
 35. 1866 महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर ।  
 36. 1866 सार्वजनिक वाचनालय, चोला, नासिक ।  
 37. 1867 भ्रमरावती नगर वाचनालय, भ्रमरावती ।  
 38. 1867 सचिवालय लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 39. 1868 सैंग लाइब्रेरी, जुबली गार्डन, राजकोट ।  
 40. 1869 संगरी नगर वाचनालय, संगरी ।  
 41. 1869 बम्बई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, बम्बई ।  
 42. 1870 अण्णाराव भोलानाय लाइब्रेरी, अहमदाबाद ।  
 43. 1870 आष्टे वाचन मन्दिर, हवलकरजी, कोल्हापुर ।  
 44. 1870 इरनाकुलम पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, इरनाकुलम ।  
 45. 1870 कूच बिहार स्टेट लाइब्रेरी, कूच बिहार ।  
 46. 1870 दयाराम फ्री रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, जामनगर ।  
 47. 1870 यूनाइटेड सर्विस इन्स्टीट्यूशन्स ब्राँफ इण्डिया लाइब्रेरी, शिमला ।  
 48. 1871 मगन भाई काशी सार्वजनिक पुस्तकालय, भदरान ।  
 49. 1871 कार्माइकेल लाइब्रेरी, बनारस ।  
 50. 1872 विक्टोरिया जुबली लाइब्रेरी, भ्रमलनेर ।  
 51. 1872 विक्टोरिया डायमण्ड जुबली लाइब्रेरी, फलतान, ७० सतारा ।  
 52. 1873 भ्रमरेली पब्लिक लाइब्रेरी, सकारबाद, भ्रमरेली ।  
 53. 1873 चन्देर नगर पुस्तकागार, चन्देरनगर ।  
 54. 1873 पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, त्रिचूर ।  
 55. 1873 पारील चन्दूलाल केशवलाल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटेलाड ।  
 56. 1874 शिवपुर पब्लिक लाइब्रेरी, शिवपुर ।  
 57. 1874 सार्वजनिक पुस्तकालय, सांजिया ।  
 58. 1875 ब्रूटर्न एण्ड इन्स्टीट्यूट एण्ड लाइब्रेरी, पूना ।

59. 1875 मैट्रोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी, पूना ।
60. 1876 भलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, भलीगढ़ ।
61. 1876 इण्डियन एसोसिएशन फार द कल्टीवेशन ऑफ साइन्स लाइब्रेरी  
यादवपुर ।
62. 1876 द्वारका सार्वजनिक पुस्तकालय, द्वारका ।
63. 1876 मुदियली लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
64. 1876 मैट्रोलोजिकल आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
65. 1877 पारील बन्धुभराम हेमचन्द जनरल लाइब्रेरी, विश्वनगौर ।
66. 1877 बल्लभदास बालजी पब्लिक लाइब्रेरी, जलगाव ।
67. 1882 पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
68. 1882 टालटला पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
69. 1882 जे. बी. पेट्रीट रीडिंग रूम, लाइब्रेरी एण्ड पब्लिक हॉल, सूरत ।
70. 1883 बाग बाजार रीडिंग रूम लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
71. 1883 बिहार हितैषी लाइब्रेरी, पटना ।
72. 1883 हाल आफ यियोसोफी, मदुरई ।
73. 1884 बत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, हबडा ।
74. 1884 पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर ।
75. 1885 बेली साधारण ग्रन्थगार, बेली हबडा ।
76. 1885 सार्वजनिक वाचनालय, बीजापुर ।
77. 1885 म्यूजियम लाइब्रेरी, जूनागढ़ ।
78. 1886 भाषार लाइब्रेरी, भाषार मद्रास ।
79. 1886 गोपाल राव पब्लिक लाइब्रेरी, हबडा ।
80. 1886 मोहीरी पब्लिक लाइब्रेरी, हबडा ।
81. 1886 लायन लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, मेरठ ।
82. 1887 देसाई नानगजी व सेठ हरजीवन लाइब्रेरी ।
83. 1887 श्री विक्टोरिया जुबली लाइब्रेरी, बनकनेर, काठियावाड ।
84. 1887 हेम बरूमा लाइब्रेरी, तेजपुर ।
85. 1888 म्यूजियम लाइब्रेरी, राजकोट ।
86. 1888 सुब्रवन रीडिंग क्लब, कलकत्ता ।
87. 1889 भारती भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद ।
88. 1889 चंतन्य लाइब्रेरी एण्ड वीथन स्ववापर क्लब, कलकत्ता ।
89. 1890 बारटन लाइब्रेरी, भावनगर ।
90. 1890 कानेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास ।

91. 1890 श्रीमंत फतेहसिंह राव सार्वजनिक पुस्तकालय, भादरा, पाटन ।  
 92. 1891 ब्लाव्स्की लाज लाइब्रेरी थियोसोफिकल सोसाइटी, बम्बई ।  
 93. 1891 वंशवेरिया पब्लिक लाइब्रेरी, हुगली ।  
 94. 1891 गवर्नमेन्ट ओरियन्टल लाइब्रेरी, मंसूर ।  
 95. 1891 आसफिया स्टेट लाइब्रेरी, हैदराबाद ।  
 96. 1891 इम्पीरीयल रिकार्ड रूम ऑफ इण्डिया लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 97. 1892 ए० एस० दहि लक्ष्मी लाइब्रेरी, नादियाद ।  
 98. 1893 आर्य भाषा पुस्तकालय नागरी प्रचारणी सभा, बनारस ।  
 99. 1893 पब्लिक लाइब्रेरी, पदरा, बड़ौदा ।  
 100. 1893 ब्रगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता ।  
 101. 1893 मराठी ग्रन्थ संग्रहालय, धाना, बम्बई ।  
 102. 1894 काटन लाइब्रेरी, कुबरी, आसाम ।  
 103. 1895 राजाराम सीताराम दीक्षित लाइब्रेरी, नागपुर ।  
 104. 1895 इण्डियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, मुक्तेश्वर ।  
 105. 1896 लाइब्रेरी ऑफ द इण्डस्ट्रीयल सेक्शन, इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता ।  
 106. 1896 चानसभा तालुका सार्वजनिक लाइब्रेरी, चानसभा ।  
 107. 1896 मडुरई डि बो. लाइब्रेरी, बेरियाकुलम, मडुरई ।  
 108. 1896 श्री भवन राव पब्लिक लाइब्रेरी, सतारा ।  
 109. 1897 राजेन्द्र विक्टोरिया भ्रमण्ड जुबली पब्लिक लाइब्रेरी, पटियाला ।  
 110. 1898 महि भाई दया भाई सार्वजनिक पुस्तकालय, धर्माज, खेडें ।  
 111. 1898 मुम्बई मराठी, ग्रन्थ संग्रहालय, ठाकुर द्वारा, बम्बई ।  
 112. 1898 श्री गौतमी लाइब्रेरी, गोदावरी ।  
 113. 1898 प्रतापसिंह पब्लिक लाइब्रेरी, श्रीनगर, कश्मीर ।  
 114. 1898 समाजी वंभव सार्वजनिक पुस्तकालय, सूरत ।  
 115. 1899 श्री रामचन्द्र लाइब्रेरी, बीरीबद ।  
 116. 1900 सीनियर इलेक्ट्रिकन इंजीनियर आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 117. 1900 नागरी प्रचारिणी सभा लाइब्रेरी, भारा ।  
 118. 1900 पंडित मोतीलाल मूनिसपल पब्लिक लाइब्रेरी, धमृतसर ।  
 119. 1900 स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर ।  
 120. 1901 मूनिसपल विक्टोरिया मेमोरियल लाइब्रेरी, तेलीबरी ।  
 121. 1901 साधुरोशम ओरियन्टल लाइब्रेरी, कुम्बकोनस, तजौर ।  
 122. 1901 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।

123. 1901 कोदाई केनास भाञ्जवेंटरी लाइब्रेरी, कोदाई केनाल ।  
 124. 1901 लाइब्रेरी ऑफ द आफिस ऑफ द मुपरिन्टेन्डेण्ट, लिबस्टाक फार्म, हिसार ।  
 125. 1902 इम्पीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 126. 1902 सेन्ट्रल भाकंलोजिकल लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।  
 127. 1902 मांजू पब्लिक लाइब्रेरी, मांजू, हवड़ा ।  
 128. 1902 पेट्रियारिक लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 129. 1903 मद्रास यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, मद्रास ।  
 130. 1903 कर्जन हाल लाइब्रेरी, गौहाटी ।  
 131. 1904 घकोरिया पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 132. 1904 यंगमेन्स हिन्दू एसोसिएशन लाइब्रेरी, हलोर, वेस्ट, गोदावरी ।  
 133. 1904 प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।  
 134. 1904 गवर्नमेण्ट एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, कानपुर ।  
 135. 1905 सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 136. 1905 एस. एस. रामबाई साहब वाचनालय, जमशदी, बीजापुर ।  
 137. 1905 राम मोहन लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 138. 1905 सर्वेण्डस ऑफ इण्डिया सोसाइटी लाइब्रेरी, रायपेटम ।  
 139. 1905 इण्डियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।  
 140. 1906 सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, कसौली ।  
 141. 1907 कर्जन सार्वजनिक पुस्तकालय, बडोदा ।  
 142. 1907 नैलोर प्रोग्रेसिव यूनियन फी रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, नैलोर ।  
 143. 1907 विक्टोरिया एडवर्ड्सहाल, मदुरई ।  
 144. 1907 श्री सायाजी श्वेतोचकोव पुस्तकालय, सिनोर, बडोदा ।  
 145. 1907 सेठ लक्ष्मीचन्द्र सुन्दर जी पब्लिक लाइब्रेरी, सिद्धपुर, मेहसाना ।  
 146. 1907 स्टेट लाइब्रेरी, भरतपुर ।  
 147. 1908 मिनीस्ट्री ऑफ रेतवेज लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।  
 148. 1908 ब्रजमेर यूनिवर्सल पब्लिक लाइब्रेरी, ब्रजमेर ।  
 149. 1908 सरदार दयालसिंह पब्लिक लाइब्रेरी, लाहौर ।  
 150. 1908 श्री महावीर लाइब्रेरी, सीकर ।  
 151. 1908 सेठ भाई लाल माई मोहनलाल पब्लिक लाइब्रेरी, मेहसाना ।  
 152. 1909 पब्लिक लाइब्रेरी, सागर ।  
 153. 1909 श्री सपाजी गोल्डन जुबली सार्वजनिक पुस्तकालय, बीजापुर  
 154. 1909 सेठ एम. भार. पब्लिक लाइब्रेरी, जसां ।

- 155 1910 भारतीय इतिहास संशोधन मण्डल, लाइब्रेरी, पूना ।  
 156 1910 श्रीमतीरुदोला गवर्नमेन्ट पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ ।  
 157 1910 एम एन श्रीमतीन सार्वजनिक पुस्तकालय, नादियाद ।  
 158. 1910 नित्यानन्द लाइब्रेरी एण्ड फ्री रीडिंग रूम कलकत्ता ।  
 159. 1910 देश्वर पब्लिक लाइब्रेरी ।  
 160. 1910 सेन्ट्रल लाइब्रेरी, बडोदा ।  
 161 1910 सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी लाइब्रेरी, पूना ।  
 162 1911 इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स लाइब्रेरी, बंगलौर ।  
 163 1911 मन्नालाल पुस्तकालय, गया ।  
 164. 1911 नार्थ हण्टली कमला लाइब्रेरी, टेंगरा, कलकत्ता ।  
 165 1911 रजनीकान्त गुप्त मेमोरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 166. 1911 राम मोहन फ्री लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, बेजवाड़ा ।  
 167 1911 सेन्ट्रल जैन थोरियन्टल लाइब्रेरी, धारा ।  
 168. 1911 हमीदिया स्टेट लाइब्रेरी, भोपाल ।  
 169. 1911 कारन थार्ई तामिल संगम लाइब्रेरी, तंजौर ।  
 170. 1912 द पेन्टेन्ट ब्राफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 171. 1912 कामरूप अनुसंधान समिति लाइब्रेरी, गौहाटी ।  
 172 1912 सेन्ट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, संगरूर ।  
 173 1912 श्री भाषा सजीवनी सग्रहम अमृतलूर, तेनाली ।  
 174 1912 हिन्दी पुस्तकालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद ।  
 175. 1913 छगनलाल पीताम्बरदास पारीष फ्री पब्लिक लाइब्रेरी,  
 मेहसाना ।  
 176 1913 इस्कूक पब्लिक लाइब्रेरी, हबडा ।  
 177 1913 महाराष्ट्र वाचनालय तिलक मन्दिर, जबलपुर ।  
 178 1913 श्री के. आर वी के लाइब्रेरी, ईस्ट गोदावरी ।  
 179 1913 श्री चित्त तिरुनाल लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, बाचीमूर ।  
 180 1913 सार्वजनिक पुस्तकालय कादी मेहमना, उ. गुजरात ।  
 181 1913 मुहूदय परिषद् हेमचन्द्र ग्रन्थगार, बाकीपुर ।  
 182 1913 हिन्दी प्रचार लाइब्रेरी, मद्रास ।  
 183. 1913 श्री विद्यावर्धन पुस्तकालय, नवलगढ़ ।  
 184. 1913 मद्रास फारेस्ट कॉलेज लाइब्रेरी, कोयाम्बटूर ।  
 185. 1914 लेडोल पब्लिक लाइब्रेरी, लेडोल, बीजापुर ।  
 186. 1914 श्री वारमेन्द्र लाइब्रेरी, नागौद, सजना ।  
 187. 1914 श्री रामचन्द्र ग्रन्थालय, पोडूर ।

188. 1914 शारद सदन पुस्तकालय, सालगंज ।
189. 1915 सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी, जोधपुर ।
190. 1915 मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली ।
191. 1915 माइकेल भधुमूदन लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
192. 1915 बाराहमिहिराचार्य पुस्तकालय, पटना ।
193. 1915 श्री एस. बी. लाइब्रेरी, पिचोपुरम् ।
194. 1915 के. धार. कामा ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, पूना ।
195. 1916 कॉमशियल लाइब्रेरी एण्ड रिडिंग रूम, कलकत्ता ।
196. 1916 लाइब्रेरी ऑफ द ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, कलकत्ता ।
197. 1916 बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मैसूर ।
198. 1916 मैसूर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मैसूर ।
199. 1916 वेली सरस्वती पाठागार, वेली, हबड़ा ।
200. 1916 श्री हटवेंट पुस्तकालय मण्डागारम्, कांकिडा ।
201. 1916 श्री समाजी मार्वाजनिक लाइब्रेरी, डम्बोई, बड़ौदा ।
202. 1916 संस्कृत साहित्य परिषद् लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
203. 1917 भ्राकंलोजिकल म्यूजियम रेफरेन्स लाइब्रेरी, मधुरा ।
204. 1917 मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।
205. 1917 नेशनल लाइब्रेरी, बन्दर, बम्बई ।
206. 1917 महाराजा गणपति राव हिन्दू लाइब्रेरी, विशाख ।
207. 1917 भाषव मेमोरियल लाइब्रेरी, सलकिया ।
208. 1917 श्री सिद्धेश्वर मुपन वाचनालय, आघाट्रि ।
209. 1917 सार्वजनिक पुस्तकालय व जिला पुस्तकालय, प्रलीगज कोलावी ।
210. 1917 पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पटना ।
214. 1917 रोज इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
212. 1918 भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, पूना ।
213. 1918 उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हैदरावाद ।
214. 1918 कृष्ण राजीन्द्र जिला लाइब्रेरी, मैसूर ।
215. 1918 नरेन्द्र ग्रन्थालयम्, गोवादा ।
216. 1918 तंजौर महाराज शरफो जी लाइब्रेरी, तंजौर ।
217. 1918 पारीक्ष पी. एच. महाजन लाइब्रेरी, कपडानगज ।
218. 1918 शान्ति इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, कलकत्ता ।

219. 1918 श्री कृष्ण राजेन्द्र लाइब्रेरी, ताम्रकूट ।  
 220 1918 महावीर पुस्तकालय, कलकत्ता ।  
 221 1918 सरस्वती निकेतन, बेतापेलम, गदूर ।  
 222 1919 म्यूनिसिपल लाइब्रेरी टाऊन हाल, मुजफ्फरपुर ।  
 223 1919 श्री गणेश मुक्त वाचनालय, बुधवारपेट, पूना ।  
 224 1919 इण्डियन काउंसिल ग्रॉफ मेडिकल रिसर्च, दिल्ली ।  
 225 1920 डाइरेक्ट्रेट ग्रॉफ इण्डस्ट्रीज लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 226 1920 जामिया-मिलिया इस्लामिया रिसर्च लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 227 1920 सन्मति पुस्तकालय, जयपुर ।  
 228 1920 गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद ।  
 229 1920 तिलक लाइब्रेरी, रानीगज, बरदान ।  
 230 1920 तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी, मंसूरी ।  
 231 1920 पब्लिक रिलेशन रीडिंग रूम, देवगढ़ ।  
 232 1920 बडतल्ला मुस्लिम लाइब्रेरी, बडतल्ला ।  
 233 1920 अंगुली लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 234 1920 श्री रनवीर लाइब्रेरी, जम्मू ।  
 235 1920 श्री ब्रह्म सभा मालेश्वर ग्रान्ध ग्रन्थालय, बेजवाड़ा ।  
 236 1921 हरकॉट बटलर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, इन्दौर ।  
 237 1921 टैगोर लाइब्रेरी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।  
 238 1921 सेठ जे. जे. लाइब्रेरी, केम्बे ।  
 239 1921 गयाप्रसाद लाइब्रेरी, कानपुर ।  
 240 1921 द्वारकादास लाइब्रेरी, लाहौर ।  
 241 1921 महात्मा सुशीराम पब्लिक लाइब्रेरी, देहरादून ।  
 242 1921 मुक्त द्वारा ग्रन्थालय, सदाशिव पेठ, पूना ।  
 243 1921 रघुनन्दन लाइब्रेरी, हमारमठ, पुरी ।  
 244 1921 श्री खोजवा आदर्श पुस्तकालय, बनारस ।  
 245 1921 समाजपति स्मृति लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 246 1921 यू. पी. लेजिस्लेटिव एसेम्बली लाइब्रेरी, लखनऊ ।  
 247 1921 पार्लियामेंट लाइब्रेरी, पार्लियामेंट हाऊस, नई दिल्ली ।  
 248 1922 लेजिस्लेटिव एसेम्बली लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम ।  
 249 1922 बापरेक्टर जनरल ग्रॉफ सप्ताइज एण्ड डिस्पोजिशन लाइब्रेरी,  
 दिल्ली ।

250. 1922 श्री सरस्वती विद्यालय फी लाइब्रेरी, हुबली ।
251. 1922 सदर मुस्लिम लाइब्रेरी, नागपुर ।
252. 1922 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इलाहाबाद ।
253. 1922 दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दिल्ली ।
254. 1923 भ्रांघ्र ग्रन्थालय, कूर्तूल ।
255. 1923 गंगाप्रसाद वर्मा मेमोरियल लाइब्रेरी, लखनऊ ।
256. 1924 इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लांट लाइब्रेरी, इन्दौर ।
257. 1924 सिन्हा लाइब्रेरी, पटना ।
258. 1925 मुस्लिम पब्लिक लाइब्रेरी, काजीकोड़े ।
259. 1925 रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी, पुरी ।
260. 1925 नागपुर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नागपुर ।
261. 1926 भ्रांघ्र यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वाल्टेयर ।
262. 1926 भारत खण्ड कॉलेज ऑफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक लाइब्रेरी, लखनऊ ।
263. 1926 हिन्दी संग्रहालय, इलाहाबाद ।
264. 1926 भ्रांघ्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी लाइब्रेरी, राजामुन्दरी ।
265. 1926 वाई. एम. सी. ए. लाइब्रेरी, मदुरा ।
266. 1926 सन्तुलाल पुस्तकालय, रांची ।
267. 1926 हैदरी सरकूलेटिंग लाइब्रेरी, हैदराबाद ।
268. 1927 मलेरिया इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया लाइब्रेरी, दिल्ली ।
269. 1927 रानी वर्मा रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, त्रिचूर ।
270. 1927 रेफरेन्स लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ भाकंलोजी, त्रिचूर ।
271. 1927 एयर हैडक्वाटर्स रिफरेन्स एण्ड टेक्नीकल लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।
272. 1928 हैदराबाद म्यूजियम लाइब्रेरी, हैदराबाद ।
273. 1928 इण्डियन डेपरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, बंगलोर ।
274. 1928 सेन्ट्रल लाइब्रेरी, खालियर ।
275. 1928 महेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, खालियर ।
276. 1929 जमशेदजी नाथोरबाल जी रीडिंग रूम व लाइब्रेरी, दादर, बम्बई ।
277. 1929 म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, तेनाली ।



- 278 c. 1929 लालजी मेमोरियल रीडिंग रूम एण्ड लाइब्रेरी, करुंगपल्ली ।
279. 1929 सिल्वर जुबली लाइब्रेरी, चिकमंगलूर ।
280. 1929-अन्नामलाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अन्नामलाई, मद्रास ।
281. 1930 माल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
- 282 1930 इण्डियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।
- 283 1930 कामरूप संस्कृत लाइब्रेरी, नलवारी ।
- 284 1930 बीराज रिलीजियस इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, डिब्रूगंज ।
- 285 1930 एम सी. हनुमती हिन्दू पुस्तकालय, मडोंच ।
- 286 1930 महिमा गवर्नमेन्ट लाइब्रेरी, माहून ।
- 287 1931 मेठ साराभाई लाइब्रेरी, अहमदाबाद ।
288. 1931 सी डब्ल्यू. एण्ड पी. सी. लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन ब्यूरो, शिमला ।
- 289 1932 लाइब्रेरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल, रीवा ।
- 290 1932 रामकृष्ण मठ लाइब्रेरी, लाचीपुरम् ।
- 291 1932 श्री केसरी एण्ड मराठा लाइब्रेरी, पूना ।
292. 1932 श्री रामकृष्ण आश्रम लाइब्रेरी, धनतौली, पूना ।
- 293 1933 म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, भमलपुर ।
294. 1933 इण्डियन स्टेटिक्स इन्स्टीट्यूट लाइब्रेरी, कलकत्ता ।
295. 1934 सेदिया लाइब्रेरी, जामबाग, हैदराबाद ।
296. 1934 श्री बेला दौदला ग्रन्थालयम्, गांधीनगर ।
- 297 1934 सोलत पब्लिक लाइब्रेरी, रामपुर ।
298. 1934 मिनिस्ट्री ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, दिल्ली ।
299. 1934 लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर टू द ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली ।
300. 1915 डाइरेक्ट्रेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।
- 301 1935 म्यूनिसिपल सेन्ट्रल लाइब्रेरी, शिमला ।
302. 1936 लाइब्रेरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द ए. जी., उड़ीसा ।
303. 1936 बी. आर. सेन पब्लिक लाइब्रेरी, मालदा ।
- 303 1936 रामकृष्ण सेन्ट्रल लाइब्रेरी, मद्रास ।
305. 1916 शारदा लाइब्रेरी, अनाकपल्ली ।
306. 1916 भाग्यरा म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, भाग्यरा ।

307. 1936 इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सूगर टेक्नोलोजी लाइब्रेरी, कानपुर ।  
 308. 1936 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बम्बई ।  
 309. 1937 किंग एम्परर जॉर्ज पंचम सिल्वर जुबली लाइब्रेरी, बीकानेर ।  
 310. 1937 बी. के. मेमोरियल लाइब्रेरी, अम्बाला ।  
 311. 1937 सेन्द्रल एजुकेशन लाइब्रेरी, शिक्षा विभाग, शिमला ।  
 312. 1937 लाइब्रेरी ऑफ द आफिस ऑफ डाइरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एवशन, दिल्ली ।  
 313. 1937 लाइब्रेरी ऑफ द सेन्द्रल वाटर पावर डरीगेशन एण्ड नेवीगेशन रिसेर्च, पूना ।  
 314. 1938 उड़ीसा म्यूजियम लाइब्रेरी, उड़ीसा ।  
 315. 1938 भाल इंडिया रेडियो लाइब्रेरी, मद्रास ।  
 316. 1938 भाल इंडिया रेडियो लाइब्रेरी, लखनऊ ।  
 317. 1938 रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 318. 1939 अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, फोर्ट, बीकानेर ।  
 319. 1939 तिलजन पब्लिक लाइब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, कलकत्ता ।  
 320. 1939 मोनोटोरिंग सर्विस ए. आई. आर. लाइब्रेरी, शिमला ।  
 321. 1940 आसाम प्रोविशियल म्यूजियम लाइब्रेरी, गोहाटी ।  
 322. 1940 ट्रेड मार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता ।  
 323. 1940 ट्रेड मार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, बम्बई ।  
 324. 1941 लाइब्रेरी ऑफ द स्टेसन डाइरेक्टर, भाल इण्डिया रेडियो, दिल्ली ।  
 325. 1941 पब्लिकेशन डिवीजन लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 326. 1941 महिला मण्डल लाइब्रेरी, उदयपुर ।  
 327. 1941 चिन्तामणी मेमोरियल लाइब्रेरी, इलाहाबाद ।  
 328. 1941 दिल्ली पोलिटेक्नीक लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 329. 1942 पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ्स ट्रेनिंग सेन्टर लाइब्रेरी, जबलपुर ।  
 330. 1943 द्रावनकोर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम ।  
 331. 1943 उत्कल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कटक ।  
 332. 1943 देशबन्धु पुस्तकालय, मयुरा ।  
 333. 1943 धर्मपुरम् आधीनम् लाइब्रेरी, मयूरम् ।  
 334. 1943 हिन्दू धर्म संस्कृति मन्दिर, धन्तोनी, नागपुर ।  
 335. 1944 सेन्द्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाइब्रेरी, दिल्ली ।  
 336. 1945 रीजनल मेट्रोलोजिकल सेन्द्रल लाइब्रेरी, नागपुर ।  
 337. 1945 रीजनल मेट्रोलोजिकल सेन्द्रल लाइब्रेरी, मद्रास ।

338. 1945 लाइब्रेरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कलोजी, कलकत्ता ।
339. 1945 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च लाइब्रेरी, बम्बई ।
340. 1946 म्यूजियम लाइब्रेरी, जामनगर ।
341. 1946 मेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन लाइब्रेरी, शिमला ।
342. 1946 लेबर ब्यूरो लाइब्रेरी, शिमला ।
343. 1946 डाइरेक्ट्रेट जनरल ऑफ द इम्पलाइमेंट लाइब्रेरी, दिल्ली ।
344. 1946 लाइब्रेरी ऑफ द डाइरेक्ट्रेट ऑफ इण्डस्ट्रीयल स्टेटिस्टिक्स,  
शिमला ।
345. 1946 नेशनल मेट्रोलोजिकल लेबोरेटरी लाइब्रेरी, जमशेदपुर ।
346. 1946 बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, लखनऊ ।
347. 1946 सागर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सागर ।
348. 1947 मिनिस्ट्री ऑफ वर्क, प्रोडक्शन एण्ड सप्लाय लाइब्रेरी, दिल्ली ।
349. 1947 ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आफिस लाइब्रेरी, बंगलोर ।
350. 1947 ग्राल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कटक ।
351. 1947 पंजाब हाईकोर्ट लाइब्रेरी, शिमला ।
352. 1947 लाइब्रेरी ऑफ द आफिस ऑफ द डायरेक्ट्रेट वेदनरीज  
सर्विसेज, पंजाब ।
353. 1947 फोरेस्ट मेन्ट्रल लाइब्रेरी, शिमला ।
354. 1947 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल लाइब्रेरी, दिल्ली ।
355. 1947 ग्राल इण्डिया रेडियो लाइब्रेरी, कटक ।
356. 1947 को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, रीवा ।
357. 1947 पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, शिमला ।
358. 1947 इण्डियन स्टेण्डर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी, दिल्ली ।
359. 1947 नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इण्डिया लाइब्रेरी, पूना ।
360. 1947 महाराष्ट्र ग्रन्थालय, पूना ।

## परिशिष्ट-2

---

### INDIAN LIBRARY ASSOCIATION

Results of ILA Elections (1985-87) for the various Offices declared on November 3, 85 at the time of the General Body Meeting at Baroda.

#### PRESIDENT

Shri T. S. Rajagopalan  
Scientist Incharge  
INSDOC, 14 Satsang Vihar Marg,  
Special Institutional Area  
New Mebrauli Road  
New Delhi-110067.

#### VICE-PRESIDENTS

Mr. A. K. Anand  
Librarian  
Panjab University Library  
Chandigarh-160014.  
Prof. Krishan Kumar  
K-14, Rajouri Garden  
New Delhi-110027.  
Mr. Heera Kapasi  
Library Director  
American Library  
24-Kasturba Gandhi Marg,  
New Delhi-110001.  
Mr. H. K. Kaul  
Librarian  
India International Centre  
40, Lodhi Estate  
New Delhi-110003.

Mr. S. C. Biswas  
 Director  
 Central Secretariat Library  
 'G' Wing, Shastri Bhawan  
 New Delhi-110001.

Prof. A. A. N. Raju  
 Department of Library & Information Science  
 Usmania University  
 Hyderabad-500007.

#### SECRETARY

Shri C. P. Vashishth  
 Pocket A, MIG Flats  
 28-B, Ashok Vihar, Phase III  
 Delhi-110052.

#### COUNCIL MEMBERS FROM AMONGST PERSONAL MEMBERS

Shri J. C. Mehta  
 D-781, Saraswati Vihar  
 New Delhi-110034.  
 Shri S. M. Kulkarni  
 Librarian  
 Anthropological Survey of India  
 27, Jawaharlal Nehru Road  
 Calcutta-700016,  
 West Bengal.

Shri H. C. Jain  
 C-21 (29-31), Probyen Road  
 Delhi University  
 Delhi-110007.

Shri M. M. Kashyap  
 38/16, Chattra Marg  
 University of Delhi  
 Delhi-110007.

# परिशिष्ट-3

## Indian Public Library Association EXECUTIVE COMMITTEE

### PRESIDENT

Shri K. M. Ujlambkar  
Rtd. Director of Public Libraries, Maharashtra,  
11, Pranrodhan Apartment 242, B-Sukrawar,  
Pune-411 002 Maharashtra.

### VICE-PRESIDENTS

Shri V. K. Kulshreshta, State Librarian,  
State Central Library, Jaipur-3.  
Shri N. D. Bagari  
Rtd. State Librarian & Head Department of  
Public Libraries, Karnataka,  
Bangalore-560 040 Karnataka.  
Shri P. V. Varghese, Librarian,  
State Central Library, Trivandrum-695 001 Kerala.  
Shri K. Pawan Kumar, Founder-Adviser,  
Readers Forum, 16-1-260, Saidabad, Hyderabad.  
Shri Naseeb Chand, Librarian,  
Govt. College for Women, Sector 11-C, Chandigarh.

### SECRETARY

Dr. M. A. Majeed Khan  
5-1-554, Jam Bagh, Hyderabad-500 195.

### JOINT SECRETARY

Shri P. Parthasarathy, Rtd. Supdt.,  
Department of Public Libraries, A. P.,  
Hyderabad-500 264, A. P.

### TREASURER :

Shri R. Venkatachlam, Superintendent,  
Department of Public Libraries, A.P.  
16-1-2 Upstairs of Meena Cafe, Saldabagh,  
Hyderabad.

## MEMBERS

- Shri N. Purshotham  
Nehru High School, Namalgunđa, Secunderabad
- Shri Mir Shujaath Ali  
20-5-239, Shahalibunda, Hyderabad.
- Dr. V. Prasada Rao, Superintendent,  
Department of Public Libraries, Afzalgunj, Hyderabad
- Shri Kailash Narayan Vyas  
Fatehpuria Chapur, Beawar-305 901 Rajasthan
- Shri A. C. Lakshmana Char, Advocate  
1-1-336/117, Viveknagar, Chikkadpally, Hyderabad
- Shri G. Govardhan Reddy, Advocate  
1-1-336/117, Viveknagar, Chikkadpally, Hyderabad
- Chairman,  
Z. G. S., Karimnagar-505 001 A. P.
- Chairman, IPLA, Rajasthan Branch
- Himat Lal Sanaadhya  
Maharaja Public Library, Jaipur.
-

# 11

## BIBLIOGRAPHY

---

1. A. L. A. Committee on Post-war Planning : Post-war standards for Public Library, Chicago, 1942.
2. All India Library Conference · Library Personnel ILA, 1968 (Chicago, University of Chicago Press).
3. Butler (Pierce) : An Introduction to Library Science, 1961 (Chicago, University of Chicago Press).
4. Burchard (John E) etc · Planning the University Library Building ALA 1953.
5. Bansal (G C) and Tikku (UK) : Model syllabus for Bachelor of Library Science Programme Indian Library Movement, 1977, 4 (4).
6. Chakravarti (SN) : Libraries in Ancient time with special reference to India. Indian Librarian, 1954, 9 (2).
7. Bashiruddin (S) : Education for librarianship in India. Indian Librarian 1962, 17 (3).
8. Chopra (RS) : Library Staff Indian Express, Aug. 10, 1970.
9. Chandrasekaran (K) : Library Science in India, 1953 (Madras, Madras Library Association).
10. Chandler (G) : Library in the modern world 1965. (Oxford, Pergaman).
11. Das Gupta (A) : Library Development of India. Herald of Library Science, 1960 (3).
12. Datta (Bimal Kumar) : Libraries and librarianship of Ancient and Medieval India, 1970 (Delhi, Atma Ram).
13. Down (Robert B) : Library Co-operation and Specialization.
14. Gaur (PN) : Glossary of Library Science Technical Terms, 1980 (Patana, library Publication).



15. Gupta (BM) : Hand book of libraries, Archives & Information Centres in India, 1985: (Delhi, Information Industry Publication).
16. Gardner (Frank M) : Public library legislation : A Comparative study, 1971 UNESCO Paris.
17. Ghosh (GB) and Banerjee (BN) : Trends of Information Service in India, 1974 (Calcutta, The World Press Private).
18. Gardner (FM) : The British Public Libraries Act, 1964. UNESCO Bulletin for libraries, 1965 (9).
19. Gelfand (MA) : University libraries for Developing Countries UNESCO.
20. Herbert (Kellor) : Memorandum of library co-operation, 1941. Washington.
21. Harrison (Colim) and Dates (Rosenary) : The Basics of librarianship (New Delhi, Oxford & IBH).
22. Harrison (KC) : International Relations in librarianship. I L A Bulletin, 1974 11 (2).
23. Harrison (KC) : First Steps in librarianship Edu. 1973.
24. IASLIC : Facts & Features, 1984.
25. IATLIS : Schools of library and Information Science in India. Herald of library Science 1981 3-4 (20).
26. India, Advisory Committee for libraries : Report, 1959 (Delhi, Ministry of Education & Govt. of India)
27. India, Secondary Education Commission : Report, 1953.
28. ISI Standard (Delhi, Indian Standard Institute).
29. ILA : Annual Report 1984-85, New Delhi.
30. Jayarajan (P) : Library and Information Science Education in India, Library Science Annual 1981.
31. Kremer (Samuel Noah) : History begins at Sumer, 1965.
32. Kent (A) etc. : Encyclopedia of library and Information Science.
33. Khanna (JK) : Fundamentals of library organisation 1985 (New Delhi, Ess Ess Publication).

# 11

## BIBLIOGRAPHY

---

1. A. L. A. Committee on Post-war Planning : Post-war standards for Public Library, Chicago, 1942.
2. All India Library Conference : Library Personnel ILA, 1968 (Chicago, University of Chicago Press).
3. Butler (Pierce) : An Introduction to Library Science, 1961 (Chicago, University of Chicago Press).
4. Burchard (John E) etc : Planning the University Library Building ALA 1953.
5. Bansal (G C) and Tikku (UK) : Model syllabus for Bachelor of Library Science Programme Indian Library Movement, 1977, 4 (4).
6. Chakravarti (SN) : Libraries in Ancient time with special reference to India. Indian librarian, 1954, 9 (2).
7. Bashiruddin (S) : Education for librarianship in India. Indian Librarian 1962, 17 (3).
8. Chopra (RS) : Library Staff Indian Express, Aug. 10, 1970.
9. Chandrasekaran (K) : Library Science in India, 1953 (Madras, Madras Library Association).
10. Chandler (G) : Library in the modern world 1965. (Oxford, Pergaman).
11. Das Gupta (A) : Library Development of India. Herald of Library Science, 1960 (3).
12. Datta (Bimal Kumar) : Libraries and librarianship of Ancient and Medieval India, 1970 (Delhi, Atma Ram).
13. Down (Robert B) : Library Co-operation and Specialization.
14. Gaur (PN) : Glossary of Library Science Technical Terms, 1980 (Patana, library Publication).


15. Gupta (BM) : Hand book of libraries, Archives & Information Centres in India, 1985. (Delhi, Information Industry Publication).
16. Gardner (Frank M) : Public library legislation : A Comparative study, 1971 UNESCO Paris.
17. Ghosh (GB) and Banerjee (BN) : Trends of Information Service in India, 1974 (Calcutta, The World Press Private).
18. Gardner (FM) : The British Public Libraries Act, 1964. UNESCO Bulletin for libraries, 1965 (9).
19. Gelfand (MA) : University libraries for Developing Countries UNESCO.
20. Herbert (Kellor) : Memorandum of library co-operation, 1941. Washington.
21. Harrison (Colim) and Dates (Rosenary) : The Basics of librarianship (New Delhi, Oxford & IBH).
22. Harrison (KC) : International Relations in librarianship, I L A Bulletin, 1974 11 (2).
23. Harrison (KC) : First Steps in librarianship Edu. 1973.
24. IASLIC : Facts & Features, 1984.
25. IATLIS : Schools of library and Information Science in India. Herald of library Science 1981, 3-4 (20).
26. India, Advisory Committee for libraries : Report, 1959 (Delhi, Ministry of Education & Govt. of India).
27. India, Secondary Education Commission : Report, 1953.
28. ISI Standard (Delhi, Indian Standard Institute).
29. ILA : Annual Report 1984-85, New Delhi.
30. Jayarajan (P) : Library and Information Science Education in India. Library Science Annual 1981.
31. Kremer (Samuel Noah) : History begins at Sumer, 1965.
32. Kent (A) etc. : Encyclopedia of library and Information Science.
33. Khanna (JK) : Fundamentals of library organisation 1985 (New Delhi, Ess Ess Publication).

34. Kaula (PN) : Education for librarians, *Herald of Library Science*, 1974, 13 (2).
35. Kaula (PN) : *Library Building : Planning and Design*, 1971 (Delhi, Vikas).
36. Kaula (PN) : *Library Movement in India*, 1958 Delhi.
37. Kaula (PN) : *Library Science Today* 1965. (Bombay, Asia Publishing House).
38. Kamgery (Robert E) : Co-ordinated Cataloguing *Library Journal*, LXXXV 1960.
39. Kelly (Thomas) : *History of Public Libraries in Great Britain, 1945-1965*, LA 1973.
40. Kalia (DR) : *Libraries in Fourth-five Year Plan*, *ILA Bulletin*, 1965, VI.
41. *Library Association (UK) : A Century of Public Library, 1850-1950*, London.
42. Lamdon (Thomas) : *Encyclopedia of Librarianship*, Ed. 3, 1967 (Calcutta, Rupa & Co.).
43. *Library Trends*, October, 1959.
44. Mookherjee (Subodh Kumar) . *Development of Libraries and Library Science in India*. (Calcutta World Press).
45. Mangla (PB) ed. : *Papers and Recommendation of All India Seminar held at Dep. of Library Science, New Delhi, 3-8 Oct., 1977*
46. Mangla (PB) and Vashishth (CP) : *Library and Information Science Education in India*. *Journal of Library and Information Science*, 1976 (12).
47. Marshall (DN) : *Education for Librarianship in India* *Journal of Library Science*, (1963)-(6).
48. Matcalf (KD) : *Planning Academic and Research Library Building*, 1965 (New York, McGraw-Hill).
49. Minto (John) : *History of the Public Library Movement in Great Britain and Ireland, 1932*, London.
50. Nagar (Murari Lal) : *Foundations of Library Movement in India*, 1983 (Ludhiana, Indian Library Institute and Bibliographical Centre).

51. Neal (KW) : Introduction to Library Administration, 1975 (Cheshire, Alderly Edge).
52. Ohdelar (AK) : The Growth of Library in Modern India, 1966 (Calcutta, World Press).
53. Patel (AD) : Gujarat Pustakalaya Sahayak Sahkari Mandal, All India Library Conference Souvenir, 1985.
54. Rajwant Singh : University Library Building in India, 1985 (Delhi, Academic Publications).
55. Ranganathan (SR) : University Courses in Library Science with special reference to M. Lib. Sc. Course, Herald of Library Science 1967, 6 (2-3).
56. Ranganathan (SR) and Neelameghan (A) : Public Library Systems : India, Sri Lanka, U. S. A. 1972.
57. Ranganathan (SR) : Library Legislation, 1953. (London, G. Blunt & Sons).
58. Ranganathan (SR) : Library Administration, 1958 (Bombay, Asia, Publishing House).
59. Ranganathan (SR) : Five Laws of Library Science, 1957 (Bombay, Asia Publishing House).
60. Ranganathan (SR) : Library Legislation Hand book of Madras Library Act, 1953 (Madras, Madras Library Association).
61. Ranganathan (SR) : Free Book Service for all 1968, Bombay.
62. Singh (RSP) : Glimpses of Librarianship, 1981 (Patna, Janaki Prakashan).
63. Sen (NB) : Progress of libraries in Free India (New Delhi, New Book Society of India).
64. Sen (NB) : Development of libraries in New India, 1965.
65. Sobor (Josafa E) : International Co-operation in the training of librarians, UNESCO, Bulletin for libraries, 19 (6).
66. Sharma (CD) and Vyas (Kailash) : Developing Horizons in library and Information Science, 1983 (Jaipur, Printwell Publishers).
67. Sharma (Ravinder N) : Indian librarianship : Perspective and Prospects, 1981 (New Delhi, Kalyani).

68. Sharma (CK) : Library Management and Organisation, 1983 (Delhi, Shree Publishing House).
69. Sharma (HD) : Library Building and Furniture, 1972 (Jullundur, IBC)
70. Seminar on Teaching of library Science, 1973, Delhi,
71. Seminar on University librarians in India, 1966, Jaipur.
72. Srivastava (SN) and Verma (SC) : University libraries in India 1980. (New Delhi, Sterling Pub.)
73. Srivastava (Anand P) : Ranganathan : A Pattern Maker, 1977 (Delhi, Metropolitan Book Co.)
74. Sadhu (SN) and Saraf (BN) : Library Legislation in India : A Historical and Comparative Study, 1967 (New Delhi, Sagar Pub.).
75. Thompson (Authory) : Library Building of Britain and Europe, 1963 (London, Bulter Worth).
76. Trehan (GL) and Sharma (TR) : Administration and Organisation of School libraries in India, 1965 (Delhi, Sterling Publishers).
77. UNESCO Bulletin for libraries, 27 (S), 1973.
78. UGC (India) : University and College libraries : Report of the Library Committee, 1965 (New Delhi, UGC).
79. University Hand Book, New Delhi, 1983.
80. Wilson (LR) and Tanber (Maurice F) : The University library, Ed. 2, 1956.







पुस्तक :

यह पुस्तक Comparative Librarianship विषय पर हिन्दी में पुस्तकों के प्रभाव की पूर्ति की दिशा में प्रथम प्रयास है। इसमें Comparative Librarianship विषय के सभी पक्षों का विवेचन करने के साथ-साथ इसे M Lib Sc & B, Lib. Sc दोनों के लिये विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमानुसार उपयोगी बनाया गया है।

इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ Staff Manual, C. R. G, Standardization व कुछ प्रमुख भाषाओं व समितियों की रिपोर्टें आदि हैं, जो सामान्यतः हिन्दी व अंग्रेजी की पुस्तकों में उपलब्ध नहीं हैं।

यह पुस्तक पुस्तकालयाध्यक्षों, पुस्तकालय प्राधिकारियों व पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है।

Rs. 125 00